पंचम माला, खंड 40, अंक 51, मंगलवार, 7 मई, 1974/17 वैशाख, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XL, No. 51, Tuesday, May 7, 1974/Vaisakha 17, 1896 (Saka)

लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
Fumigated
08-8-92
Parliament Library

[खंड 40 में अंक 51 से 54 तक हैं
Vol. XL contains Nos. 51 to 54]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

27 LSS/74—1

विषय सूची/CONTENTS

अंक 51, मंगलवार, 7 मई, 1974/17 वैशाख, 1896 (शक)

No. 51, Tuesday, May 7, 1974/Vaisakha 17, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्न काल के निलम्बन के बारे में	Re. Suspension of Question Hour	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
955 15 अप्रैल, 1974 को रेलवे श्रमिक संघों के नेताओं के साथ बैठक	Meeting with Leaders of Railway Trade Unions on 15th April, 1974 . .	3
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
956 रतलाम डिवीजन के 67 खोंचे वालों के लाइसेंस रद्द करना	Cancellation of Licences of 67 Vendors Ratlam Division	18
957 हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड में निवेशित पूंजी	Investment made in Hindustan Organic Chemicals Limited	18
958 इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, पेरम्बूर, मद्रास में नये औजारों और घिसाई पत्थरों की बिक्री	Sale of new Tools and Grinding Stones in Integral Coach Factory Perambur, Madras	18
959 वर्तमान उर्वरक संयंत्रों का विस्तार	Expansion of existing Fertilizer Plants .	18
960 गुन्तकल डिवीजन दक्षिण-मध्य रेलवे जोन में शामिल करना	Inclusion of Guntakal Division into South Central Railway Zone . . .	19
961 मुकदमों के निपटान में विलम्ब होने पर विचार करने और उसको दूर करने के लिए "रिसर्च सैल"	Research Cell to examine and eliminate delay in disposal of cases . . .	19

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
962	भारतीय विधि संस्थान का लोकतंत्रीकरण करने की की गई कार्यवाही	Steps taken to democratise Indian Law Institute	20
963	पेट्रोल तथा मोबिल ग्रायल की कमी ग्रौर मूल्य वृद्धि का उद्योगों पर प्रभाव	Impact of shortage and rise in prices of Petrol and Mobil Oil on Industries .	20
964	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में संथालडीह तापीय बिजली घर की योजना का क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Santaldih Thermal Power Station during Fifth Plan .	20
965	मैसर्ज ए० एच० व्हीलर ग्रौर मैसर्स गुलाब सिह पुस्तक स्टाल ठेकेदारों तथा ग्रन्य को एक समान दर पर कमीशन देना	Uniform rate of Commission to M/s A. H. Wheeler and M/s. Gulab Singh Book Stall Contractors and other contractors . .	21
966	'प्रेयान' बेलजियम द्वारा एफ० ए० सी० टी० का सुधार पर खर्च का दावा स्वीकार किया जाना	Claim for Modification of FACT Agreed to by Prayon, Belgium .	21
967	रूस से फरनेस ग्रायल तथा एवियेशन स्पिरिट का ग्रायात	Import of Furnace Oil and Aviation Spirit from USSR . . .	22
968	चौथी योजना में कुछ ग्रौषधियों का उत्पादन	Production of Certain Medicines in Fourth Plan	22
969	दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर बिजली घर का प्रजनन एकक न चलने के बारे में शिकायत	Complaint regarding Failure of Generation Unit of Durgapur Station of DVC	24
970	मोनो ब्लाक कंकरीट स्लीपरों के बारे में सरकारी समिति के निष्कर्ष	Findings of Official Committee on Monoblock Concrete Sleepers . . .	24
971	सामग्री उपलब्ध न होने के कारण कलकत्ता भूमिगत रेलवे के कार्य में विलम्ब	Non-availability of Material caused Delay in Calcutta Tube Railway Work .	25
972	उत्तर रेलवे में रेल पटरी के साथ-साथ डाली गयी मिट्टी/बजरी की ढुलाई पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Transportation of Earth/Gravel along the Railway Track on Northern Railway . .	25

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
973	आधुनिक बिजली संयंत्रों में रसायन निष्कासन (क्लियरिंग) के उपायों का प्रयोग	Use of Chemical Clearing Methods in Modern Power Plants . . .	25
974	बिजली की कमी के कारण इस्पात धमन भट्टी एककों का उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में अंतरण	Shifting of Steel Furnace units in U.P. to other States due to power shortage .	26
975	पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages during the Last Three Years	27

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
9233	वर्कशाप लेखा कार्यालय अजमेर में 'सब हैड' के पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों से पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक को अभ्यावेदन	Representation from Sub heads of Workshop Accounts Office, Ajmer to General Manager, Western Railway .	27
9234	फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड से उर्वरकों की चोरी	Theft of Fertilizers from FACT . .	27
9235	एफ० ई० डी० ओ० द्वारा लिए गए ठेके	Contract acquired by FEDO	28
9236	विभागीय श्रम न्यायालयों को पूर्ण न्यायालयों में बदलने का निर्णय	Decision to convert Departmental Labour Courts into Fullfledged Courts .	28
9237	वर्ष 1972-73 और 1973-74 में बिना टिकट यात्रियों से वसूल की गई राशि	Amount recovered from ticketless travellers during 1972-73 and 1973-74 . .	28
9238	रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश के पश्चिम निमाड़ क्षेत्र की उपेक्षा	Neglect of Western Nimar Region of Madhya Pradesh by the Railways .	29
9239	मध्य प्रदेश में आवश्यक मात्रा में खाद्यान्नों की एक स्थान से दूसरे स्थान को ढुलाई	Transportation of requisite quantity of Foodgrains from one place to another in Madhya Pradesh.	29
9240	इंदौर उच्च न्यायालय में अनिर्णीत बड़े मामले	Cases pending in Indore High Court .	29
9241	नर्मदा परियोजना के निर्माण के कारण मध्य प्रदेश से पूर्व निमाड़ जिले की हरसूद तहसील के जलाप्लावित हो जाने के लिए मुआवजा	Compensation for submergence of Harsood Tehsil of East Nimad District of M.P. due to construction of Narmada Project	30

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9242	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक द्वारा मैं० जोन विथ कम्पनी में सेवा करना	Ex-Managing Director of Hindustan Antibiotics Limited joining M/s John Wyth	30
9243	पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को स्थिर कर देना	Freeze on prices of Petroleum Products .	31
9244	रूमानिया के सहयोग से तेल की खुदाई करने वाले रिगों के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal to Manufacture Oil Rigs in Collaboration with Rumania . . .	32
9245	गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों द्वारा उत्पादित उर्वरक का वितरण	Distribution of Fertilizers produced by Private Sector Units	32
9246	राज्यों में ठप्प की गई तमाम विद्युतीकरण योजनायें और व्ययगत हुई आवंटित राशि	Lapse of Rural Electrification Schemes and Allocation in States . . .	33
9247	वर्तमान चुनाव पद्धति बदलने का प्रस्ताव	Proposals for changing the present election system	34
9248	परिवहन कठिनाइयों का विदेशों को लौह अयस्क के निर्यात पर प्रभाव	Affect of transport bottleneck on export of Iron ore to foreign countries . .	34
9249	पंजाब के उद्योगों पर भट्टी तेल के दोषपूर्ण वितरण का प्रभाव	Impact of Faulty Distribution system of Furnace Oil on Industries in Punjab	35
9250	चंडीगढ़ में इलैक्ट्रानिक समूह की स्थापना	Setting up of an Electronic Complex in Chandigarh	35
9251	गत एक वर्ष के दौरान रेलवे को समाज-विरोधी तत्वों द्वारा की गई हानि	Loss caused by anti-social elements to Railways during the last one year .	36
9252	मध्य रेलवे कर्मचारी संघ (सेंट्रल रेलवे एम्प्लाईज एसोसिएशन) की मांगें	Demands of Madhya Railway Karamchari Sangh (Central Railway Employees Association) . .	36
9253	गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों द्वारा भेजे गये मामलों के बारे में अधिकारियों को निदेश	Directives to Officers in regard to cases sent by unrecognised Unions . .	37

अ॰ ता॰ प्र॰ संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9254	हरियाणा में सिंचाई और विद्युत परियोजनायें	Irrigation and Power Projects in Haryana	37
9255	महाराष्ट्र में 1974-75 में बनाये जाने वाले उपरि-पुल	Over-bridges to be constructed in Maharashtra during 1974-75	38
9256	सेंट्रल रेलव में प्लेटफार्मों पर बिजली से प्रकाश की व्यवस्था	Arrangement to provide electric lights on Platforms on Central Railway .	38
9257	शैल इन्टरनेशनल पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा महाद्वीपीय मानतट का सर्वेक्षण	Survey of Continental Shelf by Shell International Petroleum Company .	38
9258	श्रीराम रैफ्रीजरेशन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा इलैक्ट्रानिक/न्यूमेटिव गेज बनाने के लिए नोटिस दिया जाना	Public Notice given by Shriram Refrigeration industries limited to Manufacture Electronic/Pneumatic Gauges . . .	39
9259	कोचीन शोधनशाला में नैफ्था का जमा होना	Piling up of Naphtha at Cochin Refinery .	40
9260	वैशाली एक्सप्रेस का आगरा फोर्ट तक विस्तार	Extension of Vaishali Express to Agra Fort	40
9261	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा खनिज तेल के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Mineral Oil by Foreign Oil Companies . . .	40
9262	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गंगा नदी पर तटबन्ध बनाया जाना	Construction of Embankments by West Bengal Government on the Ganga River	41
9263	भारतीय तेल निगम द्वारा नेशनल आयल कम्पनी कलकत्ता को स्नेहक तेलों की सप्लाई	Supply of Lubricants by IOC National Oil Company, Calcutta . . .	41
9264	अधिनियमों का हिन्दी रूपांतर	Hindi Version of Acts .	41
9265	कांगड़ा घाटी रेलवे पुनर्रेखांकन परियोजना पर पैदल ऊपरी पुल का निर्माण	Construction of Over Head Foot Bridge at Kangra Valley Re-Alignment Project	42
9266	अधिकारियों (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र स्वीकार न किये जाने के कारण स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के वेतनों से कटौती करना	Deduction of Wages of Station Masters, Assistant Station Masters due to Non-Acceptance of Medical Certificates by Authorities (Northeast Frontier Railway)	42

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9267	आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन पूर्वोत्तर रेलवे के ज्ञापन पर की गई कार्यवाही	Action taken on Memorandum by All India Loco Running Staff Association North Eastern Railway . . .	43
9268	रेलवे के लिए विद्युत केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal for setting up of Power Stations for Railways	43
9269	सिंदरी उर्वरक कारखाने में सी० आई० एस० एफ० के एक ए० एस० आई० की गिरफ्तारी	Arrest of an ASI of CISF at Sindri Fertilizer Factory	43
9270	लालरू से सहारनपुर तक (उत्तर रेलवे) बुक किये गये सामान टिकटों पर न्यूनशुल्क की वसूली	Recovery of Under Charges on Luggage Tickets booked from Lalru to Saharanpur (Northern Railway)	44
9271	मैसर्स में एंड बेकर द्वारा कतिपय मदों का उत्पादन	Production of certain items by M/s. May and Baker	44
9272	सियालदह डिविजन में एस० जी० 11 अप गाड़ी का रोका जाना	Detention of Train No. SG 11 Up in Sealdah Division	45
9273	श्री ए० एन० रे० के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के विरुद्ध दायर की गई याचिका	Writ petition filed against the Appointment of Shri A.K. Ray as Chief Justice of Supreme Court . . .	45
9274	27 मार्च, 1974 को रेल मंत्री के साथ एक प्रतिनिधि मंडल की बैठक	Meeting of a Delegation with Railway Minister on 27th March, 1974 . .	46
9275	जीवन रक्षक औषधियों तथा रसायनों की कमी	Shortage of Life Saving Drugs and Chemicals	46
9276	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के लिए अंतः निगम निवेश	Inter Corporate investment for Industrial Development in the Fifth Five Year Plan	47
9277	एल्यूमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कास्टिक सोडे के निर्माण के लिए एक नये उपक्रम की स्थापना	Establishment of a New Undertaking for Manufacture of Caustic Soda by Aluminium Corporation Limited . .	47

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9278	बम्बई हाई में विदेशी शक्तियों द्वारा तेल के लिए छिद्रण कार्य	Drilling oil by Foreign powers from Bombay High	48
9279	भारतीय तेल निगम कर्मचारी संघ की पूर्वी शाखा द्वारा आन्दोलन	Agitation by Indian Oil Employees Union of Eastern Branch . . .	48
9280	मुकदमा संख्या 53/71 में भागलपुर के प्रथम अतिरिक्त जिला जज के निर्णय पर सरकार की प्रतिक्रिया	Government's Reaction on Judgement of First Additional District Judge of Bhagalpur in case No. 53/71 . .	48
9281	भारतीय तेल कर्मचारी संघ द्वारा भारतीय तेल निगम के अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप	Allegation made by Indian Oil Employees Union against IOC Officials . .	49
9282	भारतीय तेल निगम का अध्यक्ष के बिना कार्य करना	Indian Oil Corporation working without Chairman	49
9283	लोकटक परियोजना स्थल पर पुलों का निर्माण	Construction of bridges on the Loktak Project Site	49
9284	उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के जजों द्वारा प्राप्त किये गये शेयर	Shares held by Judges of Supreme Court and High Courts	50
9285	कोयाली तेल शोधक कारखाने में अवशिष्ट इंधन का उत्पादन	Production of residual fuel at Koyali Refinery	50
9286	डन्कन ब्रादर्स लिमिटेड द्वारा निर्बन्धकारी व्यापार प्रक्रिया में सम्बद्ध होना	Restrictive Trade Practices indulges into by Dancon Brothers Limited . .	51
9287	राष्ट्रीयकृत बैंकों के भागीदारों तथा अन्य व्यक्तियों को दी गई क्षतिपूर्ति की राशि का निदेशकों द्वारा दुरुपयोग	Misuse of Compensation Money by Directors to Shareholders and others in erstwhile Banking Companies . . .	52
9288	जेनेवा में विश्व मे प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रों की बैठक	Meeting of world's major oil producing nations at Geneva	54
9289	दिल्ली में प्लास्टिक ढालने वालों को कच्चे माल की सप्लाई न मिलने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिक	Workers rendered jobless due to non-supply of raw material to plastic moulders in Delhi	54

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9290	ईंधन पर आधारित तापीय बिजली-घरों (बरौनी) के बायलरों में सुधार करना	Modification of Boilers of Fuel based Thermal Stations (Barauni) . .	54
9291	तेल की आवश्यकताओं के संबंध में विश्व बैंक के अनुमानों में संशोधन	Revision in World Bank's estimates regarding oil requirements . . .	55
9292	10 करोड़ रुपये से अधिक की आस्तियों वाले औद्योगिक गृह तथा व्यक्तिगत फर्में	Assets of Industrial Houses and individual firms for more than Rs. 10 crores .	56
9293	कर्नाटक राज्य द्वारा काली तथा अन्य परियोजनाओं की पूर्ति के लिए मांगी गई सहायता	Assistance sought by Karnataka for Completion of Kali and other Projects .	56
9294	कुक्कुट पालन के 'मोरेक्स रोग' के लिए टीके की दवा के आयात के लिए मैसर्स होचेस्ट फार्मेस्यूटीकल्स लि० को आयात लाइसेंस	Licence issued to M/s. Hoechest Pharmaceuticals Limited for import of vaccine against Marek's disease of Poultry	57
9295	डी० डी० टी० (टेक) और बी० एच० सी० (टेक) के उत्पादन में कमी	Shortfalls in production of DDT (Tech) and BHC (Tech)	57
9296	मध्य प्रदेश में रेलों के विस्तार का कार्य	Expansion Programme of Railways in Madhya Pradesh	57
9297	गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए राजस्थान को दी गई धनराशि	Funds to Rajasthan for flood control during last three years	60
9298	राज्य बिजली बोर्डों की ओर बकाया ऋण	Loans outstanding against State Electricity Boards	60
9299	पाली स्टेशन का विकास	Development of Pali Station . . .	61
9300	सदर्न रेलवे मजदूर यूनियन के कार्यालयों को किराये पर दिये गये रेलवे के भवन	Railway premises let out to offices of Southern Railway Mazdoor Union .	62
9301	सदर्न रेलवे मजदूर यूनियन की शाखाओं को मान्यता	Recognition to branches of Southern Railway Mazdoor Union . . .	62
9302	दक्षिण रेलवे में निपटान किया गया फैरस स्क्रैप	Ferrous scrap disposed of on Southern Railway	62
9303	जयपुर उद्योग लिमिटेड के अंशधारी	Shareholders of Jaipur Udyog Limited .	63

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9304	आन्दोलन में भाग लेने के कारण नागपुर (मध्य रेलवे) में नियुक्त कर्मचारियों को वेतनों का भुगतान न करना	Non-payment of wages to employees on Nagpur (Central Railway) for participation in agitation	63
9305	कृष्णा डेल्टा में दूसरी फसल की खेती के लिए तुंगभद्रा जलाशय से फालतू जल की सप्लाई	Supply of surplus water from Thungabhadra Reservoir for second crop cultivation in Krishna Delta . . .	64
9306	तुंगभद्रा जलाशय के अंतर्गत नहर परियोजनाएं	Canal project under Tungabhadra Reservoir	64
9307	केन्द्रीय क्षेत्र की बिजली परियोजनाओं के लिए नियंत्रक कम्पनी बनाना	Formation of a holding company for Central Sector Power Projects . . .	65
9308	एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियाएं आयोग और अधिनियम के कार्यकरण का पुनर्विलोकन	Review of Working of M.R.T.P. Commission and M.R.T.P.	66
9309	हड़तालों और चोरियों के कारण वर्ष 1973-74 में रेलवे को हुई हानि	Loss suffered by Railway during 1973-74 due to Strikes and Thefts . .	67
9310	चौथी योजना में पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य तथा सप्लाई	Target for Power Generation and Supply in West Bengal and Maharashtra in Fourth Plan	68
9311	पश्चिम बंगाल में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की लागत में वृद्धि	Rise in Cost of continuing Irrigation Projects in West Bengal	68
9312	फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड के अधिकारियों के विदेश दौरे	FACT Officials visit Abroad .	69
9313	मिट्टी के तेल तथा भट्टी तेल की कमी	Shortage of Kerosene and Furnace Oil .	69
9314	मैसर्स फाइजर्स लिमिटेड द्वारा कुछ दवाइयों का अनधिकृत उत्पादन	Unauthorised Production of certain Drugs by M/s. Pfizers Limited . . .	70
9315	पश्चिम बंगाल में संथालदीह तापीय बिजली घर का निर्माण	Construction of Santhaldih Thermal Power Station in West Bengal . . .	72

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9316	प्लास्टिक का उत्पादन करने वाले कारखाने और उनको कच्चे माल की सप्लाई	Plastic Producing Units and Supply of Raw Materials to them . . .	72
9317	लघु उद्योग क्षेत्र में सोडा ऐश की कमी	Shortage of Soda Ash in Small Scale Sector	73
9318	इस्पात संयंत्रों के लिए स्टाक लाने-ले जाने में रेलवे की असमर्थता	Railways inability to move stocks to Steel Plants	73
9319	बालासौर में गुंडों द्वारा पुरी एक्सप्रेस और उत्कल एक्सप्रेस का रोका जाना	Detention of Puri Express and Utkal Express by Hooligans at Balasore .	73
9320	दक्षिण पूर्व रेलवे के कुछ विभागों का कलकत्ता से उड़ीसा स्थानान्तरण	Shifting of some Departments of South Eastern Railway from Calcutta to Orissa	74
9321	कर्नाटक में बराही पन-बिजली परियोजना की मंजूरी	Clearance of Varahi Hydro Electric Project in Karnataka	74
9322	व्यास विवाद को सुलझाने के संबंध में पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक	Meeting with Chief Ministers of Punjab and Haryana regarding Settlement of Beas Dispute	74
9323	1971-72 और 1972-73 के दौरान दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा देने के कारण रेलवे को हुई क्षति	Loss suffered by Railways on account of Compensation for Accidents during 1971-72 and 1972-73	75
9324	तमिलनाडु में निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता	Legal aid to poor in Tamil Nadu .	75
9325	गाजियाबाद के कुलियों को स्थानापन्न भत्ते की अदायगी	Payment of Officiating Allowance to Luggage Porters at Ghaziabad . .	76
9326	राजस्थान के लिए सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Schemes for Rajasthan .	76
9327	चल टिकट परीक्षकों (टी० टी० ई०) और कन्डक्टरों के लिए रनिंग कक्ष	Running Rooms for Travelling Ticket Examiners and Conductors .	76
9328	पूर्वोत्तर रेलवे के टिकट कलक्टरों को गर्मी की वर्दियों के दो सेट दिया जाना	Provision of Two sets of Summer Uniforms to Ticket Collectors (North Eastern Railway)	77

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9329	पथरदीह में प्रदर्शनकारी रेल कर्मचारियों पर समाज विरोधी तत्वों द्वारा हमला	Attack on the Demonstrators of Railway men at Pathardih by Anti Social Elements	77
9330	गत तीन वर्षों में डी० वी० सी० द्वारा कलकत्ता को दी गई बिजली	Supply of Power to Calcutta by DVC during last three years	77
9331	बिहार सरकार द्वारा बिहार में रेलवे के विस्तार के लिए ज्ञापन	Memorandum on Extension of Railways in Bihar by Bihar Government . .	78
9332	नदी जल उपयोग के लिए नदियों का चयन	Selection of Rivers for Utilisation of River Waters	78
9333	बिहार में रेलवे स्टेशनों के विस्तार और मरम्मत के लिए मंजूर की गई धनराशि	Amount granted for Expansion and Repair of Railway Stations in Bihar. .	79
9334	दामोदर घाटी निगम के पुनर्गठन के बारे में बिहार और पश्चिम बंगाल से प्रतिवेदन	Report from Bihar and West Bengal regarding Reorganisation of DVC .	79
9335	तापीय बिजली घरों के लिए स्थलों का चयन	Selection of Sites for Thermal Power Stations . . .	79
9336	पश्चिम बंगाल में विद्युत् परियोजना के कार्यकरण में सुधार करने के लिए की गई कार्यवाही	Steps to improve performance Power Projects in West Bengal	80
9337	चालू वर्ष में पश्चिम बंगाल में विद्युत् परियोजनाओं का निर्माण पूरा करने के लिए धन नियतन	Allocation of Funds for Execution Power Projects in West Bengal in the current year	81
9338	फरक्का बराज कम्प्लैक्स के लिए 1974-75 में नियत धन राशि	Grant for Farakka Barrage Complex for 1974-75	82
9339	लोकटक उठाऊ सिंचाई योजना के बारे में प्रगति	Progress regarding Loktak Lift Irrigation Scheme	82
9340	तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट की असंगतियों की जांच करने के लिए पैनल	Panel to examine Anomalies in Third Pay Commission Report	83

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9341	मूल्य वृद्धि के कारण पांचवीं योजना के विद्युत् उत्पादन लक्ष्यों का पुनर्विलोकन	Review of Fifth Plan Power Generation Targets due to pιice Rise . .	83
9342	उत्तरी भारत में बिजली संकट	Power Crisis in North India . .	84
9343	मथुरा और वृन्दावन के बीच चलने वाली गाड़ी का घाटे पर चलना	Running of Train between Mathura and Vrindavan at a loss	58
9344	मथुरा और अलीगढ़ के बीच सीधा रेल मार्ग	Direct Rail Link between Mathura and Aligarh	85
9345	वर्ष 1971 में बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या	Voters in Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh in 1971 . . .	58
9346	उत्तर रेलवे के कर्मचारियों द्वारा 'नियमानुसार काम करो' आन्दोलन	'Work to Rule' Agitation by Employees of Northern Railways . . .	86
9347	अरुणाचल में तेल की खोज	Oil Exploration in Arunachal	86
9348	पूर्वोत्तर रेलवे से जांबिया रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले इंजीनियर	Engineers to go on deputation to Zambian Railways from North Eastern Railway	87
9349	बिजली की कमी का मुकाबला करने के लिए मशीनरी और तकनीकी जानकारी के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए की गई कार्यवाही	Steps taken to reduce dependence on foreign sources for machinery and know how to meet power shortage . .	87
9350	टिहरी, मनेरी और पञ्छेश्वर बांधों का निर्माण	Construction of Tehri Maneri and Pach-cheswar Dams	88
9351	ऋषिकेष से कर्ण प्रयाग तक रेललाइन	Railway line from Rishikesh to Karna Prayag	89
9352	उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण	Electrification of villages in Uttar Pιadesh	89
9353	टिहरी बांध से विस्थापित परिवारों का पुनर्वास	Rehabilitation of families displaced due to construction of Tehri dam . .	90
9354	काठगोदाम से टनकपुर तक रेल मार्ग	Railway line from Kathgodam to Tanak-pur	90

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9355	वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान वैगन तोड़े जाने की घटनायें	Wagons breaking during 1972-73 and 1973-74	91
9356	समुद्री कटाव के बारे में अध्ययन करने हेतु पश्चिम बंगाल के डिघा में विशेषज्ञ दल का दौरा	Visit of expert team to Digha in West Bengal to study beach erosion . .	92
9357	डाक गाड़ियों से जलपान प्रबन्ध का समाप्त किया जाना	Withdrawal of catering arrangements from mail trains	92
9358	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों और बलिया में डी० एल० डब्ल्यू० वाराणसी और रेलवे वर्कशाप, गोरखपुर के एकक की स्थापना करना	Setting up of unit of DLW Varanasi and Railway Workshop Gorakhpur in Eastern district of U.P. and Balia . .	95
9359	बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का केन्द्र द्वारा संचालन	Running of Major irrigation Projects by Centre	95
9360	चुनाव लड़ने के लिए गरीबों को सहायता देने संबंधी प्रस्ताव	Proposal to give assistance to the poor for contesting elections . . .	95
9361	गुजरात विधान सभा के चुनाव के लिए तैयारी	Preparation for election to Gujarat Assembly	95
9362	संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए रियायती दर पर पैट्रोल की सप्लाई	Supply of petrol to M.Ps. on subsidised rates for touring their constituencies .	96
9363	रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधायें	Education facilities to children of Railway Employees	96
9364	रेल कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं	Medical facilities to Railway Employees .	97
9365	सरकारी तेल शोधक कारखानों के लिए विस्तार कार्यक्रम	Expansion programme for public sector refineries	97
9366	जयपुर उद्योग लि० के कार्यकरण की जांच	Enquiry into the working of Jaipur Udyog Ltd.	97
9367	गुजरात में सिंचाई सुविधाएं	Irrigation facilities in Gujarat .	98
9368	गुजरात में सिंचाई और विद्युत परियोजनायें	Irrigation and Power Projects in Gujarat .	98

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9369	पश्चिम रेलवे पर सौराष्ट्र क्षेत्र में मीटरगेज लाइनों को ब्राड गज लाइनों में बदलना	Conversion of Metre Gauge Lines in Saurashtra Region into Broad Gauge on Western Railway . .	99
9370	बम्बई हाई से निकले अशोधित तेल के लिए 'सब मैरीन पाइप लाइन'	Submarine pipe line for crude oil drilled from Bombay High . . .	100
9371	गुजरात में विद्युत संकट	Power crisis in Gujarat	100
9372	तट दूर तेल की खोज के लिए सहयोग के बारे में मतभेद	Differences on Collaboration for Offshore Oil Exploration	100
9373	बंगलादेश और नेपाल को पेट्रोल की सप्लाई	Supply of petrol to Bangladesh and Nepal	101
9374	पांचवीं योजना में तेल शोधक कारखानों की क्षमता का विस्तार	Expansion of refining capacities of refineries in Fifth Plan .	101
9375	दुर्गापुर कैमीकल्स लिमिटेड का कम उत्पादन	Low production at Durgapur Chemicals Limited . .	102
9376	जाली एजेंसियों द्वारा सीटें हथियाने में बुकिंग क्लर्क का कथित हाथ	Alleged Booking Clerks' hand in cornering of seats by mushroom agencies .	102
9377	ओखला स्टेशन (दिल्ली डिविजन,) पर गुड्स शैड	Goods shed at Okhla Station (Delhi Division) . . .	103
9378	छोटा नागपुर और संथाल परगना में सिंचाई और विद्युत् योजनाओं के लिए धनराशि	Funds for formulation of Irrigation and Power Schemes in Chotanagpur and Santhal Praganas	103
9379	केन्द्रीय सरकार द्वारा सिंचाई और विद्युत् परियोजनाएं अपने हाथ में लिया जाना	Take over of Irrigation and Power Projects by Centre . . .	103
9380	लोहार डागा और टोरी के बीच नई रेलवे लाइन	New Railway Line between Lohardaga and Tori	104
9381	रेलवे को अनिवार्य सेवा घोषित करना	Declaration of Railways as Essential Services	104
9382	रांची से दिल्ली और दिल्ली से रांची तक सीधी रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव	Proposal to run through train from Ranchi to Delhi and back . . .	104

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9383	उड़ीसा के गंजम जिले की बाघलाटी नदी परियोजना को क्रियान्वित करना	Execution of Baghalati River Project of Ganjam District of Orissa . . .	105
9384	दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा एन० ए० सी० कोरापुट को दिया जाने वाला सेवा-शुल्क	Service Tax to be paid by South Eastern Railway to NAC Koraput . . .	105
9385	कोट्टायाम से बरास्ता खबरीमाला मदुरै तक रेलवे लाइन का बिछाया जाना	Railway line between Kottayam and Madurai via Sabarimala . . .	105
9386	नैमित्तिक श्रमिकों को सेवा निवृत्ति संबंधी सुविधाएं	Retirement benefits to Casual Labourers	106
9387	नैमित्तिक श्रमिकों के संबंध में स्थाई आदेशों का अपनाया जाना	Adoption of standing orders in respect of casual labourers . . .	106
9388	गत तीन महीनों में समस्तीपुर डिवीजन में रद्द की गई रेलगाड़ियां	Trains cancelled in Samastipur Division during the last three months . .	107
9389	रेल कर्मचारियों की तीन फैडरेशनों के साथ बातचीत	Negotiations with three Federations of Railway Employees . . .	107
9390	भू-गर्भीय जांच के बारे में केरल के उद्योग मंत्री द्वारा दिये गये सुझाव	Suggestion made by the Minister of Industries Kerala on Geological Investigations	108
9391	मतदान संबंधी सुधारों के बारे में एक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव	Proposal to convene a Conference on Electoral Reforms	108
9392	केशोराम सीमेंट इंडस्ट्रीज के आवेदन-पत्र पर एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें आयोग की सिफारिशें	MRTP Commission's recommendations on application of Kesoram Cement Industries	109
9393	पूर्वी क्षेत्र के बिजली-घरों द्वारा बिजली का उत्पादन	Generation of power by power houses in Eastern Zones	109
9394	पश्चिम बंगाल में डीजल से चलने वाले बिजली-घरों का कार्यकरण	Working of diesel power stations in W. Bengal	111
9395	सिलीगुरी और कूच बिहार स्थित डीजल से चलने वाले बिजली-घरों में बिजली का उत्पादन	Generation of Power by Diesel Power Stations at Siliguri and Cooch Bihar .	111

27 LSS/74—2.

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9396	त्रिपुरा की गुमटी पनबिजली परियोजना पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Gumti Hydel Project of Tripura	112
9397	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर प्रदेश के राज्यों के लिए बिजली संबंधी आवश्यकताओं के लिए सर्वेक्षण	Survey for Power requirements for North Eastern Region States in Fifth Plan .	113
9398	विस्फोट करके बांध बनाने के लिए रूसी तकनीकी जानकारी	Russian know-how for making Dams by Explosion Blast	114
9399	प्रस्तावित नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाईन के लिए सर्वेक्षण	Survey for proposed Nangal Talwara Railway line	114
9400	बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और खपत	Per Capita availability of Consumption of Power	114
9401	उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विद्युत् प्रजनन और वितरण के लिए रिजनल ग्रिड स्थापित किया जाना	Setting up of a Regional Grid for Generation and distribution of Power in North Western Region . .	115
9402	हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल पम्प	Petrol pumps in Himachal Pradesh	116
9403	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में समिति	Committee on Appointment of Officers in O. & N.G.C.	116
9404	पूर्वी प्रदेशों में ग्राम्य विद्युतीकरण योजनाओं को क्रियान्वित न करने संबंधी सर्वेक्षण	Survey for non-implementation of Rural Electrification scheme in Eastern Regions	116
9405	अंतर्राज्यीय विवाद वाली सिंचाई परियोजनायें	Irrigation projects under inter-state Dispute	117
9406	नेशनल रेयान कारपोरेशन	National Rayon Corporation. .	117
9407	एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें आयोग की कार्यवाही के विरुद्ध कोका कोला निर्यात निगम द्वारा प्राप्त रोकादेश	Stay orders obtained by Coca Cola Export Corporation in respect of MRTP proceedings	118
9408	रेल मंत्रालय तथा रेल कर्मचारियों के बीच बातचीत द्वारा समझौता	Negotiated settlement between Railway Ministry and Railway Employees .	119
9409	पेट्रो-कैमीकल्स के लिए नेप्था के मूल्यों में उतार-चढ़ाव	Fluctuation in prices of Naphtha for Petrochemicals	119

अता० प्र० संख्या U. S. Q No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9410	वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों में बिजली की कटौती	Power cut for Industrial and Agricultural Sections in 1973-74 and 1974-75 . .	120
9411	बरवाहडीह लाइन पर यात्री गाड़ियों में अनधिकृत व्यक्तियों और पुलिस द्वारा धन वसूल किये जाने का आरोप	Allegedly collection of Money by unauthorised persons and Police in Passenger Train on Barwadih Line . .	121
9412	मुगलसराय, देहरी और बरवाडीह के बीच चलने वाली बी०डी० और जी०डी० यात्री गाड़ियों के डिब्बे	Bogies of BD and GD passenger Trains running between Mughal Sarai, Dehri and Barwadih	121
9413	गैर-सरकारी कम्पनियों के खर्चे पर रोक लगाने के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन	Amendment of Companies Act to curb expenditure by Private Companies .	121
9414	बड़वाडीह लाइन (पूर्व रेलवे) पर गाड़ियों का बिलम्ब से चलना	Late running of Trains on Barwadih Line (Eastern Railway)	122
9415	विदेशी फर्मों के ब्रांड नामों संबंधी मामले	Cases regarding Brand Names of Foreign Firms	122
9416	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1967 के विधान सभा चुनावों के संबंध में दायर याचिकायें	Petitions filed in Madhya Pradesh High Court about elections to Legislative Assembly held in 1967 . . .	123
9417	उपमुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक (दावे) पश्चिम रेलवे के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Deputy Chief Commercial Superintendent (Claims), Western Railway	123
9418	वेगन उद्योग के लिए रोलर बीयरिंग व्हील सैटों का आयात	Import of Roller bearing Wheel Sets for Wagon Industry	124
9419	परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले दिवंगत रेलवे कर्मचारियों की विधवाओं के बच्चों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Children of Widows of deceased Railway Employees in receipt of Family Pension .	124
9420	उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में विलम्ब	Delay in appointment of Judges to fill up vacancies in High Courts . .	124
9421	दूसरी श्रेणी के पासधारियों के लिए पृथक स्थान।	Separate accommodation for Second Class Pass Holders	125

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9422	जैसलमेर में तेल के लिए खुदई कार्य	Oil drilling in Jaisalmer	125
9423	मद्रास में कन्या कुमारी तक एक्सप्रेस गाड़ी चलाना	Express Train from Madras to Cape Comorin . . .	126
9424	मडपम से रामेश्वरम तक रेलवे लाइन	Railway Line for Mandapam to Rameshwaram	126
9425	बिजली के प्रयोग के लिए प्रतिबन्ध	Curbs on use of Power	126
9426	दिल्ली किशनगंज कालोनी में रेलवे क्वार्टरों में धूल के आने को रोकने के लिए सुधार	Improvement in Railway Quarters of Delhi Kishanganj Colony to avoid coming of dust . . .	127
9427	कुडा स्टेशन पर नमक का रुक जाना	Salt held up at Kuda Station	127
9428	पालिएस्टर रेशा निर्माताओं द्वारा एकाधिकारी एककों को डी० एम० टी० चिपस को बेचा जाना	Polyester Fibre Manufactures selling DMT Chips to Monopoly Units .	128
9430	विदेशी एकाधिपतियों के कार्यों पर रोक लगाने में सरकार की असफलता	Failure of Government to curb Practices of Foreign Monopolists . . .	129
9431	दिल्ली में पेट्रोल पम्पों द्वारा की गयी अनियमिततायें	Irregularities committed by Petrol Pumps in Delhi	129
9432	देश में बड़े तथा मध्यम दर्जे के औद्योगिक गृहों की संख्या	Number of large and medium Industrial Houses in the country . .	129
	9 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6182 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Statement correcting Answer to USQ No. 6182 dated 9-4-1974	130
	स्थगन प्रस्ताव—	Motion to Adjournment—	
	दिल्ली में सदरबाजार क्षेत्र में दंगों को रोकने में असफलता	Failure to avert riot in Sadar Bazar area in Delhi	131
	श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	131
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	132

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सदस्यों की गिरफ्तारी और रिहायी (श्रीमती विभा घोष गोस्वामी और श्री राम हेडाऊ)	Arrest and Release of Members (Shrimati Bibha Ghosh Goswami and Shri Ram Hedaoo)	136
पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप संबंधी समिति 'घ' की कार्यवाही का सारांश	Synopsis of Proceedings of Committee 'D' on Draft Fifth Five Year Plan . .	137
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 26वां प्रतिवेदन	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Twenty Sixth Report	137
नियम 377 का मामला—	Matter under rule 377 —	
संभावित रेलवे हड़ताल	Impeding Railway Strike	137
संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1974, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल) संशोधन विधेयक, 1974, सम्पदाशुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1974	Union Duties of Excise (Distribution) Amendment Bill, 1974 Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Amendment Bill 1974 and Estate Duty (Distribution) Amendment Bill, 1974	138
विचार किये जाने के प्रस्ताव —	Motion to consider — .	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi .	138
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	140
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran	141
श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी	Shri P. Narasimha Reddy .	143
श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga . .	143
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan .	144
संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक के खंड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1 of Union Duties of Excise (Distribution) Amendment Bill .	146
पास करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) संशोधन विधेयक के खंड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1 of Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Amendment Bill . . .	146

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended . . .	
कोयला खान (संरक्षण और विकास) विधेयक—	Coal Mines (Conservation and Development) Bill	149
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री के० डी० मालवीय	Shri K.D. Malaviya .	149
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	150
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	152
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	153
श्री आर० एन० शर्मा	Shri R.N. Sharma	154
श्री धन शाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan	154
श्री दामोदर पाण्डे	Shri Damodar Pandey	155
स्थगन प्रस्ताव—जारी	Motion for Adjournment —Contd.	
दिल्ली में सदर बाजार क्षेत्र में दंगा रोकने में असफलता—जारी	Failure to avert riot in Sadar Bazar Area in Delhi—Contd. . .	155
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	155
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H.K.L. Bhagat .	157
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	158
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan .	158
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	159
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi .	160
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan . .	160
श्री अमर नाथ चावला	Shri Amar Nath Chawla .	161
श्री इब्राहिम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait	161
श्रीमती मुकल बनर्जी	Shrimati Mukul Banerjee	162
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	162
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh .	163
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	163
श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	164
श्री एस० ए० शमीम	Shri S.A. Shamim .	165
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit.	168

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 7 मई, 1974/17 वैशाख, 1896 (शक)

Tuesday, May 7, 1974/Vaisakha 17, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER in the chair]

प्रश्नकाल के निलम्बन के बारे में

RE : SUSPENSION OF QUESTION HOUR

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैंने एक सूचना दी है जिसमें प्रश्नकाल को निलम्बित करने के बारे में अनुरोध किया गया है, तीस लोगों की जानें चली गई हैं। गृह मंत्रालय की जानकारी में ही दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं।

हम अनुरोध करते हैं कि प्रश्नकाल को निलम्बित किया जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री उमा शंकर दीक्षित महोदय कहां हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम एक निवेदन करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में बाधा मत डालिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री उमा शंकर दीक्षित महोदय कहां हैं ? वह क्या कर रहे हैं ?

Shri Atal Bihari Vajpayee: Such a large scale communal riot has never been broken out before...**(Interruptions)**...Police did not reach the spot for hours. Rounds were fired resulting heavy toll of lives.

श्री ज्योतिर्मय बसु : तीस लोगों की जानें चली गई हैं। आपको हमारी बात सुननी होगी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

Shri Ramavatar Shastri: Mr. Speaker, such a riot has never been broken out before.

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम सभापति महोदय को सहयोग देना चाहते हैं। कृपया हमें निवेदन करने के लिये दो मिनट का समय दीजिए और उसके बाद आप इस मामले में अपना विनिर्णय दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। यह एक विशाल देश है जिसमें हर समय कहीं न कहीं कोई न कोई घटना होती रहती है। कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं जिनके अनुसार आप प्रश्नकाल के पश्चात् इन मामलों को उठा सकते हैं। प्रश्नकाल के दौरान इस मामले को उठाना ठीक नहीं है। इस संबंध में बहुत स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि प्रश्नकाल के पश्चात् ही हम इन मामलों को उठायें। प्रश्नकाल का होना सभा के लिये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने प्रश्नकाल को निलम्बित करने की किसी सूचना पर अपनी सहमति नहीं दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपको हमारी बात सुननी होगी।

अध्यक्ष महोदय : बात सुनने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस बारे में मैं सीधे सभा से पूछ सकता हूं। प्रश्नकाल का होना सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप उसमें भी बाधा डाल रहे हैं। इस संबंध में सदन की क्या राय है? क्या हम प्रश्नकाल निलम्बित कर दें?

माननीय सदस्य : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : सभा की राय यह है कि प्रश्नकाल निलम्बित न किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। सभा को स्थिति से अवगत कराया जाये। समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रतिदिन प्रक्रिया में बाधा डालते रहे तो सभा की कार्यवाही चलाना कठिन हो जायेगा। विशेष मामलों में ही ऐसा किया जा सकता है किन्तु हर रोज नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, हमारी सरकार एक सभ्य सरकार नहीं है। इसलिए, हमें अपना निवेदन कर लेने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं। सभा प्रश्नकाल को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, हम में से प्रत्येक को दो मिनट का समय दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं दिया जा सकता। प्रश्नकाल के बाद हम इस मामले पर विचार करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आपने स्थगन प्रस्ताव के लिये स्वीकृति दे दी है?

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्नकाल के बाद इस मामले पर विचार करूंगा। प्रत्येक प्रक्रिया में बाधा मत डालिए। प्रश्नकाल समाप्त होने से पूर्व वह स्थगन प्रस्ताव के बारे में पूछ रहे हैं। यह बात प्रश्न-काल तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद पूछी जा सकती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने अपना निवेदन करने के लिये केवल एक मिनट मांगा था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। हम प्रश्नों पर विचार करेंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

15 अप्रैल, 1974 को रेलवे श्रमिक संघों के नेताओं के साथ बैठक

*955. **श्री विभूति मिश्र :**

श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह रेल कर्मचारियों की मांगों के सिलसिले में 15 अप्रैल, 1974 को रेलवे श्रमिक संघों के नेताओं से मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो वार्ता की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) वार्ता का क्या परिणाम रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

रेल कर्मचारियों की मांगों के बारे में रेलवे श्रम संगठनों से संबंधित नेताओं की रेल मंत्री के साथ 12 अप्रैल, 1974 को एक बैठक हुई थी और उस बैठक में यह निर्णय किया गया था कि बातचीत द्वारा किसी समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से उनके साथ बातचीत की जायेगी।

उन यूनियनों की विभिन्न मांगें थी और 15 से 30 अप्रैल, 1974 तक विभिन्न स्तरों पर उनसे की गयी बातचीत का अंतिम निष्कर्ष नीचे दिया गया है :—

एक मुख्य माँग यह थी कि वेतन में लगभग 75 प्रतिशत का संशोधन किया जाये और मंहगाई भत्ते के फार्मूले में परिवर्तन किया जाये। 1972-73 में भारतीय रेलों का वेतन बिल लगभग 500 करोड़ रुपये था। वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप रेल कर्मचारियों को 110 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है, अर्थात् इससे वेतन बिल 20 प्रतिशत बढ़ गया है। वेतन बिल में 75 प्रतिशत की और वृद्धि का अर्थ होगा कम से कम 400 करोड़ रुपये का और खर्च। जब वेतन आयोग ने वेतन और मंहगाई भत्ते के सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है और सरकार ने उन पर अपना निर्णय दे दिया है तो अब वेतन और मंहगाई भत्ते के फार्मूले में संशोधन करना संभव नहीं है।

एक अन्य मांग यह थी कि रेलों में सभी पदों पर वैज्ञानिक आधार पर कार्य मूल्यांकन किया जाये और वेतन आयोग की सिफारिशों की परिधि में इसे स्वीकार कर लिया गया है। कर्मचारियों की अनेक कोटियों और इस समस्या की जटिलता को देखते हुए लगता है कि इस वैज्ञानिक कार्य मूल्यांकन में कम से कम तीन वर्ष लग जायेंगे। लेकिन एक बार ऐसा हो जाने पर निश्चित रूप से यह उपयोगी सिद्ध होगा और इससे कर्मचारियों को लाभ होगा।

जहां तक रेल कर्मचारियों को बोनस देने का प्रश्न है, बोनस समीक्षा समिति इस समस्या पर विचार कर रही है। इसलिए जब तक सरकार को बोनस समीक्षा समति की सिफारिशें प्राप्त नहीं हो जातीं तक तब इस संबंध में कोई निर्णय लेना असामयिक होगा।

जहां तक काम के घंटों और नैमित्तिक श्रमिकों को गैर-नैमित्तिक बनाने की मांग का संबंध है, मैंने मियांभाई अधिकरण की सिफारिश को पूर्णतः मान लिया है और इससे कर्मचारियों को 35 करोड़ रुपये का लाभ मिला है।

जहां तक नैमित्तिक श्रमिकों का प्रश्न है, रेलों पर निर्माण-कार्यों के स्वरूप और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर भी इस बात पर सहमति हो गयी है कि कारखानों, यार्डों, स्टेशनों, लोको शेडों आदि जैसे कुछ विशेष स्थानों में नियमित और निरन्तर किस्म के निर्माण-कार्यों के लिये नैमित्तिक श्रमिकों को नहीं लगाया जायेगा। उपर्युक्त स्थानों पर यथाशीघ्र संवर्ग पुनरीक्षण करने और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पदों के सृजन के लिये भी सहमति हो गयी है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ होगा।

जहां तक अनाज की दुकानों में सस्ते खाद्यान्नों की सप्लाई की मांग का प्रश्न है, इस बात पर सहमति हो गयी है कि जितनी आवश्यकता होगी उतनी उचित दर की दुकानें खोलने की व्यवस्था की जायेगी ताकि रेलों पर उन सभी स्थानों पर, जहां 300 से अधिक कर्मचारी तैनात हैं, उचित दर की दुकानें खोली जायें जहां उसी मात्रा में और उसी दर पर खाद्यान्न उपलब्ध किये जायेंगे जिस दर पर राज्य सरकार देती है।

उचित दर की ये दुकानें या तो सहकारी समितियों द्वारा चलायी जायेंगी या उनके लाइसेंस कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को दिये जा सकते हैं जो उनकी व्यवस्था करेंगे। सरकार आवश्यक इमारतें उपलब्ध करायेगी और यदि सहकारी समितियों को दुकानें चलाने के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी तो रेलों से उन्हें प्रतिनियुक्ति पर दिया जायेगा। खाद्यान्न खरीदने के लिये सहकारी समितियों को यदि कोई वित्तीय कठिनाई होगी, तो जहां तक संभव हो सकेगा कर्ज के रूप में रेल मंत्रालय द्वारा सहायता भी दी जायेगी। यह भी विनिश्चिय किया गया है कि सहकारी समितियों और उचित दर की दुकानों के लिये वर्तमान निरीक्षणतंत्र को सुदृढ़ किया जाये ताकि राज्य सरकारों तथा सहकारी समितियों तथा उचित दर की दुकानों को खाद्यान्नों की सप्लाई हेतु भारतीय खाद्य निगम से कारगर सम्पर्क रखा जा सके। अनाज की इन दुकानों को विभागीय तौर पर चलाना या किसी प्रकार की सहायता देना सरकार के लिये संभव नहीं है। अन्य दो मांगें वेतन आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न असंगतियों को दूर करना और तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति की श्रेणियों में सुधार करने के लिये संवर्ग-पुनरीक्षण। ये दोनों मांगें मान ली गयी हैं। संवर्ग पुनरीक्षण प्रारम्भ कर दिया जायेगा और चार महीने में पूरा हो जायेगा। असंगतियां दूर करने और संवर्ग पुनरीक्षण से कर्मचारियों को लगभग 25 करोड़ रुपये तक लाभ होने की संभावना है।

जहां तक दण्ड न दिये जाने की मांग का प्रश्न है, ट्रेड यूनियन संबंधी कार्यों के लिये किसी रेल कर्मचारी को दण्ड नहीं दिया जाता जब तक कि उसके साथ डराने-धमकाने, हिंसा, बाधा डालने या अन्य अपराधिक मामलों का संबंध न हो। वास्तव में, अनुशासन और अपील नियमों तथा संविधान की धारा 311 (2) के अन्तर्गत भी, सरकारी कर्मचारी होने के नाते रेल कर्मचारियों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। फिर भी, इस बात पर हमने सहमति दे दी है कि यदि उत्पीड़न के कोई मामले प्रस्तुत किये जायेंगे तो उप-रेल-मंत्री उनकी जांच करेंगे और स्वयं निर्णय करेंगे। उप-रेल मंत्री द्वारा जांच किये बिना सभी मामलों को वापिस लेना संभव नहीं है।

एक अन्य मांग थी कि रेल कर्मचारी को औद्योगिक कर्मचारी माना जाय, न कि सरकारी कर्मचारी। रेल कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन साथ ही वे औद्योगिक विवाद अधिनियम की सीमा के अंतर्गत आते हैं। रेलों के महान राष्ट्रीय एवं सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, उन्हें एक सरकारी विभाग के रूप में चलाया जाता है और उसके लिए एक पृथक बजट भी होता है जिस पर संसद द्वारा बहस की जाती है और उसका अनुमोदिन किया जाता है। रेलवे लोकोपयोगी संस्था है जो देश की समूची जनता की सेवा करती है और राष्ट्र के आर्थिक जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका समुचित, विकास, यातायात की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु और अधिक विस्तार के लिए समुचित पूंजी निवेश और विभिन्न मंत्रालयों के साथ पारस्परिक तालमेल सर्वोत्तम ढंग से तभी हो सकता है जब यह एक सरकारी उपक्रम के रूप में बरकरार रहे। इसलिए इस संबंध में कोई परिवर्तन करना संभंव नहीं है।

इन दिनों की बातचीत में जो मांगे मंजूर की गयी हैं, उन पर कुल मिलाकर रेलों को 70-80 करोड़ रुपये कार्मिक खर्च करना पड़ेगा और यदि वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप बढ़ने वाले खर्च को भी इसमें शामिल कर लिया जाये तो रेलों पर लगभग 190 करोड़ रुपये का भार और बढ़ जायेगा जो कि 1972–73 के वेतन बिल का लगभग 40 प्रतिशत होता है।

Shri Bibhuti Mishra: It appears from the statement that Government have accepted recommendations of Miabhoy Tribunal and those of Pay Commission.

श्री समर गुह: महोदय, निधन संबंधी उल्लेख का क्या हुआ ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सोशलिस्ट दल के नेता तथा इस सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बृज राज सिंह का कल देहान्त हो गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी कोई सूचना नहीं मिली है।

प्रो० मधु दंडवते : यह समाचार सभी अखबारों में छपा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं दिल्ली में नहीं था। मैं यहां बहुत देर से आया।

I have not received any information you should have passed on this information me.

Shri Atal Bihari Vajpayee : What is the procedure in this regard ? How is the information about death passed on to you ?

Mr. Speaker : I receive the information from the Collector. Some time it may happen that the obituary reference is read out here while the person may be alive. That is why we have to depend on the official information.

श्री एस० एम० बनर्जी : यह समाचार अखबारों में छप चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पंजाब में था। मैं रेडियो सुनता रहा तथा अखबार पड़ता रहा। पंजाब के अखबारों में यह समाचार नहीं छपा था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : समाचार पत्रों में छपी खबरें पूरी तरह से सच्ची नहीं होती हैं।

अध्यक्ष महोदय : हर एक बात को तूल मत दो।

Shri Bibhuti Mishra: Sir, a careful study of the statement reveals that the Government have given many concessions to the Railway employees. Government have accepted the recommendations of the Miabhoy Committee as well as the recommendations of the Pay Commission; the services of casual labour have been regularised; to improve the promotional avenues of class III and class IV employees the proposal of cadre review has been accepted and the demand of opening fair price shops through co-operatives has also been conceded. Now the question is whether the Railway employees are industrial workers or Government servants. When all the demands have been accepted, I would like to ask the Members of the opposition... **(Interruptions)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम उत्तर देने के लिये तैयार हैं।

Shri Bibhuti Mishra: I would like to know from the Government the reason for which the meeting with them.....

Mr. Speaker: You please ask question instead of making a speech.

Shri Bibhuti Mishra: Mr. speaker they created such a tumultous scene before the question hour but you did not ask them....

Mr. Speaker: Mr. Mishra, you are an elderly man, why you get entangled with me. I am not saying anything bad to you, still you got annoyed with me.

Shri Bibhuti Mishra: When I ask something you create hindrance. I was asking and you should have kept patience......

Mr. Speaker: Why must you ask me time and again when I am at your Command.

Shri Bibhuti Mishra: I was asking the reason which came in the way of holding the meeting with them. They are threatening of Railway Strike why are not withdrawing it, what Government has to say in this regard.

Mr. Mohd. Shafi Qureshi: An agreement had been reached in respect of many of the demands mentioned by the hon'ble member which include job evaluation, foodgrains shops, Cadre review, Miabhoy award. We had agreed to these demands. But there was dead lock about two demands First, there was the Bonus issue. on which government took the stand that the matter is before Bonus Review Committee and that whatever decision it might take, can be considered by us later. Secondly, there was the issue of pay parity. They were demanding pay equal to that given in the public sector projects and were demanding 75 percent increase in pay. These two issue created a deadlock and it is because of this that the meeting could not be held.

Shri Bibhuti Mishra: It is learnt from the newspapers reports that Mr. George Fernandes has written letters to P.M. and the Railway Minister and it is understood that some people do trying to arbitrate. I would like to know whether Government is prepared to have a talk with them, and if so, the time they would like to take dialogue.

Secondly the Railway Minister is a Minister of Cabinet rank. Whether Government wants to settle this issue on all India basis. Irrespective of the fact whether one works in the public sector or in the private sector, the ratio should not be more than 1:4 or 1:5 so that this dispute may not prolong in this country. I would like to know from the Hon. Minister whether Government wish to settle this issue or not so that this issue is settled for ever.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: It is the policy of the Government that even now it is ready for negotiations...

Shri Atal Bihari Vajpayee: With whom?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: As I had pointed out in this house earlier, a particular atmosphere is required for negotiations. I would appeal Mr. George Fernandes not make it a prestige issue and should see the realities and come forward for talks.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उनके अनुसार दो मांगों को छोड़ कर शेष सभी मांगें मान ली गई हैं। मैं उनकी इस बात को तनिक भी स्वीकार नहीं करता। हां वे यह कहते हैं कि जिन मांगों के कारण अवरोध उत्पन्न हुआ, उनके संबंध में वे उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उन मसलों पर आगे बातचीत चलाने के लिये गंभीरता से विचार कर रही है जिनके विषय में अभी फैसला नहीं हुआ है। बातचीत के दौरान न केवल जार्ज फरनान्डीज को अपितु समन्वय समति के अन्य अनेक सदस्यों को गिरफ्तार करने का यह अभूतपूर्व कदम क्यों उठाया। अब वे किस से बातचीत करना चाहते हैं। उन लोगों को कारावास में डाल दिया गया है।

मैं मंत्री महोदय से एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह प्रश्न यह है कि क्या जैसा कि उन्होंने कहा, केवल दो बातों को ले कर ही अवरोध उत्पन्न हुआ है और वे इस अवरोध को समाप्त करने के लिये आगे बातचीत करने को तैयार हैं। गिरफ्तार किए गए नेताओं, समन्वय समिति के सदस्यों को तुरन्त क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है ताकि वार्ता आगे बढ़ाई जा सके ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि बातचीत के लिये एक खास किस्म के महौल की जरूरत होती है। इस महौल का होना आवश्यक है। मैंने नेतागण से अनुरोध किया है कि वे हड़ताल के नोटिस को, जो डैमोक्लीस की तलवार की तरह लटक रहा है, वापिस लें, तभी हम उन के साथ चर्चा कर सकते हैं.. (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : शान्त रहिए, शान्त रहिए। आप सब बैठ जाइये। उन्होंने अभी अपना उत्तर पूरा नहीं किया है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं सदन को विश्वास में लेना चाहता हूं। प्रथम दिन जबकि वार्ता शुरु की गई थी, समिति के समक्ष कोई सम्मति प्राप्त कार्यसूची नहीं थी। अतः मैंने फैसला किया कि समिति के समक्ष एक सम्मति प्राप्त कार्यसूची होनी चाहिए ताकि हम अपना कार्य शुरू कर सकें। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि श्री गोखले ने पहले पहल यह आपत्ति उठाई कि वह राष्ट्रीय भारतीय रेल कर्मचारी संघ के लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं। मैंने उनसे कहा कि राष्ट्रीय भारतीय रेल कर्मचारी संघ के लोगों से समिति से अलग रहने के लिये कहना संभव नहीं होगा। इस प्रकार कार्यसूची तैयार करने की बात मैंने समिति पर छोड़ दी।

श्री डांगे ने सुझाव दिया कि समिति के समक्ष पहली और सबसे महत्वपूर्ण समस्या खाद्यान्नों की है.......... (**व्यवधान**) इसका टेप रिकार्ड तैयार किया गया है, यह रिकार्ड में है। मैंने यह बात मान ली और कहा कि मैंने इस महत्वपूर्ण मसले पर विचार करुंगा। दूसरी चीज़ जोकि कार्यसूची में रखी गई, वह कर्मचारियों के उत्पीड़न के संबंधित थी।

मैंने कहा कि मैं इन दो मसलों पर विचार करूंगा क्योंकि अन्य मसलों के विषय में सहमति नहीं हुई थी। उसके कारण 20 तारीख को बैठक 45 मिनट के लिये स्थगित कर देनी पड़ी। 21 तारीख को समाचार पत्रों में श्री जार्ज फरनाण्डीज का यह वक्तव्य छपा कि सरकार ने कर्मचारियों के आठ मांगों के मांगपत्र को स्वीकार करने में ईमानदारी का परिचय नहीं दिया जबकि सत्यता यह थी कि हमने केवल दो

ही मामलों को कार्यसूची में शामिल किया था और शेष 6 मामलों पर चर्चा नहीं की गई थी। अब श्री जार्ज फरनाडीज हड़ताल के आयोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। सरकार चुप नहीं बैठ सकती। उसे कार्यवाही करनी पड़ी ....(**व्यवधान**)।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए था। मेरा प्रश्न यह था कि वार्ता के बीच ये गिरफ्तारियां की गईं। । 'डेम्येक्लीज की तलवार' यह कह कर कि हमारे सिर पर लटक रही थी तथा यह कि श्री जार्ज फरनण्डीज तथा अन्य लोगों से हड़ताल आयोजित कर रहे थे, प्रश्न को टालने का प्रत्यन्न कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि यह बात सत्य है कि नहीं कि वार्ता शुरू होने के पूर्व ही उन्होंने सारे देश में रेल प्राधिकारियों को निदेश दे दिये थे—मेरे पास इस का सबूत है—और मैं अभी-अभी वापिस आया हूं........(**व्यवधान**) मैं जानना चाहता हूं कि कौन किस के सिर पर 'डेमोक्लीज की तलवार' लटका रहा है। यह वे मुद्रित प्रपत्र हैं। सदन को यह जान लेना चाहिए। वार्ता प्रारंभ से बहुत पहले ही रेलों द्वारा ये मुद्रित फार्म जारी कर दिये थे जिन में कर्मचारियों को उनके घरों से बाहर करने के लिये मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस को रेलवे की सहायता करने के लिए कहा गया था। (व्यवधान) यह श्री जार्ज फरनाण्डीज की गिरफ्तारी के पहले की बात है। ये रहे वे मुद्रित प्रपत्र जिनको सरकार उन लोगों के लिये मुफ्त भोजन की सप्लाई की जानी है जो गद्दारी करके काम पर जायें। यह रहा मजिस्ट्रेटों को दिया गया वह प्रपत्र जिसमें उनसे भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 132 के अधीन कर्मचारियों को उन के घरों से बाहर करने के लिये आदेश जारी करने के लिये कहा गया था। मैं पूछता हूं कि हड़ताल की स्थिति पैदा होने से कहीं पहले इन हड़ताल विरोधी गतिविधियों का आयोजन कौन करता रहा? कर्मचारी तो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे। दबाव डालना बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। उन्होंने इस शर्मनाक ढंग से वार्ता के बीच बाधा क्यों डाली? उनको प्रश्न का उत्तर देना ही चाहिए।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : वार्ता में भाग लेने वाले समन्वय समिति के सदस्य भी 8 तारीख को हड़ताल का आयोजन करने की तैयारी कर रहे थे। यदि सरकार ने कोई निवारक कदम उठाया है तो उसने अपने अधिकार के अन्तर्गत ही किया है और सरकार को निवारक उपाय करने का अधिकार है।

श्री ए० पी० शर्मा : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि कर्मचारियों की तरफ से रखी गई 8 मांगों में से छह के बारे में फैसला हो गया है ....।

एक माननीय सदस्य : नहीं, उनके बारे में समझौता नहीं हुआ है। (**व्यवधान**)।

श्री ए० पी० शर्मा : मैंने वार्ता में भाग लिया था और मैं जानता हूं कि इन मांगों के बारे में फैसला हो गया है ....

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री ए० पी० शर्मा : मेरा प्रश्न यह है। बोनस संबंधी सातवीं मांग उन्होंने सरकार की यह स्थिति बताई कि सरकार बोनस पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है। जहां तक आठवीं मांग अर्थात् सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मिलने वाले वेतन के बराबर वेतन का सवाल है, क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या इस विषय में मतभेद था और प्रतिनिधियों का एक वर्ग इसका यह कहते हुए विरोध कर रहा था कि रेल कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के

समकक्ष लाने से रेल कर्मचारियों को कई तरह से नुकसान होगा। जिस पर श्री जार्ज फरनाण्डीज ने इस मांग को बदल कर वेतन में 75 प्रतिशत वृद्धि की मांग रखी। मैं सरकार से यह पूछता हूं कि क्या यह बात सत्य है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : वास्तविक स्थिति यह है कि कार्य मूल्यांकन के विषय में यह कहा गया था कि हमें कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए, चाहे हर मुद्दे के आधार पर अथवा विश्लेषणात्मक अथवा अविश्लेषणात्मक आधार पर। तब मैंने कहा था कि क्यों कि रेल में वेतन अपेक्षाकृत अधिक है और क्योंकि मांग केवल यह थी "क्योंकि सरकारी उपक्रमों में अधिक मिलता है इसलिए हमें भी अधिक वेतन मिलना चाहिए" इसलिए अन्य क्षेत्रों से वेतन की तुलना का प्रश्न नहीं उठता। इस पर श्री फरनाण्डीज ने कहा, जी नहीं, हम तुलना करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऐसा करना सही नहीं है और अब हमारी मांग वेतन में बस 75 प्रतिशत वृद्धि करने की है जिसको सरकार स्वीकार नहीं कर सकती थी।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय यह विचार रखते हैं कि रेल कर्मचारियों की समस्याएं तथा शिकायतें या कम-अज-कम उनमें से कुछ समस्याएं पर्याप्त रूप से प्रमाणिक हैं और वर्तमान स्थिति में उन पर विचार किया जाना चाहिए, और यदि इन का उत्तर हां में है, तो वार्ता की प्रणाली क्या है, क्या यह मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ हो रही है अथवा इसमें वे अन्य यूनियनें भी सहयोग कर रहीं हैं जिनको सरकार द्वारा मान्यता नहीं है।

मेरा प्रश्न यह है कि चाहे जो भी कारण रहा हो, यदि सरकार द्वारा मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी तो क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एक राष्ट्रीय खतरा है, इसका कोई समाधान ढूंढने के लिए न केवल रेलवे अपितु अन्य क्षेत्रों के मजदूर नेताओं का मार्गदर्शन करने, उनसे संबंध स्थापित करने तथा उनसे परामर्श करने के लिए पुनः कोई प्रयास किया है ?

दूसरे, यदि सरकार वास्तव में यह समझती है कि रेलों के मान्यता प्राप्त संघों में भी कुछ राष्ट्र-विरोधी तत्व हैं तो सरकार जनता के हितों को खतरे में डाले बिना हड़ताल से पूर्व तथा हड़ताल के पश्चात्, इन तत्वों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर सकती है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : भारतीय रेलों के दो मान्यता प्राप्त संघ है—एक है भारतीय रेल कर्मचारियों का राष्ट्रीय महासंघ और दूसरा है अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ—जिनको बातचीत करने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं और जिनको मान्यताप्राप्त संघों के रूप में रेलों द्वारा मान्यता दी गई है। रेल मंत्री ने इन दो संघों को बातचीत के लिए बुलाया था। अखिल भारत रेल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री जार्ज फारनाण्डीज ने अपनी ओर से अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया और उन्होंने बताया कि हमने विभिन्न वर्गों के संघों की एक समिति बनाई है। मैंने आरम्भ में जब इंजन चालक कर्मचारियों से कुछ मामलों पर कुछ बातचीत आरम्भ की तो इस संघ के नेताओं ने सब से पहले यह आपत्ति की कि मुझे विभिन्न वर्गों के संघों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। परन्तु इस बार ए० आई० आर० एफ० ने ही कई संघों की एक समिति बना ली है।

श्री समर गुह : इस का कारण यह है कि वे इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हम इन दो मान्यताप्राप्त संघों से बातचीत कर रहे हैं। हमने श्री जार्ज फरनाण्डीज को छूट दे दी है कि वह अपनी पसन्द के किसी व्यक्ति को ला सकते हैं तथा वह बातचीत के लिए अपने साथ सभी तरह के लोग लाये हैं और हम चर्चा कर रहे हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Is it not a fact that ngeotiations are going on with the leaders of the Railway workers even after the notice of strike has been served? Is it also not a fact that Government were making preparations to put off strike on the one hand and taking steps to make it a failure on the other hand? Then why Shri George Fernandes and other leaders were arrested? Isit a fact that 60 per cent leaders of Co-ordination Committee are still in jail ? Whether Government intend to release them without any condition so that the entire situation could be reviewed and fresh decision could be taken keeping in view the circumstances in the country ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: The Minister had talks with the leaders on 4th February also, before the notice of strike was received and if we have again sent them an offer for negotiations, it shows the sincerety of the Government. As regards the question of releasing the leaders. Government is not prepared to accept it until and unless notice of Strike is withdrawn by them.

Shri Atal Bihari Vajpayee: It means you want the strike.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप का कहना यह है कि आप बिना किसी नोटिस के हड़ताल करवाना चाहते हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं यह जानना चाहता था कि क्या मंत्री महोदय ने रेल संघों के अतिरिक्त अन्य मज़दूर संघों को भी विश्वास में लिया है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और यह कि वह इन राष्ट्र-विरोधी तत्वों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कर सकते हैं। मंत्री महोदय ने मेरे इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या सभा का कोई सदस्य एक मान्यताप्राप्त संघ को राष्ट्र-विरोधी कह सकता है ? क्या यह रेल कर्मचारियों को भड़काने वाली बात नहीं है ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं समझा हूं कि श्री जार्ज फरनेडीज़**

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब तक इसे नहीं सुना जाता, मैं नहीं बैठूंगा।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह कहना अत्यन्त घृणित अपराध है कि वह **।

अध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते: अध्यक्ष पीठ ने पहले निर्णय दिया है कि किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अपमानजनक बात नहीं कही जानी चाहिये जो कि सभा का सदस्य नहीं है तथा जो यहां अपनी रक्षा करने की स्थिति में नहीं है । आपने इस सम्बन्ध में एक निर्णय दिया है ।

अध्यक्ष महोदय: मैं रिकार्ड देखूंगा । मैं उसके बाद अपनी टिप्पणी दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : सभा में अनुपस्थित व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपमानजनक बात नहीं कही जानी चाहिये। यह कह कर कि श्री जार्ज फरनेन्डीज़** हैं उनके विरुद्ध अपमानजनक बात कही गई है । अतः इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिये ।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

Expunged as order by the Chair.

अध्यक्ष महोदय: मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री समर गुह: अपने दल के प्रतिनिधि के रूप में मेरा कुछ उत्तरदायित्व है। श्री फरनेन्डीज समाजवादी दल के सभापति हैं और उस दल को निर्वाचन आयोग द्वारा इस देश के एक मान्यताप्राप्त दल के रूप में मान्यता दी गई है। वह रेल कर्मचारियों की राष्ट्रीय समिति के संयोजक हैं। माननीय सदस्य अपनी सीमा से बढ़ रहे हैं। उनकी टिप्पणी को निकाल दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: मैं रिकार्ड देखूंगा और यदि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है तो मैं उनको इसे वापस लेने के लिए कहूंगा। यदि उन्होंने उसका प्रयोग किया है तो यह अच्छा नहीं। हमारे बीच बहुत से मतभेद हैं। हम सहमत या असहमत हो सकते हैं परन्तु हमें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी: मैं लोकतंत्र का एक विद्यार्थी हूं। मैं सदैव आपसे सीखने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप एक संसद सदस्य हैं, आप छात्र नहीं हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी: वह यह कहकर लड़कों को उत्तेजित कर रहे हैं कि रेलों को जला दो और इस देश के लोगों को मार दो।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस शब्द की अनुमति नहीं दूंगा। ऐसे शब्द का प्रयोग जानबूझ कर किया जाये या अनजाने किया जाये, इसका गहरा अर्थ है। एक दूसरे के प्रति या ऐसे व्यक्ति के प्रति जिससे आप सहमत नहीं हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है।

श्री समर मुकर्जी: माननीय मंत्री ने गलत ब्यान दिया है। उन्होंने कहा है कि आठ में से छः मांगें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अनाज की सप्लाई के मामले में जो रियायतें दी गई हैं क्या वे वही हैं जिनकी समन्वय समिति ने मांग की थी? क्या यह सही नहीं है कि आप ने केवल उचित दर की दुकानों की मांग स्वीकार की है? परन्तु दुकान में माल तो होता ही नहीं है। यह हमारा अनुभव है। उनकी मांग थी कि रेलों को पृथक खाद्य क्षेत्र समझा जाये और सस्ती दरों पर अनाज सप्लाई करने के लिए रेल प्रशासन को पूरा उत्तरदायित्व लेना चाहिये। अतः इसे 'रियायत" और "समझौते" की संज्ञा देना गलत बयानी है।

दूसरे, उन्होंने कहा है कि कार्य मूल्यांकन समिति के बारे में कोई समझौता हुआ है। क्या समन्वय समिति की यही मांग थी? आप की रियायत यह है कि कार्य मूल्यांकन समिति वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकार की जायेगी। परन्तु समन्वय समिति ने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि इसे वेतन आयोग की सिफारिशों के सदर्भ में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सभी सरकारी कर्मचारियों ने वेतन आयोग की सिफारिशें ठुकरा दी हैं। अतः आप का यह कहना गलत है कि उनकी मांगें स्वीकार कर ली गई हैं। इसी प्रकार समन्वय समिति की वास्तविक मांग स्वीकार नहीं की गई है। क्या आप स्थिति को स्पष्ट करेंगे?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: महोदय: बातचीत के दौरान 80-90 करोड़ रुपये की रियायत दी गई है। अनाज के मामले में राजसहायता प्राप्त दरों पर अनाज सप्लाई करने की मांग की गई थी जिसे सरकार

स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। परन्तु सरकार उन स्थानों पर उचित दर की दुकानें खोलने के लिए तैयार है जहां रेल कर्मचारियों की आबादी 300 से अधिक है। हम इन दुकानों पर संघ के लोगों को काम करने की अनुमति देने के लिए भी तैयार हैं। हमने खाद्य मंत्री तथा इससे पूर्व राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उचित दर की दुकानों को पूरा माल मिलेगा। हम राज्य सरकारों तथा रेलों की एक स्थायी सम्पर्क समिति की स्थापना करना चाहते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेलों को पूरा माल मिलता रहता है।

कार्य मूल्यांकन समिति के सम्बन्ध में यह मांग की गई थी कि रेलों में काम का मूल्यांकन किया जाना चाहिये और कार्य मूल्यांकन के परिणाम सामने न आने तक रेल कर्मचारियों के वेतन में 75 प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिये। हमने सिद्धान्त रूप से कार्य मूल्यांकन समिति स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उस समिति में समन्वय समिति तथा रेलवे बोर्ड के सभी सदस्य एक साथ बैठ कर बातचीत करके यह फैसला कर सकते हैं कि किस प्रकार का कार्य मुल्यांकन किया जाना चाहिये। मैंने कोई गलत ब्यान नहीं दिया है। मैंने केवल रेल कर्मचारियों की मांगों के बारे में सरकार द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में सही स्थिति स्पष्ट की है। मैंने कहा है कि तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों पर विचार किया जायेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : हमारे द्वारा उत्तेजना दिखाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आज कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि रेल सेवा में बाधा पड़े क्योंकि इससे देश गहरे आर्थिक संकट में फंस जाएगा। सरकार को इस प्रकार की अनैतिक राजनीतिक चाल के आगे हार नहीं माननी चाहिये। क्या सरकार यह जानती है कि हड़ताली कर्मचारियों और उनके सहायकों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रेल कर्मचारियों में रेल सम्पत्ति को नष्ट करने, अराजकता फैलाने, तोड़-फोड़ करने तथा निष्ठावान रेल कर्मचारियों को अपमानित करने का प्रचार कर रहे हैं ? यदि यह बात सत्य है तो, क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि ऐसे लोगों को निष्ठावान कर्मचारियों से अलग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और इसके साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि निष्ठावान कर्मचारी अपना कर्त्तव्य बिना किसी व्यवधान के निबाह सकें ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह देखते हुए कि रेल हड़ताल से देश को गहरे संकट और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, सरकार ने यह निर्णय किया है कि उन सभी निष्ठावान कर्मचारियों को, जो रेल लाइन पर काम करना चाहते हों, पूरी तरह संरक्षण प्रदान किया जाए तथा दुर्व्यवहार, दबाव और दूसरी अपराधिक गतिविधियों को कड़ाई से दबाया जाए।

श्री एस० ए० कादर : हमें पता चला है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जेल से एक पत्र लिखकर श्रीमती पार्वती कृष्णन को पूरे अधिकार सौंप दिए हैं। चूंकि वह जेल में ही हैं अतः क्या सरकार उनके और उनके साथियों के साथ बैठक करके हड़ताल को रोकने के लिये कोई हल नहीं ढूंढ सकती।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : राष्ट्रीय समन्वय समिति की मैं सदस्या हूं तथा समिति ने तब तक के लिए किसी किस्म की बातचीत करने से इन्कार कर दिया है जब तक कि प्रत्येक नेता को छोड़ा नहीं जाता है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मेरे विचार में श्रीमती कृष्णन के व्यवहार को देखते हुए अब माननीय सदस्य श्री एस० ए० कादर को अपनी राय बदलनी होगी ।

अध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह अनेक बार बोल चुके हैं । अब मैंने अन्य सदस्यों को समय दिया है । प्रोफसर मधु दंडवते ।

श्री समर गुह : मैंने यह देखा है कि आप जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं ।

मैं अनुरोध करूँगा कि प्रत्येक वर्ग के नेता को अवसर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ, मैंने प्रोफेसर मधु दंडवते को समय दिया है ।

श्री समर गुह : यह बात प्रेरणादायक नहीं हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस सदन का पहले ही पर्याप्त समय ले चुके हैं तथा आप हर बार खड़े हो जाते हैं ।

श्री समर गुह : आप अवश्यमेव कुछ न कुछ सोद्देश्य कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि आप बार-बार खड़े हो रहे हैं अतः मुझे जान-बूझ कर ऐसा करना पड़ रहा है ।

श्री समर गुह : आप जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं जबकि कुछ वर्गों के नेताओं को आपने समय दिया है वहां कुछ दूसरे वर्ग के नेताओं को आपने जानबूझ कर छोड़ा है । यह बात शोभनीय नहीं है। आप दूसरों से भी इसी प्रकार के प्रत्युत्तर की आशा नहीं कर सकते हैं। आगे को इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको किस बात का भ्रम हो गया है ? कृपया बैठ जायें । आप हर बार खड़े हो जाते हैं और चाहे में अनुमति दूं अथवा न आप बोलना आरम्भ कर देते हैं । एक ओर आप अपने प्रश्न पेश कर रहे हैं और दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि चूंकि आप काफी समय ले चुके हैं, मैंने आप के दूसरे साथी को समय दिया है ।

श्री समर गुह : यह बात नहीं है (व्यवधान) यदि मुझे इस बात का ज्ञान न हो कि मुझे अपने दल के चयरमैन, अपनी राष्ट्रीय समन्वय समिति का पक्ष किस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए तो इस सदन में मैं एक क्षण के लिये भी रहने का अधिकारी नहीं हूं । यदि मैं उन बातों का विरोध नहीं कर सकता हूं जो कि उनको प्रभावित कर रही हैं तो इस सदन का सदस्य होने का मेरा क्या लाभ है ? यह मेरा कर्त्तव्य है कि मामले को यहां प्रस्तुत करने तथा उनका पक्ष प्रस्तुत करू । मेरा एक मात्र यही उद्देश्य है।

अध्यक्ष महोदय : इस सदन में मेरा भी कुछ कर्त्तव्य है । अब, प्रोफेसर दण्डवते ;

प्रोफेसर मधु मदण्डवते : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने श्री बिभूति मिश्र के प्रश्न के अपने पहले उत्तर में कहा है कि जहां तक सरकार का सवाल, है, अभी भी सरकार बात-चीत करने के लिए तैयार है तथा उन्होंने आगे बताया कि बातचीत में यदि व्यवधान पड़ा तो उसका कारण यह था कि श्री फर्नेन्डीज

के भाषणों से उनको पता चला था कि वे हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि एक और तो सरकार तथा दूसरी ओर संघर्ष समिति के सदस्य और उनके नेता अपने अधिकारों, हड़ताल को दबाने के सरकार के अधिकार तथा संघर्ष समिति के अपने संघ की ओर से हड़ताल करने की तैयारी करने के अधिकार, के प्रति आग्रह दिखाये बिना बातचीत जारी रखे हुए थे, और इसे ध्यान में रखते हुए क्या इस समय भी वह चाहेंगे कि समिति से जिसके कि अधिकांश नेता जेल में हैं, बातचीत जारी रखी जाए ? यदि प्रस्ताव में मंत्री जी बातचीत जारी रखना चाहते हैं तो उनको समन्वय समिति के सभी नेताओं को मुक्त कराना चाहिए जिससे कि वे बैठकर यह निर्णय कर सकें कि बातचीत जारी रखनी चाहिए अथवा नहीं। इस बारे में निश्चित उत्तर दिया जाना चाहिए। श्री एस० ए० कादर ने कहा है कि श्रीमती पार्वती कृष्णन से परामर्श किया जा सकता है क्योंकि उनका व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण है। किन्तु ऐसे व्यक्तित्वों के होते हुए भी बातचीत के लिये पूर्ण समिति की आवश्यकता होगी, अतः सर्व प्रथम सब को बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए और बाद में उनसे बात-चीत की जानी चाहिए।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: निःसन्देह सरकार हड़ताल से पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर रही है क्योंकि संघ ने 8 मई को आम हड़ताल करने की घोषणा करके ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। संघ को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार बातचीत द्वारा मामला सुलझाना चाहती है। मैंने यह सुझाव दिया था कि चूंकि यह नियोक्ता तथा कर्मचारियों से सम्बन्धित मामला है अतः हमको इस मामले को बीच में नहीं लटकाना चाहिए तथा परस्पर बैठकर समस्या को सुलझाना चाहिए।

अब समस्या का एक दूसरा पहलू भी है वह प्रतिदिन कोई न कोई बयाने जारी कर रहे हैं।

प्रोफेसर मधु दण्डवते: आपकी ओर से क्या तैयारियां की जा रही है। आपने जो तैयारियां की हैं श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उनको सदन के समक्ष रखा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: आप अपनी तैयारियों पर प्रकाश डालें।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: बातचीत के दौरान एक पक्ष अनुपस्थित था तथा वह पक्ष है इस देश की जनता। हम उस पक्ष की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। हमने जो भी कार्यवाही की है वह समाज को तथा देश की आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुए ही की है। सरकार मजदूर संघ के नेताओं से बातचीत करने को तैयार है बशर्ते कि वे हड़ताल का नोटिस वापस ले लें।

प्रोफेसर मधु दण्डवते: उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं स्पष्ट उत्तर चाहता था। जैसाकि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बताया है सरकार हड़ताल का सामना करने के लिए अपनी तैयारियां जारी रख रही है। रेल कर्मचारी भी हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। दोनों ओर तैयारी हो रही है। अब वे यह शर्त किस तरह लगा सकते है कि हड़ताल का नोटिस वापस लिया जाये?

श्री ज्योर्तिमय बसु: महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रत्येक सदस्य को समय नहीं दे सकूंगा। इस पक्ष के अनेक सदस्यों को समय देने के बाद मैं दूसरे पक्ष के सदस्यों को भी समय देना चाहूंगा। इस समस्या के बारे में उनका अपना मत है। आप उनको समय क्यों नहीं देना चाहते?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक पूरक प्रश्न करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपके सदस्य पहले ही पूरक प्रश्न कर चुके हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अब तक वे कितने प्रश्न कर चुके हैं ?

अध्यक्ष महोदय : विरोधी दल द्वारा पूछे गये प्रश्नों से कम।

Shri Nar Singh Narain Pandey: In view of the fact that in the first instance Honourable Railway Minister had invited the leaders of onlytwo recognised Railway Employees Unions for negotiations and thereafter some more members were included by the Co-ordination Committee and Shri George Fernandes in the talks, whether Railway Minister would also like to invite all the Presidents of categorywise unions of the Railways so that the Healthy conditions may be created for negotiations?

Shri. Moh. Shafi Qureshi: I hand already replied that only two recognised unions of Railway have been invited for negotiations. At present there is no question of entering into a negotiations with the category unions.

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बोनस का सवाल अब बोनस पुनरीक्षा समिति को सौंपने की तैयारी कर रही है तथा क्या सरकार बोनस पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए बाध्य होगी। दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार विरोधी पक्ष की सर्वसम्मत मांग स्वीकार करने के लिये तैयार है कि समस्या का समाधान करने के लिए सभी नेताओं को तत्काल मुक्त कर दिया जाना चाहिए ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : बोनस के प्रश्न पर हमारी राय एकदम स्पष्ट है । यह मामला बोनस पुनरीक्षा समिति के समक्ष विचाराधीन है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जी नहीं । यह मामला बोनस पुनरीक्षा समिति को प्रचारिक रूप से नहीं सौंपा गया है। आप ने ऐसा नहीं किया है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : बोनस पुनरीक्षा समिति इस मामले पर विचार कर रही है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : तब, प्रधान मंत्री ने किस प्रकार कहा था कि इस मामले पर विचार नहीं किया जा सकता। आपको स्पष्ट उत्तर देना चाहिए ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : बोनस पुनरीक्षा समिति इस मामले पर विचार कर रही है । आशा है कि फैडरेशन बोनस पुनरीक्षा समिति के समक्ष साक्ष्य दे। उन्होंने बोनस पुनरीक्षा समिति के समक्ष अपना साक्ष्य दे दिया है।

अब, जहां तक आयोग की सिफारिशों का प्रश्न है, सरकार उस पर विचार करेगी किन्तु सरकार उन्हें स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है । जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, जब तक हड़ताल का नोटिस वापस नहीं लिया जाता है, वार्तालाप का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्यामनन्दन मिश्र : आप अराजकता की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं—— (व्यवधान)।

श्री एच० एम० पटेल : ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्नोत्तर में हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात को भूल गये हैं और वह बात यह है कि हम हड़ताल से बचना चाहते हैं कि नहीं। मंत्री महोदय कहते हैं कि श्रमिक संघों को उसे सम्मान का प्रश्न नही बनाना चाहिए। क्या मैं सरकार से यही अनुरोध कर सकता

हूं कि वह भी इसे सम्मान का प्रश्न न बनाये ? मंत्री महोदय की यह शर्त असम्भव सी है कि जब तक हड़ताल का नोटिस वापस नहीं लिया जाता, वह उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे । ऐसी शर्त लगाने के बजाये मेरा सुझाव यह है कि नेता----(व्यवधान) । मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रमिक संघ हड़ताल के लिए 8 तारीख निर्धारित करें । इसे वे किसी और तारीख के लिए निश्चित कर सकते हैं । इस दौरान सरकार श्रमिक नेताओं को जेल से रिहा कर दे और उनके साथ वार्तालाप पुनः आरम्भ करे। श्रमिक संघों से मेरा अनुरोध है कि हड़ताल का नोटिस बना रहे किन्तु उसके लिए 8 तारीख की समय सीमा हटा ली जाये ताकि वार्तालाप को पुनः आरम्भ करने के लिए और समय मिल सके । दोनों पक्षों को इसे सम्मान का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : सरकार ने इसे सम्मान का प्रश्न नहीं बनाया है । हड़ताल का नोटिस दिये जाने के बाद भी सरकार ने रेल श्रमिक संघों के साथ बातचीत आरम्भ की। इससे सरकार का आरम्भ स्पष्ट हो जाता है । सरकार इसे सम्मान का प्रश्न नहीं बना रही है । अन्यथा, हमने वार्तालाप के लिए मना कर दिया होता । श्री पटेल द्वारा दिया गया सुझाव श्रमिक संघों के नेताओं के विचार के लिए है।

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं है फिर भी श्रीमती पावर्ती कृष्णन को अपनी बात पूछने की अनुमति दे रहा हूं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है कि सरकार 8 में से 6 मांगें मान रही है। किन्तु सरकार ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की किसी भी मांग को नहीं माना है । मैं जानना चाहती हूं कि जब यह वक्तव्य दिया जा रहा है कि 8 में से 6 मांगे मान ली गयी हैं तो तथ्य क्या यह नहीं है कि वे मांगें एक मान्यताप्राप्त संघ भारतीय रेल कर्मचारी राष्ट्रीय संघ की मांगें हैं और इसलिए राष्ट्रीय समन्वय समिति को किसी प्रकार की रियायत आदि देने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि सरकार ने हमारे सभी लोगों को गिरफ्तार करके और नियोक्ता की भूमिका के स्थान पर पुलिस की भूमिका अदा करके समिति के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : प्रश्न बिलकुल स्पष्ट है । सदस्या महोदया के लिए यह उचित नहीं है कि वह एक पांव तो पानी में रखें और दूसरा भूमि पर । उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वह श्री जार्ज फर्नांडीज से सम्बद्ध नहीं हैं । यहां, वह स्वयं को अलग दिखा रही हैं । मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या वह समन्वय समिति के साथ व्यक्तिगत रूप से सम्बन्द्ध हैं अथवा किसी संगठन के रूप में ? (व्यधान)

श्रीमती पार्वती कृष्णन : महोदय, मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहती हूं । जब कभी सभा में या वार्तालाप में यह प्रश्न सामने आया है, यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है .... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मुझे खेद है, समय समाप्त हो गया है । श्री शंकर दयाल सिंह, कृपया इन्हें बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती पार्वती कृष्णन : उप-मंत्री .... (व्यवधान)

श्री हरिकिशोर सिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं चुप नहीं रहूंगी (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती कृष्णन आधा मिनट के लिए बोलना चाहती थीं।

श्री शमीम अहमद शमीम : इनसे कुछ पूछा गया है । स्वभावतः वह उसका उत्तर देंगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मंत्री महोदय ने इनसे प्रश्न पूछा है। अतः इन्हें उत्तर देने का अवसर दिया जाना चाहिए । ये लोग इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं ? इनमें श्रीमती कृष्णन का उत्तर सुनने का साहस नहीं है।

श्री सी० एम० स्टीफन : उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । उन्हें पहले सुना जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इनसे एक प्रश्न पूछा है जिसका वह उत्तर देना चाहती हैं।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मेरा प्रक्रिया सम्बंधी प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री एच० एन० मुकर्जी : सभा के नेता बैठे हुए हैं। वह इन्हें रोकते क्यों नहीं ? सत्ताधारी दल के सदस्य कर क्या रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : हमें पता है कि हमें क्या करना है।

अध्यक्ष महोदय : दस मिनट पहले ही बीत चुके हैं । प्रश्नकाल समाप्त हो जाना चाहिए था। मैं केवल आधा मिनट ही उन्हें सुनना चाहता था और उसके बाद प्रश्नकाल समाप्त हो जाता····

श्री ए० पी० शर्मा : इन्होंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। प्रश्नकाल समाप्त हो गया है । यदि कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो क्या उसे सुना नहीं जाना चाहिए ?

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ है । किस प्रकार से तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है । इन्होंने मेरे नेता श्री डांगे को सभा में भी गलत ढंग से उद्धृत किया है । मैं उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती किन्तु सभा में ऐसे किया गया है और यह एक गम्भीर बात है । मैंने उनके वरिष्ठ सहयोगी जो कि इस समय मौन धारण किये बैठे हैं के साथ भी इस बारे में बात की थी कि कौन किससे बातचीत कर रहा है । मैं उस समय स्पष्टीकरण चाहती थी । क्या बातचीत केवल श्री जार्ज फर्नांडीज़ या उनके द्वारा चुना गया व्यक्ति न करके राष्ट्रीय समन्वय समिति नहीं कर रही थी ? हमारी संस्था एक उत्तरदायी संगठन है, यह उन्होंने स्वीकार किया था । उन्होंने सभा में स्वीकार किया है कि भारतीय रेल कर्मचारी संघ वार्तालाप करेगा । उसे इन्होंने स्वीकार किया है । जब वार्तालाप आरम्भ हुआ था, इन्होंने कहा था "ठीक है, यही कार्यवाही समिति है। मैं यह जानना चाहती हूं कि इसका अर्थ क्या है । इनका प्रश्न अर्थपूर्ण है और यह पूरी राष्ट्रीय सम्मन्वय समिति को बदनाम करना चाहते हैं और उसकी गलत तसवीर प्रस्तुत करना चाहते हैं । मैं वहां व्यक्तिगत हैसियत से नहीं थी । मैंने राष्ट्रीय समन्वय समिति, जो कि लाखों रेल कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, की निर्वचित प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था । मेरा उत्तर यह है ... (व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS

Cancellation of Licences of 67 Vendors Ratlam Division

*956. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Railway** be pleased to state:

(a) whether the licences of 67 vendors of Ratlam Division of Western Railway are being cancelled;

(b) since when they have been operating there; and

(c) the number of other licensed vendors who have obtained licences in their names but have passed them on to others on Contract basis?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c): A statement is laid on the Table of the Sabha. (Placed in Library. See No. L.T. 6926/74.

Investment made in Hindustan Organic Chemicals Limited

*957. Shri M.C. Daga: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the total investment made in the Hindustan Organic Chemicals Limited and the profits accrued to Government therefrom during the last three years yearwise; and

(b) the annual amount of interest which this Company has to pay to the Central Government?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) (a) The total investment made by Government in the Hindustan Organic Chemicals Ltd. in the form of equity and loans was Rs. 968.19 lakhs and Rs. 950 lakhs respectively upto the 31st March, 1974. The net loss of the company after providing for Development Rebate Reserve was Rs. 42.56 lakhs, Rs. 90.19 lakhs and Rs.20.27 lakhs for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 respectively.

(b) The amount of interest on Government loans was Rs. 34-13 lakhs, Rs. 59.61 lakhs and Rs. 67.22 lakhs respectively during 1970-71, 1971-72 and 1972-73 respectively.

इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, पेरम्बूर, मद्रास में नये औजारों और घिसाई-पत्थरों की बिक्री

*958. **श्री जी० भूवराहन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 के मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में इन्टीग्रल कोच फैक्टरी पैरम्बूर मद्रास में बिल्कुल नये औजारों और घिसाई-पत्थरों की रद्दी सामान के रूप में बिक्री कर दी गई थी ; और

(ख) यदि हां तो इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई और इसकी पूर्ति करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान उर्वरक संयंत्रों का विस्तार

*959. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री रह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान उर्वरक संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने में विलम्ब कर रही है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में एक अन्य उर्वरक संयंत्र की स्थापना की जा सकती है क्योंकि वहां कच्चा माल उपलब्ध है ;

(घ) क्या राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को इस बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोयले पर आधारित संयंत्रों की स्थापना के लिये कुछ संभाव्य उपयुक्त स्थानों का हवाला दिया है । कोयले पर आधारित अतिरिक्त क्षमता के आयोजन में ऐसे सभी स्थानों का ध्यान रखा जायेगा

गुन्तकल डिवीजन को दक्षिण–मध्य रेलवे जोन में शामिल करना

*960. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के गुन्तकल डिवीजन को दक्षिण–मध्य रेलवे जोन में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मुकदमों के निपटाने में विलम्ब की जांच करने और उसे दूर करने के लिए "रिसर्च सैल"

*961. **श्री शशि भूषण :**

श्री मधु दंडवते :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 13 अप्रैल 1974 को हैदराबाद में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के भवन के विस्तार का शिलान्यास करते समय सुझाव दिया था कि देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय को मुकदमों के निपटाने में विलम्ब की जांच करने और उसे दूर करने के लिये एक "रिसर्च सैल" बनाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन ऐसे प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) 'रिसर्च सैल' कब तक स्थापित किये जायेंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) यह उच्च न्यायालयों द्वारा विचार किये जाने के लिये सुझाव मात्र था ।

भारतीय विधि संस्थान का लोकतंत्रीकरण करने के लिए की गई कार्यवाही

*962. **श्री मान सिंह भौरा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विधि संस्थान का लोकतन्त्रीकरण करने के लिये सरकार ने कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नितिराज सिंह चौधरी) : (क) भारतीय विधि संस्थान 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम XXI के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट निकाय है । सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि यह संस्थान के वर्तमान ढांचे में कोई परिवर्तन करे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पैट्रोल तथा मोबिल आयल की कमी और मूल्य वृद्धि का उद्योगों पर प्रभाव

*963. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल तथा मोबिल आयल की वर्तमान भारी कमी तथा मूल्य-वृद्धि का ग्रामीण क्षेत्रों में आयल इंजनों से चलने वाले छोटे उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन उद्योगों की तेल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राज्य सीकरों और तेल कंपनियों को आवश्यक अनुदेश दिये जायेंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) देश में इस समय मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) का कोई अभाव नहीं है । तथापि अधिकतर इसका आटोमोटिव फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और सामान्यता इसका इस्तेमाल उद्योगों में नहीं किया जाता है हाल के तेल संकट के दौरान कुछ लुब्रे बेस स्टाक और योगजों का विश्व व्यापी अभाव हुआ है और इससे कुछ स्नेहक तेलों की अस्थायी सप्लाई पर भी असर पढ़ा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में संथालडीह तापीय बिजली घर की योजना को क्रियान्वित किया जाना

*964. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में क्रियान्वित के लिये संथालडीह तापीय बिजली घर के विस्तार को एक योजना स्वीकार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और परियोजना की अनुमानित कुल लागत क्या है ; और

(ग) उन परामर्शदाताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने विस्तार योजना का व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार किया है और व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने और परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध करने के लिये कितनी धनराशि दी गई है अथवा देना स्वीकार किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी नहीं बहरहाल, पश्चिम बंगाल बिजली बोर्ड से सन्थालडीह विद्युत केन्द्र के विस्तार के रूप में 1X200 मेगावाट के उत्पादन सेट की प्रतिस्थापना के लिये एक स्कीम प्राप्त हुई है और इसकी जांच की जा रही है । इस विस्तार स्कीम के लिये शीतक जल सप्लाई एंव कोयले के प्रबंधों को अन्तिम रूप दिया जाना है। स्कीम में इसकी लागत 36 करोड़ रुपये दी गई है जिसको संभवतः संशोधित करना पड़ेगा । इस स्कीम को पांचवीं योजना के प्रारूप प्रस्तावों में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) ज्ञात हुआ है कि परियोजना रिपोर्ट राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तैयार की गई थी और इसके लिये किसी सलाहकार को नहीं लगाया गया था ।

मैसर्ज ए० एच० व्हीलर और मैसर्स गुलाबसिंह पुस्तक स्टाल ठेकेदारों तथा अन्य को एक समान दर पर कमीशन देना

*965. **डा० कर्ण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे द्वारा मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कंपनी और मैसर्स गुलाब सिंह एण्ड कंपनी को 25 प्रतिशत कमीशन दी जाती है जबकि अन्य पुस्तक स्टाल ठेकेदारों को केवल 10 प्रतिशत ही दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस भेदभाव को समाप्त करने के लिये उत्तर रेलवे को कोई अनुदेश जारी करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) वर्तमान नियमों के अनुसार भारतीय रेलों पर बुक स्टालों के ठेकेदार कमीशन के आधार पर नियुक्त नहीं किये जाते ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

"प्रेयान" बेलजियम द्वारा एफ० ए० सी० टी० का सुधार पर खर्चका दावा स्वीकार किया जाना

*966. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :**

श्री वयालार रवि :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'प्रेयान' बेल्जियम ने 1972 में एफ० ई० डी० ओ० द्वारा सुधार पर खर्च की गई कुल राशि का 'फैक्ट' इंजीनियरिंग और डिजाइन संगठन का दावा स्वीकार कर लिया था ;

(ख) यदि हां, तो 'प्रेयान' ने कुल कितनी राशि का दावा स्वीकार किया है ; और

(ग) क्या बाद में इस दावे की कम राशि स्वीकार करने का फैसला हुआ था ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) इसी प्रकार के संयंत्रों पर प्राप्त अनुभव के आधार पर खेतरी में मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के लिये फीडो द्वारा निष्पादित फास्फोरिक एसिड संयंत्रों में कुछ सुधार करना आवश्यक था । फैक्टरी (फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड) के अनुसार, फीडो एवं प्रायोन के बीच हुए संविदा की शर्तों के

अनुसार प्रायोन फीडो को सुधार कार्यों की पूरी लागत देने पर सहमत हो गया। प्रायोन द्वारा स्वीकार की गई दावे की कुल राशि 1,70,000 रुपये है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Import of Furnance Oil and Aviation Spirit from U.S.S.R.

***967. Shri Shrikrishna Agrawal :**

Shri D.D. Desai :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have approached U.S.S.R. for importing furnace oil and aviation spirit to meet their shortage in the country; and

(b) if so, the reply received from the U.S.S.R. Government ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri D.K. Borooah) : (a) and (b) During the visit of delegation from Soviet export organisation "Sojuznefteexport" in April this year, Indian Oil Corporation requested them to consider supplying some Furnace Oil and Aviation Gasolenes. The Soviet Export Organisation promised to look into this matter Their firm reply is however awaited.

चौथी योजना में कुछ औषधियों का उत्पादन

*968. **श्री मालजीभाई परमार** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एम० एस० डी० और होचेस्ट द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में फरसिमाइड इंडोमेथासिन, प्रीलमाइनलैक्टेट और साइप्रोटेडाइन का आयात किया गया तथा किन-किन दरों पर किया गया ;

(ख) बड़ी मात्रा में आयातित पदार्थों से बनाई गई मिश्र औषधियों को बाजार में कितने मूल्यों पर बेचने की अनुमति दी गई ;

(ग) क्या यह बात सरकार की जानकारी में लाई गई थी कि उक्त फर्में वास्तविक मूल्य से कम और वास्तविक मूल्य से अधिक राशि के बीजक बना कर औषधियों का आयात और इनकी बिक्री कर रही हैं ; और

(घ) क्या विदेशी फर्मों की इन अनियमितताओं का मामला वित्त मंत्रालय के सीमा-शुल्क आसूचना विभाग के पास भेजा गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(क) विवरण आयात

	1971-72		1972-73		1973-74	
	मात्रा (कि० ग्रा०)	सी आई एफ मूल्य रुपये लाख	मात्रा (कि० ग्रा०)	सी आई एफ मूल्य रुपये लाख	मात्रा (कि० ग्रा०)	सी आई एफ मूल्य रुपये लाख
फ्रूसेमाईड . .	1184	29.14	1493	18.52	शून्य	—
इन्डोमेथासिन . .	1200	49.59	545	17.35	शून्य	—
प्रेनीलामाइन लैक्टेट .	625	13.01	460	10.05	शून्य	—

माइप्रोहेपटाडाईन आयात नहीं ।

(ख) 1. फ्रूसेमाइड (मैसर्स होयस्ट)

		1970	वर्तमान मूल्य	लागू
		रुपये	रुपये	रुपये
लेसिक्स (40एम जी)	10 × 10 टी स्ट्राइप	70.00	36.67	235.73
	10 × 25 टी स्ट्राइप	170.00	82.50	—वही—
लेसिक्स इंजेक्शन	10 × 2 एम एल एम्पस . .	10.50	8.49	30-1-73
	100 × 2 एम एल ए . .	99.78	72.17	30-1-73

2. प्रेनीलामाइन लेंक्टेट (होचेस्ट)

	1970 में मूल्य	वर्तमान मूल्य 23-5-73 से
	रुपये	रुपये
सेक्वांटिन 10 × 10 स्ट्रिप . . .	135.00	89.00

3. इन्डोमेथासिन (एम० एस० डी०)

		1970 में मूल्य	वर्तमान मूल्य 27-8-73 से
कैपसूल्स	25 एम० जी० 10 × 10 स्ट्रिप .	53.30	44.50
	50 एम० जी० 10 × 10 स्ट्रिप .	96.00	82.60

4. साइप्रोहेप्टाडाईन (एम० एम० डी०)

पेन्याक्टिन	10 × 10 टी०	22.30	22.30

दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर बिजली घर का प्रजनन एकक न चलने के बारे में शिकायत

*969. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर स्टेशन के 75 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले एकक के न चलने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त शिकायत का ब्यौरा क्या है और दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता को बिजली की सामान्य सप्लाई बनाए रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर बिजली घर में किसी भी 75 मेगावाट विद्युत उत्पादन यूनिट के खराब होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । बहरहाल, दामोदर घाटी निगम ने सूचित किया है कि दुर्गापुर बिजलीघर की 75 मेगावाट की एक यूनिट के 22 अप्रैल, 1974 को बायलर में ट्यूब लीक करने के कारण बन्द कर दिया गया था और 75 मेगावाट के दूसरे यूनिट को इस यूनिट के पर्यवेक्षक नियंत्रण में कुछ खराबी हो जाने के कारण 23 अप्रैल को बन्द कर दिया था । पहले यूनिट को 27 अप्रैल को तथा दूसरे यूनिट को 25 अप्रैल को फिर से चालू कर दिया गया था और दोनों यूनिट तब से कार्य कर रहे हैं ।

कलकत्ता को विद्युत सप्लाई करने के लिये दामोदर घाटी निगम का कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है क्योंकि पहला समझौता 1969 को समाप्त हो चुका है । बहरहाल, निगम रेलवे कर्षण, कोयला तथा इस्पात जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् कलकत्ता को यथा-संभव विद्युत सप्लाई कर रहा है । साधारणतया निगम विद्युत उत्पादन के 550 मेगावाट के स्तर पर कलकत्ता को 50-70 मेगावाट विद्युत सप्लाई कर रहा है और निगम सहमत हो गया है कि जब इसका विद्युत उत्पादन 550 मेगावाट से बढ़ जायेगा तो यह 20 मेगावाट तक और विद्युत सप्लाई करने लग जाएगा ।

मोनो ब्लाक कंकरीट स्लीपरों के बारे में सरकारी समिति के निष्कर्ष

*970. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार रेलवे के लिये मोनो ब्लाक कंकरीट स्लीपरों का उत्पादन कार्यक्रम भारतीय परिस्थितियों के प्रतिकूल डिजाइन बनाये जाने के कारण तीन वर्ष पीछे रह गया है तथा भारी हानि हुई है ; और

(ख) उक्त रिपोर्ट के बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

संभवतः माननीय सदस्य का आशय भारत के नियंत्रक और महा लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट से है । रेल मंत्रालय के कार्य-क्लाप पर 1972-73 की अपनी रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने यह कहा है कि एक ऐसे अभिकल्प को अपनाने से जो कि पर्याप्त रूप से भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था, मोनो ब्लाक-कंक्रीट स्लीपरों का निर्माण कार्यक्रम 3 साल से भी अधिक पिछड़ गया है । हानि के संबंध में रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है ।

इस समय यह मामला लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत है ।

सामग्री उपलब्ध न होने के कारण कलकत्ता भूमिगत रेलवे के कार्य में विलम्ब

*971. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तैयार इस्पात तथा कुछ अन्य उत्पाद जिनके रूप से प्राप्त होने की संभावना है, उपलब्ध न होने के कारण कलकत्ता भूमिगत रेलवे के कार्य में विलम्ब हो रहा है ;

(ख) क्या पश्चिम जर्मनी के मैसर्स क्रप्स ने उक्त वस्तुएं देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ग) यदि हां, तो भूमिगत रेलवे का कार्य तेजी से पूरा करने के लिये मैसर्स क्रप्स के साथ करार करने के मार्ग में क्या बाधा है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Expenditure incurred on Transportation of Earth/Gravel along the Railway Track on Northern Railway

*972. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on the transportation of the earth put along the rai way track in the Northern Railway during the last three years;

(b) the transportation charges paid for the transportation of the gravel by trucks during the said period; and

(c) the reasons for not pressing into service the D.M.T. for the transportation of the earth ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Separate figures of expenditure on transportation of earth are not maintained as earth work costs are inclusive of several operations, such as excavation, lead, lift, consolidation, etc.

(b) Rate for supply of gravel/ballast is an all inclusive rate and separate figures for transportation charges by trucks etc. are also not maintained.

(c) D.M.T. for transportation of earth is neither economical nor convenient and as such, is used only in unavoidable cases.

आधुनिक बिजली संयंत्रों में रसायन निष्कासन (विलयरिंग) के उपायों का प्रयोग

*973. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आधुनिक बिजली संयंत्रों में रसायन निष्कासन (विलयरिंग) के उपाय करके बिजली और ईन्धन की बचत की दिशा में कार्यवाही की है ;

(ख) क्या सरकार ने उद्योगपतियों के साथ समूह गठित कर उन्हें बिजली प्रजनन संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देने के लिये कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) ताप विद्युत संयंत्र में कोयला/तेल/गैस में ऊष्मा ऊर्जा को ऊष्मा संचालन सतहों के द्वारा जल/भाप में स्थानन्तरण किया जाता है। इस ऊष्मा स्थानान्तरण को दक्षतापूर्वक करने के लिये साफ अन्तर्ग्राही तथा बाहरी सतहों की अपेक्षा होती है। क्योंकि ऊष्मा स्थानान्तरण इनके द्वारा ही होता है। पूर्ण रूप से साफ सतह द्वारा ऊष्मा स्थानान्तरण उच्च दक्षतापूर्वक होता है और इससे ईन्धन की भी बचत होती है।

चालू करने से पूर्व बायलर की ट्यूबों को ऐसिड/क्षारिय धुलाई द्वारा साफ किया जाता है ताकि मिल स्केल, ग्रीस, जंग, आदि, जोकि ट्यूब में विद्यमान हो सकते हैं, हटा दिए जाएं। अवशेष/बाहरी कणों, जोकि ऐसी सफाई करने के पश्चात् भी रह जाते हैं, को ट्यूब में से भाप को वायुमंडल में उड़ा कर, हटाया जाता है। ट्यूबों की बाहरी सतहों को, भाप सूट ब्लोइंग द्वारा सफाई करके प्रचालन के दौरान, साफ रखा जाता है। आधुनिक विद्युत संयंत्रों में बायलर टर्बाइन-कन्डेन्सर के माध्यम से बार-बार उसी जल को घुमाया जाता है। बहरहाल, कुछ जल को प्रतिपूर्ति अपेक्षित होती है। आधुनिक ताप विद्युत संयंत्रों में बायलरों में आरम्भ में जल भरने तथा उसको प्रतिपूर्ति के लिये सर्वाधिक शुद्ध जल सप्लाई करने के लिये जल अखनिजीकरण संयंत्र होते हैं। केवल शुद्ध किया गया जल ही बायलरों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ट्यूबों को अन्तःसतहों को हानिकर तहों अथवा अन्य प्रभावों से मुक्त रखा जा सके। कन्डेंसर ट्यूबों को भी, इनमें से कार्बनिक पदार्थों को दूर करने के लिये और ऊष्मा स्थानान्तरण में सुधार लाने के लिये साइट्रिक ऐसिड द्वारा समय-समय पर साफ किया जाता है। इन पद्धतियों को सभी आधुनिक ताप विद्युत संयंत्रों में अपनाया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली की कमी के कारण इस्पात धमन भटठी एककों का उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में अंतरण

*974 **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली उपलब्ध न होने के कारण उत्तर प्रदेश स्थित इस्पात धमन भट्ठी एकक अन्य राज्यों में अन्तरित होने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में प्रचालन कर रहे एक बिजली भट्ठी इस्पात यूनिट ने अपनी बिजली भट्ठी को उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे राज्य में ले जाने की अनुज्ञा मांगी है। ज्ञातव्य है कि अनुरोध करने का मुख्य कारण विद्युत सप्लाई में कठिनाइयां बताया गया है। इसकी जांच की जा रही है।

Electrification of Villages during the Last Three Years

975. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the percentage of the villages electrified in the each State during the last three years, year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : A statement indicating the percentage of the villages electrified in each State during the last three years, year-wise is laid on the Table of the House. [Placed in Library *See* No. L.T. 6927/74]

वर्कशाप लेखा कार्यालय, अजमेर में 'सब हैड' के पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों से पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक को अभ्यावेदन

9233. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्कशाप लेखा कार्यालय, अजमेर में सब हैड के पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों का पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक, बम्बई के नाम दिनांक 1 जनवरी, 1973 का कोई अभ्यावेदन पश्चिम रेलवे में अभी तक अनिर्णित पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मामले को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

फर्टलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेट से उर्वरकों की चोरी

9234. **श्री वायलर रवि** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अलवाय से बड़ी मात्रा में उर्वरकों को चुरा लिया गया है और कुछ कर्मचारी और अधिकारी इससे संबंधित हैं ;

(ख) यदि हां, तो चोरी को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस चोरी से संबंधित लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) 11-3-1974 की प्रातः काल को व्हार्फ गोदाम से यूरिया, एमोनिया सल्फेट तथा मिश्रित उर्वरकों की कुछ मात्राएं गायब पाई गई । शीघ्र ही पुलिस के पास एक शिकायत लिखवा दी गई तथा स्टाक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया । स्टाक प्रत्यक्ष सत्यापन के परिणाम-स्वरूप 3 मीटरी टन यूरिया, 1.6 मीटरी टन एमोनिया सल्फेट तथा 0.8 मीटरी टन मिश्रित उर्वरकों की मात्राएं कम पाई गई तथा कथित उर्वरकों की हानि का मूल्य लगभग 4820.00 रुपये है । पुलिस ने मामले के संबंध में अब तक पांच संदिग्ध कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है जिसमें से 5 फैक्ट के हैं तथा एक व्यक्ति सी० आई० एस० एफ० का है । गिरफतारी के परिणाम स्वरुप समस्त 6 व्यक्तियों को, अग्रिम पुलिस छान-बीन होने तक, मुअतिल कर दिया गया है ।

27 LSS/74—4

एफ० ई० डी० ओ० द्वारा लिये गये ठेके

9235. **श्री वायलर रवि** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेक इंजीनियरिंग और डिजाइन संगठन द्वारा हाल ही में किसी परियोजना में कोई बड़ा ठेका लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह कुल कितनी राशि का है ; और

(ग) इस समय एफ० ई० डी० ओ० द्वारा कुल कतनी परियोजनाओं के ठेके लिये हुए हैं और वे ठेके कितने मूल्य के हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विभागीय श्रम न्यायालयों को पूर्ण न्यायालयों में बदलने का निर्णय

9236. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभागीय श्रम न्यायालयों को पूर्ण न्यायालयों में बदलने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या न्यायालय फीस और स्टाम्प शुल्कों में वृद्धि हुई है जिसके कारण साधारण जनता न्याय नहीं प्राप्त कर सकती ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने न्यायालय फीस एंव स्टाम्प शुल्कों को घटाने का निर्णय किया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) औदयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन श्रम न्यायालय, अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किन्हीं मामलों से संबंधित औद्योगिक विवादों के न्याय-निर्णय के लिये और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करने के लिये, जो उनको अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं, गठित किए गए हैं । श्रम न्यायालयों की प्रक्रिया, शक्तियां और कर्तव्य भी अधिनियम में अधिकथित किए गए हैं । उनको पूर्ण न्यायालयों में बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायलय और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित न्यायालयों को छोड़कर, न्यायालय-फीस और स्टाम्प-शुल्क के संबंध में राज्य सरकारें कार्यवाही करती हैं । जहां तक भारत सरकार का संबंध है, न्यायालय फीस और स्टाम्प-शुल्क में कमी करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

वर्ष 1972-73 और 1973-74 में बिना टिकट यात्रियों से वसूल की गई राशि

9237. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्य **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या में वृद्धि के वावजूद वर्ष 1972-73 की अपेक्षा वर्ष 1973-74 में ऐसे यात्रियों से वसूल की गई राशि काफी कम है ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी नहीं । 1972-73 की तुलना में 1973-74 में बिना टिकट पकड़ गये यात्रियों की संख्या और उनसे वसूल की गयी रकम के मासिक औसत में केवल मामूली सी गिरावट आयी है । मासिक औसत निकालने का कारण यह है कि 1973-74 में केवल जनवरी, 1974 के अन्त तक के ही आंकड़े उपलब्ध हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Neglect of Western Nimar Region of Madhya Pradesh by the Railways

9238. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have so far been neglecting the Western Nimar region of Madhya Pradesh in matters of Rail development and the mail/express and passenger Railway service is also not available to the districts of this region; and

(b) if sc, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No, Mail, Express and Passenger services have been provided in this region in keeping with the traffic and operational requirements.

(b) Does not arise.

Transportation of Requisite Quantity of Foodgrains from one place to another in Madhya Pradesh

9239. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railways have failed to transport the requisite quantity of Foodgrains from one place to another in Madhya Pradesh during the first two months of the current year;

(b) the estimated target thereof and the quantity of foodgrains actually transported;

(c) the factors that came in the way of transportation of foodgrains and the difficulties experienced in this regard; and

(d) th. action taken or proposed to be taken to improve the situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Quresni) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Cases pending in Indore High Court

9240. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases pending at present in Indore (Madhya Pradesh) High Court; and

(b) the number of cases pending for five years or more ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H.R. Gokhale) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Compensation for Submergence of Harsood Tehsil of East Nimad District of M.P. due to Construction of Narmada Project

9241. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a large part of Harsood Tehsil of East Nimad district in Madhya Pradesh is likely to be submerged in water due to construction of Narmada project there ;

(b) the action proposed to be taken by Government for paying compensation to residents of the said Tehsil, whose land and property would be submerged in water; and

(c) whether Madhya Pradesh Government have sent any representation to the Central Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) (a) and (b) The Project Report prepared by the Government of Madhya Pradesh (with a full reservoir level of R.L. 860) indicates that the Narmada Project will submerge in area of 156221 acres and affect 126 villages in Harsud Tahsil.

A provision of Rs. 24.89 crores has been made in the project report for compensation for land and properties likely to be affected, and for the rehabilitation of displaced persons, who are proposed to be resettled in the adjoining areas by giving them plots of land in existing villages and where necessary by developing new model villages.

(c) No, Sir.

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक द्वारा मै० जोन विथ कम्पनी में सेवा करना

9242. **श्री भालजीभाई परमार** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक ने मैसर्स जोन विथ में सलाहकार का पद ग्रहण कर लिया है,

(ख) क्या हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा एम्पीसिलिन के निर्माण के सहयोग समझौते के लिए इस कम्पनी तथा इसकी अन्य सहयोगी कम्पनियों के साथ, बातचीत मुख्य रूप से इसी व्यक्ति द्वारा की गयी थी, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं,

(ग) क्या हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के इस भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक के योगदान के कारण समझौता मैसर्स जोन विथ के पक्ष में हुआ और सरकारी उपक्रम के पक्ष में नहीं ,

(घ) समझौता की मुख्य बातें क्या हैं और सरकारी उपक्रम एवं उद्योग के भारतीय क्षेत्र को हुई हानि को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(ङ) एम्पीसिलिन के उत्पादन के लिए कितनी भारतीय कम्पनियों के प्रस्ताव प्रस्तुत किये और उन्हें रद्द करने के क्या कारण हैं ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) जी हां, बंगलौर में मैसर्स जान विथ लि० के ड्योसकोरिया प्लान्टेशन के परामर्शदाता के रूप में।

(ख) उक्त भूतभूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर भी इस बातचीत से संबद्ध थे। जब दिनांक 23 जनवरी, 1971 को सहयोग करार के लिए सरकारी अनुमति की सूचना मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० को दी गई तब 30 सितम्बर, 1969 को वह सेवा निवृत्त हो गये थे।

(ग) और (घ) जी नहीं। इस करार द्वारा मैसर्स एच० ए० एल० के लिए मैसर्स अमरिकन होम प्रोडक्ट कारपोरेशन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रौद्योगिकी और उनकी प्रौद्योगिकी और एम्पीसिलीन एन्हाईड्रस एम्पीसिलीन डाईहाइड्रेट, ग्लेक्सीलीन, फीनीथीसिलीन से संबंधित जानकारी प्राप्त की है:—

(1) तैयार उत्पादों की शुद्ध बिक्री मूल्य का 5 प्रतिशत की दर से रायल्टी।

(2) उपरिलिखित मदों में से किसी एक को वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से करार की अवधि सात साल की होगी।

(3) समस्त देशों को निर्यात करने की अनुमति होगी केवल उन देशों को छोड़कर जहां विदेशी सहयोगी के पास निर्माण करने के लिए विद्यमान लाइसेंसिंग प्रबन्ध हो।

(4) एच० ए० एल० विदेशी सहयोगी और या भारत में इसकी कम्पनियों को प्रपुंज सेमिसिन्थेटिक पेंसिलीन की ऐसी मात्रा की सप्लाई करेगी जैसाकि वे कभी-कभी एच० ए० एल० को आदेश देंगे बशर्ते कि:—

(क) किसी कैलेण्डर वर्ष में सप्लाई के लिए दिये ऐसे प्रपुंज मिश्रण (ओं) की मात्रा के आदेश अमेरिकन होमप्रोडक्ट कारपोरेशन और/या इस की कम्पनी (यों) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई भावी आवश्यकताओं के अनुमान अधिक नहीं होंगे और वे आदेश एच० ए० एल० को प्रस्तुत किये जायेंगे और एच० ए० एल० द्वारा उस पर सहमत हो जाने पर पार्टी को उनकी सप्लाई की जायेगी, और

(ख) प्रपुंज मिश्रणों की अमेरिका होम प्रोडक्टस कारपोरेशन और/या इस कम्पनी (यों) को उचित मूल्य पर बिक्री कर दी जायेगी और उनकी बिक्री इस प्रकार होगी कि उनको समान आधार पर एच० ए० एल० के साथ प्रतियोगिता करने की अनुमति दी जा सकेगी।

(ग) अमेरिकन होम प्रोडक्ट्स कारपोरेशन या भारत में इसकी कंपनी (यों) को की गई इस प्रकार की बिक्री पर एच० ए० एल० को रायल्टी देना अनिवार्य नहीं होगा।

(घ) एम्पीसिलीन का निर्माण करने के लिए भारतीय दलों से प्राप्त किये गये छः आवेदन पत्रों में से तकनीकी विकास महा निदेशालय ने तीन का पंजीकरण कर लिया था और अन्य तीन आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया था। इन तीन आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में दो का अस्वीकृत कर दिया था क्योंकि इन में विदेशी मुद्रा का भारी मात्रा में बाहर जाना निहित था और तीसरी इस लिए अस्वीकृति की कि रिपोर्ट पार्टी वांछित विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थ रही।

पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को स्थिर कर देना

9243. **श्री एम० कतामुतु:** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बहुत सी किस्मों के पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को स्थिर कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो उसके विवरण क्या है

(ग) क्या किसी तेल कम्पनी ने इस मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध किया है, और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) सरकार मिट्टी के तेल, डिजिल तेल, पैट्रोल आदि जैसे उत्पादों के बिक्री मूल्यों को निर्धारित करती है जो प्रपुंज शोधित या सूत्र उत्पाद कहलाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के सूत्र रहित उत्पाद हैं जिनके लिए तेल कम्पनियां स्वयं मूल्य निर्धारित करती हैं;

जनवरी 1974 में अशोधित तेल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण गैर सूत्र वाले उत्पादों के मूल्यों को 20 जनवरी, 1974 में विद्यमान स्तरों से अधिक बढ़ाने के लिए तेल कम्पनियों को सरकार की मंजूरी लेने हेतु आदेश भेजे गये थे। तदनुसार, भारतीय तेल निगम सहित तेल कम्पनियों ने अभ्यावेदन दिये कि सरकार के इन आदेशों को कार्यान्वित करने से तेल कम्पनियों के सामने कुछ समस्याएं खड़ी हो जायेंगी। इसके उत्तर में, संशोधित आदेश जारी किये गये हैं जिनके परिणाम स्वरूप बिना फामूले के उत्पादों के मूल्यों में कमी/वृद्धि सामान्य तौर पर कच्चे तेल के एफ० ओ० बी० मूल्यों की कमी/वृद्धि, जो समय-समय पर सरकार को प्रपुंज शोधित उत्पादों के मूल्य निर्धारित हेतु मान्य होती है तथा बिना फामूले के उत्पादों के उत्पादन में काम आने वाले उत्पादों के अधिकतम विक्रय मूल्यों में की जाने वाली ऐसी प्राधिकृत वृद्धियां जो सरकार द्वारा स्वीकृत हैं, से संबंधित होंगी। मूल उत्पादन कर के समान सांविधिक करों की मात्रा, ऐसे मूल्यों को तय करने में ध्यान में रखी जायेगी। इस प्रकार तय किये गये मूल्य, मूल्य निर्धारण हेतु अधिकतम होंगे जिनके अन्तर्गत सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होगा।

रूमानिया के सहयोग से तेल खुदाई करने वाले रिगों के निर्माण का प्रस्ताव

9244. **श्री एम० कतामुतुः** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूमानिया के सहयोग से तेल की खुदाई करने वाले रिग बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों द्वारा उत्पादित उर्वरक का वितरण

9245. **श्री गजाधर माझी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में गैर-सरकारी क्षेत्र के किन उर्वरक संयंत्रों को उत्पादन के लिए आशय पत्र और लाइसेंस दिये गये हैं,

(ख) क्या सरकार गैर सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों द्वारा बनाये जाने वाले उर्वरक का वितरण अपनी एजेंसियों द्वारा या सहकारी समितियों द्वारा करायेगी, और

(ग) क्या सरकार को पता है कि देश में उर्वरक बहुत अधिक दामों पर बिक रहा है, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाएगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) चालू वर्ष 1974 के दौरान, अतिरिक्त उर्वरक क्षमता स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में निम्नलिखित कम्पनियों को आशय पत्र जारी किये गये हैं :—

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	आशय पत्र के जारी किये जाने की तारीख	टिप्पणी
1.	दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०	28-1-74	राजस्थान में कोटा स्थित अपने वर्तमान उर्वरक संयंत्र में और काफी विस्तार ।
2.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स लि०	30-1-74	आंध्र प्रदेश में काकीनद स्थान पर एक नये उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए।
3.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कं० लि०	16-4-74	गुजरात में बड़ौदा में अपने वर्तमान उर्वरक संयंत्र में काफी विस्तार ।
4.	मैसूर स्टेट इंडस्ट्रियल डिवैलपमैंट कारपोरेशन लि०	20-4-74	कर्नाटक राज्य में मंगलौर में एक नये उर्वरक औद्योगिक उपक्रम की स्थापना ।

(ख) देश में उत्पादित उर्वरकों के वितरण के लिए सहकारी तथा अन्य सांस्थानिक एजेंसियों का हिस्सा बढ़ाने की सरकार की इच्छा है।

(ग) प्रमुख नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों, अर्थात् यूरिया, अमोनियम सल्फेट तथा कैल्सियम अमोनियम निट्रेट के अधिकतम विक्रय मूल्य उर्वरक नियंत्रण आदेश 1957 के अन्तर्गत पहले ही निर्धारित किये गये हैं। राज्य सरकारें, जिन्हें उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं, उर्वरकों की चोर बाजारी न होने देने के लिए कार्यवाही करती है। राज्य सरकारों को इस बारे में सतर्क रहने का परामर्श दिया गया है।

राज्यों में ठप्प की गई तमाम विद्युतीकरण योजनाएं और व्यपगत हुई आबंटित राशि

9246. **श्री धामनकर : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण योजनायें ठप्प कर दी गई हैं और उनके लिए आबंटित राशि व्यपगत होने दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाता है और उनको राज्य योजना में व्यवस्थित परि-व्ययों में से इन पर धन खर्च किया जाता है।

राज्य बिजली बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित सरकारी संस्थान ग्राम विद्युतीकरण निगम से ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ऋण सहायता के लिए अनुरोध करते हैं। स्कीमों के स्वीकृत होने के पश्चात् उनको वास्तविक प्रगति के अनुसार धनराशि किस्तों में दी जाती है। निगम द्वारा स्वीकृत विभिन्न स्कीमें कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। कोई स्कीम छोड़ी नहीं गई है और ऐसी कोई राशि नहीं बची है जिसका प्रयोग नहीं किया गया।

Proposals for changing the present election system

9247. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a demand made by the opposition parties for changing the present election system;

(b) whether Government have received certain suggestions from them in this connection; and

(c) if so, reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) & (b) Except for the views expressed in certain quarters and the suggestions made by some of the members of Joint Committee on Amendment to Election Law in this behalf, no other suggestions have been received from the opposition parties by the Government.

(c) Government consider that no change in the existing election system is called for.

Affect of Transport Bottleneck on Export of Iron Ore to Foreign Countries

9248. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether one of the main reasons why the export of iron ore to foreign countries is not increasing due to the failure of the Railways to arrange timely and proper supply of wagons for its transport;

(b) if so, the steps taken to remove the transport bottleneck; and

(c) the time by which normal situation is likely to be restored ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) Loading of Iron Ore for Export has not increased during the last financial year. This was not due to inherent bottlenecks in rail transport but on account of various extraneous factors such as severe power shedding during summer, followed by cyclones and breaches, series of wild-cat strikes and agitations in different ports and the railways, thefts of railway equipments, squatting on track and civil disturbances etc., which almost continuously affected train movements and immobilised a large number of railway wagons.

(c) With the restoration of normal working conditions on the Railways, the movement of export ore by rail should improve.

पंजाब के उद्योगों पर भट्टी तेल के दोषपूर्ण वितरण का प्रभाव

9249. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :**

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० ओ० सी० या अन्य तेल विक्रय एजेंसियों द्वारा दोषपूर्ण वितरण प्रणाली अपनाने से भट्टी तेल की कमी का पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ा रहा है;

(ख) क्या आई० ओ० सी० और अन्य एजेंसियों से अनेक जाली उद्योग तेल प्राप्त करके काले बाजार में बेचकर भारी लाभ कमा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को राज्य के औद्योगिक एककों से वितरण नीति में सुधार के लिए अभ्यावेदन मिले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार द्वारा गठित भट्टी के तेल पर स्थाई समिति द्वारा उपलब्ध भट्टी के तेल के वितरण हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किये जाते हैं। भारतीय तेल निगम सहित तेल कंपनियां स्थाई समिति द्वारा निश्चित वितरण पद्धति का अनुसरण करती हैं। इन मार्ग सूचक सिद्धांतों के अनुसार तेल कंपनियां अपने 1973 के माल के उठान के आधार पर जनवरी, 1974 ग्राहकों की आवश्यकताओं का 90 प्रतिशत भाग पूरा कर रही थी। मई से कुछ विशिष्ट उद्योग जैसा कि ऊपर बताया गया है आवश्यकताओं का 90 प्रतिशत प्राप्त करते रहेंगे। किन्तु अन्य उद्योगों को की गई कटौती में 10 प्रतिशत की और वृद्धि की जायेगी।

(ख) सरकार ने भट्टी के तेल (अधिकतम मूल्यों का नियतन एवं वितरण) आदेश, 1974 जारी किया जो 1 अप्रैल, 1974 से प्रभावी हुआ। आदेश में किसी ऐसे व्यक्ति जो डीलर न हो द्वारा भट्टी के तेल की बिक्री करना वर्जित है तथा आदेश में चोरबाजारी तथा अन्य कदाचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक अधिकार की व्यवस्था है।

(ग) वितरण पद्धति तथा प्रत्येक यूनिट की आवश्यकता के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रत्येक औद्योगिक यूनिटों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। नियंत्रण करने वाले संबंधित प्राधिकारियों की सिफारिश तथा सामान्य नीति के आधार या भट्टी के तेल पर स्थाई समिति द्वारा इन पर विचार किया जाता है।

चंडीगढ़ में इलैक्ट्रानिक समूह की स्थापना

9250. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र में बिजली की सप्लाई में वृद्धि करने हेतु एक इलैक्ट्रानिक समूह स्थापित करने के सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशेषज्ञ के साथ इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइनस् आफ इलैक्टानिकल इन्स्ट्रूमेंटस के एक अधिकारी ने हाल ही में चंडीगढ़ का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक अंतिम रूप दिया जायेगा और इस पर कब तक कार्य आरंभ हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गत एक वर्ष के दौरान रेलवे को समाज विरोधी तत्वों द्वारा की गई हानि

9251. **श्री एन० टोम्बी सिंह**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री गाड़ियों और स्थानीय शटल गाड़ियों को समाज विरोधी तत्वों द्वारा की गई क्षति के बारे में सरकार ने कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, लगभग 9.50 लाख रुपये।

(ख) समाज विरोधी तत्वों ने उपयुक्त समय और स्थानों पर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के मार्ग-वर्ती स्टेशनों पर जहां रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात नहीं होते, सवारी डिब्बों की फिटिंगें जैसे पंखा, बल्ब, डायनुमो आदि चुरा लिये थे और उनको नुकसान पहुंचाया था।

Demands of Madhya Railway Karamchari Sangh (Central Railway Employees Association)

9252. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Railway Karamchari Sangh (Central Railway Employees Association) have made various demands to Government in the resolutions adopted in their 10th Annual Conference held on the 22nd and 23rd February, 1974; and

(b) if so, the salient features thereof and the action taken thereon by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) The demands are as follows :—

(1) Recognition of Madhya Railway Karamchari Sangh.

(2) Bonus to Railwaymen.

(3) Autonomous Corporation for Railways.

(4) Reservation for Scheduled Castes & Scheduled Tribes staff and filling their quota in promotional grades.

(5) Stoppage of transfer of protected workers.

(6) Re-merger of Sholapur Division in Central Railway.

(7) Reclassification of Railwaymen following job evaluation carried out through the point rating system and regradation. Pending this, all Railwaymen including casual workmen be paid an interim increase in wages to bring their emoluments at par with those in Public/Private Undertakings like H.M.T., L.I.C. etc. D.A. to be paid on the basis of cent percent and point to point neutralisation of increased cost of living index for every increase of 4 points in the 6 monthly average.

(8) All democratic rights to Railwaymen should be granted. D. & A. rules be amended suitably in consonance of Clause No. 311 of Constitution of India and suspension from service should be treated as a major penalty.

(9) Repeal Essential Service Maintenance Act.

(10) Running Allowance to other staff working on Trains.

(11) Abolition of classes from Railway Service.

(12) Exemption of Railway employees from the Income-tax upto the limit of Rs. 10,000/- a year till the wages of the employees are linked with need based minimum wages and grant of rebate on all the invested amount for assessment of Income-tax.

(13) There should be 40 working hours a week and every Saturday and Sunday should be treated as weekly Offs. If staff is to be called on these days, they should be granted double monetary benefits.

(14) Opening of Railway grain-shops.

(15) Reservation of accommodation in the trains for staff on duty.

(16) A correct account should be maintained of the sums paid towards Railway employees insurance society, Gorakhpur, L.I.C., R.E.C.I., Calcutta.

(17) Change of present pattern of issue of P.F. Slips by opening Pass Books on the basis of banking transaction.

(18) Stoppage of wage cut for the period of agitation over food grains crisis on Nagpur Division.

Such issues are raised from time to time and are settled through discussions in the meeting of the Permanent Negotiating Machinery and the Joint Consultative Machinery at different levels with the recognised Federations. The demands enumerated above have been considered and such action as is feasible has been taken.

Directives to Officers in regard to Cases sent by Unrecognised Unions

9253. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have issued any directives to the Senior Railway Officers not to entertain and consider the cases sent by the office bearers of unrecognised unions; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mo'hd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) Representations received from unrecognised unions are given due consideration and such action as is feasible is taken.

Irrigation and Power Projects in Haryana

9254. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the names of irrigation and power projects being run by Government in Haryana at present.

(b) the number of projects which are under consideration of Government at present;

(c) the amount of financial assistance given by the Central Government to the State Government during the last two years and the amount of financial assistance sought by the State Government for the purpose; and

(d) the amount of financial assistance proposed to be given to the State Government under this head during the financial year 1974-75.

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) There is no Central irrigation or power project in Haryana.

(b) Six irrigation and two power projects proposed by the Government of Haryana are under examination.

(c) and (d) The Central assistance to States for the State Plans are given in the form of block loans and grants and are not related to any particular scheme, project or head of development. The Central assistance given to the Government of Haryana for their Annual Plans 1972-73 and 1973-74 was as under:—

1972-73	Rs. 16.46 crores
1973-74	Rs. 15.99 crores

In addition, special loan assistance amounting to Rs. 9.49 crores and Rs. 12.92 crores respectively was also given outside the Plan for certain irrigation projects during these years.

The Central assistance allocated to the Government of Haryana for their Annual Plan 1974-75 is Rs. 15.99 crores.

Over-bridges to be constructed in Maharashtra during 1974-75

9255. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of new over-bridges proposed to be constructed in Maharashtra during the financial year 1974-75;

(b) the number of over-bridges for the construction of which the State Government submitted proposals to the Central Government; and

(c) the expenditure proposed to be incurred by Government on the construction of new bridges and over-bridges in the State during the financial year 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Arrangement to provide Electric Lights on Platforms on Central Railway

9256. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of platforms at present on the Central Railway where arrangement for electric light does not exist ;

(b) the arrangement made to electrify the railway platforms there during the current financial year; and

(c) future plan of Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Platforms at 310 stations are not electrified on Central Railway.

(b) Platforms at 15 stations are expected to be electrified in 1974-75.

(c) As and when low tension power supply becomes available in the vicinity, electrification of other stations will be considered.

शैल इन्टरनेशनल पैट्रोलियम कम्पनी द्वारा महाद्वीपीय मग्नतट का सर्वेक्षण

9257. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैल इन्टरनेशनल पैट्रोलियम कम्पनी ने केरल के समीपवर्ती महाद्वीपीय मग्नतट का तेल की सम्भावनाओं के संबंध में भूकम्पीय सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को कोई ऐसी सूचना प्राप्त हुई है जिसमें केरल के उन दो स्थानों के नाम बताये गये हैं जहां तेल प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है या किये जाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) क्योंकि शैल इन्टरनेशनल कंपनी द्वारा जिन केन्द्रों पर कार्य किया गया था उनमें आपस में काफी दूरी थी इसलिए पैट्रोलियम की संभावनाओं का निर्णय करने तथा व्यधनयोग्य संरचनाओं की जानकारी करने हेतु अभी अतिरिक्त सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा मंगाये गये भूकम्पीय जहाज तथा उपकरणों की 1975 में प्राप्त होने तथा आयोग द्वारा तुलनात्मक श्रेष्ठताओं के आधार पर विभिन्न अपतटीय क्षेत्रों को दी जाने वाली प्राथमिकता का निर्णय कर लेने के बाद इस कार्य को 1975 में आयोग द्वारा आरम्भ किया जायेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) ट्रावनकौर में वरकाला तथा पुराने कोचीन राज्य में वैलांगी स्थानों पर खोज-बीन करने के बाद वहां पर पेट्रोलियम की संभावनायें नहीं पाई गई।

श्रीराम रैफ्रिजरेशन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा इलैक्ट्रानिक/न्यूमेटिक गेज बनाने के लिए नोटिस दिया जाना

9258. **श्री बरके जार्ज :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीराम रैफ्रीजेरेशन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली ने इलैक्ट्रानिक तथा न्यूमेटिक गेज बनाने का कार्य आरम्भ करने के बारे में नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि यह कम्पनी श्रीराम डी० सी० एम० ग्रुप की है जो एकाधिकार ग्रुप के रूप में सूचिवद्ध है; और

(ग) सरकार इस क्षेत्र में पहले से ही कार्य कर रहे लघु तथा मध्यस्तरीय उद्योगों के हितों की रक्षा करने के लिए इस क्षेत्र में बड़े औद्योगिक गृहों के औद्योगिक क्रियाकलापों को रोकने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) श्रीराम रेफ्रीजेरेशन इन्डस्ट्रीज लि० से इलैक्ट्रानिक व न्यूमेटिक गेजैज के निर्माणार्थ, एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 21 के अन्तर्गत एक नोटिस, 11-4-1974 को प्राप्त हुआ था। यह कम्पनी श्रीराम समूह की कम्पनियों से संबंधित है। यद्यपि इसका अभी तक एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत पंजीकरण नहीं हुआ है, तथापि यह उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण योग्य नहीं पाई गई है। तदनुसार कम्पनी को, 30-1-1974 को कथित

अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण कराने के लिए पूछते हुए, एक कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया है। कम्पनी ने कथित कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में, अभी तक पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है।

(ग) सूचना संग्रह की जा रही है वह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

कोचीन शोधनशाला में नैफ्था का जमा होना

9259. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड ट्रावनकोर द्वारा नेप्था में उठाये जाने के कारण इसका स्टाक कोचीन शोधनशाला में जमा हो रहा है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप उत्पादन की गति धीमी हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो शोधनशाला मे नेप्था उठाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि वहां पूरी क्षमता पर उत्पादन हो सके ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) से (ग) कतिपय अनुरक्षण और परिचालन कठिनाइयों के कारण फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि० ट्रावनकोर कोचीन मार्च-अप्रैल, 1974 के दौरान अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य नहीं कर रहा था इसलिए उसने उतना नेप्था नहीं उठाया जितना उन्हें उठाना चाहिए था। अतः नेप्था का शोधनशाला के भंडार टैंकों में संचय होता रहा परन्तु इस कारण से शोधनशाला में उत्पादन कम नहीं किया जा रहा है क्योंकि स्थिति में सुधार करने के लिए गैसोलीन का उत्पादन अधिकतम करना नेप्था का अशोधित तेल में प्रयोग, अन्य बन्दरगाहों पर तटीय माल भेजने और नेप्था का निर्यात, जैसे एसे सम्भव कदम उठाए जा रहे हैं।

Extension of Vaishali Express to Agra Fort

9260. **Shri Chandra Shailani** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to extend the Vaishali Express running between Siliguri and Kasganj Junction on the North Eastern Railway to Agra Fort station; and

(b) if so, when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No.

(b) Does not arise.

Increase in Prices of Mineral Oil by Foreign Oil Companies

9261. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether all the three foreign companies have decided to increase the price of mineral oil; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes, Sir.

(b) Foreign exchange is being released to these companies at the rates asked for by them so that there may not be any reduction in imports. The question of the extent upto which relief may be given of the increased price of crude oil, in the price of refined products produced by these companies, is under the consideration of Government.

Construction of Embankments by West Bengal Government on the Ganga River

9262. Shri Jagdish Narain Mandal : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Government of West Bengal are constructing about 100 kilometre long embankment in Maldah district across the Ganga River at Rajmahal town (Bihar) as a result of which flow of the Ganga river is obstructed during the rainy season and heavy erosion has created a serious situation in Rajmahal and its surrounding Diara areas; and

(b) if so, the action being taken by Government to ensure that the areas in Bihar are not put to difficulties ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) A 43 km long embankment of the left bank of the Ganga from the left afflux bund of the Farakka Barrage to the Kalindri Regulator has been constructed by the West Bengal Government last year. According to the State Government of Bihar, erosion on the right bank near Rajmahal and adjacent areas has been taking place for the last few years and started before the embankment was constructed. As such the erosion has not been attributed to the embankment.

भारतीय तेल निगम द्वारा नेशनल आयल कम्पनी, कलकत्ता को स्नेहक तेलों की सप्लाई

9263. **श्री समर गुह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम को हाल ही में नेशनल आयल कम्पनी, कलकत्ता को बड़ी मात्रा में मिनरल बेस तेल तथा अन्य स्नेहक उत्पादों की सप्लाई करने का निर्देश दिया गया है ;

(ख) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड, कलकत्ता और बम्बई ने पहले उक्त कम्पनी के बढ़े हुए कोटे की मांग को रद्द कर दिया क्योंकि उनकी मांग कभी भी वास्तविक नहीं होती; और

(ग) हाल ही की मंजूरी, कम्पनी को किस आधार पर दी गई है और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं। भारतीय तेल निगम को ऐसा कोई निदेश नहीं दिया गया है।

(ख) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अधिनियमों का हिन्दी रूपान्तर

9264. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर गाड़ी अधिनियम का प्राधिकृत हिन्दी रूपान्तर उपलब्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक उपलब्ध होगा; और

(ग) अन्य ऐसे अधिनियमों का ब्यौरा क्या है जिनके हिन्दी रूपान्तर अभी तैयार किये जा रहे हैं या तैयार किये जाने हैं या जिन्हें तैयार करने का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) अधिनियम के प्रामाणिक हिन्दी रूपान्तर के लगभग चार मास में राजपत्र में प्रकाशित कर दिये जाने की संभावना है।

(ग) 320 केन्द्रीय अधिनियमों के प्रामाणिक हिन्दी रूपान्तर उपलब्ध हैं। भारत संहिता के शेष 400 केन्द्रीय अधिनियमों में से 160 केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी अनुवादों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और अधिप्रमाणन तथा प्रकाशन हेतु प्रस्तुत किये जाने के लिए वे मुद्रण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। 25 केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी रूपान्तर तैयार किये जाने से संबंधित कार्य प्रगति पर हैं। 215 केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी रूपान्तर अभी तैयार किये जाने हैं।

कांगड़ा घाटी रेलवे पुनरेखांकन परियोजना पर पैदल ऊपरी पुल का निर्माण

9265. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कांगड़ा घाटी रेलवे पुनरेखांकन परियोजना पर प्वायंट चेंज संख्या 5850 जिसे पांग बांध बनाये जाने के कारण मोड़ दिया गया है, पैदल ऊपरी पुल बनाने के बारे में कांगड़ा जिले की पंचायतों से और संसद सदस्यों से अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) क्या इस परिवर्तन के कारण वहां तक पहुंचने वाले कुछ आम रास्ते बन्द कर दिये गये हैं जिससे उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : चैनेज 5850 पर एक पैदल-पथ लाइन के आरपार जाता है। चूंकि यहां कटाव की ऊंचाई 45 फुट है और स्थान की स्थिति बड़ी कठिन है इस लिए इस स्थान पर एक ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करना व्यवहारिक नहीं है। लेकिन चैनेज 5050 पर, जहां कटाव की ऊंचाई केवल 15 फुट है, एक ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था की जा रही है। यह स्थान चैनेज 5850 से केवल 800 फुट दूर है। चैनेज 5850 पर बने हुए पैदल-पथ को चैनेज 5050 वाले ऊपरी पैदल पुल के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है। चैनेज 5850 वाले पैदल-पथ का उपयोग करने वाले लोग बड़ी आसानी से चैनेज 5050 वाले ऊपरी पैदल पुल का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि पहाड़ी स्थानों में इतना सा चक्कर कोई असामान्य बात नहीं है।

अधिकारियों (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र स्वीकार न किये जाने के कारण स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के वेतनों से कटौती करना

9266. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिनसुकिया, बदरपुर, न्यू गौहाटी, अलीपुरद्वार जंकशन तथा मालदाह नगर में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अधिकारियों द्वारा रेलवे के स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के वेतनों से अंधाधुंध कटौतियां की जाती हैं;

(ख) क्या अलीपुरद्वार जंकशन के अतिरिक्त, उक्त अन्य सभी मामलों में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अधिकारियों ने गैर-सरकारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा रेलवे चिकित्सा प्रमाण-पत्र स्वीकार न करके रेलवे बोर्ड के स्थायी अनुदेशों का उल्लंघन किया है; और

(ग) यदि हां, तो स्थायी अनुदेशों की उपेक्षा करके इस प्रकार अवैध वेतन कटौती का आदेश देने वाले उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आल इन्डिया लोको रनिंग स्टाक एसोसियेशन पूर्वोत्तर रेलवे के ज्ञापन पर की गई कार्यवाही

9267. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन पूर्वोत्तर रेलवे की मांगों के सम्बन्ध में 20 नवम्बर, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएशन के प्रैसीडेंट श्री एम० एस० नरसिंघम ने दिनांक 16 अप्रैल, 1973 का एक ज्ञापन पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक को भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे के लिये विद्युत् केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव

9268. **श्री रानेन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के लिए तीन सीमित (कैप्टिव) विद्युत् केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) विचाराधीन प्रस्तावों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में एक एक अधीनस्थ बिजली घर बनाने का विचार है जो किफायती परिचालन हेतु बिजली बोर्डों की ग्रिड प्रणाली से परस्पर सम्बद्ध होगा ताकि बिजली कर्षण और रेलवे की अन्य महत्वपूर्ण संस्थापनाओं के लिए बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, रेलवे के कल्याण (चोला) के वर्तमान बिजली घर के विस्तार का भी प्रस्ताव है। इस समय व्यावहारिकता—अध्ययन किये जा रहे हैं।

सिंदरी उर्वरक कारखाने में सी० आई० एस० एफ० के एक ए० एस० आई० की गिरफ्तारी

9269. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** :

श्री राम भगत पासवान : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी उर्वरक कारखाने में सी० आई० एस० एफ० के एक ए० एस० आई० को गिरफ्तार किया गया था; और

27 LSS/74—5.

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जी हां। सिन्द्री उर्वरक कारखाने में कार्य पर लगे सी आई एस एफ के दो ए एम आई को सिन्द्री यूनिट के 5 कर्मचारियों के साथ 2 फरवरी 1974 को स्क्रेप कापर शैल में चोरी के सम्बन्ध में क्षेत्रीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। पुलिस इस मामले पर आगे कार्यवाही कर रही है।

लालरू से सहारनपुर तक (उत्तर रेलवे) बुक किये गये सामान टिकटों पर न्यून-शुल्क की वसूली

9270. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 जनवरी, 1974 को लालरू से सहारनपुर (उत्तर रेलवे) बुक किये गये सामान **टिकट संख्या** 855920, 855917 **और** 855918 पर न्यून-शुल्क के रूप में 13.60 रुपये की राशि **वसूल की गयी थी :**

(ख) यदि हां, तो क्या और जांच करने पर पर्यवेक्षक कर्मचारियों के कहने पर उन्हीं सामान की टिकटों पर 16.50 रुपये की और राशि वसूल की गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) अवप्रभार के लिए जिम्मेदार पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाही की जा रही है। इस आशय की हिदायतें जारी की गई हैं कि अवप्रभार की घटनाओं की रोकथाम के लिए सहारनपुर में बारम्बार जांच की जाये।

मैसर्स मे एण्ड बेकर द्वारा कतिपय मदों का उत्पादन

9271. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स मे एण्ड बेकर लिमिटेड की 'फ्लेजील' गोलियों की लायसेंस प्राप्त क्षमता कितनी है;

(ख) क्या यह कम्पनी लायसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस कंपनी ने प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में 'फ्लेजील' का उत्पादन किया;

(घ) क्या भारतीय फर्में भी "मेटारानीटेजोल" का उत्पादन कर रही है और मैसर्स मे एण्ड वेकर द्वारा लिये जा रहे मूल्यों की तुलना में उनके मूल्य कितने न्यूनाधिक हैं; और

(ङ) इस कम्पनी ने गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष विदेशों को कितनी राशि का प्रत्यावर्तन किया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) तथा (ङ) विवरण पत्र-1 जिसमें फ्लेगाइल टेवलेट्स के लिए मैसर्स मे एण्ड वेकर लि० की लाइसेंसयुक्त क्षमता, उनके उत्पादन तथा 1971 एवं 1972 के दौरान बाहर भेजे गये धन का उल्लेख किया गया है, संलग्न

है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6928/74] वर्ष 1973 के उत्पादन एवं बाहर भेजे गये धन के संबंध में आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

(घ) संगठित क्षेत्र का कोई और यूनिट प्रचुर मेट्रोनिडेजोल का उत्पादन नहीं कर रहा है। मेट्रोनिडेजोल टेबलेट्स का अन्य यूनिटों द्वारा भी उत्पादन किया जाता है और मे एण्ड बेकर की तुलना में उन के लिए अनुमोदित किये गये मूल्यों का उल्लेख विवरण पत्र-II में किया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6928/74]

सियालदह डिवीजन में एस० जी०, 11 अप गाड़ी का रोका जाना

9272. **श्री भोला मांझी :**

श्री रामवतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 अप्रैल, 1973 को एस० जी० 11 अप गाड़ी को सियालदह डिवीजन, पूर्व रेलवे के कालीघाट स्टेशन के सिगनल पर रोक लेना पड़ा था क्योंकि एक स्थान जहां से इस गाड़ी ने गुजरना था वह खराब हो गया था;

(ख) क्या इस गाड़ी में यात्रा कर रहे सियालदह, पूर्व रेलवे के डिवीजनल सिगनल तथा दूर संचार इंजीनियर ने यात्री लोगों को सहायक स्टेशन मास्टर के विरुद्ध आन्दोलन करने को भड़काया तथा लोगों का इसमें नेतृत्व भी किया था; और

(ग) क्या सहायक स्टेशन मास्टर ने इस की रिपोर्ट की थी और यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एस० जी० 11 अप को 19-4-1973 को कालिघाट स्टेशन के अप स्टार्टर सिगनल के पास कांटे की खराबी के कारण नहीं बल्कि रंगीन रोशनी वाले सिगनलों की खराबी के कारण रोका गया था।

(ख) मण्डल सिगनल और दूर संचार इंजीनियर, सियालदह उक्त गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। ड्यूटी पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर के विरुद्ध यात्री जनता को भड़काने में उनका कोई हाथ नहीं था ;

(ग) इस मामले के ब्यौरे की जांच और आवश्यक पूछताछ कर लेने के बाद सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा एक रिपोर्ट भेजी गई थी जिसे फाइल कर दिया गया है ;

Writ Petitions filed against the Appointment of Shri A. N. Ray as Chief Justice of Supreme Court

9273. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of Law, Justice and Company Affairs be pleased to state :

(a) the names of the persons who filed writ petitions in the Delhi High Court against the appointment of Mr. A. N. Ray as the Chief Justice of India or took any other action and the result thereof; and

(b) the counsels engaged by Law Department to appear on behalf of the respondents and the expenditure Government incurred on this account ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H.R. Gokhale) : (a) The writ petitions were filed by Shri Jitendra Mohan Gupta, Shri P.L. Lakhanpal, Shri Dharam Singh Rathi and Shri Daljit Kumar Tandon. All the petitions were dismissed by the Delhi High Court.

(b) The Attorney General of India, the Solicitor General of India, the Additional Solicitor General of India and Shri S.S. Chadha, Central Government Standing Counsel appeared on behalf of the respondents and an expenditure of Rs. 36,345/- was incurred on this account.

Meeting of a Delegation with Railway Minister on 27th March, 1974

9274. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether a delegation comprising of the Secretary General of the All India Trade Union Congress and President of the Indian Railway Workers' Federation, Shri S.A. Dange and the Chairman of its Executive Committee, Shrimati Parvathi Krishnan, M.P., met him on the 27th March last;

(b) if so, whether they hold any talks with him or handed over to him any proposal or memorandum; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) and (c) The main points raised in the memorandum are :

1. Recognition of the newly formed Indian Railway Workers' Federation;
2. Hold talks with the representatives of staff on the demands of Railwaymen which were listed by a Convention of Railwaymen which met on 27-2-1974.

As regards item (1) above, in a meeting held on 4-2-74, which was attended by office-bearers of the two recognised Federations on Railways, as also representatives of 4 Central Trade Union organisations etc., a general concensus emerged that, in order to have purposeful negotiations and settlement between labour and Administration, there should be only one union which should be broad-based and popular enough to represent all crafts and categories of Railway workers. In this context it is not considered to be opportune to consider recognition of yet another Federation.

Regarding item (2), talks have been held and Government's reactions to the various demands are contained in the statment made in Lok Sabha on 2nd May, 1974 by the Minister for Railways.

जीवन रक्षक औषधियों तथा रसायनों की कमी

9275. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जीवन रक्षक औषधियों तथा रसायनों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने में उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं, और

(ग) उन्हें आम आदमी को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिये उनके मंत्रालय का क्या उपाय करने का विचार है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : जी नहीं। समय समय पर राज्य औषध नियंत्रकों से कुछ मूल औषधों, जिनके लिये अन्य उत्पादकों से इस प्रकार की औषधें भी सामान्य रूप में उपलब्ध होती हैं की कमी के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार की सूचना के उपलब्ध होने पर, उत्पादक यूनिटों के साथ सम्पर्क किया जाता है तथा प्रभावित क्षेत्रों में इस प्रकार के औषधों की सप्लाई को जारी रखने को सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। उत्पादक यूनिटों को जहां कहीं सहायता की आश्यकता होती है उनके उत्पादन को प्रारम्भ करने में सरकार द्वारा उन्हें सहायता भी दी जाती है।

(ग) 8-2-74 के संकल्प के माध्यम से सरकार ने औषध एवं भेषज उद्योग पर एक समिति का गठन किया है जिसके अध्यक्ष श्री जयसुखलाल हाथी हैं। अन्य बातों के साथ साथ शर्तों में निम्न बातें सम्मिलित हैं :—

(vi) उपभोक्ता के लिये औषधों के मूल्य को कम करने के लिये अभी तक किये गये उपायों की जांच करना तथा मूल औषधों तथा सूत्ररोगों के मूल्यों में जहां आवश्यक हो सुधार करने हेतु ऐसे अन्य उपायों की सिफारिश करना।

(vii) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम जनता को आवश्यक औषधों एवं घरेलू औषधों की व्यवस्था करने के लिये उपायों की सिफारिश करना।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के लिये अन्तः निगम निवेश

9276. **श्री मधु दंडवते** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार तथा उद्योग मण्डल ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को गति देने के लिये अन्तः निगम निवेश सम्बन्धी नीति की पुनरीक्षा करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 के अन्तर्गत प्राप्त, अन्तः निगम निवेशों के लिये आवेदन-पत्रों पर विचार करते समय, नियोजनकर्त्ता कम्पनी के रोक प्रसाधनों की पर्याप्तता, नियोजित कम्पनी की वित्तीय स्थिति, तथा इन नियोजनों से संबंधित कम्पनियों के आर्थिक कार्य कलापों व उत्पादन के सुधार, सहित उनके हितों के लिये सहायक परिस्थितियां किस सीमा तक उत्पन्न होने की संभावना है, को ध्यान में रखा जाता है। अन्तः कम्पनी निवेशों की उस स्थिति में स्वीकृति नहीं दी जाती, जहां उनके परिकल्पों अथवा अवास्तविक उद्देश्यों से युक्त होने के संदेह हों।

एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कास्टिक सोडे के निर्माण के लिये एक नए उपक्रम की स्थापना

9277. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड ने डूढ़ी जिला मिर्जापुर में कास्टिक सोडे के निर्माण के लिये एक नये उपक्रम की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव पेश किए हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैसर्स हिन्दुस्तान एल्युमिनियम निगम लिमिटेड बम्बई ने उत्तर प्रदेश राज्य के डूढ़ी स्थान में कास्टिक सोडा के प्रतिवर्ष 26,000

मीटरी टन के उत्पादन हेतु नये संयंत्र की स्थापना के लिये जून, 1971 में आवेदन पत्र दिया था। आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है।

बम्बई हाई में विदेशी शक्तियों द्वारा तेल के लिये छिद्रण कार्य

9278. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी शक्तियों को बम्बई हाई में तेल के लिये छिद्रणकार्य करने पर रोक लगी हुई है; और

(ख) क्या सागरतल विवाद का इस देश के साथ कोई तुरन्त सम्बन्ध है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां। (ख) जी नहीं।

भारतीय तेल निगम कर्मचारी संघ की पूर्वी शाखा द्वारा आन्दोलन

9279. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम कर्मचारी संघ की पूर्वी शाखा ने 25 अप्रैल, 1974 से भुवनेश्वर, गोहाटी, सिलिगुडी तथा कलकत्ता में रिले भूख हड़ताल शुरू की थी;

(ख) क्या इस संघ ने इस निगम द्वारा ड्रमों में तेल के स्थान पर पानी भरने, भ्रष्टाचार, अत्यधिक समयोपरि अदायगियों आदि की जांच करने के लिये एक उच्चस्तरीय जांच आयोग की मांग की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिय है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन आयल इम्प्लाइज यूनियन समय समय पर अनेक मांगें प्रस्तुत करती रही है तथा पूर्वी ब्रांच में चल रही अनियमितता, भ्रष्टाचार और अन्य अनाचार के मामलों के बारे में भी सूचना देती रही है, ड्रमों में तेल के स्थान पर पनी होने तथा ओवरटाइग के भुगतान आदि के मामलों के बारे में भी यूनियम द्वारा सूचना दी गई थी। इसने प्रबन्ध द्वारा किये गये व्यापक भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये एक जांच आयोग स्थापित करने के लिये मांग की थी। 25 मार्च से जो धीरे काम करो आन्दोलन आरम्भ किया गया था। और भूख हड़ताल की गई थी वे किसी विशेष मांग के लिये नहीं अपितु समस्त निलंबित मांगों का फैसला कराने हेतु सामान्य रूप से किये गये थे।

(ग) यूनियन द्वारा बताये गये ऐसे सब मामलों की भारतीय तेल निगम द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है तथा दोषनिवारक कार्यवाही भी की जा रही है। 2 अप्रैल, 1974 से यूनियन द्वारा आन्दोलन भी बन्द कर दिया गया था।

मुकदमा संख्या 53/71 में भागलपुर के प्रथम अतिरिक्त जिला जज के निर्णय पर सरकार की प्रतिक्रिया

9280. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर के प्रथम अतिरिक्त जिला जज, श्री रमेश पाठक ने मुकदमा संख्या 53/71 में अपना यह निर्णय दिया है कि बीहपुर के रेलवे डाक्टर की शव परीक्षा रिपोर्ट और साक्ष्य निन्द्य है और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) रेलवे डाक्टर ने घायल व्यक्ति का केवल प्राथमिक उपचार किया था। उसने शव परीक्षा नहीं की थी। तथ्य यह है कि जब घायल जीवित ही था, रेलवे डाक्टर ने उसे आगे और उपचार के लिये भागलपुर के सिविल अस्पताल में दिखाने को लिखा था।

इस सम्बन्ध में और सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय तेल कर्मचारी संघ द्वारा भारतीय तेल निगम के अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप

9281. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम कर्मचारी संघ पूर्वी शाखा ने भारतीय तेल निगम में मार्किटिंग डिविजन के विरुद्ध ठेकेदारों द्वारा परिवहन कार्यों, गोदामों तथा क्रय उत्पादों की चोरी तथा तेल की जगह पानी की सप्लाई करने सम्बन्धी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये हैं;

(ख) क्या संघ ने यह भी आरोप लगाया है कि इसके लिये उत्तरदायी कुछ अधिकारी मंत्रियों तथा/अथवा आई०सी०एस० अधिकारियों के पुत्र/सम्बन्धी हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन तथा अन्य आरोपों का एक जांच आयोग द्वारा कोई जांच कराई जायेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) भारतीय तेल निगम कर्मचारी संघ पूर्वी शाखा के कार्यकरण में अनियमितताओं, भ्रष्टाचार तथा अन्य कदाचारी के बारे में सूचित करती रही है। इसने प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनियंत्रित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये एक आयोग की स्थापना के बारे में भी कहा था। समय समय पर संघ द्वारा लगाये गये आरोपों की भारतीय तेल निगम द्वारा जांच की गई है तथा आवश्यकतानुसार सुधार सम्बन्धी कार्य किये गये।

भारतीय तेल निगम का अध्यक्ष के बिना कार्य करना

9282. **श्री भान सिंह भौरा :**

श्री अनादि चरण दास :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम बिना अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक निदेशक अथवा वित्तीय निदेशक के कार्य कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) चैयरमैन की नियुक्ति के बारे में आदेश जारी कर दिये गये हैं। प्रबन्धक निर्देशक तथा वित्त निर्देशक के पदों को भरने के सम्बन्धों में आवश्यक प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

लोकटक परियोजना स्थल पर पुलों का निर्माण

9283. **श्री एन० टोम्बो सिंह :** क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नहर के ऊपर राज्य राजमार्ग पर मुख्य पुल के निर्माण के दौरान वैकल्पिक मोड़/पुल की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता के कारण

लोकटक परियोजना स्थल पर इम्फाल-तिदिम मार्ग पर सभी प्रकार के यातायात के लिये गंभीर बाधा उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्षा ऋतु से पूर्व इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को इन कठिनाइयों के उत्पन्न हो जाने का पहले से भय था;

(घ) यदि हां, तो पहले से ही किन उपचारात्मक उपायों पर विचार किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ) लोकतक जल विद्युत परियोजना स्थल पर इम्फाल-तिदिम सड़क पर मुख्य पुल के निर्माण काल में हल्की तथा भारी गाड़ियों के लिये दो पृथक-पृथक व्यपवर्तनों की व्यवस्था की गई थी। इन व्यपवर्तनों को बिल्कुल सही हालत में रखा गया है ताकि इस सड़क पर यातायात निर्बाध रूप से चलता रहे।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा धारित शेयर

9284. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के अनेक प्राइवेट फर्मों तथा परिसीमित कम्पनियों में शेयर हैं;

(ख) यदि हां, तो उन न्यायाधीशों के ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) उन न्यायाधीशों की पृथक-पृथक कितनी संख्या है जिन्होंने अपनी पदावधि के दौरान शेयर प्राप्त किये तथा जिन्होंने बैंच में शामिल होने से पूर्व शेयर प्राप्त किये?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) न्यायाधीशों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे सरकार के समक्ष अपनी आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करें। अतः सरकार के पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

कोयाली तेल शोधक कारखाने में अवशिष्ट ईंधन का उत्पादन

9285. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयाली तेल शोधक कारखाने ने अवशिष्ट ईंधन के उत्पादन का स्तर अप्रेल के लिये 63,000 टन बनाये रखा था परन्तु बाद में इसके उत्पाद-मिश्र पद्धति के अन्तर्गत इसमें 9,000 टन की कमी कर दी गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस पद्धति को स्वीकृती दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) अप्रैल, 1974 के लिये मूलतः आयोजित उत्पादन एवं एल०एस०एच०एस० के लिये भाग क्रमशः 63,390 तथा 63,000 मी० टन थी। तदनन्तर, निम्नलिखित कारणों से उत्पादन एवं भाग में क्रमशः 58,400 मी० टन तथा 54,000 मी० टन तक संशोधित किया गया :—

(i) एच०एस०डी० विशिष्टताओं में रियायत,

(ii) मार्च, 1974 में एल० एच० एच० एच० में उच्चतम प्रेषण,

(iii) अप्रैल में अनक्लेश्वर अशोधित तेल में कम सप्लाई।

इस उत्पाद के लिये बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये सरकार के अनुमोदन के साथ विशिष्टताओं में रियायत दी गई अर्थात् कोयली शोधनशाला पर एच०एस०डी० के बहाव बिन्दु पर वृद्धि की गई। बहाव बिन्दु पर एच० एस० डी० में वृद्धि के परिणामस्वरूप इसके उत्पादन में वृद्धि तथा एल०एच० एच०एस० का उत्पादन कम होता है।

डन्कन ब्रादर्स लिमिटेड द्वारा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया में संबद्ध होना

9286. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्य **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डन्कन ब्रादर्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल के वर्तमान सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) कम्पनी के मुख्य हिस्सेदार कौन कौन है और उनमें से प्रत्येक के पास कितने शेयर हैं;

(ग) इस समय कम्पनी का मुख्य व्यवसाय क्या है तथा उसकी कुल प्रदत्त पूंजी कितनी है;

(घ) क्या इस कम्पनी पर एकाधिकार और निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया आयोग ने निर्बन्धनकारी व्यापार करने का आरोप लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो कम्पनी के विरुद्ध किस प्रकार के आरोप हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) और (ख) मैसर्स डन्कन ब्रादर्स एंड कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल का संयोजक तथा प्रधान शेयरधारियों के विवरण के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी जाती है।

(ग) कम्पनी के व्यापार की मुख्य भूमिका व्यापार एवं निवेश है। 31-12-72 तक कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी एवं कुल परिसम्पत्ति क्रमशः 2.01 करोड़ रुपये और 5.15 करोड़ रुपये है।

(घ) नहीं, श्रीमान् जी।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

(क) 1-9-1973 तक डन्कन ब्रादर्स एण्ड कम्पनी लि० के निदेशक मंडल का संयोजन निम्न प्रकार है :—

1. श्री केशव प्रसाद गोयन्का
2. श्री राम प्रसाद गोयन्का
3. श्री धर्मवीर

4. श्री बीरेन्द्र प्रसाद राय
5. श्री गोपेन्द्र कृष्ण मित्तर
6 श्री जशवन्त पीताम्बरदास ठाकुर
7. श्री शशी कुमार मिश्रा

(ख) 25-6-73 तक बनाई गई वार्षिक विवरणी के अनुसार कम्पनी के मुख्य शेयरधारियों में से प्रत्येक के द्वारा धारित शेयरों की संख्या और उनका मूल्य नीचे दिया जाता है:—

प्रमुख शेयरधारियों के नाम	सामान्य शेयरों की संख्या
1. वाल्टर डन्कन एंड गुडरीक लि० लन्दन	20340
2. बैंक ग्राफ बड़ौदा . .	18060
3. जयपुर इनवैस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड	11631
4. लन्दन एंड लंकाशायर कम्पनी लि०. . .	10043
5. एस० जी० इंजीनियरिंग एंड इन्डस्ट्रीज लि० .	7110
6. स्टेट बैंक ग्राफ इडिया . .	6098
7. दि० कोरला स्पिनिंग एंड वीविंग कम्पनी लि० .	4840
8. दि रायल इन्शोरेंस कम्पनी लि० . .	4477
9. दि० बैंक ग्राफ इण्डिया . .	3380
10. दि मरकेन्टाइल बैंक (एजेन्सी) प्रा० लि० . .	3199
11. ग्रसम डूग्रर्स टी कम्पनी लि० लन्दन . . .	2904
12. ह्रोप टी कम्पनी लि० लन्दन	2904
13. लाइफ इन्शोरेंस कारपोरेशन ग्राफ इण्डिया . . .	2366
14. श्री जगदीश प्रसाद गोयन्का	1778
15. दि ग्रलीनगर टी कम्पनी लि० लन्दन	1452
16. लन्कापारा टी कम्पनी लि० लन्दन	1452
17. दि लीफ लीश रिवर टी कम्पनी लि० लन्दन	1452
18. दि मीनग्लाख टी कम्पनी लि० लन्दन	1408
19. श्री गौरी प्रसाद गोयन्का	1261
20. श्री रामप्रसाद गोयन्का	1023

प्रत्येक शेयर का मूल्य 100 रु० मात्र है।

भूतपूर्व बैंकिंग कम्पनियों के भागीदारों तथा अन्य व्यक्तियों को दी गई क्षतिपूर्ति की राशि का निदेशकों द्वारा दुरुपयोग

9287. **श्री लुत्फल हक :**
श्री एस० एन० सिंह देव :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व बैंकिंग कम्पनियों के भागीदारों और अन्य व्यक्तियों को दी गई क्षतिपूर्ति की रकम का निदेशकों द्वारा दुरुपयोग किये जाने के बारे में सरकार को अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं: यदि

हां, तो इस सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार द्वारा इस बारे में अद्यतन क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(ख) प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को क्षतिपूर्ति की कितनी राशि दी गई और प्रत्येक से राष्ट्रीयकरण द्वारा अधिकार में ली गई आस्तियों का मूल्य कितना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) कुछ शिकायतें चार बैंकों द्वारा प्राप्त प्रतिकर राशि के शेयरधारियों में वितरण न करने और कम्पनियों से संबंधित प्रबन्धों द्वारा इन राशियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुये प्राप्त हुई हैं। चार बैंकों नामशः—(1) इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड (2) बैंक आफ बड़ौदा (3) देना बैंक लिमिटेड और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड की लेखा बहियों के निरीक्षण, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(4) के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करने के लिये सम्पन्न किये जा रहे हैं कि प्रतिकर राशि का किस प्रकार प्रयोग किया गया है। तथ्यों के आधार अधिदेश द्वारा कार्यवाही जो कथित निरीक्षण सम्मिलित है, की जायेगी।

(ख) बैंकिंग कम्पनी उपक्रमों के अधिग्रहण और (स्थानान्तरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत निश्चित प्रतिकर की राशि संलग्न विवरण पत्र में दी जाती है। अधिग्रहण की तिथि पर राष्ट्रीयकरण के माध्यम से ली गई परिसम्पत्तियों का मूल्य इस कारण प्राप्त नहीं है कि अधिग्रहण की तिथि और बैंकिंग कम्पनियों को वित्तीय वर्षों के बन्द होने की तिथियां भिन्न हैं।

विवरण

क्रम संख्या	प्रश्न का भाग (क) बैंकिंग कम्पनियों के नाम	प्रश्न का भाग (ख) बैंकिंग कम्पनी-उपक्रमों के (अधिग्रहन और स्थानातरण) अधिनियम, 1970 (करोड़ रुपयों में)
1.	बैंक आफ इण्डिया	14.70
2.	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया लिमिटेड	17.50
3.	बैंक आफ महाराष्ट्र लिमिटेड	2.30
4.	यूनियन बैंक आफ इंडिया लि०	3.10
5.	देना बैंक लिमिटड	3.60
6.	बैंक आफ बड़ौदा	8.40
7.	इंडियन बैंक लिमिटेड	2.30
8.	इंडियन ओवरसीज बैंक लि०	2.50
9.	कनारा बैंक लिमिटेड	3.60
10.	सिण्डीकेट बैंक लिमिटेड	3.60
11.	इलाहाबाद बैंक लिमिटेड	3.10
12.	यूनाइटड कमर्शियल बैक लि०	8.30
13.	यूनाइटड बैंक आफ इण्डिया	4.20
14.	पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड	10.20

जेनेवा में विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रों की बैठक

9288. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तेल के बढ़े हुये मूल्यों से हानिग्रस्त हुये विकासशील देशों को सस्ते ऋण दिये जाने के प्रश्न पर निर्णय करने के लिये 7 अप्रैल, 1974 को जनेवा में विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर हमारे देश के हित में उस बैठक का क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्व के मुख्य तेल उत्पादक देशों की जेनेवा मीटिंग ने विकासशील देशों के सहायतार्थ एक निधि की स्थापना की आवश्यकता को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया था। लेकिन इस मीटिंग में इस बारे में किसी विशिष्ट निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका।

दिल्ली में प्लास्टिक ढालने वालों को कच्चे माल की सप्लाई न मिलने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिक

9289. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राजधानी में प्लास्टिक ढालने के उद्योग में कच्चे माल की सप्लाई न मिलने के कारण 1000 से अधिक श्रमिक गत एक महीने से बेरोजगार है;

(ख) क्या कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा करने तथा मूल्यों में वृद्धि करने के लिये जानबूझ कर कच्चे माल की सप्लाई रोकी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग को कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) इस बारे में इस मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

प्लास्टिक प्रक्रिया उद्योग मुख्यतः लघु क्षत्र में हैं। न्यून स्तर पर आयात करने तथा देशीय उत्पादन का मांग से कम बने रहने के कारण, प्लास्टिक प्रक्रिया एकक प्लास्टिक रेजिन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। विश्व बाजार में प्लास्टिक रेजिनस की कमी तथा उनके ऊंच मूल्यों के कारण परिस्थिति और भी खराब हो गई है।

देशीय उत्पादन को बढ़ाने तथा आयात को संभव सीमा तक कर सकने की दिशा में, प्रयत्न जारी हैं।

ईंधन पर आधारित तापीय बिजली घरों (बरौनी) के बायलरों में सुधार करना

9290. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनेक स्थानों पर ईंधन पर आधारित तापीय बिजली घरों (बरौनी) में बायलरों में सुधार करने और उन्हें कोयले से चलाने हेतु उपयुक्त बनाने और उनके लिये कोयले और राख को लाने ले जाने की अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। बरौनी में विद्युत स्टेशन के यूनिटों सहित, निम्नलिखित यूनिटों को कोयला से चलने वाले यूनिटों में बदलने का प्रस्ताव है :

विद्युत केन्द्र का नाम	यूनिटों की प्रतिष्ठापित क्षमता जिन्हें बदला जाना है।	
	मैगावाट	मेगावाट
बरौनी (बिहार)	2× 15 2× 50	130
अहमदाबाद (गुजरात)	4× 15 2× 30	120
ट्राम्बे (महाराष्ट्र) . .	2× 62.5	125
धुवरन (गुजरात)	46× 3.5	254

(ख) प्रत्येक मामले में परिवर्तन की कुछ समय पहले अनुमानित लागत नीचे दी जाती है:—

1. बरौनी	.	170 लाख रुपये
2. अहमदाबाद	.	85 लाख रुपये
3. ट्राम्बे	.	350-380 लाख रुपये
4. धुवरन	.	थोड़ा होने की संभावना है

बरौनी और धुवरन विद्युत केन्द्रों पर परिवर्तन के लिये अपेक्षित धन की व्यवस्था राज्य योजना के लिये आबंटित राशि से करनी होगी। जहां तक अहमदाबाद और ट्राम्बे विद्युत केन्द्रों का सम्बन्ध है, इससे संबंधित व्यय लाइसेंसधारी उपक्रम, जो कि विद्युत केन्द्रों के मालिक हैं, वहन कर रहे हैं।

तेल की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में विश्व बैंक के अनुमानों में संशोधन

9291. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने चालू वर्षों के लिय भारत की तेल की आवश्यकता के बारे में अपने पूर्व अनुमानों में वृद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) विश्व अर्थ व्यवस्था पर तेल के बढ़ते हुये मूल्यों के प्रभाव पर विश्व बैंक ने एक सर्वेक्षण तैयार किया था। जब जनवरी, 1974 में तेल के मूल्यों में वृद्धि हुई, सर्वेक्षण में संशोधन किया गया। सर्वेक्षण ने विशिष्ट रूप में भारत की समस्याओं के बारे में उल्लेख नहीं किया है।

10 करोड़ रुपये से अधिक की आस्तियों वाले औद्योगिक गृह तथा व्यक्तिगत फर्में

9292. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हमारे देश में ऐसे कितने औद्योगिक गृह एवं निजी फर्में हैं जिन की आस्तियां 10 करोड़ रुपये से अधिक हैं; और

(ख) उन के नाम क्या हैं और वर्ष 1971-72, 1973-74, 1972-73 में उनकी आस्तियां तथा लाभ अथवा हानि क्या रही ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) फरवरी, 1973 में घोषित संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति के अनुसार एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रम, अर्थात् जो :—

(1) उपक्रम, जिनके पास स्वयं अथवा अपने अन्तःसंबंधित उपक्रमों सहित 20 करोड़ रुपयों से कम नहीं, की परिसंपत्तियां हों, जिससे की धारा 20(क) के उपबन्धों को आर्कषित करते हों, अथवा :

(2) वे प्रमुख उपक्रम, जिनके पास स्वयं अथवा अपने अन्तःसम्बन्धित उपक्रमों सहित 1 करोड़ रुपयों से कम नहीं की परिसंपत्तियों हों, जिससे वे धारा 20(ख) के उपबन्धों को आर्कषित करते हों,

बृहद औद्योगिक घराने समझे जाते हैं।

बृहद औद्योगिक घरानों की पहचान के लिये वर्तमान में कोई अन्य मापदण्ड लागू नहीं है। एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत 30-11-1973 तक पंजीकृत सभी उपक्रमों के नाम युक्त एक विवरण पत्र दिनांक 11-12-1973 को उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4304 के उत्तर में, हाल ही में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

(ख) एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम में, इसकी धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों के लिये, अपनी परिसम्पत्तियों के मूल्य, एवं लाभ अथवा हानि की बाबत, वर्ष प्रति वर्ष सूचना देना अपेक्षित नहीं है।

कर्नाटक राज्य द्वारा काली तथा अन्य परियोजनाओं की पूर्ति के लिए मांगी गई सहायता

9293. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री के० मलन्ना :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार की ओर से काली तथा अन्य परियोजनाओं की पूर्ति के लिए जिसमें राज्य को पांचवीं योजना में अपेक्षित 1000 करोड़ रुपये से अतिरिक्त 250 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, और अधिक निधि देने की आवश्यकता के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कर्नाटक विद्युत् निगम लिमिटेड (कर्नाटक सरकार का संस्थान) से केवल काली नदी जल विद्युत् परियोजना के लिए ही वित्तीय सहायता हेतु एक अनुरोध प्राप्त हुआ और इस पर विचार किया जा रहा है ।

कुक्कुटपालन के 'मोरेक्स रोग' के लिये टीके की दवा के आयात के लिये मैसर्स होचेस्ट फार्मेस्यूटीकल्स लिमि॰ को आयात लाइसेंस

9294. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स होचस्ट फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड को, कुक्कुट पालन के 'मोरेक्स रोग' के लिये टीके की दवा के आयात के लिये हाल ही में एक आयात लाइसेंस दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं और उस के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डी० डी० टी० (टक) और बी० एच० सी० (टक) के उत्पादन में कमी

9295. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान डी० डी० टी० (टक) और बी० एच० सी० (टक) के उत्पादन में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) कमी कितने प्रतिशत हुई ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं । उत्पादन में उत्तरोतर वृद्धि हुई जैसा कि निम्न-लिखित आंकड़ों से भी देखा जा सकता है :—

मद	उत्पादन (मी० टनों में)	
	1972	1973
बी० एच० सी०	17,330	20,380
डी० डी० टी०	3,849	3,916

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश मे रेलो के विस्तार का कार्य

9296. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी दो वर्षों में मध्य प्रदेश में रेलों के विस्तार कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) नयी रेलवे लाइनों के निर्माण और वर्तमान लाइनों के विस्तार के कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जारी हैं :—

1. नयी लाइनें

गुना–मक्सी (नयी बड़ी लाइन)

(1) मध्य प्रदेश में गुना और मक्सी के बीच 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 193 कि० मी० लंबी बड़ी लाइन का निर्माण जारी है। इस लाईन का 132 कि० मी० लंबा भाग पूरा हो चुका है। और यह आशा की जाती है कि यह लाइन 1975-76 में पूरी हो जायगी।

2. दोहरी लाइन बिछाना

परियोजना का नाम	लम्बाई (कि० मी० में)	लागत (लाख रुपये में)	निर्धारित तारीख
1. रायरु सांक	15.76	108.63	मार्च, 1975
2. सोनागर-डाबरा . . .	18.93	161.74	जून, 1975
3. बीना-कटनी खंड शेष इकहरी लाइन खंड . . .	86.74	86.74	1976-77 तक पूरी हो जाने की आशा है बशर्ते कि धन और रेलपथ समान उपलब्ध हो।

3. लाइन छमता के बड़े काम

काम का विवरण	लागत लाख रुपयों में	निर्धारित तारीख
(i) इटारसी यार्ड अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था .	101.01	निश्चित नहीं
(ii) बीना-बीना-झाँसी मेन लाइन से बीना-कोटा और बीना झाँसी लाइनों को फ्लाई ओवर की व्यवस्था	103.11	निश्चत नहीं
(iii) बचेली-लौह अयस्क की ढुलाई के लिए रेलवे सुविधाओं की व्यवस्था	415.05 (रेलव का भाग) 164.19 (निक्षप)	मार्च, 75

4. विद्युतीकरण

वाल्तेरु-किरंदुल रेल विद्युतीकरण योजना के एक भाग के रूप में किरंदुल-अवागुडा खंड के विद्युतीकरण का काम प्रगति पर है और 1976-77 में पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्ताव विचाराधीन हैं :—

नई लाइनें/बदलाव

1. **दल्ली–राजहरा से दांतेवाड़ा/जगदलपुर**

दल्ली-राजहरा-जगदलपुर के लिए एक अन्तिम मार्ग निर्धारण और यातायात सर्वेक्षण जारी है जो मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के उपयोग में आयगा। जब सर्वेक्षण पूरा हो जायगा और उसके परिणाम मालूम हो जायेंगे उसके बाद ही कोई विनिश्चय किया जायेगा।

2. **रीवा के रास्ते सतना से ब्योहारी तक (नयी बड़ी लाइन)** रीवा के रास्ते सतना से ब्योहारी तक एक नयी बड़ी लाइन के लिये यातायात सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है। इस लाइन के निर्माण के बारे में विनिश्चय रिपोर्ट की सभी दृष्टियों से जाँच करने के बाद ही किया जा सकेगा।

3. **रायपुर-धमतारी छोटी लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलना।**

दल्ली-राजहरा जगदलपुर नयी बडी लाईन के साथ ही इस बदलाव के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

4. **हिरदयगढ़ से घोड़डोंगरी (नयी बड़ी लाइन)**

(4) घोड डोंगरी से हिरदागढ़ तक 73 कि० मी० लंबी लाइन के निर्माण के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है जिससे इस क्षेत्र में स्थित कोयला खानों के विकास में सहायता मिलेगी। रिपोर्टों की जांच की जा रही है और इसके निर्माण के संबंध में शीघ्र विनिश्चय किया जायेगा।

5. **महोवा से खजुराहो (नयी बड़ी लाइन)**

महोवा से खजुराहो तक एक रेलवे लाइन के निर्माण के लिए लगातार मांग की जाती रही है। इसके सर्वेक्षण के लिए 1974-75 के बजट में व्यवस्था कर दी गयी है।

6. **सतपुड़ा छोटी लाइन रेल प्रणाली के उत्तरी भाग का बड़ी लाइन में बदलाव**

सतपुड़ा छोटी लाइन रेल प्रणाली के उत्तरी भाग को बड़ी लाइन में बदलने के लिए यातायात सर्वेक्षण निम्न शाखा लाइनों (क) परासिया-छिंदवाड़ा-खिानी-नयनपुर-मंडलाफोर्ट, (ख) जबलपुर-नयनपुर-बालाघाट-गोंडया और (ग) छिंदवाड़ा-नागपुर के साथ पूरा कर दिया गया है और रिपोर्ट की जाँच की जा रही है। जब रिपोर्ट की सभी दृष्टियों से जाँच कर ली जायेगी उसके वाद ही इस पर विचार किया जायेगा।

लाइन क्षमता सम्बन्धी निर्माण कार्य के लिए सर्वेक्षण

(1) जुकेही-सतना-छिवकी पर अतिरिक्त लाइन क्षमता संबंधी निर्माण कार्य का विनिश्चय करने के लिए यातायात सर्वेक्षण (250 कि० मी०)

(2) बिलासपुर और अनूपपुर के बीच दोहरी लाइन बिछाने के लिए जिसमें बिलासपुर में परिहार लाइनों का निर्माण शामिल है, इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण (127 कि० मी०)

27 LSS/74—6

(3) कोयले की ढुलाई करने निम्नलिखित महत्वपूर्ण मार्गों पर यातायात की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए यातायात और इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किये जायेंगे।

(i) बीना-रोठियाई-मक्सी

(ii) भोपाल-उज्जैन-नागदा-रतलाम-गोधरा

(iii) गोधरा-आनन्द और

(iv) आनन्द-अहमदबाद-साबरमती

Funds to Rajasthan for Flood Control during the Last three Years

9297. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount of funds provided by the Centre to Rajasthan during 1972, 1973 and 1974 respectively for flood control, the basis therefor and the works for which they were provided as also the works that have been completed; and

(b) the names of various works in Pali District relating to Flood Control for which funds were given during the last three years and whether all those works have been completed are lying incomplete ?

The Deputy Minister in the Minstry of Irrigation & Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) Under the procedure evolved for the Fourth Five Year Plan beginning from 1969-70, Central assistance to the State Governments for their various developmental schemes was provided in the form of block loans and grants and was not tied to any particular project or head of development. As such no specific assistance for flood control schemes in Rajasthan was provided during 1971-72, 1972-73 and 1973-74.

The State Government of Rajasthan made provisions in their plan for the following flood control works during the last three years :

(i) Ghaggar Flood Control Scheme.

(ii) Scheme for protection of Bharatpur and adjacent areas.

(iii) Pahari Kaman Drain.

(iv) Small flood protection schemes.

Of the above, the Pahari Kaman Drain has been practically completed and the others are to be completed in the Fifth Plan.

There was no provision in the State Plan for flood control works in Pali district in the last three years.

Loans Outstanding Against State Electricity Boards

9298. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state

(a) the amount of Central loans at present outstanding against each State Electricity: Board;

(b) the amount of interest thereon due from each State Electricity Board at present and the mode of its payment; and

(c) the reasons why the aforesaid amounts have fallen in arrears ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No loan has been granted to the State Electricity Boards direct by the Central Government. Loan assistance has been provided to these Boards for their rural electrification schemes by the Rural Electrification Corporation Ltd., a Public Sector Undertaking set up by Government of India. A statement showing the amounts of loan assistance disbursed to different State Electricity Boards so far is enclosed.

(b) and (c) No interest due against these disbursements is outstanding against any of the State Electricity Boards.

Statement

Statement showing the amounts of Loan Assistance Disbursed by the Rural Electrification Corporation to Different State Electricity Boards as on 31-3-1974

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of the S.E.Bs	Amount
1.	Andhra Pradesh	1313.683
2.	Assam	192.026
3.	Bihar	1312.469
4.	Gujarat	598.942
5.	Haryana	528.429
6.	Himachal Pradesh	337.141
7.	Kerala	384.151
8.	Madhya Pradesh	513.912
9.	Maharashtra	1711.946
10.	Karnataka	616.205
11.	Meghalaya	16.371
12.	Orissa	806.822
13.	Punjab	870.818
14.	Rajasthan	1225.916
15.	Tamilnadu	868.757
16.	Uttar Pradesh	1751.714
17.	West Bengal	1135.886
18.	Jammu & Kashmir	247.523
	TOTAL	15432.411

Development of Pali Station

9299. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Pali Station between Jodhpur and Marwar junction is a very old one and being an industrial town and keeping in view of the number of passengers there, it is proposed to develop this station;

(b) the action the Railways have taken in this matter; and

(c) whether the work for the development of this station is not being taken up because of paucity of funds ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Presumably the Honourable Member is referring to Pali Marwar Station on the Jodhpur Division of Northern Railway. This is an old Jodhpur State Railway Station. The Station building is in sound condition and the facilities therein are considered adequate to meet the level of traffic handled at present and there is no proposal to develop this station at present.

(b) and (c) Do not arise.

सदर्न रेलवे मजदूर यूनियन के कार्यालयों को किराये पर दिये गये रेलवे के भवन

9300. **श्री जी० भूवाराहन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 के बाद सदर्न रेलवे मजदूर यूनियन के सेन्ट्रल तथा शाखा कार्यालयों को रेलवे के कितने भवन किराये पर दिये गये हैं ; और

(ख) इन भवनों के लिये 31 मार्च, 1974 तक कुल कितना किराया लगाया गया और कुल कितना किराया बसूल किया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 50

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सर्दन रेलवे मजदूर यूनियन की शाखाओं को मान्यता

9301. **श्री जी० भुवाराहन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सदर्न रेलवे मजदूर यूनियन की, मान्यता प्राप्त यूनियन को उपलब्ध होने वाली निःशुल्क पास और विशेष आकस्मिक अवकाश जैसी विशेष सुविधाओं का अनुचित लाभ उठाने के लिये, एक ही स्थान पर बहुत सी शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है ; और

(ख) क्या दक्षिण रेलवे प्रशासन ने ऐसी शाखाओं को मान्यता देते समय सम्बद्ध नियमों का पालन किया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन संगठनात्मक प्रयोजन के लिए एक स्टेशन पर एक से अधिक शाखा खोलने की अनुमति दी गयी है ।

(ख) जी, हां ।

दक्षिण रेलवे में निपटान किया गया फैरस स्क्रैप

9302. **श्री जी० भुवाराहन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत दक्षिण रेलवे में कुल कितनी मात्रा में फैरस स्क्रैप का निपटान किया गया ; और

(ख) क्या इन मामलों में संगत रेलवे कोड और मैन्युअल में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं का पालन किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1972-73 2570.814 मीटरिक टन
1973-74 4495.704 मीटरिक टन

(ख) जी हां।

जयपुर उद्योग लिमिटेड के अंशधारी

9303. **श्रीमती राजा विद्याधर देशपांडे :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जयपुर उद्योग लिमिटेड के चेयरमैन, श्री आलोक पी० जैन के उसी कम्पनी में कितने शेयर हैं ;

(ख) क्या जयपुर उद्योग लिमिटेड में अधिकांश शेयर जीवन बीमा निगम, राजस्थान सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के हैं ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक के शेयरों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) क्या जयपुर उद्योग लिमिटेड के निदेशक बोर्ड में कोई सरकारी प्रतिनिधि हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सवाई माधोपुर, राजस्थान में 31 जनवरी, 1974 को हुई कम्पनी की गत वार्षिक बैठक में सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी वित्तीय संस्थानों का किन-किन व्यक्तियों ने प्रतिनिधित्व किया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) से (ङ) · सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत करदी जायेगी।

आन्दोलन में भाग लेने के कारण नागपुर (मध्य रेलवे) में नियुक्त कर्मचारियों को वेतनों का भुगतान न करना

9304. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर (मध्य रेलवे) में नियुक्त कितने कर्मचारियों को 19 दिसम्बर, 1973 से 28 दिसम्बर, 1973 तक की खाद्य आन्दोलन की अवधि के लिये वेतन नहीं दिये गये हैं ;

(ख) क्या आन्दोलन में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिये गये हैं ; हैं ; और यदि नहीं, तो कर्मचारियों के बीच इस भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या आन्दोलन के पश्चात् राशन की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये कोई उपाय किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 2041। "काम नहीं तो वेतन नहीं" नीति के आधार पर।

(ख) कोई भेदभाव नहीं बरता गया ।

(ग) और (घ) राज्य प्राधिकारियों को कहा गया है कि वे कर्मचारियों के लिए खाद्य पदार्थों की नियमित और पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था करें ।

कृष्णा डेल्टा में दूसरी फसल की खेती के लिए तुंगभद्रा जलाशय से फालतू जल की सप्लाई

9305. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा डेल्टा में दूसरी अस्थायी फसल की खेती के लिए तुंगभद्रा जलाशय से फालतू जल की सप्लाई के लिए कर्नाटक सरकार की सहमति से कोई निर्णय अथवा कोई प्रबंध कर लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) वर्ष 1970 तक कृष्ण डेल्टा में दूसरी फसल की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल में कितने एकड़ की वृद्धि हुई ;

(घ) क्या उस करार में के० सी० नहर के अंतर्गत आने वाली दूसरी फसल के लिए भी तुंगभद्रा के फालतू जल की सप्लाई के लिए कोई व्यवस्था है ; और

(ङ) यदि हां, तो के० सी० नहर के अंतर्गत दूसरी फसल के क्षेत्रफल में कितने एकड़ वृद्धि हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : तुंगभद्रा बांध के प्रचालन आरंभ होने ने के पश्चात् 1953-54 में यह निर्णय किया गया था कि तुंगभद्रा जलाशय से फालतू जल को, कर्नाटक सरकार की सहमति से और इस शर्त पर कि ऐसी कृषि के लिए कोई विशिष्ट दावे उत्पन्न न होंगे और डेल्टा के विभिन्न ब्लाकों में विभिन्न वर्षों में जल की सप्लाई की जाएगी, कृष्णा डेल्टे में दूसरी अस्थायी फसल उगाने हेतु समुपयोजित किया जाए । इस समझौते के अनुसार, जो बिल्कुल अस्थायी है, 1953-54 से डेल्टा में दूसरी फसल उगाने के लिए जल की सप्लाई की गई थी । दूसरी फसल उगाने वाला क्षेत्र जो 1953–54 में 18350 हैक्टेयर था, 1968-69 में 198530 हैक्टेयर हो गया ।

(घ) से (ङ) के० सी० नहर को तुंगभद्रा के फालतू जल की सप्लाई करने हेतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है । बहरहाल, तुंगभद्रा बांध से के० सी० नहर को 1953-54 से इस स्पष्ट शर्त पर जल की सप्लाई की गई थी कि इस आधार पर कोई विशिष्ट अधिकार का दावा नहीं किया जाएगा । इन सप्लाई के कारण के० सी० नहर से बड़ी मात्रा में जल लिया गया । इस नहर के अंतर्गत दूसरी फसल के लिए सिंचित क्षेत्र 1953-54 में 7173 हैक्टैयर था तथा 1968-69 में बढ़कर 44232 हैक्टैयर हो गया ।

तुंगभद्रा जलाशय के अंतर्गत नहर परियोजनाएं

9306. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्यूत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुंगभद्रा जलाशय के अंतर्गत पूरी की गई तथा निर्माणाधीन नहरें अथवा परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं ;

(ख) प्रत्येक नहर अथवा परियोजना के अधीन जिलावार अनुमानतः कितने एकड़ भूमि है ;

(ग) प्रत्येक नहर अथवा परियोजना के अंतर्गत टी० एम० सी० द्वारा कितने जल का प्रयोग किया जा सकेगा ; और

(घ) 'स्पिलओवर' योजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) निम्नलिखित नहर कार्य तुंगभद्रा परियोजना के भाग के रूप में हैं :—

(1) बाएं और दाएं तटों पर तुंगभद्रा निम्न स्तरीय नहर,

(2) दाएं किनारे पर तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर चरण एक और दो निम्न स्तरीय नहरें पूर्ण हो गई हैं।

(ख) दोनों नहर प्रणालियों के अंतर्गत वार्षिक सिंचाई के लिए प्रस्तावित क्षेत्र नीचे दिया जाता है :—

	आंध्र प्रदेश में	कर्नाटक में
1. निम्न स्तरीय नहर दायां तट)	60212	37387
2. निम्नस्तरीय नहर (बायां तट)	—	234822
3. उच्च स्तरीय नहर . (चरण एक और दो)	101943	55263
	1,62,155	3,27,472

(ग) निम्न स्तरीय नहरों और उच्च नहर के अंतर्गत वार्षिक समुपयोजन क्रमशः 1.47 मिलियन घन मीटर और 1.02 मिलियन घन मीटर है ?

(घ) शेष उच्च स्तरीय नहर कार्यों के पांचवीं योजना में पूर्ण होने की संभावना है।

केन्द्रीय क्षेत्र को बिजली परियोजनाओं के लिये नियंत्रक कम्पनी बनाना

9307. **श्री शशि भूषण :**

श्री मधु दंडवते :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए नियंत्रक कम्पनी बनाने के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या अंतर्राज्यीय विद्युत् पारेषण का काम भी प्रस्तावित कम्पनी को सौंपा जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धश्वेर प्रसाद) : (क) से (ग) अभी तक केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के संगठनात्मक ढांचे पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियाएं आयोग और एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के कार्यकरण का पुनर्विलोकन

9308. **श्री शशि भूषण :**

श्री भानसिंह भोरा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम और एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियाएं आयोग के लागू रहने के बावजूद बड़े व्यावसायिक गृहों के उत्पादन, आस्तियों और मुनाफे में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस अधिनियम और इस आयोग के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है।

विवरण

एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1 जून, 1970 से लागू हुआ, एवं इसका प्रभावी लागूकरण केवल 1971 में प्रारंभ हुआ, अतः बड़े व्यापारिक गृहों के कार्य-कलापों पर इसके अभिघट्टन अथवा इन गृहों के हाथों में जनहित के विरुद्ध आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण के वृत्त का, उचित व उद्देश्य पूर्ण निर्धारण, रखना बहुत शीघ्रता होगी । "वृहद् व्यापारिक गृह" अथवा "एकाधिकारी गृह" शब्दों की परिभाषा न तो एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम में और न ही एकाधिकार जांच आयोग व औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में से किसी में की गई है । एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम का अध्याय 3, "अन्तः सम्बन्धित उपक्रमों" अथवा "उपक्रमों के समूह" से सम्बन्ध रखता है । तथापि, औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने बीस औद्योगिक घरानों की एक सूची प्रस्तुत की है, जिनको उसने, 35 करोड़ रुपये या इससे अधिक की परिसम्पत्तियों युक्त होने से वृहद् औद्योगिक गृह की संज्ञा दी है । वर्तमान उद्देश्य के लिए, संदर्भ के रूप में, इन बीस वृहद् औद्योगिक गृहों की गणना की जा सकती है व इनके व्यापारावर्त, परिसम्पत्तियों तथा लाभों की गत थोड़े से वर्षों की उन्नति की परीक्षा की जा सकती है । 1963-64 से 1970-71 की अवधि के मध्य, उनकी कुल परिसम्पत्तियों की बढ़ोतरी 30.7 प्रतिशत से घटकर 5.8 प्रतिशत रह गई । व्यौपारावर्त, सकल लाभ व शुद्ध लाभ के मामलों में भी इन घरानों की बढ़ोतरी 1969-70 व 1970-71 के वर्षों में बिल्कुल प्रसामान्य रही । संयोग से, यह भी विचारणीय है कि देश में सामान्य औद्योगिक उन्नति की अवधि के मध्य, इन उपक्रमों की सामान्य उन्नति भी असामान्य नहीं है । एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम का उद्देश्य साथ साथ यह भी है कि आर्थिक प्रणाली का संचालन जन हित के विरुद्ध आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण का परिणामी न हो ; अतः यह जाना जायेगा कि किसी उपक्रम की स्वतः एवं प्रत्यक्ष उन्नति जब तक अवांछनीय नहीं कही जा सकती तब तक कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सके कि यह उन्नति जन हित के विरुद्ध थी । यह भी अवलोकनीय है कि 1955-56 से

1971-72 के मध्य कुल निगम क्षेत्र की कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी में प्राइवेट क्षेत्र की कम्पनियों का भाग, 93.6 प्रतिशत से 49.0 प्रतिशत रह गया है जब कि सरकारी कम्पनियों का 6.4 प्रतिशत से 51 प्रतिशत हो गया है । पुनः गत कुछ वर्षों के मध्य अभिप्राय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों के प्रेषण में, वृहद् औद्योगिक घरानों व विदेशी कम्पनियों, जिन्होंने आन्तरिक एवं भारी नियोजन क्षेत्रों में अधिकांश रूप से उत्तरदायित्व ग्रहण किए हैं, का भाग शनैः शनैः कम हुआ है । 20 वृहद् औद्योगिक गृहों का भाग, 1956 एवं 1966 के मध्य प्रेषित अभिप्राय पत्रों में, 12.3 प्रतिशत की तुलना में, 1970 से 1973 तक केवल 4.9 प्रतिशत रहा । 1970 से 1973 तक के मध्य प्रेषित औद्योगिक लाइसेंसों में उनका भाग 5.9 से 8.5 प्रतिशत के मध्य रहा ।

फरवरी 1973 में घोषित औद्योगिक लाइसेंस नीति के अंतर्गत, एकाधिकार एवं निबंन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, के अध्याय 3 में यथा अववुद्ध वृहद् औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित कम्पनियां, केवल इस नीति के परिशिष्ट में यथा रेखांकित 19 आन्तरिक अथवा निर्यात-अनुस्थापित उद्योगों में विस्तार करने की पात्र हैं । वे किसी अन्य क्षेत्र में जाने से विवर्जित है । औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा, वृहद् घराने में अन्तः सम्वद्धता को समाप्त करने के प्रश्न की परीक्षा करने के लिये नियुक्त अनौपचारिक अध्ययन समूह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केन्द्रीय सरकार ने गत थोड़े से वर्षों में लगातार ऐसे मापदण्ड अपनाये थे, जिनसे वृहद् औद्योगिक घरानों के हाथों में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण में कमी गिनी गई थी, यथा ; प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का उन्मूलन, ऋणों के साम्य हिस्सेधारिता में परिवर्तित हो जाने व प्रबन्ध में प्रभावी सहयोगिता सहित, सरकारी वित्तीय संस्थानों की नियोजन नीति पर नवीन मार्गदर्शक नियम, सरकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण उन्नति; एवं प्रदर्शित हुआ कि इन मापदण्डों के परिणाम स्वरूप एवं साथ ही वर्तमान औद्योगिक लाइसेंस नीति व एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के परिणाम स्वरूप, इन वृहद् घरानों के हाथों में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित किया गया था ।

हड़तालों और चोरियों के कारण वर्ष 1973-74 में रेलवे को हुई हानि

9309. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री शंकर राव सावन्त :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में हड़तालों, आगजनी, लूट-पाट और रेलवे सम्पत्ति की तोड़-फोड़ के कारण रेलवे को वर्ष 1973-74 के दौरान कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) इस अवधि के दौरान जनता के सामान और वस्तुओं की हानि अथवा चोरी के लिये उन्हें कुल कितना मुआवजा दिया गया ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे सुरक्षा दल के रख-रखाव पर कुल कितना व्यय किया गया ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) लगभग 1,20,025 रुपये ।

(ख) लगभग 6.53 लाख रुपये ।

(ग) 1971-72.................... 13,75,00,094 रुपये

1972-73.................... 14,84,15,625 रुपये

1973-74.................... 17,74,85,638 रुपये

(ये आँकड़े अनुमानित हैं क्योंकि अभी लेखे बंद नहीं हुए हैं।)

चौथी योजना में पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में विद्युत् उत्पादन का लक्ष्य तथा सप्लाई

9310. **श्री एस० एन० सिंह देव : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना अवधि के लिए पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में विद्युत् उत्पादन और सप्लाई का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) इन राज्यों में इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) यदि कोई कमी हुई हो तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन राज्यों में अधूरे रहे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पांचवीं योजना अवधि में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चौथी योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में क्रमश: 1185 मैगावाट और 251 मैगावाट अतिरिक्त विद्युत् जनन क्षमता चालू करने का लक्ष्य था।

(ख) चौथी योजना के दौरान महाराष्ट्र में 530 मैगावाट और पश्चिम बंगाल में 131 मैगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता चालू की गई थी।

(ग) और (घ) लक्ष्यों में कमी के लिए मुख्य कारण ये रहे हैं :—सिविल कार्यों में धीमी प्रगति, उपस्कर की सुपुर्दगी में विलम्ब और समय पर आवश्यक सामग्रियों की प्राप्ति में कठिनाइयां। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में परिकल्पित विद्युत् उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) लक्ष्यों को प्राप्त करने और पिछली कमियों को दूर करने हेतु क्षमता में सुधार लाने की दृष्टि से विद्युत् उद्योग का पुनर्गठन करना।

(2) प्रक्रियाओं और प्राथमिकताओं में परिवर्तन करना जिससे धनराशि सहित समस्त आवश्यक निवेशों की समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में उपलभ्यता को सुनिश्चित किया जा सके।

(3) प्रभावशाली मल्टी-टायर्ड मानिटरिंग प्रणालियां प्रतिष्ठापित करना जिससे कार्य निष्पादन पर निगरानी रखी जा सके और जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्य ठीक समय पर किए जा सकें।

पश्चिम बंगाल में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

9311. **श्री एस० एन० सिंह देव : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में निर्माणाधीन प्रत्येक सिंचाई योजना की लागत अब सामान, भूमि और मजदूरी दरों के बढ़ जाने से अधिक हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत में कितनी वृद्धि हुई है और बढ़ी हुई लागत को केन्द्रीय सहायता द्वारा कहां तक पूरा किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसी परियोजनाओं की मूलतः स्वीकृत लागत एवं अद्यतन अनुमानित लागत नीचे दी जाती है :—

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	मूलतः अनुमानित लागत	अद्यतन अनुमानित लागत
1.	मयूराक्षी परियोजना .	1550.00	2046.00
2.	कंसवती परियोजना	2525.90	5200.00
3.	हिंगलो स्कीम	97.94	150.00
4.	साहाराजोरे स्कीम	20.64	77.00

चुनर्थ योजना में पश्चिम बंगाल सहित राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता समग्र रूप से ब्लाक ऋणों एवं अनुदानों के रूप में दी जा रही थी और यह किसी परियोजना विशेष अथवा विकास शीर्ष के साथ जुड़ी हुई नहीं थी । सिंचाई परियोजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा उनके समग्र विकास संसाधनों के भीतर ही कार्यान्वित किया जाता है ।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड के अधिकारियों के विदेश दौरे

9312. **श्री रामचन्द्र कडनापल्ली :**
श्री वयालार रवि :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर, कैरल के कितने अधिकारी पिछले तीन वर्षों में विदेशों को गये है ; और

(ख) उनमें से प्रत्येक ने अपनी विदेश यात्रा पर विदेशी मुद्रा समेत कुल कितना धन व्यय किया और प्रत्येक अधिकारी कितनी अवधि तक विदेश में रहा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

Shortage of Kerosene and Furnace Oil

9313. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether there is apprehension of the kerosene and furnace oil being in short supply in the coming year;

(b) if so, the reasons therefore; and

(c) the efforts Government are making to make up the shortage ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c) The steep increase in prices of Crude oil and other petroleum products has put a heavy strain on foreign exchange resources of the country. With the limited foreign exchange that can be spared for this purpose during 1974-75, it will not be possible to meet the demand of these products in full. eed to economise on their use is therefore imperative. Government are giving the highest priority for increasing the production and transport of coal and soft coke which provide an alternative fuel to replace furnace oil and kerosene. Rural electrification schemes are also being expedited. Oil Companies are also taking steps on the highest priority to expand the production and marketing of domestic gas.

मैसर्ज फाइजर्स लिमिटेड द्वारा कुछ दवाइयों का अनधिकृत उत्पादन

9314. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज फाइजर्स लिमिटेड ने काफी समय तक टैट्रासाइक्लीन तथा क्लोर पापामाइड दवाइयों की अनधिकृत उत्पादन क्षमता स्थापित की और बाद में उसे विनियमिन करवाने के लिये आवेदन दिया ;

(ख) क्या इस उत्पादन को इस शर्त पर नियमित कर दिया गया था कि उत्पादन का कुछ प्रतिशत निर्यात किया जायेगा, निर्यात बन्धक-पत्र निष्पादित किया जायेगा तथा डी० जी० टी० डी० द्वारा उसका वास्तविक सत्यापन किया जायेगा ;

(ग) क्या इन शर्तों का पालन नहीं किया गया, निर्यात बन्धक-पत्र निष्पादित नहीं किये गये और न हीं शर्तों के अनुसार निर्यात किया गया ; और

(घ) यदि हां, तो देश में इस बहु-राष्ट्रीय विदेशी फर्म के भारत विरोधी इन क्रियाकलापों को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) **टेट्रासाइक्लीन** 1961, 1967-68 तथा 1968-69 के वर्षों को छोड़ कर, मैसर्ज फाइजर्स इस मद का अपनी लाइसेंसयुक्त क्षमता से अधिक उत्पादन करते रहे हैं । क्षमताओं, जिन के लिये उन को विभिन्न अवसरों पर लाइसेंस दिये गये है, ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	लाइसेंसयुक्त क्षमता (कि० ग्रा० में)		
	टेट्रासाइक्लीन	आक्सीटेट्रासाइक्लीन	जोड़
1960	2000	3000	5000
1965 . .	3000	7000	10000
1967 . .	5000	9000	14000

1965 में जारी किये गये लाइसेंस की निर्यात संबंधी शर्तें निम्नलिखित थी :—

(क) कि 5000 कि० ग्रा० अतिरिक्त टेट्रासाइक्लीन के उत्पादन के बारे में कच्चे माल के आयात के लिये अपेक्षित अतिरिक्त विदेशी मुद्रा निर्यात प्रोत्साहन देने संबंधी योजनाओं के अन्तर्गत निर्यात द्वारा अर्जित की जायगी ; और

(ख) कि 1966-67 से हर वर्ष टेट्रासाइक्लीन (मूल्य में) के वास्तविक उत्पादन के 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) का निर्यात किया जायेगा । वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से इस आशय का एक बंधक-पत्र निष्पादित किया जाना चाहिये ।

1967 में जारी किये गये लाइसेंस की निर्यात संबंधी शर्तें इस प्रकार थी :—

(क) जब तक कि सरकार पूर्वानुमति द्वारा इस के किसी भाग को देश में बेचे जाने की इजाजत नहीं देती, टेट्रासाइक्लीन के 10 मीटरी टन से अधिक का उत्पादन निर्यात किया जायेगा, पहले वर्ष में चार मीटरी टन का आवश्यक रूप से निर्यात किया जायेगा ।

(ख) दूसरे वर्ष के बाद से निर्यातित टेट्रासाइक्लीन की वास्तविक मात्रा का विचार किये बिना जैसा कि उपर्युक्त है, टेट्रासाइक्लीन तथा भेषजों की अन्य मदों की पांच वर्षों से अधिक का औसत के रूप में हर वर्ष कुल 15 लाख रु० का आवश्यक रूप से निर्यात किया जाए। 15 लाख रुपये का यह निर्यात, निर्यात के वर्तमान स्तर से अधिक होना चाहिए;

(ग) 10 मीटरी टन टेट्रासाइक्लीन की प्रारंभिक क्षमता के 25 प्रतिशत के निर्यात की वचन-बद्धता कायम है । तथापि, टेट्रासाइक्लीन तथा भेषजों की अन्य मदों के निर्यात करने में कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते कि 2500 कि० ग्रा० टेट्रासाइक्लीन का कुल मूल्य परिक्लन-खण्ड रहता है ।

क्लोरप्रोपेमाइड

क्लोरप्रोपेमाइड के निर्माण में प्रतिवर्ष 1.5 मीटरी टन से प्रतिवर्ष 6.5 मीटरी टन तक का विस्तार करने के लिये मैसर्स फाइजर लि०, बम्बई को दिनांक 16 नवम्बर, 1972 का आशय पत्र संख्या 1(56)/169-कैमिकल III दिया गया है । आशय पत्र में यह शर्त लगाई गई है कि अनुमत अतिरिक्त क्षमता के 20 प्रतिशत का निर्यात किया जायेगा और एक बंधक-पत्र निष्पादित किया जायेगा । पिछले तीन वर्षों के दौरान उन के उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार था :—

1971 .	10.97 मीटरीटन
1972 .	12.9 मीटरी टन
1973 .	. 9.079 मीटरी टन

(ग) और (घ)

टेट्रासाइक्लीन

मैसर्स फाइजर लि० द्वारा अभी तक कोई बंधक-पत्र निष्पादित नहीं किया गया है । तथापि, उन्हें एक निर्यात बंधक-पत्र जो 1978 तक वैध हो तथा सरकार की इच्छा पर जिस की अवधि 5 वर्षों तक बढ़ाई जा सके, निष्पादित करने के लिये हाल ही में अनुदेश जारी किये गये हैं ।

क्लोरप्रोपेमाइड

निर्यात दायित्व का पालन करने के लिये दिनांक 26 फरवरी, 1974 के पार्टी द्वारा प्रस्तुत किये गये कानूनी ग्राश्वासन को दिनांक 14 मार्च, 1974 के सी सी आई एण्ड ई से प्राप्त पत्र के अनुसार स्वीकार कर लिया है ।

पश्चिम बंगाल में संथालदीह तापीय बिजली घर का निर्माण

9315. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) में संथालदीह बिजली घर में 120 एम डब्लयू के बिजली पैदा करने वाल यूनिट पर हुए निर्माण कार्य की मुख्य बातें क्या हैं तथा उस पर कितनी राशि खर्च हुई ;

(ख) क्या यह परियोजना निर्धारित समय के भीतर ही पूरी हो जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में संथालडीह में एक ताप केन्द्र के निर्माण की परियोजना में 120-120 मेगावाट की चार यूनिटों कौ प्रतिष्ठापना करना परिकल्पित है । बहरहाल, अनिवार्य सामग्री उपस्करों ग्रादि के कुछ ग्राइटमों को अनुपलभ्यता जैसे कुछ कारणों से यूनिटों की अनुसूची के अनुसार चालू नहीं किया जा सका था। प्रथम यूनिट को अक्तूबर, 1973 में चालू किया गया था । दूसरी यूनिट के जिसका दिसम्बर, 1974 तक चालू होना अनुसूचित था, अब 1975 के आरंभ में चालू होने की संभावना है । तीसरी और चौथी यूनिटों के जो मूलतः क्रमशः दिसम्बर, 1975 और अक्तूबर, 1976 में चालू होनी अनुसूचित थी, अब क्रमशः जून, 1976 और दिसम्बर, 1976 में चालू होने की संभावना है । इन यूनिटों से सम्बद्ध विभिन्न कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं । मार्च, 1974 के अन्त तक परियोजना पर लगभग 59.51 करोड़ रुपये के व्यय होने की सूचना मिली है ।

प्लास्टिक का उत्पादन करने वाले कारखाने और उनको कच्चे माल की सप्लाई

9316. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्लास्टिक तथा उससे सम्बद्ध सामान बनाने वाले राज्यवार कुल कितने कारखाने है ;

(ख) उनमें से कितने कारखाने (1) बड़े, (2) मध्यम दर्जे के और (3) छोटे हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्लास्टिक तथा उससे सम्बद्ध उद्योगों के लिये अपेक्षित प्रत्येक श्रेणी का कितना और कितने मूल्य का कच्चा माल आयात किया गया ;

(घ) देश में कितनी मात्रा में तथा कितनी कीमत का कच्चा माल उत्पादित किया गया ; और

(ङ) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार, (1) बड़े, (2) मध्यम दर्जे के तथा (3) छोटे कारखानों को कितनी मात्रा में तथा कितनी कीमत का प्रत्येक श्रेणी का कच्चा माल सप्लाई किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लघु उद्योग क्षेत्र में "सोडा ऐशों की कमी"

9317. **श्री वायलार रवि** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सोडा ऐश एक अनिवार्य औद्योगिक कच्चा माल खुले बाजार में उपलब्ध नहीं है जबकि यह काले बाजार में उपलब्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस माल के वास्तविक उपभोक्ताओं और लघु क्षेत्र को उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सोडा राख में काले बाजार का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस वस्तु का न तो मूल्य और न ही वितरण नियन्त्रित है ।

(ख) सोडा राख उत्पादकों को सलाह दी गई है कि अपने स्थापित वास्तविक उपभोक्ताओं को गत तीन वर्षों में उनके द्वारा सर्वाधिक कुल खरीद के आधार पर सीधी सप्लाई करें । इसके अलावा, सरणीबद्ध आयात नीति के अधीन वास्तविक उपभोक्ताओं को आयातित सोडा राख उपलब्ध है । सोडा राख में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्याप्त और क्षमता की स्वीकृति दी गई है ताकि यह स्थापित क्षमता के साथ वर्ष 1978-79 तक लगभग 9 लाख मीटरी टन के लक्षित उत्पादन के स्थान पर प्रतिवर्ष कुल 13.90 लाख मीटरी टन हो जाए ।

इस्पात संयंत्रों के लिये स्टाक लाने ले जाने में रेलवे की असमर्थता

9318. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल के अधिकारियों ने कहा है कि भारत कोकिंग कोल के उत्पादन में सुधार तो हो रहा है परन्तु रेलवे इस्पात संयंत्रों के लिए स्टाक शीघ्र लाने ले जाने में असमर्थ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बालासौर में गुंडों द्वारा पुरी एक्सप्रेस और उत्कल एक्सप्रेस का रोका जाना

9319. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 अप्रेल की रात्रि को बालासौर पर गुंडों ने पुरी एक्सप्रैस गाड़ी रोक ली थी जिस के परिणामस्वरूप वह गाड़ी पांच घंटे देर से पहुंची और क्या उत्कल एक्सप्रैस भी रोक ली गई थी ; और

(ख) क्या तस्कर इन गाड़ियों द्वारा उड़ीसा से पश्चिम बंगाल को नियमित रूप से चावलों की तस्करी कर रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) चावल की तस्करी की जांच करने के लिए जनता ने 6-7/4/1974 की रात को बालासौर स्टेशन पर 7 डाउन पुरी-हवड़ा एक्सप्रैस, और 77 डाउन उत्कल एक्सप्रैस गाड़ियों को लगभग 4 घंटे के लिए रोक लिया था।

(ख) गाड़ियों द्वारा चावलों की तस्करी के कुछ मामले नोटिस में आये हैं।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के कुछ विभागों का कलकत्ता से उड़ीसा स्थानान्तरण

9320. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की संभावना है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के कुछ विभागों का जनता की मांग पर कलकत्ता से उड़ीसा स्थानान्तरण किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में वराही पन-बिजली परियोजना की मंजूरी

9321. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक की वराही पन-बिजली परियोजना की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसका कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ख) परियोजना पर कार्य परियोजना की स्वीकृति और इसके लिये अपेक्षित धन की व्यवस्था के पश्चात् ही आरम्भ किया जायेगा।

व्यास विवाद को सुलझाने के संबंध में पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक

9322. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 अप्रैल, 1974 को व्यास विवाद को सुलझाने के संबंध में पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों के साथ उनकी कोई बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) 3 अप्रैल, 1974 को केवल पंजाब के मुख्य मंत्री ही केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री से मिले थे जब अन्य बातों के साथ-साथ रावी-व्यास के पानी के बंटवारे के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श हुआ था। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Loss suffered by Railways on account of Compensation for Accidents during 1971-72 and 1972-73

9323. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

ShriJagannath Rao Joshi : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the losses suffered by Government on account of payment of compensation due to Railway accidents during 1971-72 and 1972-73, separately; and

(b) the steps taken to prevent these losses during that period and the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The information is being collected from the Railways and will be laid on the Table of the Sabh.

(b) As the failure of railway staff is the largest single factor responsible for train accidents, Safety Organisation set up on the Railways are engaged in inculcating safety consciousness amongst the staff connected with the running of trains and in ensuring that the staff do not violate safety rules or indulge in shortcut methods. Thorough enquiries are held into all accidents and appropriate remedial measures are taken to prevent recurrence of similar accidents. Technological improvements in the shape of improved signalling, interlocking, track circuiting etc. have also been made to the extent feasible. Since failure of persons other than railway staff is also responsible for causing a number of accidents, publicity compaigns are also conducted through the various media to educate the public. As a result of these measures the number of train accidents viz. collisions, derailments, level crossing accidents and fires in trains on the Indian Government Railways came down from 864 during 1971-72 to 815 during the year 1972-73.

तमिलनाडु में गरीबों को कानूनी सहायता

9324. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने मुकदमों के सम्बन्ध में गरीबों को वित्तीय सहायता देना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गरीबों को किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ;

(ग) क्या किसी अन्य राज्य ने भी यह स्कीम आरम्भ की है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने भी ऐसी स्कीमों के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने का भी निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गाजियाबाद में कुलियों को स्थानापन्न भत्ते की अदायगी

9325. **श्री ओंकार लाल बरेवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद में कार्य कर रहे कुछ कुलियों को जिन्हें प्रशासन ने माल कार्यालय गाजियाबाद में 'गुडस मार्कस' का कार्य करने का आदेश दिया था, 23 अक्तूबर, 1969 से 22 जनवरी, 1974 तक का स्थानापन्न भत्ता नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) शीघ्र अदायगी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान के लिए सिंचाई परियोजनाएं

9326. **श्री शिवनाथ सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के अलवर, भरतपुर, झुंझनू, चुरू और नागौर जिलों के लिये कौन-कौनसी सिंचाई परियोजनायें सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) क्या गंगा नदी से राजस्थान के अलवर, भरतपुर, और झुंझनू जिलों के लिये सिंचाई नहर के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राजस्थान की पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) और (ग) राजस्थान सरकार से ऐसी नहर प्रणाली के लिये सर्वेक्षण पर आधारित कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है ।

चल टिकट परीक्षकों (टी० टी० ई०) कन्डक्टरों के लिये रनिंग कक्ष

9327. **श्री रामवतार शास्त्री** :

श्री के० एम० मधुकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चल टिकट परीक्षकों (टी०टी०ई०) तथा कन्डक्टरों को उचित रनिंग कक्षों की सुविधायें प्रदान नहीं की जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनको पृथक रनिंग कक्ष अथवा सुविधायें प्रदान करने के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार गैर-रनिंग कर्मचारियों की कुछ कोटियों जैसे चल टिकट परीक्षकों, कन्डक्टरों आदि को भी रनिंग रूम में आराम करने की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी गयी है बशर्ते कि नियमित रनिंग कर्मचारियों

की आवश्यकतायें पूरी करने के बाद अतिरिक्त स्थान मौजूद हो। रेलों को यह भी कहा गया है कि गैर-रनिंग कर्मचारियों की कुछ कोटियों के लिये जिनमें चल-टिकट परीक्षकों, कन्डक्टरों आदि की-कोटियां भी शामिल हैं, उन स्टेशनों पर जहां रनिंग रूमों में अतिरिक्त स्थान उपलब्ध न हो, निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर आराम कक्षों की व्यवस्था की जाये।

पूर्वोत्तर रेलवे के टिकट कलक्टरों को गर्मी की वर्दियों के दो सेट दिया जाना

9328. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री के० एम० मधुकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किये गये एक सर्कूलर के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे में गर्मी की वर्दियों के तीन सैट के बजाय दो सैट दिये जाने की व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) वर्दी समिति, 1969 की सिफारिशों के आधार पर जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया था, जारी की गयी हिदायतों के परिणाम-स्वरूप, पूर्वोत्तर रेलवे पर टिकट कलक्टर गर्मी की दो जोड़ी वर्दियां पाने के हकदार हैं।

पंथरदीह में प्रदर्शनकारी रेल कर्मचारियों पर समाज विरोधी तत्वों द्वारा हमला

9329. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज विरोधी तत्वों ने 29 नवम्बर, 1973 को पंथरदीह में प्रदर्शनकारी रेल कर्मचारियों पर घातक हथियारों तथा पाइप गनों से हमला किया था जिससे कुछ कर्मचारियों को गंभीर चोटें आयीं थीं ;

(ख) यदि हां, तो घटना के तथ्य क्या हैं ;

(ग) रेलवे कर्मचारियों के आंदोलन के पश्चात् 30 नवम्बर, 1973 को रेलवे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा डी०एस० धनबाद के बीच हुए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) समझौते की प्रत्येक शर्त को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गत तीन वर्षों में डी० वी० सी० द्वारा कलकत्ता को दी गई बिजली

9330. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष वार, डी०वी०सी० द्वारा कलकत्ता को कुल कितने किलोवाट बिजली दी गई ; और

(ख) वर्ष 1974-75 में डी०वी०सी० से कलकत्ता को कितनी बिजली मिलने की आशा है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम को निम्नलिखित विद्युत् सप्लाई की गई :—

वर्ष	मिलियन यूनिट
1	2
1970-71. . . .	613.341
1971-72	505.781
1972-73.	589.649

(ख) दामोदर घाटी निगम कलकत्ता को विद्युत् की सप्लाई जारी रखने के लिये ठेकेदार के रूप में बाध्य नहीं हैं क्योंकि इस संबंध में ठेका 1969 में समाप्त हो गया था बहरहाल, कलकत्ता में विद्युत् की कमी को देखते हुए दामोदर घाटी निगम कलकत्ता को अपनी संविधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने और राष्ट्रीय महत्व के प्राथमिक भारों जैसे रेलवे ट्रैक्शन, कोयला खानों और इस्पात संयंत्रों जिनको दामोदर घाटी निगम द्वारा विद्युत् की सप्लाई करना अपेक्षित है, को पूरा करने के पश्चात्, वहीं तक संभव होगा, विद्युत् की सप्लाई करना जारी रखेगा ।

बिहार सरकार द्वारा बिहार में रेलवे के विस्तार के लिए ज्ञापन

9331. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री एम० एस० पुरती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में रेल मार्गों के विस्तार के बारे में बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) जी ह

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 6929/74]

नदी जल के उपयोग के लिए नदियों का चयन

9332. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नदी जल के पूर्ण उपयोग के लिये देश को कुछ नदियों को सरकार ने चुना है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी नदियों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पूर्ण समुपयोजन के लिये कोई विशेष नदी का चयन नहीं किया गया है। बहरहाल, सभी उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम समुपयोजन के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

बिहार में रेलवे स्टेशनों के विस्तार और मरम्मत के लिए मंजूर की गई धनराशि

9333. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में कुछ रेलवे स्टेशनों के विस्तार और उनकी मरम्मत के लिये सरकार ने कोई धनराशि मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और संकलित होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दामोदर घाटी निगम के पुनर्गठन के बारे में बिहार और पश्चिम बंगाल से प्रतिवेदन

9334. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के पुनर्गठन के बारे में बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से सरकार को कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तापीय बिजली घरों के लिए स्थलों का चयन

9335. **श्री लुतफल हक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक समिति ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में बड़े तापीय बिजली-घरों की स्थापना करने हेतु स्थलों का चयन करने के लिये देश में विभिन्न स्थानों की यात्रा की है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इस समिति ने किन-किन स्थानों की यात्रा की है; और

(ग) इस समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गईं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग (विद्युत् स्कंध) के सदस्य (ताप) की अध्यक्षता में गठित स्थल चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :—

(1) संबंधित राज्यों के मुख्य इंजीनियर, उनके अपने-अपने राज्यों में स्थलों के लिये।

(2) श्री एस० के० बोस, खनन सलाहाकार, खान विभाग ।

(3) श्री के० एस० बनर्जी, निदेशक (परिवहन यातायात), रेल मंत्रालय।

(4) श्री एस० के० गंगोली, निदेशक (रसायन) भाभा अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे।

(5) श्री पी० के० भटनागर, समन्वयकर्ता, राष्ट्रीय विज्ञान तथा शिल्पविज्ञान परिषद्, नई दिल्ली।

(6) मुख्य अभियंता (ताप), केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग (विद्युत् स्कंध), नई दिल्ली।

समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है जिसमें दौरा किये गये स्थलों का ब्यौरा और की गई सिफारिशें दी गई हैं।

पश्चिम बंगाल में विद्युत् परियोजना के कार्यकरण में सुधार करने के लिए की गई कार्यवाही

9336. **श्री लुतफल हक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में विद्युत् परियोजनाओं के कार्यकरण में सुधार करने के लिये की गई कार्यवाही का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) अब तक प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) वर्तमान विद्युत् केन्द्रों से बिजली की उपलब्धता को अधिकतम करने और नई उत्पादन यूनिटों को चालू करने में तेजी लाने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विभिन्न विद्युत् केन्द्रों के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है :—

बन्देल ताप विद्युत् केन्द्र :

इस केन्द्र में 82.5 — 82.5 मैगावाट की चार यूनिटें हैं। यह दो-चरण लोडनावाशरी से मिडलिंग्स तथा रानीगंज कोयला क्षेत्रों की बहुत सी खानों से कोयला प्राप्त कर रहा है। समुचित किस्म का कोयला न होने के कारण, इसके कार्य-निष्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दो चरणों वाली वाशरी से कोयला लेना बन्द कर दिया गया है और सम्पर्क समिति से अनुरोध किया गया है कि वे बुन्देल ताप विद्युत् केन्द्र का सम्पर्क एक निश्चित संख्या में ऐसी खानों से कर दें जोकि उचित किस्म के कोयले की सप्लाई कर सकें। इन केन्द्रों के लिये लाइट डीजल तेल की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर दी गई है। संवषकों के लिये अतिरिक्त पुर्जों का प्रबन्ध कर दिया गया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप कार्य-निष्पादन में सुधार हो रहा है। एक यूनिट का वार्षिक ओवरहाल और अनुरक्षण हो रहा है और शेष तीनों यूनिटें प्रचालन में हैं। इस समय 180-200 मैगावाट के बीच विद्युत् उत्पादन हो रहा है।

दुर्गापुर प्रोजैक्ट्स लिमिटेड :

इस विद्युत् केन्द्र में 30-30 मैगावाट की दो यूनिटें और 75-75 मैगावाट की तीन यूनिटें हैं। जनवरी, 1974 में हुई एक दुर्घटना के कारण दो यूनिटों से सम्बद्ध नियंत्रण केबल्स और उपस्कर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आवश्यक प्रतिस्थापनों की व्यवस्था कर दी गई है। आशा की जाती है कि एक यूनिट मई के अन्त तक और दूसरी यूनिट जून, 1974 में पुनः चालू कर दी जायेगी। 75 मैगावाट की यूनिटों से उपलब्धता टर्बाइन ब्लेडों के घिस जाने के कारण बहुत कम हो गई है और उनकी प्रतिस्थापना हेतु आदेश दे दिये गये हैं। इन यूनिटों का उत्पादन कोयला मिलों में गड़बड़ी के कारण भी सीमित हुआ

है । इन मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है । इस केन्द्र में अब विद्युत् उत्पादन 140-160 मैगावाट के बीच होता है और इस समय हो रही मरम्मतों/जीर्णोद्धारों (रिनोवेशन) के पूर्ण हो जाने पर इसमें और सुधार हो जायगा ।

संथालडोह ताप विद्युत् केन्द्र :

120 मैगावाट की एक यूनिट चालू कर दी गई है और इस यूनिट को प्रारम्भिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । सुधार और समंजन कार्यों के लिए इस परियोजना को भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अभियंताओं की सहायता उपलब्ध कर दी गई है ।

कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन :

कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन की प्रतिष्ठापित क्षमता 485 मेगावाट है । संयन्त्र बहुत पुराने होने के कारण इस केन्द्र की डिरेटड क्षमता 337 मैगावाट है । विद्युत् उत्पादन 210-250 मैगावाट के बीच है । ज्ञात हुआ है कि विद्युत् उत्पादन में वृद्धि करने के उपायों पर विचार किया जा रहा है ।

चालू वर्ष में पश्चिम बंगाल में विद्युत् परियोजनाओं का निर्माण पूरा करने के लिए धन नियतन

9337. **श्री लुतफल हक :** क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में विद्युत् परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिय नियत की गई कुल धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जबकि वार्षिक योजना परिव्यय को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, पश्चिम बंगाल में विद्युत् स्कीमों के लिय अस्थायी परिव्यय निम्न प्रकार है :—

(1) विद्युत् जनन स्कीमें	लाख रुपयों में
(क) **संतत स्कीमें**	
1. संतालडीह तापविद्युत् (4 × 120) . .	900*
2. जलढाका जलविद्युत् चरण-दो (2 × 4 मै०वा०)	75
3. कुरसिडंग जलविद्युत् चरण-दो (2 × 1 मै०वा०)	30
(ख) **नई स्कीमें**	
1. बंदेल विद्युत् केन्द्र का विस्तार पांचवीं यूनिट (200 मैगावातट) .	700*
2. कोलाघाट ताप विद्युत् (3 × 200 मैगावाट) . .	900*
3. डीजल केन्द्र (4 × 3.5 मैगावाट) .	18
4. डी०पी०एल० में 110 मैगावाट यूनिट	150

*पृथक रक्षित परिव्यय ।

(2) पारेषण और वितरण		(लाख रुपयों में)
	(क) 132 के०वी० और उससे ऊपर . . .	800**
	(ख) 132 के०वी० के नीचे	240
	(ग) वर्तमान ग्रिडों का विस्तार और सामान्य विस्तार . .	200
(3) ग्राम विद्युतीकरण (एम०एन०पी० 250+ग्राम विद्युतीकरण निगम 500) . .		750
(4) अन्वेषण		75
(5) अनुसंधान और परीक्षण . .		12
	कुल (1 से 5) .	4850

**6.15 करोड़ रुपये पारेषण लाइनों और संतालडीह के साथ सम्बद्ध उपकेन्द्र के लिये पृथक रखा जाना है ।

फरक्का बराज कम्प्लेक्स के लिए 1974-75 में नियत धनराशि

9338. **श्री लुतफल हक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 में फरक्का बराज कम्प्लैक्स के लिय कोई धनराशि नियत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि नियत की गई है और वर्ष 1974-75 में कितना काम पूरा हो जायगा; और

(ग) अब तक फरक्का बराज कम्प्लैक्स के बारे में हुए काम का ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की 1974-75 के लिये अनुदान मांगों में फरक्का बराज परियोजना के लिये 8 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है ।

सड़क व रेल पुलों के साथ फरक्का बराज पर कार्य पूरा हो चुका है । पोषक नहर का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है, इसका 97% कार्य पूरा हो चुका है । जंगीपुर बराज का कार्य पूर्ण कर दिया गया है ।

1974-75 के दौरान, पोषक नहर के शेष कार्यों को पूरा किया जाना प्रस्तावित है ताकि इसका प्रचालन किया जा सके । फरक्का तथा जंगीपुर बराजों तथा अनुषंगिक निर्माण कार्यों पर किये जा रहे कार्य को अन्तिम रूप दिया जायेगा । नौवहन संरचनाओं (जसे फरक्का तथा जंगीपुर पर पाश, पहुंच चनल इत्यादि) पर कार्य जारी रहेगा ।

लोकटक उठाऊ सिंचाई योजना के बारे में प्रगति

9339. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोकटक उठाऊ सिंचाई योजना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या भूमि अधिग्रहण में हुई कठिनाइयों के कारण योजना की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी ।

तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट की असंगतियों की जांच करने के लिए पैनल

9340. **श्री तरुण गोगाई :**

श्री निहार लास्कर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट में असंगतियों की जांच करने के लिये विभागीय परिषद् की उप-समिति गठित करने का रेल मंत्रालय ने निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पैनल में कर्मचारियों को भी शामिल किया जायगा ; और

(ग) उक्त पैनल कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) इस उप-समिति में मान्यताप्राप्त श्रमिक फैडरेशनों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का विचार है ।

(ग) अभी यह बताना संभव नहीं है कि वह अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी ।

मूल्य वृद्धि के कारण पांचवीं योजना के विद्युत् उत्पादन लक्ष्यों का पुनरवलोकन

9341. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना के विद्युत उत्पादन लक्ष्यों में कमी की जाएगी;

(ख) क्या सरकार ने ईंधन के ऊंचे मूल्यों के सदर्भ में विद्युत् कार्यक्रमों का कोई पुनरवलोकन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो पुनरवलोकन की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पांचवीं योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । विद्युत् उत्पादन के लक्ष्यों को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है;

(ख) और (ग) देश का विद्युत् कार्य-क्रम मुख्यतया कोयले पर आधारित है । कोयले के मूल्य में वृद्धि हुई है तथा तेल के मूल्य में और भी अधिक वृद्धि हुई है । अतः मुख्य ईंधन के रूप में तेल का उपयोग करने वाले संयन्त्रों को कोयले का उपयोग करने वाले संयंत्रों में बदल कर तथा सभी ताप विद्युत् केन्द्रों में गौण ईंधन के रूप में तेल की खपत को कम करने के उपायों द्वारा भी तेल की खपत को कम करने के सभी उपाय किये जा रहे हैं।

ईंधन के बढ़े हुए मूल्य को ध्यान में रखते हुए तथा ईंधन संसाधनों को बनाय रखने के लिये जल विद्युत् संसाधनों का अधिकतम विकास करने तथा उनको विद्युत् उत्पादन के लिये उपयोग करने का प्रस्ताव है ।

प्रणाली ऊर्जा हानियों को कम करने तथा ताप सयन्त्रों के लोड़-फैक्ट्री में सुधार करके उनका यथासंभव अधिकतम कुशल प्रचालन करने के लिए भी हर कोशिश की जा रही है।

जिन उद्योगों के लिये विद्युत् शक्ति के अतिरिक्त प्रक्रिया-वाष्प अपेक्षित होती है वहां कुल उर्जा धारणा पर आधारित कैप्टिव संयन्त्रों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है ।

उत्तरी भारत में बिजली संकट

9342. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री डो० डो० देसाई :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1974 तक उत्तरी भारत में गंभीर बिजली संकट बना रहेगा;

(ख) यदि हां, तो भारत के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस अवधि के दौरान दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) उत्तर भारत पिछले वर्ष कई महीनों से विद्युत् की कमी का सामना कर रहा है । जून, 1974 तक स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार होने की संभावना नहीं है और प्राथमिकता वाले सैक्टरों को सप्लाई अधिकांशतः वैसी ही बनी रहेगी जैसी कि इस समय की जा रही है ।

(ग) देश में विद्युत् की कमी को देखते हुए और दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत् आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मार्ग निर्देश तैयार किये गये हैं, और उपलब्ध ऊर्जा का युक्तिमूलक आधार पर आवंटन करने के लिये, विभिन्न राज्यों में परिपालित कर दिया गया है ताकि क्षेत्र में अर्थ व्यवस्था पर व्यापक रूप में प्रभाव न पड़े । औद्योगिक और कृषि सैक्टरों को विद्युत् की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये निम्नलिखित प्रयत्न भी किये जा रहे हैं :—

(1) अनुश्रवन और कोयला और ईंधन, तेल, अतिरिक्त पुर्जों आदि के परिवहन और सप्लाई का प्रबन्ध करके वर्तमान विद्युत् प्रतिष्ठापनों का समुपयोजन अधिकतम किया जा रहा है ।

(2) विद्युत् जनन यूनिटों के शीघ्र चालू करने को सुनिश्चित करने के लिये पूर्ण होने वाली परियोजनाओं में शीघ्रता लाई जा रही है।

(3) पड़ोसी राज्यों के मध्य विद्युत् के विनिमय को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि विद्युत् जनन क्षमता का अधिकतम समुपयोजन किया जा सके और सुरक्षित आवश्यकताओं को कम किया जा सके।

Running of Train Between Mathura and Vrindavan at a Loss

9343. **Shri B.S. Chowhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the train service between Mathura and Vrindavan is running at a loss;

(b) if so, the loss being incurred thereon by the Railways annually;

(c) the amount of loss incurred during the last three years;

(d) whether Government have drawn up a scheme to run the said railway line at a profit; and

(e) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) & (c) The loss excluding dividend incurred during the last 3 years is as under :—

(Figures in lakhs of rupees)

1970-71	1971-72	1972-73
1.52	1.40	3.00

(d) and (e) The line is not likely to be profitable in the near future. However, all possible steps are being taken to keep the loss to the minimum.

Direct rail link between Mathura and Aligarh

9344. **Shri B.S. Chowhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is no direct rail link between Mathura and Aligarh ; and

(b) if so, whether Government have under consideration any proposal to provide such a rail link ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Sahfi Qureshi) (a) There is no direct link between Mathura and Aligarh. However, they are connected by broad gauge via Agra and by metre gauge via Hathras.

(b) Due to stringency of funds and lack of adequate traffic justification, there is no proposal at present to provide an additional direct link between Mathura and Aligarh.

Voters in Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh in 1971

9345. **Shri B.S. Chowhan :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of voters in Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, separately, at the time of 1971 General Elections ; and

(b) the number of voters at the time of last Vidhan Sabha elections in Uttar Pradesh and how many of them exercised their votes?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) & (b) A statement containing the requisite information is being laid on the Table of the House.

Statement

General Election to the House of the People, 1971

Name of State	Electors
Bihar	31,019,951
Madhya Pradesh	19,578,837
Uttar Pradesh	45,766,709

General Election to Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 1974*

Electors	49,816,561
Electors who voted	28,326,880†

*Figures are provisional.

†Excluding 207 Nathupur Assembly Constituency where poll was countermanded.

उत्तर रेलवे के कर्मचारियों द्वारा 'नियमानुसार काम करो' आन्दोलन

9346. **श्री बसन्त साठे :**

श्री एच० एम० पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों के दमनकारी रुख के विरोध में उत्तर रेलवे के कर्मचारियों ने 'नियमानुसार काम करो' आन्दोलन शुरु कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) पिछले कुछ महीनों में कुछ वर्गवार यूनियनें/एसोसिएशनों द्वारा 'नियमानुसार काम करो' आन्दोलन चलाये गये थे जो उनके वर्ग की मांगों पर जोर डालने के उद्देश्य से चलाये गये थे न कि रेल अधिकारियों के तथाकथित प्रतिशोध पूर्ण और विरोधी रवैये के कारण। सरकार का यह प्रयास जारी रहेगा कि सुदेश्चापति कार्य विधि के आधार पर स्थायी वार्तातंत्र के जरिये कर्मचारियों की शिकायतें दूर कर दी जायें।

अरुणाचल में तेल की खोज

9347. **श्री बसंत साठे :**

श्री मधु दंडवते :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश के तिराम जिले में खारसंग–11 में हाल ही के अन्वेषण से तेल के भारी भंडार प्राप्त होने की संभावना व्यक्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और देश में तेल की खुदाई के संबंध में सरकार क्या योजना बनाई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) खारसंग–11 कुआं अभी तक लगभग 700 मीटरी टन तक खोदा गया जब कि हमारा लक्ष्य 4572 मीटरी टन की गहराई तक है। अभी तक कोई हाइड्रोकार्बन संबंधी सूचना प्राप्त नही हुई। असम में डम डम क्षेत्र तथा अरूणाचल प्रदेश में निगू क्षेत्र में आने वाले वर्षों में 15-16 कुओं पर आयल इंडिया लि० ने व्यधन कार्य किया। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत देश में 1.47 मिलियन मीटरी टन तक व्यधन कार्य की परिकल्पना की गई है।

पूर्वोत्तर रेलवे से जांबिया रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले इंजीनियर

9348. **श्री चन्द्र शैलानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने सभी डिवीजन सुपरिटेंडेटों को रेडियोग्राम संख्या ई 73/5/1(1), दिनांक 3 अक्तूबर, 1973 भेजा है जिसके अनुसार कुछ इंजीनियरों को जांबिया रेलवे प्रतिनियुक्ति पर जाने को कहा गया है ;

(ख) कितने उम्मीदवारों ने आवेदन भेजे हैं और जांबिया जाने के लिये सहमति व्यक्त की है ; और

(ग) जांबिया रेलवे में भेजे गए चुने हुए उम्मीदवारों की संख्या तथा नाम क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) तेरह।

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड को भारतीय इंजीनियरी रेल सेवा के चार अधिकारियों अर्थात् सर्व श्री एम० पी० बुधिराजा, रमेशचन्द्र आर० सी० भंडारी और एच० एस० अजवानी की सिफारिश की थी। अन्य क्षेत्रीय रेलों द्वारा भेजे गए नामों के साथ इन नामों पर भी विचार किया गया था लेकिन अन्ततोगत्वा पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा भेजे गये नामों में से किसी एक की भी जांबिया रेलों की सिफारिश नहीं की गयी थी।

बिजली की कमी का मुकाबला करने के लिए मशीनरी और तकनीकी जानकारी के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए की गई कार्यवाही

9349. **श्री गजाधर माझी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली की कमी को दूर करने के लिये मशीनरी और तकनीकी जानकारी के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करने के लिये उद्योगपतियों का सार्थ संघ गठित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) देश में स्वदेशी निर्माण संयंत्र अब देश में पांचवीं योजना में विद्युत परियोजनाओं के लिए आवश्यक अधिकांश संयंत्र और उपस्कर का निर्माण करने में समर्थ है। विद्युत संयंत्रों और पारेषण प्रणालियों के आयोजन, अभिकल्प और निर्माण

हेतु तकनीकी ज्ञान पहले से ही उपलब्ध हैं और पांचवीं योजना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको और विकसित करने का आयोजना किया गया है।

(ख) विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए उद्योगपतियों के किसी भी संकाय को संगठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Construction of Tehri, Maneri and Pachcheswar Dams

9350. **Shri Narendra Singh Bisht :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the present position of construction work of Tehri, Maneri and Pachcheshwar dams, separately ;

(b) whether necessary approval for construction of these dams has been granted by the Planning Commission and all the concerned Departments and if so, the estimated amount of expenditure to be incurred on each of them ;

(c) the time by which the construction work thereon is likely to be started and if the work has been started, the present position of the work ;

(d) the quantity of power to be generated from these dams and the names of the places where this power will be supplied ; and

(e) the acreage of land to be irrigated from these dams and the names of the places where this water will be supplied for irrigation ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri K.C. Pant): (a) to (c) The construction work on Tehri dam and Maneri Bhali (Stage I) projects is in progress. The construction work on Stage II of the Maneri Bhali project and on the Pancheshwar project can be started only after these projects are sanctioned for implementation.

According to the draft Fifth Plan, benefits are scheduled to flow only from the Maneribhali (Stage I) project during the 5th Plan period. The Tehri Dam is expected to give benefits only in the Sixth Plan.

The Tehri Dam and the Maneribhali (Stage I) projects have been approved for implementation. The estimated cost of these projects is Rs. 197.92 crores and Rs. 17.78 crores respectively. The Pancheshwar Dam project estimated to cost Rs. 310 crores is located on the boundary of India and Nepal. It has not been sanctioned.

Stage II of the Maneribhali project has since been accepted for implementation by the Advisory Committee. Approval of the Planning Commission is awaited.

(d) The installed generating capacity of these projects is as under:—

(i) Tehri . . .	. 4 x 150 MW
(ii) Maneribhali (Stage I) .	3 x 35 MW
(iii) Pancheshwar dam (Stage I) .	. 4 x 250 MW

The power generated from these projects will be fed into the Uttar Pradesh power grid, except to the extent power from Pancheshwar would be needed in Nepal. 2.7 lakh hectares of new area will be irrigated from the Tehri dam and irrigation of about 13 lakh hectares will be intensified. The Pancheshwar project would provide regulated waters which can be used for irrigation through the existing Sarda Canal system. The Maneribhali is purely a power project.

Railway line from Rishikesh to Karna-Prayag

9351. **Shri Narendra Singh Bisht:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a survey had been conducted for constructing a railway line from Rishikesh to Karnaprayag and stones marked R.K.R. (Rishikesh Karnaprayag Railway) had also been laid on this route ;

(b) the reasons for abandoning this scheme ; and

(c) whether Government will resume now the work on this line so as to ensure economic development of this neglected and backward area ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) & (b) A detailed survey for this line was carried out during 1927, which revealed that the construction cost of this 160 kms. long line even as a Narrow Gauge line would be prohibitive and financially unjustified. It was, therefore, decided in 1930 to abandon the project.

(c) There is no proposal to take up the project at present in view of very limited traffic prospects, high cost of construction and inadequacy of resources at the disposal of Railways for construction of new lines.

Electrification of Villages in Uttar Pradesh

9352. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether about 24 per cent villages in Uttar Pradesh have been electrified ;

(b) whether only 2 per cent villages in the six districts of Uttarkhand *viz.* Almora, Pithoragarh, Tehri, Chamoli, Uttar-Kashi and Garhwal (Nainital and Dehradun districts being the exceptions) have been electrified so far ;

(c) if so, the reasons why these districts have lagged behind in the average percentage in the State ; and

(d) whether Government propose to draw up or launch any special programme to bring these districts at par with average-percentage in the enitre State in this regard and if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) There are, 112624 villages in Uttar Pradesh. Out of these, 29341 villages have been electrified upto March, 1974. The percentage of villages electrified in the State is 26.1.

(b) In the six districts of Uttarkhand i.e. Almora, Pithoragarh, Tehri, Chamoli, Uttarkashi and Garhwal, there are 12770 villages. Out of these 586 villages have been electrified upto 31-3-1974. The percentage of electrified villages in these districts is 4.6.

(c) The programme of rural electrification is formulated by the State Governments and is executed by the State Electricity Boards. The reasons for the slow progress of electrification in these districts are :

(i) These districts are economically backward and, generally, are behind the other districts, in the matter of general development works including power development.

(ii) The load growth is slow on account of poor people, as well as non-existence of sufficient industrial and agricultural load demand.

(iii) The villages have very small population and are scattered over large areas and also the terrain is difficult and long, and a costly transmission and distribution net work will be required for the electrification of villages, involving huge investment.

(d) Following steps are being taken to improve the position in these districts :—

(i) Special provisions have been made by the State Government for power development in hilly areas.

(ii) The State Electricity Board has lowered its financial norms for electrification of villages in such areas.

(iii) Loan assistance has been provided to the State Electricity Board by the Rural Electrification Corporation Ltd. a public sector undertaking set up by the Government of India. Five schemes have been sanctioned for Almora, Pithoragarh, Chamoli, Uttarkashi and Garhwal Districts. These schemes involve an assistance of Rs. 163.55 lakhs and envisage electrification of 1084 villages and energisation of 34 pumpsets.

(iv) In the Fifth Five Year Plan, a programme of rural electrification has been included in the Minimum Needs Programme to ensure special attention to such backward areas.

Rehabilitation of Families displaced due to construction of Tehri Dam

9353. **Shri Narendra Singh Bisht :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the number of families displaced as a result of construction of Tehri Dam ;

(b) whether these families have been given compensation and if not the reasons therefor ;

(c) whether Government have made full arrangements to rehabilitate them at some other places and whether some families have also been rehabilitated and the names of the places where these displaced families are being rehabilitated ; and

(d) the time by which these families will be moved from Tehri dam area to ensure that construction work may continue uninterrupted ?

The Deputy Ministry in the Ministry of Irrigation & Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) No family has been displaced so far. Approximately 4,300 families now residing in the dam area would be displaced by the completion of the Tehri dam.

(b) As no family has been displaced so far the question of payment of compensation does not arise.

(c) Arragements have been made to rehabilitate the families to be displaced from the Tehri dam in the township to be located at Badshahi Thol. The displaced agriculturist families would be settled by providing agricultural land in exchange. As no displacement has taken place so far, no family has been rehabilitated.

(d) The shifting of families is expected to be started by June, 1974, in stages to ensure uninterrupted Project construction.

Railway line from Kathgodam to Tanakpur

9354. **Shri Narendra Singh Bisht :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have approved the proposal for extending the railway line from Kathgodam to Tanakpur ;

(b) if so, the estimated outlay involved therein and the time by which this project is likely to be completed ; and

(c) if not, whether Government will consider this proposal to ensure economic development of this neglected and backward region ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Due to stringency of funds and lack of adequate traffic justification it would be difficult to consider this proposal at this stage.

वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान वैगन तोड़े जाने की घटनायें

9355. **श्री समर गुह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान वैगन तोड़े जाने की कितनी घटनायें हुई ;

(ख) इस अवधि के दौरान इस प्रकार से वैगन तोड़े जाने से कुल कितनी क्षति हुई ;

(ग) वैगन तोड़ने वाले कितने व्यक्ति वैगन तोड़ते हुए मारे गये, घायल हुए और गिरफ्तार किये गये ;

(घ) कितने मुकदमे दायर किये गये और कितने वैगन तोड़ने वाले व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ;

(ङ) क्या वैगन तोड़ने वाले व्यक्तियों और रेलवे पुलिस के बीच सांठ-गांठ होने के मामले का पता चला है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) जी हां, 1973–74 में।

(च) 1973–74 में दो मामलों में, राज्य रेलवे पुलिस के तीन व्यक्ति माल डिब्बा तोड़ने वालों के साथ सांठ-गांठ किये हुए पाये गये। इनमें से एक के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, और दो मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

विवरण

	1972-73	1973-74
(क) माल डिब्बे तोड़ने के दर्ज किये गये मामलों की संख्या	9314	8938
(ख) माल डिब्बे तोड़ने के कारण हुई कुल हानि . .	64,06,741 रु०	74,98,880 रु०

	1972–73	1973–74
(ग) माल डिब्बे तोड़ते समय मारे गये, घायल हुए, गिरफ्तार हुए माल डिब्बा तोड़ने वालों की संख्या		
(i) मारे गये	34	40
(ii) घायल हुए	14	21
(iii) गिरफ्तार हुए	2404	2617
(घ) (i) इस संबंध में चलाये गये मुकदमों की संख्या .	9314	8938
(ii) माल डिब्बा तोड़ने वालों की संख्या जिन्हें दण्डित किया गया	1048	704

समुद्री कटाव के बारे में अध्ययन करने हेतु पश्चिम बंगाल के दिघा में विशेषज्ञ दल का दौरा

9356. **श्री समर गुह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री कटाव के स्वरूप का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में दिघा में एक विशेषज्ञ दल भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ दल ने क्या निष्कर्ष निकाले ;

(ग) उन्होंने क्या उपचारात्मक सुझाव दिये, और

(घ) इस विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उटाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा गठित समुद्रतट कटाव बोर्ड के सदस्यों ने दिसम्बर, 1972 में दिघा में कटाव स्थल का निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण एवं उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर बोर्ड ने महसूस किया कि कटाव पर प्रभावी तौर पर नियंत्रण करने के लिये समुद्र तट का पोषण करना आवश्यक होगा। यह सिफारिश की गई थी कि ऐसे पोषण के लिए रेत पम्पों के प्राप्त होने तक केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पूना से परामर्श करके तैयार किए जाने वाले अभिकल्प के अनुसार चुनी हुई पहुचों में समुद्री दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए जिनको निकटवर्ती क्षेत्रों से ट्रकों द्वारा मोटा रेत लाकर मजबूत किया जाए।

पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने जो इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है सूचित किया है कि 1973 की मानसून से पहले 2 लाख रुपये की लागत पर 220 मीटर की लम्बई में बुल्डर पोचिंग जैसे तत्काल कार्य किए गए थे और इनके अच्छे परिणाम निकले हैं। आगामी मानसून से पहले 330 मीटर की अतिरिक्त लम्बाई में सुरक्षा के लिए 8 लाख रुपये की और धनराशि स्वीकृत की गयी है।

समुद्रतट कटाव बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एक स्कीम भी तैयार की जा रही है जिसमें एक समुद्री दीवार और रेत पोषण करना शामिल है।

डाक गाड़ियों से जलपान प्रबन्ध का समाप्त किया जाना

9357. **श्री समर गुह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक गाड़ियों से जलपान प्रबंध को समाप्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) डाक गाड़ियों के यात्रियों को, नाश्ते, मध्याह्न भोजन और भोजन की सप्लाई करने के लिए किन-किन कम्पनियों को ठेके दिये गये हैं ;

(घ) ऐसे करारों की शर्तें क्या हैं; और

(ङ) क्या प्राइवेट एजेंसियों को ठेके देने के बाद यात्रियों को सप्लाई किये जाने वाले भोजन के स्तर में गिरावट आई है।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) यात्रियों को दिये जाने वाले भोजन की सेवा आम तौर पर सन्तोषजनक है। फिर भी, सेवा के स्तर में और सुधार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) जहां कहीं स्थान रिक्त होते हैं, अधिकारियों की एक समिति द्वारा खान-पान क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उपयुक्त ठेकेदारों का चुनाव किया जाता है।

(ii) किसी एक ठेकेदार के अधिकार में अधिकतम यूनिटों की संख्या छः तक सीमित कर दी गयी है ताकि ठेकेदार अपनी स्थापना पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकें और साथ ही ठेका अर्थक्षम हो सके।

(iii) ठेकेदारों द्वारा सप्लाई किये जाने वाले भोजन और उनकी सेवा के स्तर के संबंध में अधिकारियों एवं निरीक्षकों द्वारा, नियमित निरीक्षण किये जाते हैं।

(iv) ठेकेदारों के विरुद्ध सभी शिकायतों की पूरी जांच-पड़ताल की जाती है और उनके विरुद्ध उपर्युक्त कार्यवाही की जाती है जिसमें आवश्यकतानुसार ठेके समाप्त करना भी शामिल है।

विवरण

(घ) खान-पान ठेकेदारों के साथ महत्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(1) भोजन यानों और रेस्टोरेन्टों में खान-पान के ठेके आबंटन की तारीख से 5 वर्ष के लिए और स्टालों तथा भोजनालयों के लिए 3 वर्षों के लिए विधि मान्य हैं :—

(2) लाइसेंसदार केवल उन्हीं वस्तुओं को बेच सकते हैं जिनका प्रशासन द्वारा दर निश्चित किया गया है तथा जिनके बेचने की विशेष रूप से अनुमति प्रदान की गयी है।

(3) लाइसेंसदार द्वारा उत्तम किस्म की मदों की सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(4) उसे किसी खुले स्थान पर एक बोर्ड लगाना चाहिए जिस पर यह लिखा हो कि सप्लाई किये गये भोजन या कर्मचारियों के विरूद्ध कोई शिकायत शिकायत पुस्तिका में दर्ज करनी चाहिए।

(5) लाइसेंसदार किसी भी दुषचरित्र व्यक्ति को किसी भी हैसियत से काम के लिए नियोजित नहीं करेगा।

(6) लाइसेंसदार ठेके को समनुदेशित या उप ठेकेदारी पर नहीं देगा और इन शर्तों का किसी प्रकार भी उल्लंघन करने पर ठेका समाप्त हो जायेगा।

(7) कुप्रबंध आदि के लिए लाइसेंसदार के विरुद्ध की गयी शिकायत यदि प्रशासन की राय में वास्तविक हो और वैसा सिद्ध हो चुका हो तो प्रशासन द्वारा 100 रुपया जुर्माना किया जा सकता है जिसे कि लाइसेंसदार देगा।

(8) करार के किसी भी खंड के उल्लंघन में किसी भी कार्यवाई के लिए प्रशासन अपने विवेक से 100 रुपये से अधिक जुर्माना कर सकता है जिसे लाइसेंसदार देगा।

(9) प्रशासन द्वारा जितनी फीस, किराया आदि निश्चित किया जायेगा उतने का भुगतान लाइसेंसदार द्वारा किया जायेगा।

(10) प्रशासन को पहुंचायी गयी सभी प्रकार की क्षति के लिए वह जिम्मेदार होगा और उसकी क्षतिपूर्ति प्रशासन को करेगा।

(11) वह सभी उपस्करों और सामान को साफ-सुथरा रखेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि सफाई और स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां ठीक हैं।

(12) रेलों को अधिकार है कि वह किसी भी समय परिसरों तथा ठेकेदारों के काम का निरीक्षण करे तथा उस संबंधी कार्यवाई करे।

(13) ठेकेदार अपने द्वारा नियोजित कर्मचारियों को उचित वेतन से कम नहीं देगा।

(14) कार्य घंटा विनियमों, मजदूरी भुगतान अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम कार्यघंटा अधिनियम आदि जैसे विभिन्न कानूनों और अधिनियमों द्वारा निर्धारित सभी नियमों का वह अनुपालन करेगा।

(15) बिना कोई कारण दिखाए किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने की सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकता है।

(16) करार के अंतर्गत या उससे संबंधित उठने वाले सभी प्रश्नों या विवादों को संबंधित रेलों के महाप्रबंधक द्वारा नियुक्त अधिकारी/व्यक्ति के पास ही मध्यस्थ के लिये भेजा जायेगा। इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ का अधिनिर्णय अंतिम होगा तथा सभी पक्षों के लिये बंधनकारी होगा।

(17) ठेकेदार या उसके द्वारा विधिवत नियुक्त और वेतनभोगी सक्षम प्रबंधक कारोबार के प्रबंध और पर्यवेक्षण के लिए परिसर में मौजूदा रहेगा।

(18) सभी कर्मचारियों की डाक्टरी जांच की जानी चाहिए और उनका स्वास्थ्य ठीक है इस संबंधी उन्हें प्रमाण-पत्र पेश करना चाहिए।

(19) खराब काम-काज की स्थिति में ठेका समाप्त करने का प्रशासन को अधिकार है।

(20) अपराध प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत या दिवालिया पन के कारण लाइसेंसदार न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर प्रशासन को अधिकार है कि वह तुरंत किसी ठेके को समाप्त कर दे।

(21) खाद्य मिश्रम अधिनियम के सभी विनियमों के अंतर्गत शिकायत के लिए ठेकेदार जिम्मेवार होगा और यदि वह उक्त अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत चालान किया जाये, तो ठेका समाप्त हो जायेगा।

(22) उसे सदा जनता के लिए संतोषप्रद तथा शिकायतमुक्त सेवा सुनिश्चित करनी चाहिए।

Setting up of Unit of D.L.W. Varanasi and Railway workshop Gorakhpur in Eastern district of U.P. and Ballia

9358. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether during his tour he had given an assurance that a unit of D.L.W. Varanasi and also of Railway workshop, Gorakhpur will be set up in the Eastern districts of Uttar Pradesh and also in Ballia in order to remove poverty and unemployment of Ballia ; and

(b) the progress made so far in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railway (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No. However, it was stated that the question of opening some Railway equipment manufacturing units in these areas would be examined.

(b) The matter is under examination.

Running of Major Irrigation Projects by Centre

9359. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have decided in principle not to run any major irrigation projects centrally ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) & (b) Irrigation is a State subject and irrigation Projects are implemented by the State Governments within the frame work of their developmentals plans. There is no proposal to run any irrigation project centrally.

Proposal to give assistance to the poor for contesting elections

9360. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether there are about 40 per cent people in the country who belong to low income group and are living below poverty line ;

(b) if so, whether Government are aware that they cannot contest the election to Lok Sabha or Legislative Assembly even if they so desire ; and

(c) measures proposed to be taken by Government to ensure that these people have a place in the democracy ?

The Minister of State in the Minstry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) to (c) The right to contest election to Lok Sabha or Legislative Assembly is not affected by the factor mentioned in the question and the present limit of election expenses has been fixed under the law after careful consideration of all relevant factors.

Preparation for election to Gujarat Assembly

9361. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the time by which elections in Gujarat are proposed to be held ; and

b) the nature of preparations started by Government for the purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs) (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) Fresh delimitation of constituencies on the basis of 1971 Census and the preparation and revision of electoral rolls thereafter with reference to the newly de-limited constituencies are the two basic requirements which have to be fulfilled before General Elections could be held in Gujarat to constitute a new Legislative Assembly and it is not therefore, possible now to state as to when the elections will be held.

(b) The work of delimitation of constituencies in the State of Gujarat has already been commenced. The Delimitation Commission's proposals for ithe readjustment of parliamentary and assembly constituencies in the State on the basis of the population figures of the 1971 Census have been published in the Gazette of India and the Official Gazette of the State on 28th February, 1974, inviting objections and suggestions from the public before 31st March, 1974. All objections and suggestions received from the public have to be considered at public sittings to be held for the purpose in different places in the State. The final order of the Commission would be issued in about six weeks after the commencement of the public sittings.

Supply of Petrol to M.Ps. on subsidised rates for touring their constituencies

9362. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Members of Lok Sabha are now not in a position to tour their constituencies due to petrol price-hike ;

(b) if so, whether Government propose to supply petrol to them at subsidised rates to enable them to tour their constituencies ; and

(c) if so, from which date ?

The Minister of State in the Ministery of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c) The price of petrol has gone up steeply on account of steep increases the price of imported crude oil and the duty levied to curb conusmption. In the present context, there is no proposal to supply petrol at subsidised rates to any class of consumers.

रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा सुविधाएं

9363. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिये बेहतर तथा पर्याप्त शिक्षा सुविधायें प्रदान करने में असफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) पिछड़े क्षेत्रों तथा मुख्यालयों में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये सरकार कितने स्कूल चलाती है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) चूंकि शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए रेल कर्मचारियों के बच्चे भी अन्य नागरिकों की भांति राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। रेल केवल एक कर्मचारी कल्याण कार्य के रूप में पिछड़े क्षेत्रों सहित केवल उन स्थानों पर 751 स्कूल चला रही है जहां राज्य सरकार अथवा अन्य निजी संस्थाओं द्वारा दी गयी स्कूल की सुविधाएं अपर्याप्त हैं अथवा जहां इनका नितान्त अभाव है। पिछड़े क्षेत्रों में इस तरह स्कूलों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है।

रेल कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें

9364. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों को उत्तम चिकित्सा सुविधायें प्रदान नहीं की जाती हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ख) रेलवे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये कितने अस्पतालों और औषधालयों की व्यवस्था है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेल कर्मचारियों के लिये आरोग्य-कर और निवारक दोनों प्रकार की यथोचित व्यापक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) रेलों में नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या 14,00,112 हैं और 31 मार्च, 1973 को भारतीय रेलों के 98 अस्पताल तथा 561 स्वास्थ्य यूनिट (दवाखाने) थे।

सरकारी तेल शोधक कारखानों के लिये विस्तार कार्यक्रम

9365. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय तेल निगम से अपने वर्तमान तेलशोधक कारखानों का विस्तार धीरे-धीरे करने के लिये कहा है।

(ख) यदि हां, तो अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिये 900 करोड़ रुपये से अधिक निधि न देने के निर्णय से तेल शोधक विस्तार कार्यक्रम को भारी आघात पहुंचा है ;

(ग) क्या इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कोयाली तेलशोधक कारखाने में कार्य करना पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की मांग किस प्रकार पूरी करेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर उद्योग लि० के कार्यकरण की जांच

9366. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री डी० के० पण्डा :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी विधि बोर्ड ने जयपुर उद्योग लि० और वर्तमान प्रबंधकों के अधीन आलोक उद्योग ग्रुप के नाम से काम कर रही अन्य कम्पनियों के कार्यकरण के बारे में जांच की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ग्रुप द्वारा संचालित उद्योगों और वहां काम कर रहे कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करने के लिये कम्पनी विधि बोर्ड ने क्या कार्यवायी की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ): (क) डालमिया-जैन समूह से संबंधित जयपुर उद्योग लिमिटेड एवं 74 अन्य कम्पनियों की लेखा-बहियों तथा अन्य अभिलेखों का निरीक्षण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (4) के अन्तर्गत हाथ में लिया गया था।

(ख) निरीक्षणों से कुल ऐसे उल्लक्षण प्रगत हुए हैं, जो प्रथम दृश्वया, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उल्लंघन अथवा अनियमित कम्पनी प्रथायें सुझाते हैं जिनके लिए संबंधित कम्पनियों से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। निरीक्षण रिपोर्टों में निरीक्षण अधिकारियों के विचार भी प्रस्तुत किये गये हैं, एवं जब तक निरीक्षण अधिकारियों द्वारा विनिर्देशित अनेक अनियमितताओं पर कम्पनी का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक कोई निर्णय नहीं किया जा सकता।

(ग) निरीक्षण की रिपोर्ट 69 विषयों में प्राप्त हो चुकी है; जिनमें से क्षेत्रीय कार्यालयों को 62 विषयों में अनुदेश प्रेषित कर दिये गये हैं। अशोक मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड के कार्य-कलापों की जांच के लिये धारा 237 (ख) के अन्तर्गत एक आदेश भी प्रेषित कर दिया गया है।

गुजरात में सिंचाई सुविधाएं

9367. **श्री बेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई सुविधाओं के मामले में गुजरात सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उस राज्य में सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने के लिये क्या उपाय करने की बात सोच रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। कई राज्य ऐसे हैं जहां फसली क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र प्रतिशतांश गुजरात की तुलना में कम है।

(ख) राज्य की पांचवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। गुजरात में 8.21 लाख हेक्टेयर की सिंचाई शक्यता की बृहत और मध्य सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और अन्तिम रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि फसली क्षेत्र के प्रतिशतांश के रूप में सिंचाई शक्यता पांचवीं योजना के अंत तक 19 प्रतिशत से बढ़ कर 26.3 प्रतिशत हो जाएगी।

गुजरात में सिंचाई और विद्युत् परियोजनाएं

9368. **श्री बेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं की प्रगति काफी धीमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ; और

(ग) उनकी प्रगति की गति बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) योजना अवधियों के दौरान गुजरात में हाथ में ली गई 11 वृहत और 59 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से 3 वृहत और 44 मध्यम सिंचाई स्कीमों पर कार्य पूर्ण हो गया है और 2 वृहत स्कीमें पूर्ण होने वाली हैं। अतः कुल मिला कर, सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक है। इससे अधिक शीघ्रता से कार्य पूर्ण न होने का कारण पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में राज्य सरकार की असमर्थता है। राज्य सरकार का पांचवीं योजना में लाई गई सभी स्कीमों को पूरा करने का प्रस्ताव है।

चतुर्थ योजना में गुजरात में हाथ में ली गई चार विद्युत उत्पादन स्कीमों में से दो स्कीमों पर कार्य पूर्ण हो गया है। मुख्यातय उकई जल-विद्युत परियोजना के पूर्ण होने में ही देरी हुई है। यह देरी मुख्यतः भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० द्वारा उत्पादन संयंत्रों और उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब एवं कुछ सीमा तक विद्युत केन्द्र में एक दुर्घटना के कारण हुई है। उपस्कर एवं संयंत्र की सप्लाई में शीघ्रता लाने हेतु सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। प्रथम सैट के शीघ्र ही चालू होने की संभावना है और उसके पश्चात् अन्य सैट भी शीघ्र चालू हो जाएंगे।

पश्चिम रेलवे पर सौराष्ट्र क्षेत्र में मीटरगेज लाइनों को ब्राड गेज लाइनों में बदलना

9369. **श्री बेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे पर सौराष्ट्र में मीटरगेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिये कोई समय-सीमा बद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) इस समय, वीरमगाम-ओखा और कानालुस-पोरबंदर (कानालुस-सिका और जामनगर-वेदी शाखा लाइनों सहित) के बीच गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से गुजरने वाली 557 किलोमीटर लंबे मीटर लाइन खण्डों को बड़ी लाइन में बदलने का काम हो रहा है। इस काम की मंजूरी दिसम्बर, 1971 में दी गयी थी और इस पर 42.92 करोड़ रुपये की रकम खर्च होने का अनुमान है। दिसम्बर, 1977 तक इस काम के पूरा हो जाने की संभावना है।

गुजरात के कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र में गांधीधाम-भुज मीटर लाइन खंड के बड़ी लाइन में बदलाव के लिए सर्वेक्षण भी किये गये हैं और रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

इस क्षेत्र में अभी किसी और मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बम्बई हाई से निकले अशोधित तेल के लिये 'सब मैरीन पाइप लाइन'

9370. **श्री निहार लास्कर : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बम्बई हाई समुद्र तट से अशोधित तेल लाने के लिये सब मैरीन पाइप लाइन की प्रतीक्षा नहीं करेगा ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) उत्पादन आरम्भ होने पर क्या अन्य तरीके अपनाये जायेंगे;

(घ) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई में तेल उत्पादन के लिये अपेक्षित 'फिक्स्द ड्रिलिंग प्लेटफार्म' प्राप्त करने के लिये विश्व शिप यार्डों से सौदेबाजी न करने का भी निर्णय किया ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) बम्बई हाई से समुद्र तट तक अशोधित तेल को भेजने और उत्पादन के लिये कोई निश्चित योजनाएं तैयार नहीं की गई हैं क्योंकि संरचना पर अब तक केवल एक कुंए का व्यधन किया गया है। परिवहन के सभी उपलब्ध वैकल्पिक साधनों पर गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में विद्युत् संकट

9371. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री एच० एम० पटेल :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बार-बार लगाये जाने वाली विद्युत संबंधी रोक पर गुजरात की मिलों और उद्योगों की फेडेरेशन ने भारी चिन्ता व्यक्त की है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि विद्युत की इस कटौती के कारण हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना गुजरात सरकार से एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तट दूर तेल की खोज के लिये सहयोग के बारे में मतभेद

9372. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री आदि चरण दास :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट दूर तेल की खोज के लिये सहयोग के बारे में उनके मंत्रालय तथा चार प्रमुख तेल कम्पनियों के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय तथा कम्पनियों के बीच बातचीत चल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) जिन चुनीदा कपंनियों ने प्रस्ताव रखे हैं उनके साथ बात चीत चल रही है।

(ग) इस अवस्था में कोई विवरण देना जनहित में ठीक नहीं होगा।

बंगला देश और नेपाल को पेट्रोल की सप्लाई

9373. **श्री के० मालन्ना :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार बंगला देश त । नेपाल की सरकारों को पेट्रोल सप्लाई करती हैं ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में अब तक कितने मूल्य का पेट्रोल सप्लाई किया गया है; और

(ग) क्या पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि के कारण हाल में करारों में कोई परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) मूल्य वृद्धि के कारण करार में मूल्यों के अतिरिक्त कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

पांचवीं योजना में तेल शोधक कारखानों की क्षमता का विस्तार

9374. **श्री के० मालन्ना**

श्री सतपाल कपूर :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय तेल शोधक की कुल क्षमता कितनी है; और

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल शोधन की क्षमता में वृद्धि के बारे में सरकार से क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) देश में इस समय कुल परिष्करण क्षमता प्रति वर्ष 24.05 मिलियन मी० टन है। इसमें गैर सरकारी परिष्करण शालाओं की उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता भी शामिल है।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में परिष्करण शाला का क्षमता लक्ष्य अस्थाई रूप से 1978-79 तक 39 मिलियन मी० टन नियत है। तीव्र गति से बढ़ते अशोधित तेल के मूल्य और अशोधित तेल के मूल्य में हुई बृद्धि से विदेशी मुद्रा की जटिलताओं को देखते हुए, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त की जाने वाली अनुकूलतम परिष्करण क्षमता अभी विचाराधीन है।

दुर्गापुर कैमीकल्स लिमिटेड का कम उत्पादन

9375. **श्री रानेन सेन** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर कैमिकल्स लिमिटेड में शालिक, कास्टिक सोडा और फिनाल का उत्पादन स्तर अभी तक निर्धारित क्षमता से बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) कास्टिक सोडा संयंत्र में जिसके लिये अपेक्षित कच्चा मालसामान्य संयंत्र के लवण है, दोषपूर्ण रखरखाव के कारण केवल संयंत्र की 45 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा सका है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके सुधार के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) इस एकक का उत्पादन निर्धारित क्षमता से बिल्कुल कम रहा। ऐसा परिचालन समस्याओं तथा श्रमिक अशांति जिस के फलस्वरूप संचालन कार्य में बाधाएं उत्पन्न हुई, के परिणामस्वरूप कास्टिक सोडे का कम उत्पादन, संयंत्र की देख रेख संबंधी समस्याओं, क्लोरिन सिलेंडरों की कमी तथा बिजली के खराब रहने के कारण हुआ। पर्थैलिक एनीलड्राइड के उत्पादन में नवम्बर, 1973 से सुधार हुआ है क्योंकि संयंत्र की खराबियों को ठीक कर लिया गया था।

(घ) यह पश्चिमी बंगाल का एक उपक्रम है। सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जाली एजेंसियों द्वारा सीटें हथियानें में बुकिंग क्लर्कों का कथित हाथ

9376. **श्री राजदेव सिंह** :

श्री एम० कतायुतु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष मई महीने से एक वर्ष पहले ही सीटें आरक्षित कराये जाने के लिए रेलवे विभाग के निर्णय के कारण सभी महत्वपूर्ण रेल गाड़ियों तथा मार्गों पर उपलब्ध अधिकतर सीटों को बड़ी संख्या में ऐसी तथा-कथित यात्रा एजेंसियो द्वारा हथिया लिया जाता है जो आगामी ग्रीष्म काल में गाड़ियों में भीड़भाड़ होने के दौरान लगभग सभी बड़े नगरों और टाउनों में कार्य कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन एजेंसियों द्वारा सीटों को हथियाये जाने का कार्य हाल में बुकिंग क्लर्कों के साथ सांठ-गांठ करके किया गया है ; और

(ग) क्या नितान्त दोष रहित प्रणाली अथवा उपचार न होने के कारण सरकार सम्पूर्ण योजना को वापस लेने का विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) 1 मई, 1974 से आरक्षण को एक वर्ष पहले से खोलने के संबंध में रेलवे ने जो विनिश्चय किया था, पुनर्विचार के बाद उसे कार्यान्वित नहीं किया गया। परिणामतः विभिन्न दर्जों के लिए अग्रिम आरक्षण कराने की समय-सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

ओखला स्टेशन (दिल्ली डिवीजन) पर गुड्स शैड

9377. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेल मंत्री दिल्ली में ओखला स्टेशन पर वहां जाने वाले तथा वहां से बाहर आने वाले माल डिब्बों के बारे में 4 दिसम्बर, 1973 के अतांराकित प्रश्न संख्या 3323 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलव के ओखला स्टेशन पर एक छत वाले गुड्स शैड की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) ओखला स्टेशन पर अतिरिक्त माल गोदाम बनाने से संबंधित प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। आशा है कि इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा।

छोटा नागपुर और संथाल परगना में सिचाई और विद्युत् योजनाओं के लिए धनराशि

9378. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई आयोग पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई और विद्युत योजनायें बनाये जाने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है तथा क्या धनराशि आवंटित किये जाने के मामले में कोई विशेष ध्यान रखा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में (1) छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्रों में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं (2) कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई की जायेगी तथा (3) इस क्षेत्र को कितनी बिजली सप्लाई की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सिंचाई आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई और विद्युत् स्कीमों को तैयार करने और धन के आवंटन के लिये कोई मापदण्ड नहीं बताया है। बहरहाल, इन क्षेत्रों में अधिक-अधिक स्कीमें हाथ में लेने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं, पांचवीं योजना के प्रारूप कागजात में भी जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में नई स्कीमों को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया है।

(ख) बिहार की पांचवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा सिंचाई और विद्युत् परियोजनाएं अपने हाथ में लिया जाना

9379. **श्री कार्तिक उराव :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्यों के सिंचाई और विद्युत् विभागों को अपने हाथ में लिये जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लोहारडागा और टोरी के बीच नई रेलवे लाईन

9380. **श्री कार्तिक उरांव : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लोहारडागा से टोरी तक नई रेलवे लाइन बनाने तथा **रांची से** लोहारडागा तक नैरोगेज लाइन को बदलने का है जिससे दिल्ली तक वर्तमान मार्ग में 250 **किलो मीटर** की दूरी कम हो जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) लोहारडागा और टोरी के बीच नयी रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन रांची-लोहारडागा छोटी लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के लिये यातायात सर्वेक्षण करने की पहले ही 8-1-74 को मंजूरी दी जा चुकी है और यह काम चालू है । सर्वेक्षण पूरा हो जाने तथा उसके परिणाम मालूम हो जाने के के पश्चात् ही इस के बदलाव के संबंध में कोई विनिश्चय किया जायेगा ।

रेलवे को अनिवार्य सेवा घोषित करना

9381. **श्री कार्तिक उरांव : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन ने रेलवे को 'अनिवार्य सेवा' घोषित करने के बारे में सोंचा है, ताकि हड़तालों की निरन्तर धमकी के भय से जनता को राहत मिल सके; और

(ख) क्या रेल मंत्री ने लोको कर्मचारियों और अन्य संबंधित संघों की मांगों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) रेलवे सार्वजनिक उपयोग की एक अनिवार्य सेवा है और सिवाय औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, इनमें हड़ताल नहीं की जा सकती । लेकिन इस समय भारत रक्षा नियम लागू होने के कारण उक्त उपबन्धों के अधीन भी हड़ताल अवैध है ।

जब कभी मांग प्राप्त होती है, उस पर समुचित विचार किया जाता है और यथा-व्यावहारिक कार्रवाई की जाती है ।

रांची से दिल्ली और दिल्ली से रांची तक सीधी रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव

9382. **श्री कार्तिक उरांव : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार रांची से दिल्ली और दिल्ली से रांची तक सीधी रेलगाड़ी चलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा के गंजम जिले की बाघलाटी नदी परियोजना को क्रियान्वित करना

9383. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के गंजम जिले की बाघलाटी नदी परियोजना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच जल विवाद के कारण क्रियान्वित नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो विवाद को हल करने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या पहली स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार अन्य दो सहायक नदियों की परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने इस विवाद पर विचार-विमश करने और इसे हल करने के लिये दोनों राज्यों के संबद्ध मुख्य अभियंताओं से अनुरोध किया है । मुख्य अभियंताओं ने इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिये अभी मिलना है ।

(ग) बहुदा नदी की उप शाखाओं पर दो वोयरों, नामश: पोश्चन्दिया नाले पर बुदागोडा पर वोयर और बोगो नाले पर सुरंगों पर वोयर, का निर्माण बहुदा परियोजना चरण-एक के रूप में पूर्ण हो गया है ।

दक्षिण-पूर्वी रेलवे द्वारा एन० ए० कोरापुट को दिया जाने वाला सेवा-शुल्क

9384. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्वी रेलवे ने कोरापुट, उड़ीसा स्थित अपने भवन के लिये एन० ए० सी० कोरापुट को सेवा-शुल्क के रूप में अभी कितने धन-राशि देनी है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस राशि का भुगतान कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) अधिसूचित क्षेत्र समिति कोरापुट को देय सेवा प्रभारों का हिसाब लगाया जा रहा है । हिसाब हो जाने पर देय राशि का भुगतान कर दिया जायेगा ।

कोट्टायाम से बरास्ता सबरीमाला मदुरै तक रेलवे लाइन का बिछाया जाना

9385. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोट्टायाम से बरास्ता सबरीमाला मदुरै तक नई रेलवे लाइन बिछाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नैमित्तिक श्रमिकों को सेवा निवृत्ति सम्बन्धी सुविधाएं

9386. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे ऐसे लाखों नैमित्तिक श्रमिकों, को, जिन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया, सेवा निवृत्ति संबंधी लाभ, जैसे कि पेंशन तथा भविष्य निधि में नियोक्ता की ओर से अंशदान, के लिये अपात्र माना गया है चाहे उनका सेवा काल कितना ही बड़ा हो ।

(ख) यदि हां, तो इतने अधिक वर्षों की सेवा के बाद उनके अपने अंशदान के अतिरिक्त उन्हें अन्य क्या लाभ दिये जाते हैं; और

(ग) पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन में, दक्षिण मध्य रेलवे के हुगली डिवीजन, दक्षिण रेलवे के गुंटाकुल डिवीजन और दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें उन नैमित्तिक श्रमिकों को सेवा निवृत्ति संबंधी लाभ नहीं दिये गये जो गत तीन वर्षों से अस्थायी कर्मचारी रहे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) दैनिक मजदूरी वाले नैमित्तिक मजदूर भविष्य निधि या पेंशन संबंधी लाभ में से किसी एक के भी हकदार नहीं हैं । जिन नैमित्तिक मजदूरों ने अस्थायी हैसियत प्राप्त कर ली है वे इस तरह की एक वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद अन्य अस्थायी रेल कर्मचारियों की तरह भविष्यनिधि में अंशदान देने के पात्र हो जाते हैं ।

ऐसे कर्मचारी (प्रवरण के बाद) नियमित पदों पर नियुक्त होने पर नियमों के अन्तर्गत नियमित रेल कर्मचारियों के लिये अनुज्ञेय लाभों के हकदार हो जाते हैं ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नैमित्तिक श्रमिकों के संबंध में स्थाई आदेशों का अपनाया जाना

9387. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की क्पा करेंगे कि :

(क) क्या नेमित्तिक श्रमिकों के बारे में अपनाने के लिये औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम के अधीन आदर्शस्थायी आदेशों का प्रारूप श्रम तथा रोजगार मंत्रालय से प्राप्त हुआ है और

(ख) यदि हां, तो उनकों अपनाने में और क्रियान्वित करने के लिये जोनल रेलों को परिचालित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने विभागीय उपक्रमों में नैमित्तिक श्रमिकों पर लागू करने के लिये श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्रतिमान स्थायी आदेश विभागीय नियमों के रूप में अपनाने हेतु प्राप्त हुए थे । ये नियम रेलों पर नहीं अपनाये गये हैं क्योंकि रेलों पर नियोजित नैमित्तिक श्रमिकों की सेवा की

शर्तों का नियमन भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली में निहित नियमों और समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये आदेशों द्वारा किया जाता है । भारतीय रेलों को औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के उपबन्धों में उनकी धारा 14 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा छूट मिली हुई है।

गत तीन महीनों में समस्तीपुर डिवीजन में रद्द की गई रेलगाड़ियां

9388. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में विभिन्न लाइनों पर कितनी रेल गाड़ियां रद्द की गई और इसके परिणामस्वरूप कितने यात्रियों पर प्रभाव पड़ा ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कोयले की कठिन स्थिति, कर्मचारियों द्वारा हड़तालों/आन्दोलनों और जन आन्दोलनों के कारण मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले तीन महीनों के दौरान समस्तीपुर मण्डल में औसतन यात्री ढोने वाली 30 जोड़ी गाड़ियां रद्द की गई थीं । इन गाड़ियों के रद्द हो जाने से कितने यात्री प्रभावित हुए, यह बताना संभव नहीं है ।

रेल कर्मचारियों की तीन फैडरेशनों के साथ बातचीत

9389. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों के तीन सेंट्रल फैडरेशन कर्मचारियों की नियतम मांगों की स्वीकृति के लिये बातचीत कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या तीन फैडरेशनों से यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्येक रेलवे में एक यूनियन होने का निर्णय गुप्त मतदान द्वारा किया जाए,; और

(घ) यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 2-5-74 को सदन में रेल मंत्री द्वारा दिये गये ब्यान में श्रम संगठनों के साथ वार्ता तथा वार्ता के परिणामों का उल्लेख किया गया है।

(ग) और (घ) रेल मंत्री ने 4-2-74 को श्रमिक संबंधों में दिलचस्पी रखने वाले कुछ माननीय संसद सदस्यों के अलावा आल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन तथा नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन के पदाधिकारियों और 4 केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों की एक कान्फ्रेंस बुलायी थी । इस कांफ्रेंस में एक आम राय यह थी कि कर्मचारी और प्रशासन के बीच उपयोगी वार्ता और समझौते के लिये केवल एक यूनियन होनी चाहिये । जिसका आधार व्यापक हो और जो इतनी लोकप्रिय हो कि

27 LSS/74—9

उसमें रेल कर्मचारियों के सभी प्रकार के शिल्पों और सभी कोटियों का प्रतिनिधित्व होता हो । प्रत्येक रेलवे पर एक यूनियन का लक्ष्य प्राप्त करने के उपायों और साधनों पर विचार किया जा रहा है । इसमें अन्तर्निहित विषयों की जटिलता को देखते हुए इस उद्देश्य की प्राप्ति में कुछ समय लगना स्वाभाविक है ।

भू-गर्भीय जांच के बारे में केरल के उद्योग मंत्री द्वारा दिये गये सुझाव

9390. **श्री एम० एम० जोजफ : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार के उद्योग मंत्री ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि एक भूवैज्ञानिक ने, जिसको कोचीन के तट से दूर कीचड़ में भूगर्भीय जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था, केरल में दो स्थानों के बारे में कोई संकेत दिया है जहां बड़ी मात्रा में तेल मिलने की संभावना है ;

(ख) क्या बर्मा आयल कंपनी, आसाम के एक भूतपूर्व कर्मचारी ने भी कुछ स्थानों का सुझाव दिया था, जहां तेल की खोज की जा सकती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन कार्यों को तत्काल आरम्भ करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) केरल सरकार के उद्योग मंत्री ने 4-3-1974 को पेट्रोलियम और रसायन मंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें उनका ध्यान बर्मा आयल कंपनी, असम, के एक भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा बताए गए दो स्थानों, जहां तेल पाया जा सके, के बारे में आकर्षित किया गया । इन स्थानों की जांच-पड़ताल की गई थी और वहां पर तेल प्राप्त होने की संभावना नहीं पाई गई थी ।

मतदान सम्बन्धी सुधारों के बारे में एक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव

9391. **श्री मधु दंडवते : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्वाचन संबंधी सुधारों, पर, जिनमें निर्वाचन लड़ने के मामले में दलों का आचरण और निर्वाचन निधियों की सीमा बढ़ाना शामिल है; राष्ट्रीय बहुमत तैयार करने हेतु शासक दल सहित सभी दलों के प्रतिनिधियों और दल राजनीति से इतर सुप्रसिद्ध व्यक्तियों का एक सम्मेलन बुलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) दोनों सदनों की संयुक्त समिति की सिफारिशों पर आधारित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक संसद् के विचाराधीन है । संयुक्त समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वह "इस सुझाव के सहमत नहीं थी कि विभिन्न राजनीतिक दलों और सार्वजनिक व्यक्तियों की राय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उसके विचारार्थ आमन्त्रित की जाए कि राज्य विधान-सभाओं और लोक सभा दोनों के लिये साधारण निर्वाचनों

और मध्यावधि निर्वाचनों के संचालन में अनुभव के आधार पर की गई निर्वाचन आयोग की सिफारिशें समिति को उपलब्ध कराई गई थी और इसलिये भी कि समिति में सभी बड़े राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व किया गया था।" इस बात को देखते हुए, सम्मेलन आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केशोराम सीमेंट इंडस्ट्रीज के आवेदन-पत्र पर एकाधिकार तथा निबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग की सिफारिश

9392. **श्री मधु दंडवते : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्वन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग ने केशोराम सीमेंट इंडस्ट्रीज के आवेदन-पत्र पर सर्वसम्मति से सिफारिशें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग की सिफारिशों में कुछ फेर-बदल किया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा किये गये फेर-बदल का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत वरुआ) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) से (घ) एकाधिकार एंव निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 54 के साथ पठित धारा 22(3) के अन्तर्गत, दिनांक 21 मार्च, 1974 के आदेश जो केशोराम इंडस्ट्रीज एक काटन मिल्स लिमिटेड की बाबत, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ दिनांक 23 अप्रैल, 1974 को सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया था, के प्रेषण के लिये अग्रगामी प्रस्तावना के पैरा 3 से प्रतीत होगा कि केन्द्रीय सरकार ने, आयोग द्वारा सिफारिश किये गये निर्बन्धनों को अभिसंविति किये बिना, कंपनी के प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिये कारण दिये थे।

पूर्वी क्षेत्र के बिजली घरों द्वारा बिजली का उत्पादन

9393. **श्री देवेन्द्र नाथ महाती : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी क्षेत्र के बिजली घरों द्वारा 1972 और 1973 के दौरान बिजली घर-वार कुल कितनी बिजली का उत्पादन किया गया ; और

(ख) उस क्षेत्र में प्रत्येक बिजली घरों में 1974-75 में अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1971-72 और 1972-73 के दौरान पूर्वी क्षेत्र में विद्युत केन्द्र-वार उत्पन्न की गई कुल विद्युत संलग्न विवरण (उपाबन्ध) में दी गई है।

(ख) इस क्षेत्र में निम्नलिखित निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के 1974-75 के दौरान चालू होने की संभावना है :

उड़ीसा

बलिमेला जलविद्युत परियोजना .	3× 60 मेगावाट
पश्चिम बंगाल	
संथालडीह ताप	1× 120 मेगावाट
दामोदर घाटी निगम	
चन्द्रपुरा यूनिट—चार . . (परीक्षण प्रचालनाधीन)	1× 120 मेगावाट
चन्द्रपुरा यूनिट—पांच . .	1× 120 मेगावाट
असम	
नामरूप ताप विस्तार . .	1× 30 मेगावाट

विवरण

विद्युत केन्द्र का नाम	उत्पन्न ऊर्जा (जी०डब्ल्यू० एच०)	
(1)	(2) 1971-72	(3) 1972-73
(1) असम		
1. उमत्रू जलविद्युत्	61.71	73.43
2. उमसुमेर (बारापानी जलविद्युत्) . .	40.80	45.46
3. उमियम (जलविद्युत)	86.46	96.13
4. चन्द्रपुरा (ताप)	—	2.40
5. नामरूप (गैस)	219.84	249.02
(2) उड़ीसा		
1. हीराकुड 1 और 2	1107.39	1049.21
2. तालचर ताप	516.53	638.17
(3) दामोदर घाटी निगम		
1. पंचेत हिल (जलविद्युत)	185.64	97.73
2. माइथोन (जलविद्युत)	223.56	107.00
3. बोकारो (ताप)	1030.33	809.84
4. चन्द्रपुरा (ताप)	1903.86	2112.97
5. दुर्गापुर (ताप)	1107.22	1011.89

(1)	(2)	(3)
(4) पश्चिम बंगाल		
1. जलढाका (जल विद्युत्)	20.19	48.00
2. गोरोपुर (ताप)	76.96	81.59
3. बंदेल (ताप)	1366.71	1523.72
4. दुर्गापुर (परियोजना (ताप)	730.85	747.91
5. दिशेरगढ़ (ताप)	51.36	53.45
6. कोसीपुर (ताप)	21.21	21.03
7. साउर्थन (ताप)	196.73	205.73
8. मूलाजोरे (ताप)	691.65	752.98
9. न्यू कोसी पोरे (ताप)	824.29	876.61

पश्चिम बंगाल में डीजल से चलने वाले बिजली घरों का कार्यकरण

9394. **श्री देवेन्द्र नाथ महाता : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल के डीजल से चलने वाले बिजली घरों के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रत्येक बिजलीघर की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है [**ग्रंथालय में रखा गया (देखिए संख्या एल० टी० 6930/74)**

(ख) पश्चिम बंगाल में डीजल विद्युत् संयंत्रों का प्रयोग आपात्काल में अथवा पोकिंग उद्देश्यों के लिये किया जाता है । हाल ही में, पश्चिम बंगाल सरकार ने 3.5—3.5 मेगावाट के दो उत्पादन सेटों के लिये आदेश दिया है । इसके लिये ठीक स्थान का निर्धारण क्षेत्र में बिजली प्रदाय की स्थिति पर विचार करते हुए राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।

हाल ही के तेल संकट के कारण, डीजल विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रोत्साहन नहीं दिय जाता है ।

सिलीगुड़ी और कूच बिहार स्थित डीजल से चलने वाले बिजली घरों में बिजली का उत्पादन

9395. **श्री देवेन्द्र नाथ महाता : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलीगुढ़ी और कूच बिहार स्थित डीजल से चलने वाले बिजली घरों में उनकी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार बिजली का उत्पादन हो रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में वहां उत्पादित बिजली के आंकड़े क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : सिलीगुड़ी एवं कूच बिहार में क्रमशः 3560 किलोवाट और 3354 किलोवाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता के डीजल विद्युत् केन्द्र स्थित हैं । ये दोनों नगर मुख्य रूप से ग्रिड से विद्युत् लेते हैं और इन डीजल संयंत्रों को आपत्काल अथवा पीकिंग उद्देश्यों के लिये प्रयोग में लाया जाता है । अतः प्रतिष्ठापित क्षमता के अनुसार विद्युत उत्पादन करने का प्रश्न नहीं उठता । उत्पादित ऊर्जा और प्रतिष्ठापित क्षमता की मात्रा संलग्न विवरण में दी जाती है ।

विवरण

सिलीगुड़ी और कूच-बिहार विद्युत् केन्द्रों की प्रतिष्ठापित क्षमता एवं उत्पादन का विवरण

	प्रतिष्ठापित क्षमता (किलोवाट)	उत्पादन (मिलियन यूनिट)
सिलीगुड़ी		
1970-71	2976	3.71
1971-72	3560	5.40
1972-73	3560	2.25
कूच बिहार		
1970-71	2474	2.30
1971-72	3354	3.27
1972-73	3354	1.14

त्रिपुरा की गुमटी पन बिजली परियोजना पर किया गया व्यय

9396. **श्री देवेन्द्र नाथ महाता** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिपुरा में गुमटी पनबिजली परियोजना पर वर्षवार, अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी और उस पर कितनी धनराशि खर्च की जानी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 1273 लाख रुपये की अनुमानित लागत को गुमटी जल विद्युत् परियोजना के दिसम्बर, 1975 तक चालू होने की संभावना है । इस परियोजना पर अब तक हुआ व्यय नीचे दिया गया है :—

	(लाख रुपयों में)
1968-69 के अन्त तक	129
1969 से 1972 तक के दौरान	289
1972-73	100
1973-74 (प्रत्याशित)	156

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर प्रदेश के राज्यों के लिये बिजली संबंधी आवश्यकताओं के लिए सर्वेक्षण

9397. **श्री देवेन्द्र नाथ महाता** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर प्रदेश के राज्यों के औद्योगिकरण को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना की अवधि में, राज्यवार बिजली की आवश्यकता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बिजली के वर्तमान संसाधन क्या हैं और उपरोक्त अवधि में उनकी क्या संभावनाएं हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान तथा पांचवीं योजना के अन्त तक के लिये आयोजित उत्पादन क्षमता निम्नलिखित है :—

	वर्तमान (1973-74)	पांचवीं योजना के अन्त तक (1978-79)
	मेगावाट	मैगावाट
असम, मेघालय, मिजोरम	189	337
मणिपुर	10.8	115.8
नागालैंड	2.1	3.6
त्रिपुरा	5.3	15.3
अरुणाचल प्रदेश	4.5	6.5
कुल	212	478

Russian Know-how for making dams by explosion blast

9393. Shri Chandulal Chandrakar :

Shri Nawal Kishore Sharma :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal under the consideration of Government to acquire Russian know-how for making dams by explosion blast ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the location of such a dam to be built and the estimated expenditure to be incurred on the blast ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No. Sir.

(b) & (c) Do not arise.

प्रस्तावित नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण

9399. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन को दो चरणों में पूरा किये जाने के लिये स्थान तथा इंजीनियरिंग संबंधी अन्तिम सर्वेक्षण के आदेश जारी कर दिये गये हैं :

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य किस तिथि से आरम्भ होगा तथा इसका पहला चरण अर्थात् नंगल से अम्बाला तक 50 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) इस सर्वेक्षण के लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1974-75 के बजट में अन्तिम मार्ग निर्धारण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण की व्यवस्था की गयी है । उत्तर रेलवे से सर्वेक्षण अनुमान अभी नहीं मिले हैं ।

(ख) जैसे ही उत्तर रेलवे से यह सर्वेक्षण अनुमान प्राप्त हो जायेंगे उसके तुरन्त बाद ही सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया जायेगा । अभी यह बताना कठिन है कि नांगल से अम्बाला तक पहले चरण का काम कितने समय में पूरा हो सकेगा ।

(ग) 1974-75 में 3.00 लाख रुपये ।

बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और खपत

9400. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त देश में और प्रत्येक उत्तर पश्चिम राज्य, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तथा चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्रों के लिये नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और खपत कितनी है; और

(ख) क्या इन राज्यों में, जिनमें बिजली कम पैदा होती है, अधिक बिजली उपलब्ध करने की कोई योजना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1972-73 के दौरान, समस्त भारत के लिये बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 96.6 यूनिट थी ।

1972-73 के दौरान उत्तर पश्चिमी राज्यों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत निम्नलिखित है :—

	यूनिट
जम्मू एवं कश्मीर	39.7
हिमाचल प्रदेश	43.5
पंजाब	165.4
हरियाणा	121.3
राजस्थान	58.5
उत्तर प्रदेश	64.5
संघ राज्य क्षेत्र	
दिल्ली	301
चंडीगढ़	317

बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता उत्पादन क्षमता जमा अन्तर्सम्पर्कों से मिल सकने वाली बिजली पर निर्भर करती है और यह सही सही नहीं बताई जा सकती ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तरी क्षेत्र में 5289.5 मैगावाट तक विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है, जिससे इस समय पिछड़ रहे राज्यों सहित, इस क्षेत्र के राज्यों में बिजली की आवर्धित उपलभ्यता को सुनिश्चित किया जायेगा ।

उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विद्यूत् प्रजनन और वितरण के लिए रिजनल ग्रिड स्थापित किया जाना

9401. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पन-बिजली के प्रजनन और वितरण के लिये एक रिजनल ग्रिड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। उत्तर क्षेत्रीय ग्रिड उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र की विद्युत-पारेषण की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल पम्प

9402. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1974 तक हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल पम्पों की संख्या कितनी है ;

(ख) 1973-74 में कितने पेट्रोल पम्प मंजूर किये गये ; और

(ग) पेट्रोल पम्पों के आवंटन के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 44 संख्या

(ख) एक

(ग) विभिन्न नगरों/क्षेत्रों में ग्राहकों की संभावनाओं के आधार पर फुटकर बिक्री पंपों के स्थान का निर्णय किया जाता है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में समिति

9403. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में बहुत से उच्च पद रिक्त पड़े हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या इन पदों को भरने के लिये उपयुक्त अधिकारियों का पता लगाने का कार्य हक्सर समिति को सौंपा गया है और यदि हां, तो इन अधिकारियों का पता लगाने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा उपयुक्त अधिकारी कब तक नियुक्त कर दिये जायेंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष के पद के लिये नियमित पदधारी के चयन में पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री की सहायता हेतु एक औपचारिक समिति स्थापित की गई है । इस पद के लिये नियमित पदधारी की नियुक्ति की गई है और उन्होंने 10-4-74 को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष के पद का कार्यभार संभाल लिया है ।

पूर्वी प्रदेशों में ग्राम्य विद्युतीकरण योजनाओं को क्रियान्वित न करने संबंधी सर्वेक्षण

9404. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वी प्रदेशों में अनेक ग्राम्य विद्युतीकरण परियोजनायें क्रियान्वित नहीं की गई हैं ;

(ख) क्या कोई इस प्रकार का औपचारिक सर्वेक्षण किया गया है कि वे योजनाएं, विशेषकर वे, जो घोषित किये गये पिछड़े क्षेत्रों के लिये थीं, क्रियान्वित क्यों नहीं की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान, आसाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मेघालय के संबंध में किये गये सर्वेक्षण के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाता है और उनके राज्य बिजली बोर्डों के जरिए कार्यान्वित किया जाता है संकलित किए गए आंकड़ों के आधार पर यह मालूम हुआ है कि पूर्वी क्षेत्र में ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति तुलनात्मक तौर से धीमी है । अतः केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत उपमंत्री की अध्यक्षता में पूर्वी राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण की गति की जांच करने एवं औपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है । समिति की रिपोर्ट की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग) इसके लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सरकारी सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

अन्तर्राज्यीय विवाद वाली सिंचाई परियोजनाएं

9405. **श्री सतपाल कपूर:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम और संख्या क्या है जिनके बारे में अन्तर्राज्यीय विवाद चल रहे हैं ;

(ख) उन सिंचाई परियोजनाओं के बारे में सरकार की नीति क्या है ; और

(ग) क्या राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देश को जल संसाधनों का उपयोग न किये जाने के कारण भारी हानि हो रही है, केन्द्रीय सरकार का विचार ऐसी सभी परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने और उनको यथाशीघ्र आरंभ करने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) संबंधित राज्यों में कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी बेसिनों के जल के विभाजन पर मतभेद हैं।

इन बेसिनों में 37 बृहत और 87 माध्यम सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति के लिए निलंबित पड़ी हैं।

(ख) जब तक विवादों पर न्याय निर्णयन हेतु नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा नहीं दिया जाता अथवा किसी परियोजना के संबंध में कोई समझौता नहीं हो जाता, इन विवादग्रस्त बेसिनों में किसी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी जा सकती ।

(ग) जी, नहीं।

नेशनल रेयान कारपोरेशन

9406. **श्री मधु लिमये : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निदेशक की सेवावधि बढ़ाने और उपरोक्त कारपोरेशन के निर्वाचित निदेशकों (1973) का अनुमोदन करने से इनकार करने के सरकार के कर्त्तव्य के बारे में, ताकि कपाड़िया बन्धुओं को इसको अपने हाथ में लेने से रोका जा सके, संसद सदस्यों, नेशनल रेयन कारपोरेशन के अंशधारियों या आम जनता से कोई अभ्यावेदन सरकार को मिले हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई के उच्च-न्यायालय ने हाल ही में कपाडिया बन्धुओं को कदाचार और जनहित के विरुद्ध कार्यवाही करने के मामले में दोषी पाया है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन प्रतिवेदनों पर क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) नेशनल रैयन कारपोरेशन लिमिटेड के कार्य-कलापों की बाबत, अनेक पक्षों से आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं। इन अभ्यावेदनों को कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा सरकारी निदेशकों की नियुक्ति की अवधि 30 जून, 1974 तक बढ़ाये जाने तथा 11 मई, 1973 को हुई, वार्षिक साधारण बैठक में निर्वाचित, निदेशकों की बावत, कम्पनी अधिनियम की धारा 408(5) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र को निरस्त करते समय विचार में रखा गया था।

(ग) बम्बई उच्च न्यायालय ने कम्पनी विधि बोर्ड की उन उपपत्तियों को संदर्भित किया है जो कपाडियाओं के विरुद्ध जाती थी, एवं अवलोकित किया कि इस पर कपाडियाओं ने आपत्ति नहीं की है।

एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग की कार्यवाही के विरुद्ध कोका कोला निर्यात निगम द्वारा प्राप्त रोकादेश

9407. **श्री मधु दंडवते :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला निर्यात निगम ने एकाधिकार निर्बन्धात्मक प्रक्रियाएं आयोग की कार्यवाही के विरुद्ध कोई रोकादेश प्राप्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और दिल्ली उच्च न्यायालय ने किस आधार पर रोकादेश दिया था ;

(ग) क्या सरकार के सदर्भ वक्तव्य में कोई संतकनीकी गलती थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने संशोधन करके या नया सन्दर्भ वक्तव्य देकर त्रुटि को दूर करने और रोकादेश समाप्त कराने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अन्तर्गत, कम्पनी द्वारा प्रस्तुत याचिका पर, दिल्ली उच्च-न्यायालय की खण्डपीठ ने 28 सितम्बर, 1973 के आदेश द्वारा कार्यवाही को अन्तः कालीन रोक दिया । बाद में यह रोक समय-समय पर बढ़ाई गई और 18 दिसम्बर, 1973 को खण्डपीठ ने रोक को पूर्ण करते हुए एक आदेश पारित किया कि इस तिथि से चार सप्ताह के अन्दर कम्पनी पुनुत्तर प्रस्तुत करे । रोक की संस्वीकृति देते हुए खण्डपीठ ने कोई कारण नहीं बताए । चूंकि कम्पनी ने अभी तक पुनुत्तर नहीं दिया है अतः न्यायालय से मामले को शीघ्रातिशीघ्र सुनवाई की प्रार्थना की जा रही है ।

(ग) विभाग का यह विरोध है कि एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत आयोग को भेजे गए संदर्भ में तकनीकी या कानूनी रिक्ति नहीं है ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

रेल मंत्रालय तथा रेल कर्मचारियों के बीच बातचीत द्वारा समझौता

9408. **श्री मधु लिमये :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल कर्मचारियों के साथ बातचीत द्वारा एक सम्मानजनक समझौता करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ;

(ख) आल इन्डिया रेलवे फेड्रेशन तथा कार्यवाही समिति की मांगें क्या थीं ;

(ग) इन मांगों को पूरा करने पर कितनी धनराशि खर्च होनी थी; और

(घ) क्या रेल मंत्रालय ने इसके उत्तर में कोई न्यायसंगत पेशकश की थी, और यदि हां, तो उसको पूरा करने में कितना खर्च होना था ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) 2-5-74 को सभा-पटल पर रेल मंत्री पहले ही एक बयान दे चुके हैं (प्रतिलिपि संलग्न है)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6931/74]

पेट्रो-कैमीकल्स के लिये नेपथा के मूल्यों में उतार चढ़ाव

9409. **श्री मधु लिमये : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 जनवरी, 1974 को उर्वरकों तथा पेट्रो-कैमिकल्स के लिये नेफ्था का मूल्य क्या था।

(ख) उस तिथि के बाद अप्रैल, 1974 के अन्त तक दोनों के लिये नेपथा के मूल्यों में क्या क्या परिवर्तन हुये ;

(ग) इस अवधि में पेट्रोकैमिकल्स के लिए नेफ्था के मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव के क्या कारण हैं । और

(घ) पेट्रो-कैमिकल्स उद्योग में नेफ्था के प्रमुख उपभोक्ताओं के नाम क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) दिनांक 26-1-1974 को बम्बई से बाहर नेपथा के मूल्य निम्न प्रकार थे :—

(i) उर्वरक हेतु उपयोग के लिये 252.25 रुपये प्रति मी० टन।

(ii) उर्वरक से भिन्न उपयोग के लिये 446.31 रुपये प्रति मीटरी टन।

(ख) दिनांक 26-1-1974 के बाद बम्बई से बाहर नेफ्था के मूल्य (उर्वरक से भिन्न उपयोग के लिए) निम्न प्रकार थे :—

2-3-74 से	2320.06	प्रति मी० टन
26-3-74 से	1000.00	प्रति मीटरी टन

(ग) उर्वरक से भिन्न उपयोग के लिए नेफ्था के मूल्यों में दिनांक 2-3-74 से बम्बई के बाहर 2320.06 रुपये प्रति मीट्रिक टन वृद्धि करने का कारण यह था कि अशोधित तेल के मूल्यों में जो वृद्धि हुई उसके आधार पर तेल कंपनियों को मिट्टी के तेल, हाई स्पीड डीजल आयल और ईंधन गैस मूल्यों में पूर्ण तथा वृद्धि न करने देने के कारण हुई हानि के लिए उन्हें आंशिक मुआवजा दिया जा सके।

उर्वरकों से भिन्न अन्य का निर्माण करने के लिए नेफ्था इस्तेमाल करने वाले एककों की आर्थिक व्यवस्था का विचार करते हुए मूल्यों पर पुनर्विचार किया गया था और दिनांक 26-3-1974 से बम्बई से बाहर 1000,00 रुपये प्रति मैट्रिक टन तक उसका मूल्य कम कर दिया था।

(घ) पेट्रो कैमिकल्स से कटर में नेफ्था के प्रमुख उपभोक्ताओं के नाम निम्न प्रकार हैं:—

(1) इण्डियन पेट्रोकेमिल्स कार्पोरेशन लि०, बड़ोदा

(2) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इन्डिया लि०, ट्राम्बे

(3) यूनियन कार्बाइड (इण्डिया) लि०, बम्बई

(4) नेशनल आर्गनिक कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई

(5) इण्डियन आर्गनिक कैमिकल्स, बम्बई

(6) प्लास्टिक रेजिन एण्ड कैमिकल्स, तूतीकोरिन

वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों में बिजली की कटौती

9410. **श्री मधु लिमये** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में वर्ष 1973-74 में औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों में कितनी बिजली की कटौती की गई है ;

(ख) औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों में उत्पादन पर इसका अनुमानतः कितना बुरा प्रभाव पड़ा, और

(ग) वर्ष 1974-75 में, राज्यवार, बिजली की कितनी कटौती किये जाने का अनुमान है।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) अनेक राज्यों में बिजली की उपलब्धता से मांग अधिक होने के कारण, पूर्ति और मांग स्थिति पर निर्भर करते हुए 1973–74 के दौरान समय–समय पर राज्यों में बिजली पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गए थे।

प्रतिबन्ध लगाते समय राज्यों ने सामान्यतया कृषि और अन्य अनिवार्य उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त विद्युत सप्लाई को कायम रखने की प्राथमिकता दी है।

बिजली पर प्रतिबन्ध लगाने से, निस्संदेह, औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों में उत्पादन पर दुष्प्रभाव पडा है परन्तु केवल बिजली पर प्रतिबन्ध लगने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन पर पडे प्रभाव का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में कम उत्पादन, विद्युत पर लगे प्रतिबन्धों के अतिरिक्त अन्य विभिन्न कारणों से हो सकता है।

यह संभावना है कि वर्ष 1974–75 के दौरान 2.3 मिलियन कि० वा० का योग करके देश में विद्युत उत्पादन क्षमता को बढाया जाएगा।

जलविद्युत परियोजनाओं से ऊर्जा उपलब्धता, इनके बाह्य क्षेत्रों में मानसून की प्रकृति पर निर्भर करेगी। प्रत्येक राज्य में बिजली की कटौनियों की मात्रा की वास्तविक कमियां अगर कोई होंगी, पर निर्भर करेगी।

बरवाडीह लाइन पर यात्री गाड़ियों में अनाधिकृत व्यक्तियों और पुलिस द्वारा धन वसूल किये जाने का आरोप

9411. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बरवाडीह लाइन पर यात्री गाड़ियों में कुछ व्यक्तियों और सशस्त्र पुलिस के कर्मचारी बिना किसी प्राधिकार के यात्रियों से धन वसूल करते हैं और उनको परेशान भी करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे सुरक्षा तथा सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे इस काम को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस तरह के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मुगलसराय, देहरी और बरवाडीह के बीच चलने वाली 'बी० डी०' और 'जी० डी०' यात्री गाड़ियों के डिब्बे

9412. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्व रेलवे में मुगलसराय, देहरी और बरवाडीह के बीच चलने वाली बी० डी० और जी० डी० यात्री गाड़ियों के डिब्बों की स्थिति की ओर दिलाया गया है जिनमें बिजली और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है जिनके परिणामस्वरूप यात्रियों को अंधेरे में चोरियों तथा डकैतियों का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त गाड़ियों में बिजली और पंखों की व्यवस्था करने तथा डिब्बों की मरम्मत करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। जी० डी० और बी० डी० सवारी गाड़ियों में रोशनी की व्यवस्था मुख्यतः उपस्करों की चोरी और उठाईगीरी, समान की कम सप्लाई और रेकों में बारबार की गड़बड़ी के कारण संतोषप्रद नहीं रही है ।

(ख) महत्वपूर्ण सामान की सप्लाई सुधारने के लिए उपाय किये हैं ताकि त्रुटिपूर्ण/खराब पुर्जों का बदलाव सुनिश्चित किया जा सके । इस क्षेत्र में कार्यशील असामाजिक तत्वों की कार्रवाइयां रोकने के लिये एक अभियान चलाया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिये हिदायतें जारी की गयी हैं कि रेकों में गड़बड़ी की घटनाएं कम से कम हों।

गैर-सरकारी कम्पनियों के खर्चे पर रोक लगाने के लिये कम्पनी अधिनियम में संशोधन

9413. **कुमारी कमला कुमारी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी कम्पनियों को न्यूनतम व्यय करने और उनके खर्चों पर रोक लगाने के लिए जिससे उक्त उद्योगों में उत्पादन लागत अधिक न हो, कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) नहीं श्रीमान् जी। कम्पनी अधिनियम में लागत लेखा परीक्षा की पहिले ही व्यवस्था है। तथापि जो कम्पनियां उत्पादन, उत्पादन किये जाने के व्यवहार या खनन गतिविधियों में ग्रस्त हैं, उनसे सामग्री की उपयोगिता या श्रम या अन्य मद, जो उनकी लेखा-बहियों में सरकार द्वारा निर्धारित किये जाएं को सम्मिलित करते हुए, लेखाओं में रखरखाव के लिए कहा गया है। कम्पनियों को अपने वार्षिक लाभ एवं हानि लेखाओं में जो उनके उत्पादन की लागत का धारक है, के कतिपय ब्यौरे भी प्रगट करने के लिए कहा गया है। आशा की जाती है कि ये उपबन्ध केवल लेखा-परीक्षा में दक्षता ही नहीं लायेंगे अपितु उत्पादन की लागत को कम करने की आवश्यकता सहित कम्पनियों के पक्ष में जागृति भी उत्पन्न करेंगे।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

बड़वाडीह लाइन (पूर्व रेलवे) पर गाड़ियों का विलम्ब से चलना

9414. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में बड़वाडीह लाइन पर चलने वाली यात्री गाड़ियां हमेशा देर से चलती हैं जिसके परिणामस्वरूप उन गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्री आगे मेल खाने वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियाँ पकड़ने में हमेशा असफल रहते हैं ;

(ख) क्या सरकार का इस बारे में की गई शिकायतों पर कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कर्मचारी अन्दोलन, कानून और व्यवस्था की प्रतिकुल स्थिति, खतरे की जंजीर का खींचा जाना, होज़ पाइप का अलग किया जाना, चोरी और उठाईगीरी, सिगनल और संचार व्यवस्था से छेड़-छाड़ आदि विभिन्न कारणों से वरवाडीह लाइन पर गाड़ियों का संचालन संतोषजनक नहीं रहा है।

(ख) इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों की जांच की जाती है और परिहार्य अव-रोध के मामलों में सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त निवारक कार्रवाई की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी फर्मों के ब्रांड नामों सम्बन्धी मामले

9415. **श्री नवल किशोर सिंह** :
श्री सतपाल कपूर :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय देश में चल रही कुछ विदेशी फर्मों के ब्रांड नामों सम्बन्धी मामलों की जांच कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि जांच पूरी हो गई है, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) से (ग) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग से देश में कार्य कर रही विदेशी कम्पनी की सहायक कोलगेट पामोलिव इण्डिया (प्रा०) लिमिटेड, के मामले में उसके छपे नाम के सम्बन्ध में देखने की प्रार्थना की गई है । इस विषय में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 31(1) के अन्तर्गत जांच-पड़ताल तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये "केवल बिक्रीमात्र के लिए ही नहीं अपितु कम्पनी जो उत्पादन करती है किन्तु वे कुछ उत्पादन जो वह अन्य एककों द्वारा निर्मित कराके प्राप्त करती है और अपने छपे नाम के अन्तर्गत बिक्री करने की अनुमति देती है जबकि ये उत्पादन कोलगेट के लिए, बाहर के अभिकरणों द्वारा कच्ची सामग्री से उत्पादित किये जाते हैं, कम्पनी खरीदने वाले और लघुतम एककों, जो इस प्रकार के उत्पाद करते हैं की हानि करके अनुचित लाभ कमाती है, जो कम्पनी द्वारा उत्पादित उत्पाद के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण से सम्बन्धित कीमत के परिणामस्वरूप जो अनुचित रूप से बढ़ गई है को एकाधिकारिक व्यापार प्रथा समझा जाए" विषयकार संदर्भ एकाधिकारी एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को भेजा है ।

जांच-पड़ताल अभी तक नहीं हुई है । उल्लेखनीय है कि विदेशी छपे नामों के प्रयोग को प्रतिबन्धित करने के लिये विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम और व्यापार तथा व्यापार-चिन्ह अधिनियम के उपबन्धों में भी व्यवस्था है जिसमें वित्त, औद्योगिक विकास और वाणिज्य मंत्रालय सम्बन्धित हैं ।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1967 के विधान सभा निर्वाचनों के संबंध में फाइल की गई याचिकाएं

9416. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश विधान सभा के 1967 के निर्वाचनों के सम्बन्ध में अभी तक लम्बित निर्वाचन याचिकाओं का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए 1967 के साधारण निर्वाचन से सम्बन्धित कोई निर्वाचन याचिका या निर्वाचन अपील लम्बित नहीं है ।

उपमुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक (दावे) पश्चिम रेलवे के विरुद्ध शिकायतें

9417. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उप मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक (दावे), पश्चिम रेलवे के विरुद्ध भ्रष्टाचार, घूसखोरी और पक्षपात की शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या आरोपों की जांच कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिव्यय निकले हैं ?

27 LSS/74—10.

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) तीन शिकायतों की जांच पड़ताल शुरू की गई थी उनमें से एक की जांच पूरी हो चुकी है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजने के लिए इस मामले पर विचार किया जा रहा है जैसा कि राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के निपटारे के लिए वर्तमान अनुदेशों के अन्तर्गत अपेक्षित है। अन्य दो शिकायतों के सम्बन्ध में जांच जारी है।

वैगन उद्योग के लिये रोलरबीयरिंग व्हील सैटों का आयात

9418. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगन उद्योग के लिये रौलर बीयरिंग व्हील सैटों के आयात के लिये कुछ देशों से फिर से बात-चीन आरम्भ की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है और इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) हमारा विश्व टेंडर सं० जी० पी०-72 दिनांक 31-10-73 को खोला गया था। इस टेंडर के प्रत्युत्तर में प्राप्त दरों को जब अंन्तिम रूप दिया जा रहा था, तभी भारत स्थित समाजवादी गणतंत्र रोमानिया के व्यापार प्रतिनिधि ने रोलर बियरिंग वाले पहिया सेट सप्लाई करने की उत्सुकता व्यक्त की और कहा कि हमारे टेंडर का विज्ञापन उनकी नजर से नहीं गुजरा। व्यापार प्रतिनिधि से यथा शीघ्र दर बताने के लिए कहा गया है। किंतु अभी तक उनकी दर प्राप्त नहीं हुई है।

परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले दिवंगत रेलवे कर्मचारियों की विधवाओं के बच्चों को वित्तीय सहायता

9419. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले दिवंगत रेलवे कर्मचारियों की विधवाओं के वच्चों को सरकार द्वारा कोई वजीफा अथवा वित्तीय सहायता दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) रेलों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि उन रेली कर्मचारियों को (जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम से अनुशासित नहीं होते) जिनकी मृत्यु विशेष जोखिम पद की जोखिम के कारण ड्यूटी पर हो जाती है, बच्चों के लिए शैक्षिक भत्ता दिया जाये। यह असाधारण पेंशन नियमों के अधीन सम्बन्धित रेल कर्मचारियों के परिवारों को मिलने वाले पेंशन लाभों के अतिरिक्त होगा।

Delay in appointment of Judges to fill up vacancies in High Courts

9420. **Shri M.S. Purity :**

Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs be** pleased to state :

(a) whether the appointment of some judges to fill up the vacancies in High Court

benches has been pending ;

(b) if so, the reasons for the delay ; and

(c) the time by which the said appointments are likely to be made ?

The Minister of Law, Justice and Company affairs (Shri H.R. Gokhle) : (a) to (c) Proposals to fill vacancies in certain High Courts have been received and are being processed. Proposals for appointment in other High Courts where vacancies exist are awaited from the State authorities who have been reminded.

Separate accommodation for Second class Pass Holders

9421. **Shri Lalji Bhai :**

Shri Mahadeepak Singh Shakya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether after abolition of the third class in the Railways from the 1st April, suitable accommodation has not been provided for Second Class Pass-holders ; and

(b) if so, what action Government propose to take in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) Consequent upon the abolition of the Second Class accommodation from the Indian Railways from 1-4-1974, the existing Third Class has been re-designated asSecond Class. Second Class pass-holders now travel in the re-designated Second Class and are entitled to sleeper accommodation in the re-designated Second Class without payment of surcharge.

Oil Drilling in Jaisalmer

9422. **Shri Lalji Bhai :**

Shri Mahadeepak Singh Shakya :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether 1,000 feet deep drilling for oil has been completed in Jaisalmer District of Rajasthan :

(b) if so, the result thereof and the depth, upto which oil is likely to be found ; and

(c) the time by which the said work would be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Yes, Sir.

(b) The drlling upto the present depth i.e. 1301-20 Metres as on 6-4-1974, has not revealed any significant oil and gas show. The drilling will be continued to the targeted depth of 3500 metres to test the formation belonging to Mesozoic age which are likely to be encountered between 1200 metres and 3500 metres depth.

(c) The remaining drilling is likely tc take about four months more after the drilling is resumed.

Exprss Train from Madras to Cape Comorin

9423. **Shri Lalji Bhai :**

Shri Mahadeepak Singh Shakya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have introduced an express train from Madras to Cape Comorin ;

(b) whether this train goes only upto Tirunelveli as a result of which the passengers have to face inconvenience; and

(c) if so, the measures proposed to be taken by Government to extend it upto Kanay kumari ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways : (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) There is no train running between Madras Egmore and Kanyakumari at present. However, Nos. 119 Dn/120 Up Expresses running between Madras Egmore and Tirunelveli have been named as Kanyakumari Expresses as they serve the stream of traffic to and from Kanyakumari District. Extension of these M.G. trains to and from Kanyakumari wil not be possible as the new link to Kanyakumari under construction is Broad Gauge line.

Railway line for Mandapam to Rameshwaram

9424. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up a scheme or conducted any survey for constructing a railway line from Mandapam to Rameshwaram for the transporatation of goods ; and

(b) if so, the total expenditure involved in the construction of the said railway line ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No.

(b) Does not arise.

Curbs on use of Power

9425 **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have imposed various types of restrictions on the private establishments and shops in order to reduce the consumption of electricity ;

(b) whether Government propose to impose certain restrictions on Government institutions and offices for the aforesaid purpose ; and

(c) if so, the broad features in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Parsad (a) to (c) Owing to power shortage in the Country, certain guidelines for effective power rationing have been drawn up and circulated to the various State-Governments and State Electricity Boards. These guidelines *inter-alia* suggest imposition of restriction on the use of neon-signs, decorative lighting, illuminations at marriages and other functions and reduction of shopping hours etc. These restrictions are being imposed by the States depending upon the availability of the power in each State, on both the private and public consumers.

दिल्ली किशनगंज कालोनी में रेलवे क्वार्टरों में धूल के आने को रोकने के लिए सुधार

9426. **श्री पन्नालाल बरूपाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन को रेलवे कालोनी, दिल्ली किशनगंज के ब्लाक नं० 22 के निवासियों से इस आशय की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उनके क्वार्टरों के सामने कोयला साइडिंग से उनके क्वार्टरों में धूल आती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्लाक नं० 22 के क्वार्टरों के बाहरी बरामदे शीशे वाली खिड़कियाँ लगाकर बन्द कर दिये गये हैं लेकिन बरामदे अभी दोनों ओर से खुले हैं ; और

(ग) क्वार्टरों के बाहरी बरामदों में दोनों ओर शीशे वाली खिड़कियाँ कब तक लगाई जायेंगी।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) बरामदों के केवल अग्र भाग में शीशा लगाने का विचार है और पार्श्व के दोनों भागों को ईंटों से बंद कर दिया जायेगा। निचले तल पर स्थित सभी क्वार्टरों में पहले ही ऐसा किया जा चुका है। क्वार्टरों के निवासियों द्वारा अड़चनें डाले जाने के कारण प्रथम तल पर काम नहीं किया जा सका।

कुडा स्टेशन पर नमक का रुक जाना

9427. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुडा स्टेशन पर चार लाख टन नमक रुका पड़ा है ;

(ख) रेलवे ने उसके परिवहन के लिये क्या व्यवस्था की है ;

(ग) क्या कुडा नमक के लिए प्रतिमास 1,000 रेलवे वैगनों का कोटा आवंटित किया गया है लेकिन उसमें से केवल 50 प्रतिशत वैगनों की व्यवस्था की गई ; और

(घ) क्या गुजरात नमक संघ ने पश्चिम रेलवे से और अधिक वैगन देने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कुडा स्टेशन पर नमक के लिए सभी कोटियों के अन्तर्गत कुल 5607 माल डिब्बों की मांग बकाया थी; हाल के महीनों में रेल संचलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सभी बाधाओं के होते हुए भी नमक के लदान में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) कुडा से नमक के निर्धारित लदान का कोटा 875 माल डिब्बे हैं न कि 1000 माल डिब्बे। जनवरी से मार्च 1974 तक की अवधि में इस कोटे में वास्तविक लदान का प्रतिशत 92 था।

(घ) जी हाँ। लदान में वृद्धि के प्रयास जारी हैं और मार्च 1974 में नियमित कार्यक्रम के अनुसार ढोये जाने वाले नमक का वास्तविक लदान कोटे से अधिक रहा अर्थात् 1143 माल डिब्बे लादे गये।

पालिएस्टर रेशा निर्माताओं द्वारा एकाधिकारी एकको को डी० एम० टी० चिपस का बेचा जाना

9428. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ओरगेनिक कैमिकल्स और सिंथेटिक लिमिटेड ने, जिन्हें पालियेस्टर रेशे के निर्माण का लाइसेंस, प्राप्त है, और जिन्हें आयातित डी० एम० टी० दिया जाता है, मोदी, जे एण्ड के, गरवेयर और नोरलोन जैसे अन्य एकाधिकारी एककों को डी० एम० टी० चिप्स की बिक्री की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कैमिकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इंडिया लिमिटेड भी, जो आई० सी० आई० की सहायक कम्पनी है, इसी प्रकार के भ्रष्ट तरीके अपना रही है ;

(ग) क्या आयातित डी० एम० टी को चिप्स में परिवर्तित कर दिया जाता है, और उसे अन्य कम्पनियों को बहुत अधिक लाभ कमाने हेतु बेचा जाता है, जिसकी नियमों के अन्तर्गत अनुमति नहीं है ;

(घ) क्या उनका ध्यान उपर्युक्त तथ्यों की ओर दिलाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त अनियमितताओं के लिये दोषी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ङ) अगस्त, 1973 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कहा गया था कि कुछ पालिस्टर फाइबर निर्माता पालिस्टर फाइबर का उत्पादन जिसके लिये वे लाइसेंसीकृत है न करके अन्य उपभोक्ताओं को पालिस्टर चिप्स बेच रहे हैं। स्थिति की जांच करने के बाद यह पाया गया कि मैसर्स इण्डियन आर्गेनिक कैमिकल्स ने 2,81,000 रुपये के मूल्य की 14.1 मीटरी टन चिप्स निम्नलिखित पार्टियों को बेची: —

तिथि		पार्टी	मात्रा (मीटरी टनों में)	मूल्य
जून, 1973	मैसर्स	श्री सिन्थेटिक्स	2.0	34,000
,,	,,	निरलौन सिन्थेटिक्स	7.0	1,40,000
,,	,,	लमीना इन्डस्ट्रीज	0.1	2,100
अगस्त, 1973	,,	जे० के० सिन्थैटिक्स	5.0	1,05,000
			14.1	2,81,100

मैसर्स कैमिकल्स एण्ड फाइबर्स ग्राफ इण्डिया लिमिटेड ने मैसर्स श्री सिन्थेटिक्स को उनके पालिस्टर फाइवर यार्न संयंत्र में परीक्षण हेतु 2 मीटरी टन चिप्स उधार दिये थे। मैसर्स इण्डियन ग्राग्रेनिक कैमिकल्स को तुरन्त ही सलाह दी गई कि वे चिप्स न बेचे।

दोनों मैसर्स इण्डियन ग्राग्रेनिक कैमिकल्स तथा कैमीकल्स एण्ड फाइवर्स ग्राफ इण्डिया लि० को निर्यातित तथा इण्डियन पैट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन द्वारा निर्मित डी० एम० टी० का ग्रावंटन किया गया था। दोनों पालिस्टर फाइवर का निर्माण करते हैं।

मैसर्स श्री कैमीकल्स पालिस्टर फाइवर का उत्पादन करने के लिये लाइसेंसीकृत नहीं हैं। मैसर्स इण्डियन ग्राग्रेनिक कैमीकल्स द्वारा डी० एम० टी० का वास्तविक उपभोक्ता के रूप में तथाकथित दुरुपयोग करने के बारे में, जांच की जा रही है।

विदेशी एकाधिपतियों के कार्यों पर रोक लगाने में सरकार की ग्रसफलता

9430. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फायर स्टोन कम्पनी जैसे बड़े विदेशी एकाधिपतियों द्वारा पूंजीगत रिजर्व बनाने, बोनस, शेयर जारी करने, बड़ी धनराशि विदेशों में भेजने और अन्य सन्दिग्ध सौदे करने पर रोक लगाने में असफल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुग्रा) : (क) तथा (ख) सूचना संग्रह की जा रही है वे सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

Irregularities committed by Petrol Pumps in Delhi

9431. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Petroleum & Chemicals** be pleased to state:

(a) the names of the petrol pumps in Delhi in which irregularities have been detected in the series of enquiries made during the last three months, the types of irregularities detected and whether these irregularities related to adulteration or under measurement, giving broad features thereof; and

(b) the action taken against the petrol pumps in this regard indicating the names of such petrol pumps ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) & (b) The names of petrol pumps in whose cases irregularities have been detected, during the last three months, type of irregularities detected and the action taken against them are given in the enclosed statement. [Placed in Library. *See* No. L.T. 6932/74]

देश में बड़े तथा मध्यम दर्जे के औद्योगिक गृहों की संख्या

9432. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में वर्ष 1973-74 में बड़े तथा मध्यम दर्जे के कितने औद्योगिक गृह थे ;

(ख) उनके नाम क्या हैं, और वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में उनकी परि-सम्पत्तियां कितनी थीं और इन वर्षों में उन्हें कितनी लाभ/हानि हुई ; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित वर्गों में कितने नये औद्योगिक गृह बढ़े ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (ग) फरवरी 1973 में घोषित संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति के अनुसार एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रम बृहद औद्योगिक गृह समझे जाते हैं। प्रश्न में यथा निर्देशित बृहद एवं मध्यम दर्जे के गृहों का वर्गीकरण करने के लिये वर्तमान में कोई अन्य माप-दण्ड लागू नहीं है।

एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत, 30-11-1973 तक पंजीकृत सभी उपक्रमों के नाम युक्त एक विवरण-पत्र दिनांक 11-12-1973 को उत्तर दिये गये, अतारांकित प्रश्न संख्या 4304 के उत्तर में हाल ही में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। इन उपक्रमों के लिये, अपनी परिसम्पत्तियों के मूल्य एवं लाभ अथवा हानि की बाबत, वर्ष प्रतिवर्ष सूचना देना अपेक्षित नहीं है।

दिनांक 9 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6182 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

Statement Correcting Answer to U.S.Q. No. 6182 dated 9-4-1974

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : 9-4-1974 को लोक सभा में श्री छत्रपति अम्बेश द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न 6182 के उत्तर में 30-9-73 को पश्चिम रेलवे में श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार बतायी गयी थी:

श्रेणी III			श्रेणी IV (सफाई वालों को छोड़कर)			श्रेणी IV (सफाई वाले)		
जोड़	अ० जा०	अ० ज० जा०	जोड़	अ० जा०	अ०ज०जा०	जोड़	अ० जा०	अ० ज० जा०
40,006	3,374	861	46,875	5,806	2,603	2,561	2,533	2

सही सूचना इस प्रकार है :—

श्रेणी III			श्रेणी IV (सफाई वालों को छोड़कर)			श्रेणी IV (सफाई वाले)		
जोड़	अ० जा०	अ० ज० जा०	जोड़	अ० जा०	अ०ज०जा०	जोड़	अ० जा०	अ०ज०जा०
76,511	6,172	1,961	95,371	12,430	8,928	6,038	5,915	29

आंकड़ों की इस शुद्धि को इससे पहले संसद के समक्ष नहीं रखा जा सका क्योंकि पश्चिम रेल प्रशासन द्वारा प्रस्तुत संशोधित आंकड़ों की दुबारा जांच की और इसमें कुछ समय लगा।

विलम्ब के लिये अत्यन्त खेद है।

स्थगन प्रस्ताव

ADJOURNMENT MOTION

दिल्ली में सदरबाजार क्षेत्र में दंगों को रोकने में असफलता

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): दिल्ली में हुए दंगों के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): गृह मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में 4 बजे एक वक्तव्य देंगे...... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय बता चुके हैं कि वह वक्तव्य देंगे, मैं एक ही समय आप सबकी बात नहीं सुन सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु: हमने स्थगन प्रस्ताव रखा है। हम सरकार की निंदा करना चाहते हैं।

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित): चर्चा करने पर मुझे कोई आपति नहीं है किन्तु मैं एक घण्टे के पश्चात अपना वक्तव्य दूंगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय): हमने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मंत्री महोदय के वक्तव्य की अपेक्षा स्थगन प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मुझे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री श्याम नन्दन मिश्र, श्री त्रिदिब चौधरी, श्री एस० ए० शमीम, श्री इब्राहीम सुलेमान सेट, श्री सेफियान, श्री रामावतार शास्त्री, श्री एच० एन० मुकर्जी, डा० रानेन सेन और श्री ज्येतिर्मय बसु से स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सूचना को बैलट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है: वह सूचना 'दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में दंगा रोकने में हुई असफलता के बारे में है, जिसके परिणामस्वरूप 10 व्यक्तियों की जाने गई, कई अन्य व्यक्ति घायल हुए और बड़े पैमाने पर सम्पत्ति नष्ट हुई'।

मैं प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं यह प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं। 'कि सभा अब स्थगित हो'

अध्यक्ष महोदय: जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें। चूंकि 50 से अधिक सदस्य खड़े हुए हैं। इसलिए अनुमति दी जाती है। इस प्रस्ताव को 4 बजे लिया जायेगा।

सभापटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the table

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं—

(1) (एक) केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) सा० सां० नि० 1408 जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी।

(ख) सा० सां० नि० 1409 जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 6913/74]

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 420 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 अप्रैल, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण। [ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 6914/74]

इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड जवाहर नगर (बड़ौदा) का राजस्व तथा वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :—

(एक) इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, जवाहरनगर (बड़ौदा) के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, जवाहरनगर (बड़ौदा) का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6015/74]

गुजरात गन्दे क्षेत्र (सुधार, सफाई तथा पुर्नविकास) अधिनियम, आदि के अधीन अधिसूचना

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं—

(1) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात गंदे क्षेत्र (सुधार, सफाई और पुर्नविकास) अधिनियम, 1973 की धारा 59 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) गुजरात गंदे क्षेत्र (सुधार, सफाई और पुर्नविकास) (बोर्ड का गठन) नियम., 1973 जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 2 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या जी एच/जे/21/74/एस सी ए—1073/ए-1 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या जी एच/जे/20/73 एम सी बी/1073-A-(1) जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 2 नवम्बर, 73 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) अधिसूचना संख्या जी एच/जे/22/73 एस सी बी--1073/ए (1) जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 2 नवम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) अधिसूचना संख्या जी एच/जे/26/73 एस सी बी—1073/ए-1 जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 10 जनवरी, 1974 में प्रकाशित हुई थी।

(2) (एक) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब और (दो) अधिसूचनाओं का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6016/74]

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग का प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं—

(1) मैसर्स बिड़ला जूट मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के मामले में एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22(3)(ख) के अन्तर्गत एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उक्त अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत उस पर केन्द्रीय सरकार का 3 मई, 1974 का आदेश।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार के आदेश के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी 6917/74]**

गुजरात माल परिवहन कराधान अधिनियम तथा बम्बई मोटर गाड़ी कर अधिनियम आदि के अधीन अधिसूचना

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं—

(1)(एक) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात माल परिवहन कराधान अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) अधिसूचना संख्या जी एच/जी/73/246/एम वी ए—7569/20193-ई जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 4 अक्तूबर, 1973 में प्रकाशित हुई थी।

(ख) अधिसूचना संख्या जी एच/जी/16/एमटीए/1773/302/ई जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 8 फरवरी, 1974 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6918/74]

(2)(एक) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई मोटर-गाड़ी कर अधिनियम, 1958 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(क) अधिसूचना संख्या जी एच/जी/73/243/एमवीए-7569/20193-ई जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 11 अक्तूबर, 1973 में प्रकाशित हुई थी।

(ख) अधिसूचना संख्या जी एच/जी/15/एमटी ए/1773/302-ई जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 8 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुई थी।

(ग) अधिसूचना संख्या जी एच/जी/73/42/एम टी ए-1773/1350-ई जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 15 फरवरी, 1974 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय के में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6919/74]

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली, भारतीय औद्योगिक संस्थान, खड़गपुर, केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद और भारतीय औद्योगिक संस्थान, कानपुर आदि के कार्मिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली, के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 6920/74]

(2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6921/74]

(3) केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1972-73 के क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6922/74)

(4) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित प्रतिवेदनों के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण। सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6923/74]

मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत आदेश

Order under payment of Wages Act.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैंने नियम 222 के अन्तर्गत विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी। मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव इस बात के विरोध में है कि सरकार ने असाधारण राजपत्र प्रकाशित करके रेलवे प्रशासन को मजूरी संदाय अधिनियम की धारा 5 के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया और ऐसा तब किया गया जब दोनों सभाओं का सत्र चल रहा था।

अध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है।

Shri Madhu Limaye (Banka): On many occasions in the past when such important announcements were made outside the Parliament, while the Parliament was in Session, we were allowed to raise the matter in the House. We are not being allowed to raise this matter as a privilege issue, but this is a matter of impropriety. You want to starve 17 lakh Railway workers and thus suppress them. The Minister should be asked to make a statement in this regard and the notification should be placed on the table of the House. He must regret in the House for the excesses Committed on the Railway workers.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस सभा में कई बार यह टिप्पणी की है कि नीति अथवा महत्वपूर्ण मामलों सम्बन्धी अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये। श्री रेड्डी को आज इसे सभा-पटल पर रखना चाहिये था परन्तु कार्यसूची में इसका उल्लेख नहीं है। मुझे यह अभी मिली है। यह उचित नहीं है। अब मंत्री महोदय ने अनुरोध किया है कि उनको इसे सभा-पटल पर रखने की अनुमति दी जाये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनको क्षमा मांगनी चाहिये। यह औचित्य का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कृपया इसे सभा-पटल पर रख।

श्री के० रघुरामैया : मैंने पहले ही इसे सभा-पटल पर रख दिया है। अब मुझे आपके कार्यालय ने सूचना दी है कि इसे सभा-पटल पर रखने की मुझे अनुमति दी जाती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : समाचारपत्रों में यह दो दिन पूर्व प्रकाशित हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं 11 बजे से यहां बैठा हूं। मुझे अभी ही आपकी सूचना मिली है। आप कृपया इसे सभा-पटल पर रखें। यह अधिसूचना 4 मई की है और 5 तथा 6 मई को छुट्टी थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह दो दिन पूर्व समाचारपत्रों में कैसे प्रकाशित हो गयी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभा-पटल पर रखने से पूर्व इसे समाचारपत्रों को दिया गया। क्या यह उचित है ?

अध्यक्ष महोदय : उनकी आपत्ति यह है कि इसे सभा-पटल पर रखने से पूर्व प्रेस को दिया गया।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : 4 तारीख को बैठक हुई थी। इसे उस दिन सभा-पटल पर रखा जा सकता था।

अध्यक्ष महोदय : हमने उस दिन के लिये वित्त विधेयक के सिवाय कोई और कार्यवाही न करने का निश्चय किया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसकी इस समय क्या आवश्यकता थी ? सरकार ने यह असाधारण कदम क्यों उठाया है ?

श्री के० रघुनाथ रेड्डी : मजूरी संदाय अधिनियम की धारा 5(3) के अधीन यह आदेश जारी किया गया है। 4 तारीख की शाम को इसे तैयार किया जा सका। उस समय सभा की बैठक नहीं चल रही थी। 5 और 6 को छुट्टी थी। अवसर मिलने पर सबसे पहले मैंने इसे सभा-पटल पर रखने के लिए आप से अनुमति मांगी है। इसे आज ही सभा-पटल पर रखा जा सकता था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह समाचार पत्रों में कैसे प्रकाशित हो गया ?

श्री के० रघुनाथ रेड्डी : मैं मजूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन जारी किये गये दिनांक 4 मई के आदेश का एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

श्री सेझियान : जब सभा का सत्र चल रहा हो तब वे शुक्रवार की सायंकाल को कोई निर्णय ले लें और कह दें कि शनिवार और रविवार की छुट्टियाँ थीं, यह बात एक उदाहरण नहीं बन जानी चाहिये जिसके आधार पर वे आगे ऐसा पुनः करने का प्रयत्न करें।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में कोई कठोर नियम नहीं हो सकता।

सदस्यों की गिरफ्तारी और रिहाई

ARREST AND RELEASE OF MEMBERS

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे रानाघाट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से दिनांक 4 मई, 1974 का एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी, सदस्य लोक-सभा, को 3 मई, 1974 को रानाघाट कोर्ट कम्पाउंड में कानून का उल्लंघन करने के आन्दोलन में गिरफ्तार किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे पुलिस निरीक्षक गणेशपेठ पुलिस स्टेशन, नागपुर से दिनांक 5 मई, 1974 का एक तार मिला है जिसमें बताया गया है कि श्री राम हेडाऊ, सदस्य, लोक-सभा, को 5 मई 1974, को 11.00 बजे नागपुर में भारतीय दंड सहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 336, 337, 341 और 352 के अधीन अपराध संख्या 91/74 के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया और माननीय सदस्य को 500 रुपयें को वैयक्तिक मुचलके पर तुरन्त रिहा कर दिया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमती विभा घोष गोस्वामी की गिरफ्तारी सम्बन्धी सूचना के बारे में मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। नियम 229 में स्पष्ट कहा गया है कि सम्बन्धित अधिकारी किसी संसद सदस्य गिरफ्तारी की सूचना तीसरी अनुसूची में दिये गये प्रपत्र के रूप में देगा। इसका पालन नहीं किया गया है। यह विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारुप सम्बन्धी समिति 'घ' की कार्यवाही का सारांश

Synopsis of Proceedings of Committee 'D' on Draft Fifth Five year Plan

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली) : मैं पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारुप (समाजिक सेवायें, शिक्षा, जनशक्ति आयोजन और जनसंख्या नीति) सम्बन्धी समिति 'घ' की कार्यवाही का सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

Committee on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

छब्बीसवां प्रतिवेदन

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : मैं गृह मंत्रालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में रत स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्रीय अनुदान के बारे में अनुसूचित जातियों तथा, अनुसूचित जनजातियों कें कल्याण सम्बन्धी समिति का 26वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

सम्भावित रेलवें हड़ताल

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : सम्भावी रेल हड़ताल के, जो कल 6 बजे पूर्वान्ह से आरम्भ होने वाली है, गम्भीर परिणाम होगें और इसे टालने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिये। इस तनाव को दूर करने तथा बातचीत द्वारा मैत्रोपूर्ण समझौता करने के लिए प्रधान मंत्री को तत्काल, हस्तक्षेप करना चाहिये। सम्भावी हड़ताल के बारे में संसद-सदस्य बहुत चिन्तित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़ताल अवश्यंभावी है। कम से कम सभी नेताओं को रिहा कर दिया जाना चाहिये और बातचीत आरम्भ की जानी चाहिये। हम रेल कर्मचारियों से भी अपील कर सकते हैं कि वे अपनी हड़ताल स्थगित कर दें।

श्री एस० बी० गिरि (वारंगल) : मैं भी प्रधान मंत्री से अपील करता हूं कि वह हस्तक्षेप करें और कोई ऐसा समझौता करें जो कर्मचारियों के लिए गौरपूर्व हो। रेल कर्मचारियों की हड़ताल के मामले में रेल मंत्री पूर्णतया असफल रहे हैं।

श्री स० म० बनर्जी : श्री फर्नेन्डीज़ ने भी प्रधान मंत्री से दो बार अपील की है कि वह इस मामले में हस्तक्षप करें। यदि वह ऐसा करना चाहती हैं तो इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : आदरणीय सदस्य को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब चाहें किसी भी मामले के बारें में बोलना शुरु कर दें।

श्री समर गुह (कन्टाई) : समाज विरोधी लोग रेल कर्मचारियों पर हमले कर रहे हैं। वे रेल के प्रत्येक मुख्यालय में भय और आतंक का वातावरण पैदा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपका यही व्यवहार रहा तो मुझे यह सदन से बाहर छोड़ना पड़ेगा। मैंने अगले विषय को बाद में लिया जाए कहा है।

संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1974

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल) संशोधन विधेयक, 1974

सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1974

Union Duties of Excise (Distribution) Amendment Bill, 1974

Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Amendment Bill, 1974

Estate Duty (Distribution) Amendment Bill, 1974

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं "कि संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।" "कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।" "कि सम्पदा-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 की और संशोधन करने वाले. विधेयक पर विचार कि जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अब तीनों विधेयकों पर एक साथ विचार किया जाएगा। इसके लिए 2 घंटे का समय नियत किया गया है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सभा को याद होगा कि 18 दिसम्बर, 1973 को सभा-पटल पर छठे वित्त आयोग की रिपोर्ट और उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन रखा था। भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 272 के अन्तर्गत जो संघ उत्पाद शुल्क लगाये जाते हैं वे ऐसे कर होते हैं जिन्हें केन्द्र और राज्यों के बीच बांटा जा सकता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

प्रथम विधेयक का उद्देश्य संघ उत्पाद शुल्क का एक ओर केन्द्र तथा राज्यों के बीच तथा दूसरी ओर विभिन्न राज्यों के बीच वितरण करने के संबंध में छठे वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करना है।

आयोग ने मूलसंघ उत्पाद शुल्क का वितरण करने के संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया है और इस प्रकार राज्यों का हिस्सा वर्तमान कुल वसूली का 20 प्रतिशत बना रहेगा। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि 1973-74 से लागू किए गए सहायक उत्पाद शुल्क को, जिसको इस समय राज्यों में नहीं बांटा जाता, 1976-77 से मूल संघ उत्पाद शुल्कों की भांति ही 1976-77 से राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए। आयोग ने यह सिफारिश की है कि राज्यों का भाग 75 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर और 25 प्रतिशत पिछड़ेपन के आधार पर बांटा जाना चाहिए।

इस प्रकार आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को 1973-74 की कराधान दर पर 1974—79 में अनुमानत: 9,609 करोड़ रुपये दिए जायेंगे। 1974—79 के दौरान वास्तविक अन्तरण अधिक होगा क्योंकि इनमें अतिरिक्त कर, जिसे केन्द्रीय सरकार इन वर्षों में लगाएगी, के रूप में राज्यों का हिस्सा भी सम्मिलित होगा।

आदरणीय सदस्यों को यह जानने में रुचि होगी कि वित्त आयोग के निर्णयों के अन्तर्गत केन्द्र से राज्यों को होने वाले अन्तरणों में लगातार वृद्धि होती रही है।

छठे वित्त आयोग की सिफारिशों की एक मुख्य विशेषता यह रही है कि आयोग ने पिछड़े राज्यों के प्रशासन तथा समाज सेवाओं को बढ़ाने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 838 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है ताकि इन राज्यों का स्तर पांचवीं योजना के दौरान सभी राज्यों के औसत स्तर तक आ सके।

दूसरे विधेयक का उद्देश्य चीनी, तम्बाकू तथा वस्तुओं पर लगाये जाने वाले अतिरिक्त उत्पादों की कुल आय को राज्यों के बीच वितरण करने के संबंध में छठे वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करना है। फिर भी आयोग ने यह महसूस किया है कि राज्यों के लिए कोई विशेष राशि निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। आयोग की राय में, जो कि वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों की कुल प्राप्ति में किसी राज्य का भाग उस राशि से कम नहीं होगा, जो उस राज्य को 1956-57 के वित्तीय वर्ष में बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं पर लगाये गये बिक्री कर से प्राप्त होती। आयोग ने तदनुसार प्रस्ताव किया है कि संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले अंश को घटाकर शेष सारी आय, जनसंख्या के आधार पर, राज्य में वर्तमान मूल्यों के अनुसार राज्य के आन्तरिक उत्पाद और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं के उत्पादन के आधार पर 70 : 20 : 10 के अनुपात में राज्यों के बीच बांटी जानी चाहिए। पांचवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि प्रत्याभूत राशियों के भुगतान के पश्चात् शेष राशि का 50 प्रतिशत वितरण जनसंख्या के आधार पर और 50 प्रतिशत बिक्री कर वसूली (जिसमें केन्द्रीय बिक्री कर नहीं आता) के आधार पर किया जाएगा। छठे वित्त आयोग ने संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा 1.41 प्रतिशत निर्धारित किया है और शेष 98.59 प्रतिशत के लिए प्रत्येक राज्य के लिए अंशों की प्रतिशतता निर्धारित की है।

1968-69 में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से 52.68 करोड़ रुपये की आय हुई जो 1972-73 में बढ़कर 134.84 करोड़ रुपये हो गई और 1974-75 के बजट प्राक्कलनों के लिए इन शुल्कों से कुल आय 175.52 करोड़ रुपये रखी गई।

तीसरे विधेयक का उद्देश्य कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर लगे सम्पदा शुल्क की कुल आय का छठे वित्त आयोग के अनुसार राज्यों के बीच वितरण करना है। राज्यों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों पर विचार करने के पश्चात् छठा वित्त आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दूसरे वित्त आयोग

27 LSS/74—11

द्वारा निरूपित और बाद के आयोगों द्वारा समर्थित वितरण सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। छठे वित्त आयोग ने केवल इस परिवर्तन की सिफारिश की है कि संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले अंश को 3 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया जाए।

विधेयक का उद्देश्य संवैधानिक उपबन्धों के अन्तर्गत गठित एक विशेषज्ञ निकाय की सिफारिशों को लागू करना है। संघ राज्य क्षेत्रों का अंश कम स्तर पर निर्धारित करने के अतिरिक्त आयोग ने कृषि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति के संबंध में सम्पदा शुल्क के किसी भी वित्तीय वर्ष में कुल आय के वितरण संबंधी वर्तमान सिद्धांतों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता का नाम पुकारने से पहले मैं तीसरे विधेयक के बारे में मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत की समेकित निधि से कोई धन निकाला जाना है। इसका उत्तर बाद में दिया जा सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : जहां तक प्रथम विधेयक का संबंध है वित्त आयोग की सिफारिशों से यह जाहिर होता है कि धन के नियतन का आधार जन संख्या और शुल्क का निर्धारण है। छठे वित्त आयोग ने विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आर्थिक स्थिति को आंकने के लिए प्रतिव्यक्ति आय को एकमात्र आधार माना है। परन्तु इस आधार को महत्व न देकर कुल जन संख्या और कुल निर्धारण को भी ध्यान में रखा जा रहा है।

छठे आयोग की रिपोर्ट में पिछड़े राज्यों को भी ध्यान में रखा गया है परन्तु ऐसे राज्यों के संबंध में युक्ति संगत आधार पर उनका शेयर नियत नहीं किया गया है। इस प्रकार वित्त आयोग की सिफारिशों में कुछ असंगतियां है।

उत्पादन शुल्कों के नियतन के लिए जनसंख्या को 70 प्रतिशत महत्व दिया गया है। शेष के सबंध में खपत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि खपतस्तर कैसे तय किया जाए क्योंकि अभी इन उत्पादों पर बिक्री कर लागू नहीं है। अतः क्षेत्रवार खपतस्तर और जनसंख्या संबंधी मानदण्ड को निर्धारित करने का क्या तरीका है

जनसंख्या के आधार पर आवश्यकता का पता लगाया जा सकता है परन्तु यह एकमात्र आधार नहीं हो सकता। यदि आवश्यकता के लिए प्रतिव्यक्ति आय को आधार माना जाए तो इसको अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर आवश्यकता का पता लगाकर और जनसंख्या का आधार ही राशि के बंटवारे का आधार नहीं बनाया जा सकता। इसको संविधान के अनुसार संसद द्वारा बनाये जाने वाले कानून के अनुसार विभक्त किया जायेगा।

एक और पहलू योजना व्यय और गैर-योजना व्यय के बीच संबंध है। जहां तक गैर-योजना लेखाओं का संबंध है, योजना आयोग के निष्कर्षों और वित्त आयोग की सिफारिशों में सामंजस्य होना चाहिए। गैर-योजना व्यय के बारे में दोनों आयोगों द्वारा संयुक्त रूप से नियम बनाये जाने चाहिए। योजना और गैर-योजना संबंधी संसाधनों के उचित उपयोग के लिए यह अत्यावश्यक है कि दोनों आयोगों के बीच पूरा पूरा सहयोग हो।

इन शुल्कों की वसूली एक अन्य महत्वपूर्ण बात है जिस पर कि मैं बल देना चाहता हूं।

करों तथा शुल्कों के मामले में अपवंचन तथा कम निर्धारण के आरोप लगाये गये हैं। इस सम्बन्ध में यह आरोप भी लगाया गया है कि अधिकांश शल्कों को गम्भीरता अथवा सही नीति के अभाव के कारण बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। इस प्रकार कम वसूली से राज्यों के संसाधनों पर प्रभाव पड़ना आवश्यक है क्योंकि उचित वितरण संभव नहीं होगा। अतः यह आवश्यक है कि इन शुल्कों और करों की उचित ढंग से वसूली की जाये। कुछ लोगों से कर की वसूली नहीं की जाती और उनसे बहुत सी राशि बकाया है।

जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, इसकी समस्यायें विशेष किस्म की हैं उदाहरण के तौर पर कलकत्ता नगर, हुगली नदी में जहाजरानी, कलकत्ता पत्तन का भविष्य, हल्दिया विकास परियोजना और महानगरीय परियोजना। पश्चिम बंगाल भी इन विशेष समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाये। जहां तक केन्द्रीय पूल में इस राज्य के अंशदान का सम्बन्ध है इसका अंशदान सब राज्यों से अधिक है। परन्तु विभिन्न केन्द्रीय निधियों से सहायता के रूप में इस राज्य को बहुत कम सहायता मिल रही है। अतः सरकार को इन बातों को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय करना चाहिये और हमारे राज्य को अधिक सहायता दी जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 और 274 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश भी प्राप्त नहीं हुई है जैसा कि विधेयक से स्पष्ट है।

उपाध्यक्ष महोदय : सिफारिश मिल गई है और इसे 5 मार्च को प्रकाशित किया जायेगा। अन्तिम विधेयक में कुछ त्रुटियां हैं। बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार केवल करों की वसूली करती है और एकत्र की गई राशि को राज्यों में बांट देती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिशत भी निर्धारित किया जाता है। अतः मंत्री महोदय को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय को इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना चाहिये और इन असंगतियों को यथासंभव दूर करना चाहिये।

श्री मुरासोली मारन : (मद्रास दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, इन तीन विधेयकों का उद्देश्य उत्पादन शुल्क को बांटने के बारे में वित्त आयोग की सिफारिशों को अमल में लाना है। प्रथम वित्त आयोग ने निर्धारित किया था कि तीन मुख्य वस्तुओं पर मिलने वाले उत्पादन शुल्क का 40 प्रतिशत राज्यों को मिलना चाहिये। तीसरे वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार सभी वस्तुओं के उत्पादन शुल्क का 20 प्रतिशत राज्यों में बांटा जाता है। अब प्रश्न यह है कि क्या हमें इस विभाजन के लिए वित्त आयोग पर निर्भर रहना चाहिये जिसकी नियुक्ति हर पांच वर्षों के बाद की जाती है। इस मामले में सभी वित्त आयोगों की अब तक एक ही राय रही है। अतः मेरा सुझाव यह है कि राज्यों में विभाजन के लिए इन शुल्कों का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित किया जाये और उसका समावेश भारतीय संविधान में किया जाये। इससे अनिश्चितता समाप्त हो जायेगी।

यह प्रश्न भी सामने आता है कि राज्यों के बीच बांटे जाने वाले भाग को किस आधार पर बांटा जाये। अंशदान और राज्यों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को क्या महत्व दिया जाये। इसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्यों में उत्पादन शुल्क का वितरण अखिल भारतीय स्तर से भिन्नता के आधार पर किया जाना चाहिये।

अनेक राज्यों ने प्रतिव्यक्ति आय को आधार मानने पर आपत्ति की है क्योंकि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जहां तक अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का सम्बन्ध है, 1956 में सभी राज्यों ने अपने सूती

कपड़ें, ऊनी कपड़े, धागे और कृत्रिम रेशम, चीनी, तम्बाकू पर बिक्री कर लगाने के अधिकार को त्याग दिया था और उसके स्थान पर यह शुल्क लगाया गया था।

छठे वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल जैसे राज्य इस व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं और 1956 से पहले की व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि राज्यों को इन वस्तुओं पर बिक्री कर लगाने का अधिकार पुनः दिया जाये। हमें इस मामले पर विचार करना चाहिये। मेरा विचार यह है कि केन्द्र द्वारा बिक्री कर वसूल किये जाने और उसे राज्यों में बांटने की व्यवस्था समाप्त कर दी जानी चाहिये। राज्यों को वे संवैधानिक अधिकार वापस दिये जायें जो उन्होंने अपनी इच्छा से छोड़ दिये थे। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

वित्त आयोग से देश की वित्त व्यवस्था में संतुलन स्थापित करने की आशा की जाती है। इसे केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय मामलों में एक निष्पक्ष मध्यस्थ का काम करना चाहिये। परन्तु यह न्यायपूर्ण तथा ऐसे ढंग से कार्य नहीं कर रहा है जो सभी को स्वीकार्य हो। आयोग अपनी सिफारिशें देते हैं परन्तु राजनीति उन सिफारिशों में हेरफेर कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप किसी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के मामले में इस सभा के अधिकार को छोड़ देंगे ?

श्री मुरासोली मारन : आयोग स्वतंत्र होना चाहिये परन्तु अब आयोग स्वतन्त्र न होकर वचनबद्ध होते हैं। यह आपत्तिजनक है।

वित्त आयोग ने प्रशासन के स्तर में सुधार के लिए राज्यों को अनुदान देने का सुझाव दिया है। राज्यों को इस प्रयोजन के लिए लगभग 815 करोड़ रुपये की राशि दी गई है जिसमें से 50 प्रतिशत से अधिक राशि अर्थात् 456 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश और बिहार को दी गयी हैं। आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाये कि इस राशि को अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च नहीं किया जाता। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसी प्रभावी व्यवस्था करने के बारे में सोचा है ताकि इस राशि को अन्य कार्यों पर खर्च न किया जाये। यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

छठे वित्त आयोग ने ऋण के मामले में कुछ राहत दी है परन्तु ऐसा न्यायोचित ढंग से नहीं किया गया है। आयोग के अनुसार ऐसा भेदभाव के आधार पर किया गया है। इसके फलस्वरूप कुछ राज्यों को ऋण में राहत के मामले में अधिक लाभ पहुंचाया गया है। सही समाधान यह है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के पश्चात् किसी राज्य के पास फालतू राशि अधिक नहीं होनी चाहियें और न ही कुछ राज्यों को अधिक घाटा होना चाहियें परन्तु कुछ राज्यों के पास ऋण के मामले में राहत के कारण काफी राशि बच जाती है।

केन्द्र ने उत्पादन शुल्कों के नाम में परिवर्तन किया है। कुछ उत्पादन शुल्कों को अतिरिक्त उत्पादन शुल्क और कुछ को सहायक उत्पादन शुल्क की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार शुल्कों का नाम बदल कर गत एक या दो वर्षों में राज्यों को कोई राशि नहीं दी गई। परन्तु वित्त आयोग ने राज्यों की सहायता की है। अब आगे इन सहायक शुल्कों की राशि में से 20 प्रतिशत राशि राज्यों को मिलनी चाहिये। शुल्कों का नाम बदल कर राज्यों को वित्त से वंचित नहीं रखा जाना चाहिये।

श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी (चितूर) : विधेयक का समर्थन करते समय मैं अपनी निराशा व्यक्त करना चाहूंगा . . .

श्री जगदीश भट्टाचार्य (घाटल) : महोदय, सदन में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। घंटी बजाई जाए।

अब गणपूर्ति हो गई है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी करें।

श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी (चितूर) : वित्त आयोग ने आय-कर का नियतन करते समय न केवल विभाज्य पूल की राशि को 5 प्रतिशत बढ़ा दिया है बल्कि यह भी सुझाव दिया है कि विभाज्य पूल में निगम कर भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिये संविधान में संशोधन का सुझाव भी दिया गया है। उत्पादन-शुल्क के वितरण के मामले में यह क्यों नहीं किया गया है? वित्त आयोग को यथार्थ ढंग से और लचीले तरीके से संसाधन बांटने चाहियें जिससे कि राज्य लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल कर सकें।

आयकर की तरह ही उत्पादन शुल्क की विभाज्य राशि भी साथ ही बढ़ाई जानी चाहिए थी। किन्तु राज्यों के और केन्द्र के राजस्वों में वह लचीलापन नहीं है। इसके फलस्वरूप राज्य अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जहां तक कि कुछ राज्य वित्तीय मामलों में दिवालियापन की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसी स्थिति में यह आश्चर्यजनक बात है कि वित्त आयोग अतिरिक्त-उत्पादन शुल्क और आयकर की विभाज्य राशि को बढ़ाने के मामले में उदार नहीं रहा है। अब यह सरकार का कर्त्तव्य बनता है कि वह आयोग की सिफारिशों के औचित्य और देश में व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखकर सिफारिशों में कुछ सुधार करें। सरकार को राज्यों की वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए धन बांटने में उदारता से काम लेना चाहिए। वित्त आयोग ने यह ठीक कहा है कि कार्यक्रमों का प्रशासन तथा उससे संबंधित कार्यवाही केन्द्र सरकार को सौंपी जानी चाहिये तथा जो बात राज्यों के लिए करनी सुगम हो वह उनके द्वारा की जानी चाहिये तथा प्रशासन के इन उद्देश्यों के पूर्त्ति के लिए संसाधनों का अवश्यमेव पता लगाया जाना चाहिये। वित्त आयोग ने किसी राज्य के पिछड़ेपन का अनुमान लगाने का एक संभव तरीका उसकी प्रति-व्यक्ति आय को माना है।

किन्तु इस बात को सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था नहीं है कि पिछड़ेपन की समस्या के समाधान के लिये दी गई अधिक राशि उसी उद्देश्य के लिये उपयोग की गई है। वास्तव में वित्त आयोग ने इस पर शंका व्यक्त की है और कहा है कि इसके लिये अवश्य व्यवस्था की जानी चाहिये और राज्यों को दी जाने वाली राशि का ध्यान रखा जाना चाहिये। जब तक वित्त मंत्री यह आश्वासन नहीं देते कि राशियों का ठीक उपयोग करने के लिये उचित व्यवस्था की जायेगी तब तक पिछड़े क्षेत्रों को इससे सहायता नहीं मिलेगी और देश में क्षेत्रीय असंतुलन भी समाप्त नहीं होगा।

Shri M.C. Daga (Pali): Mr. Deputy Speaker, the purpose of the Finance Commission was to make recommendations for removing the regional unbalances in the different states. But why the Share in the union duties of excise was given to to states in piecemeal by the Government. The central Government should pool their resources and more allocation of funds should be given to backward states. The main purpose of Finance Commission was to mobilise the resources for the major projects being executed in the country. But

the work of Rajasthan Canal had not been completed for want of funds. The basis of allocation of funds should not be the population or the revenue of the state. It should rather be the backwardness of the state. Rajasthan is a backward and famine-prone state and so, more funds should be allocated for the development of backward areas in that state. It should not be neglected on the basis of not having dense population or earningless revenue. Regarding State duty Finance Commission has observed as follows:

> "A satisfactory and enduring solution to the problem of Centre-State relations can not be found except through a vigorous and concerted drive against tax erosion, tax avoidance, waste & extravagance in public expenditure."

It had been represented to the Government that Octroi duties should be abolished and instead sales tax and other taxes should be enhanced. But the Octroi duties still continued, Thus the allocations of Funds should be so made that regional imbalance might be reduced to the maximum extent.

Shri Bharat Singh Chowhan (Dhar): Mr. Deputy Speaker, the Bill which has been brought have is introduced without giving any serious thought to it, because the Finance Commission had recommended an allocation of 20 percent of excise duty to states. In Madhya Pradesh, Narmada plan and other eight or nine plans could not be undertaken for want of funds. At least in regard to tribal areas, financial assistance must be given in accordance with the recommendations of the Finance Commission. It is rediculous to make a provision in the Bill for an allocation of 8 per cent of excise duty to Madhya Pradesh. This kind of provision will only agravate the regional imbalance. I oppose it on these grounds...

उपाध्यक्ष महोदय : ग्राप कौन से विधेयक का विरोध करते हैं ? सदन के समक्ष तीन विधयक पेश हैं।

Sh. Bharat Singh Chowhan: I am refering to union duties of Excise (Distribution bill. I would say that the Madhya Pradesh state is the most back ward state where 80 lakh tribals reside in the tribal areas. This allocation of 8 percent is too inadequate keeping in view the population of tribal people in the State.

Madhya Pradesh abounds in Natural Resources. Alluminium is available in abundance and there is every scope of setting up a big factory there. Similarly there are certain other projects, like tapti Hydro Projects which are not being implemented for want of funds. In view of it allocation should be revised as per recommendation of the Finance Commission.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रायोग के सदस्यों के बारे में जो ग्रापत्ति की जा रही है उसके संबंध में मैं यह कहना चाहूंगी कि ग्रायोग के सदस्य एक बहुत उंची योग्यता रखने वाले व्यक्ति हैं तथा उन्होंने बिना किसी भेदभाव के समस्या पर विचार किया है। यह इस बात से भी सिद्ध होता है कि यह पहली बार ऐसा हुग्रा है कि किसी राज्य से भी मंत्रालय को वित्त ग्रायोग की सिफारिशों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वित्त ग्रायोग ने राज्यों के लिये काफी राशि की व्यवस्था की है। मैं सभी माननीय सदस्यों को ग्राश्वासन दिलाती हूं कि किसी राज्य के साथ भेदभाव किये जाने का या किसी राज्य को ग्रधिक तथा दूसरे किसी को कम दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

संपदा शुल्क के बारे में संविधान के अनुच्छेद 274(1) के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश अपेक्षित है और अनुच्छेद 117(1) के अधीन सावधानी के रूप में पहले ही सिफारिश प्राप्त कर ली गई थी ।

योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच समन्वय के बारे में यह उल्लेखनीय है कि योजना आयोग के एक सदस्य डा० मिन्हास वित्त आयोग के सदस्य भी हैं । इस प्रकार दोनों आयोगों के बीच समन्वय था।

जहां तक वित्त आयोग के मुख्य उद्देश्य का प्रश्न है इसने तीन मुख्य बातों पर ध्यान दिया है जोकि इसके विचारणीय विषय थे, अर्थात् करों और शुल्कों का बांटना, सहायक अनुदान और वापसी भुगतान।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ अन्य मामलों के बारे में भी चर्चा की गई है, उनमें से एक यह है कि प्राकृतिक विपत्ति संबंधी राष्ट्रीय निधि बनायी जाये। वित्त आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया है किन्तु उसने पूरे ढांचे को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की है। यह मान लिया गया है कि अल्प अवधि या दीर्घ अवधि के लिए राहत देने के स्थान पर यह पूरी योजना अवधि के लिये होनी चाहिये। अतः इसे समुची योजना के अनुसार लिया जाएगा और इसे राज्य के विकास के साथ जोड़ा जा सकता है। है।

राजस्थान नहर के पूरा न करने या उसमें विलम्ब का जिक्र भी किया गया है, परन्तु मैं यहां यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि उसका सीधे तौर पर हमारे साथ संबंध नहीं है। केन्द्रीय ऋणों की वापस अदायगी के बारे में आयोग ने 1978-79 में समाप्त होने वाली पांच वर्षों की अवधि के लिये राज्यों के गैर-योजना पूंजी अन्तराल का समान और तुलनात्मक आधार पर निर्धारण किया है। अतः किसी प्रकार का भेद भाव नहीं बरता गया है। आयोग ने राज्यों की ऋण की स्थिति की विशेषकर उन्हें दिये गये केन्द्रीय ऋणों की जो 1973-74 के अन्त तक बकाया रहेंगे, सामान्य पुनरीक्षा की है।

यह कार्यवाही तदर्थ आधार पर नहीं की गई है अपितु समूचे भारत की व्यवस्थित रूप में और समान आधार पर की गई है, किसी विशेष राज्य के संदर्भ में नहीं की गई है।

जहां तक पिछड़े पन का संबंध है, इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वही कसौटी अपनाई गई है। आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों का हिस्सा उनकी जनसंख्या के लिये 75 प्रतिशत और पिछड़ेपन के लिये 25 प्रतिशत के आधार पर वितरित किया जाना चाहिये।

जहां तक इसकी क्रियाविधि का संबंध है यह सही है कि जो धन राज्य को दिया जाये वह पूर्णतः और समुचित रूप से उपयोग में लाया जाये। किंतु यह क्रियान्वयन एजेंसी के बारे में है। जहां तक वित्त आयोग की सिफारिश का संबंध है वे सदन के समक्ष प्रस्तुत है :

श्री उपाध्यक्ष महोदय : मैं इन विधेयकों को पृथक पृथक रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री उपाध्यक्ष महोदय—इस विधेयक पर कोई संशोधन नहीं है। मैं सदन में मत विभाजन के लिये विधेयक के सभी सम्बद्ध खंडों तथा अन्य भागों को साथ साथ प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न यह है—

"कि खण्ड 2 से 5, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 2 से 5 खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 2 to 5 clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्लौर)—मैं प्रस्ताव करती हूं

"कि विधेयक पारित किया जाये"।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

श्री माधुर्य हालदार (मथुरापुर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में गणपूर्ति नहीं है। यह एक आवश्यक विधेयक है। इसके पारित होने के समय सभा में गणपूर्ति होना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष महोदय—मैं इस बात को देखे लेता हूं........हां। —गणपूर्ति की घंटी बजाई जाये अब गणपूर्ति हो गई है।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब अगले विधेयक पर विचार आरंभ किया जाये।

प्रश्न यह है :

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस पर खंड वार विचार किया जाये।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

Motion was adopted.

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 2 to 4 were added to the Bill.

खंड एक

उपाध्यक्ष महोदय : इस संबंध में सरकार का एक संशोधन है।

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 5 ; –

" It shall " (को प्रवृत्त होगा) के स्थान पर " be deemed to have " (से प्रवृत्त हुआ माना जाएगा) प्रतिस्थापित किया जाये (संशोधन संख्या 1)

(श्रीमती सुशीला रोहतगी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र तथा शीर्षक विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

अधिनियम सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये।

The Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब तीसरे विधेयक पर विचार आरंभ किया जाये।

प्रश्न यह है :

"कि सम्पदाशुल्क (वितरण) अधिनियम 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्तव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खंड-वार

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्ड-वार विचार किया जाये। प्रश्न यह है--

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

खंड एक

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 1, पंक्ति 5,—

'It shall' (को प्रवृत्त होगा) के स्थान पर "be deemed to have" (से प्रवृत्त हुआ माना जायेगा) (संशोधन संख्या 1) प्रति स्थापित किया जाये।

(श्रीमती सुशीला रोहतगी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है—

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये।

The Enacting Formula and the till were added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय —प्रश्न यह है—

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion wae adopted

कोयला खान (संरक्षण और विकास) विधेयक
COAL MINES (CONSERVATION & DEVELOPMENT) BILL

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): मैं प्रस्ताव करता हूं —

"कि कोयले के संरक्षण तथा कोयला खानों के विकास के लिये और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक की पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि 1952 का कोयला खान (संरक्षण सुरक्षा और विकास) अधिनियम इस विधेयक से निरस्त हो जायेगा। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत स्थापित कोयला बोर्ड भी समाप्त हो जायेगा। तथा कोयला बोर्ड की परि-संपत्तियां और दायित्व सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले ली जायेंगी। और सरकार को अधिकार होगा कि वह इसे किसी सरकारी कंपनी को हस्तांतरित कर सकती है। इसके अंतर्गत कोयला बोर्ड के कर्मचारियों के पेंशन संबंधी सभी अधिकारों की रक्षा की जायेगी तथा बोर्ड में की गई उनकी सेवाओं को सरकारी कंपनी अथवा संगठन में, जिन में उनका स्थानान्तरण किया जाये, की गयी सेवा में माना जायेगा।

इस विधेयक की एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक प्रकार के कोयले पर उत्पादन-शुल्क, जो 10 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक नहीं होगा, लगाने का अधिकार होगा। केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष उत्पादन-शुल्क से प्राप्त शुद्ध आय को संरक्षण और विकास योजनाओं के लिये विभिन्न कोयला उत्पादकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार तथा कुछ विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन हस्तांतरित कर देगी।

केन्द्रीय सरकार को कोयला खान (संरक्षण और विकास) विधेयक, 1952 के अन्तर्गत इस समय उपलब्ध संरक्षण और सुरक्षा के उपायों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। यह अधिनियम उस समय बनाया गया था जबकि कोयला उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में था। कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् स्थिति का पुर्नविलोकन किया गया और यह परिवर्तन करना आवश्यक समझा गया। यह आवश्यक समझा गया कि कोयला खानों के संरक्षण और विकास के लिये विशेष व्यवस्था की, जिसका इस अधिनियम में उपबंध है, अब कोई आवश्यकता नहीं है और यह कि कोयला खान प्राधिकरण तथा बी०सी०सी०एल० खानों के संरक्षण और विकास संबंधी समस्याओं पर अनिवार्यतः ध्यान देंगे।

जैसा कि कोयला खान प्राधिकरण संगठन के प्रतिष्ठान-पत्र में बताया गया है, इस कंपनी का एक उद्देश्य देश के कोयले के रक्षित भंडारों के संरक्षण, विकास तथा उनको वैज्ञानिक तरीके से उपयोग में लाने संबंधी राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना तथा केन्द्रीय सरकार से इसके लिये सिफारिश करना है; और कोयला उद्योग संबंधी हर प्रकार के नीति संबंधी मामलों में सरकार को सलाह देना है।

विधेयक के साथ संलग्न वित्तीय ज्ञापन से यह स्पष्ट है कि कोयला बोर्ड की आस्तियां 2562 लाख रुपये और देयतायें 2936.19 लाख रुपये की हैं। आशा है कि पूर्ववर्ती वर्ष में वसूल किये गये उत्पादन शुल्क में से कोयला बोर्ड को भुगतान करने हेतु 1974-75 के बजट में जो 11.02 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है उसके अंशतः उपयोग के परिणामस्वरूप आस्तियों और देयताओं के बीच का यह अन्तर नये अधिनियम के लागू होने तक समाप्त हो जायेगा।

रज्जुमार्गों का जो कि कोयला बोर्ड की आस्तियां हैं और मुख्यतः बंगाल तथा बिहार क्षेत्र में हैं प्रबंध बी०सी०सी०एल० और सी०एम०ए० को अंतरित किया जा चुका है और इनके स्वामित्व को भी इन कंपनियों को भुगतान करने पर अंतरित कर दिया जायगा जो कि शेयर जारी करके या ऋण द्वारा किया जायेगा। अन्य आस्तियों के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जायगी।

1952 का अधिनियम इस विधान से निरस्त हो जायेगा तथा कोयला बोर्ड समाप्त हो जायेगा। कोयला खानों के संरक्षण और विकास कार्य को जो कोयला बोर्ड को सौंपा गया था अब इस्पात और खान मंत्रालय के अंतर्गत बनाये गये सरकारी क्षेत्र के संगटनों द्वारा अपने अधिकार में ले लिया जायेगा।

श्री **सोमनाथ चटर्जी** (वर्दवान) : यह प्रतीत होता है कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य उत्पादन शुल्क को 5 रुपए प्रति क्विटल से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति क्विंटल करना है। उत्पादन शुल्क की दर में वृद्धि करने के सिवाय कोयला खानों के संरक्षण और विकास के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विधेयक के नाम में से तथा विधेयक की धारा 4(1) में से जो कि इस विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण अंग है 'सुरक्षा' शब्द का लोप कर दिया गया है।

मंत्री महोदय के कथनानुसार विधेयक के उपबंधों का महत्वपूर्ण उपबंध कोयला बोर्ड को समाप्त करना है। यह निर्णय क्यों लिया गया है यह हमें ज्ञात नहीं। यह कोयला बोर्ड 1952 में स्थापित किया गया था। इससे पहले कोयला खानों का प्रबंध गैर-सरकारी कंपनियों के हाथों में था और सुरक्षा कार्य कोयला संरक्षण कार्य तथा विकास कार्य उचित ढंग से नहीं किया जा रहा था, अतः कोयला खानों के प्रबंध तथा कार्य-संचालन को हाथ में लेना परमावश्यक हो गया था। कोयला बोर्ड कोयले का संरक्षण करने और कोयला खानों का विकास करने तथा खान क्षेत्रों में संचालन कार्य का निरीक्षण करने के प्रयोजनार्थ स्थापित किया गया था। जब कोयला बोर्ड स्वयं में एक सरकारी संगठन है तो इसको क्यों समाप्त किया जा रहा है। और इसके कार्यकरण दो सरकारी कंपनियों को क्यों सौंपे जा रहे हैं? इन कंपनियों के विरुद्ध कुप्रबंध के गंभीर आरोप लगाये गये हैं।

अतः यह आवश्यक है कि कोई अन्य संगठन इस मामले की जांच करे। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार कोयला खान प्राधिकरण को अपने कार्य का निरीक्षण करने के अतिरिक्त भरण प्रक्रिया की भी जिम्मेदारी दी गई है। अतः कोई अन्य संगठन जो कोयला खान प्राधिकरण से सीधे संबद्ध न हो बिना किसी पक्षपात के इस कार्य की ठीक देख-रेख कर सकता है।

कोयला बोर्ड को समाप्त किये जाने की स्थिति में दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं। एक तो यह कि कोयला बोर्ड के कर्मचारियों का क्या होगा? इस विधेयक में ऐसी कोई धारा नहीं है जिससे कि कोयला बोर्ड के क्रिया कलापों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने के उपरांत इस बोर्ड के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी बन जायें।

दूसरी बात यह है कि 'सरकारी कंपनी या संगठन' एक अन्य साजिश युक्त अभिव्यक्ति है। यह कैसा संगठन है? सरकार किस प्रकार का संगठन स्थापित करना चाहती है? कोयला बोर्ड में कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्य से इसका कोई संबंध नहीं है। क्या इन कर्मचारियों को किसी अन्य सरकारी विभागों में भेजा जायेगा। इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये। यह भी आवश्यक है कि इन कर्मचारियों को जोकि कोयला बोर्ड में एक विशेष प्रकार का कार्य करते रहे हैं और जिन्हें उस कार्य का अनुभव प्राप्त हो गया है, किसी सरकारी कंपनी को अंतरित किये जाने के बाद भी उसी किस्म के काम पर बने रहने की गारंटी दी जाए।

राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला बोर्ड का स्थान सरकारी कंपनी ले रही है जो केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ऐसी दशा में कर्मचारियों की स्थिति क्या होगी? क्या इस बात का विकल्प पूरी तरह से सरकार पर या सरकारी कम्पनी पर है कि वह किसी कर्मचारी की नौकरी 15 दिन या एक मास का नोटिस देकर समाप्त कर दे। नई व्यवस्था के अंतर्गत वे सरकारी कंपनियों के विरुद्ध न्यायालय में भी नहीं जा सकते हैं।

जहां तक सेवा की शर्तों और वेतन आदि का संबंध है, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से इनमें परिवर्तन किये जा सकते थे किन्तु अब सरकारी कंपनी या केन्द्रीय सरकार को अन्तरित होने वाले कर्मचारियों की शर्तों को परिवर्तित करने को अनियंत्रित शक्ति दी गई है। ये कर्मचारी पूरी तरह से विभाग या नौकरशाही की दया पर रहेंगे। विधेयक के उपबंधों, जिसमें खंड 15 का परन्तुक भी शामिल है, से कर्मचारियों को मिलने वाली थोड़ी बहुत सुरक्षा भी समाप्त की जा रही है।

पारस्परिक वरिष्ठता सेवा की एक अनिवार्य शर्त है किन्तु विधेयक में कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय एक अन्य मामले की ओर भी गंभीरता से ध्यान दें। कोयला बोर्ड में नैमित्तिक और दैनिक मजूरी वाले कर्मचारी भी हैं। मैं कोयला बोर्ड सहकारी कंटीन सोसाइटी के कर्मचारियों के भाग्य के बारे में भी जानना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि इन कर्मचारियों को भी केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी काम पर लगाये रखेंगी।

जहां तक इस अधिनियम का संबंध है, विधेयक के खंड 3 में 'एजेंट', 'प्रबंधक' और 'स्वामी' की परिभाषा के संबंध में कहा गया है कि इनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो खान विधेयक 1952 में निर्दिष्ट हैं किन्तु अब तो स्वामी सदा सरकारी कंपनी ही रहेगी। जहां तक एजेंट का संबंध है पता नहीं सरकार ऐसी कौन सी ऐजेंसी के बारे में सोच रही है जिससे राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिलेगी। सरकार, इस बात का विचार किये बिना कि इस देश में कोयला उद्योग के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। यांत्रिक ढंग से 1952 के अधिनियम के कुछ उपबंधों की नकल कर रही है। अधिनियम में केन्द्रीय सरकार को स्वामी, एजेंट या प्रबंधक को निदेश देने की शक्ति दी गई है किन्तु ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि यदि सी०एम०ए० निदेशों का पालन नहीं करता तो उसे क्या दंड दिया जायेगा। निदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए क्या व्यवस्था अपनायी जायेगी। इस बात का पर्यवेक्षण कौन करेगा कि सी०एम०ए० या बी० बी०सी०सी०एल० अपने कर्त्तव्यों का पालन कर रहा है। यह बात कुछ आश्चर्यजनक है कि सरकारी कंपनियों को स्वयं ही यह देखना होता है कि वे सुरक्षा कार्य, विकास योजनाओं आदि पर ठीक कार्य कर रही हैं अथवा नहीं। यह एक हास्यास्पद स्थिति है।

इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य सुरक्षा कार्यों या खान संचालन अथवा विकास के लिए कुछ करना नहीं है बल्कि कोयला खान प्राधिकरण को और अधिक शक्ति देना और उत्पादन शुल्क में वृद्धि करना है। हम राष्ट्रीयकरण के समर्थक हैं किन्तु इन राष्ट्रीयकृत उपक्रमों को अपनी जेबें भरने का अड्डा नहीं बनाया जाना चाहिए।

जहां तक संरक्षण और विकास तथा सुरक्षा कार्य का संबंध है, कोयला खनन अधिकारी एसोसियेशन के महासचिव ने एक पत्र में लिखा है कि काफ़ी अधिक संख्या में खानों में खान सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करके काम किया जा रहा है। इससे अत्यधिक संख्या में कर्मचारियों की जानें जा सकती हैं।

हम चाहते थे कि कोयला बोर्ड के कार्यचालन को कारगर और दोषरहित बनाया जाये किन्तु आप इसे भंग करके इसका काम ऐसे लोगों के हाथों में दे रहे हैं जिनके काम की क्षमता अभी देखनी है। हम चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण कार्य को किसी अन्य के साथ न जोड़ा जाए और इसे अलग रखा जाये।

मैं चाहता हूं कि सी० एम० ए० और बी० सी० सी० एल० का अच्छी तरह से प्रबंध किया जाये और ये अपने काम को भलीभांति करें। कल के समाचार पत्र में ही यह समाचार था कि सी० एम० ए० के 30·40 अधिकारी रिश्वत, भ्रष्टाचार के आरोप में या तो पकड़े गए हैं अथवा उनके विरुद्ध इस संबंध में कार्यवाही हो रही है।

भ्रष्टाचार, कुप्रबंध, कोयले के जमा होने, कोयले के अनुचित वितरण आदि जैसी समस्याओं का समाधान ढूंढने के स्थान पर आप कर्मचारियों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं अतः, मैं इन कारणों से विधेयक का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी : ने आज प्रातः ही अपने संशोधन दिये हैं और नियमों के अनुसार उन्हें समयबाधित घोषित कर दिया जाना चाहिए था किन्तु जो तर्क उन्होंने दिए हैं उनसे विधेयक में गम्भीर कमियों का पता लगता है। अतः मैं इन संशोधनों को स्वीकार करता हूं। भविष्य में वह समय पर संशोधन किया करें।

Shri Ram Singh Bhai (Indore): I welcome this Bill heartly. After nationalization of all the coal mines there was no necessity of the Coal Board.

[**श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी** पीठासीन हुए।
[**Shri Dinesh Chander Goswami** *in the chair*]

Excise duty has been increased from Rs. 4 to 10. Looking at the all round increase in prices during the last few years, the increase made is fully justified.

Another thing is that the coal mines have been under private sector for a period of 125 years. Because of their vested interests, these people have never bothered for the development of these mines. They did not exploit these mines scientifically. Their only aim was to have more and more coal with lesser and lesser investment. Now, the Government have nationalized these mines but some people are trying to make this step unsuccessful. People say that they are not getting the coal and if at they are getting, it is of inferior quality. But the Government are not manufacturing coal, it is being dug out from the mines.

In our country, coal mines have not properly been maintained. Then how can we talk of modernisation.

Our aim should be to achieve the maximum production. It is not the number of workers that matters but what matters is that we should increase the production. For that we should modernize and mechanise the mines.

Now that the mines have been nationalized, no chance should be left for accidents and all necessary material should be made available for the purpose.

If we are interested in more production and lesser cost, we will have to improve the working conditions of the mines. There should be proper supply of water for mines workers. Their housing problem should be looked into. Better arrangement for latrins and urinals inside and outside the mines would help in more cleanliness.

One thing more. You should also increase the number of inspectors. Government has not been able to win the Co-operation of the Coal mine workers so far. Efforts should be made to win their co-operation because without this production cannot be maximised.

Government should also see that contract labour system is totally abolished in the coal mines.

डा० रानेन सेन (बारसाट) : खान मालिक कोयला खानों के संरक्षण की पूर्णतः उपेक्षा करते रहे हैं। कोयला ठीक से नहीं निकाला जा रहा है। कुछ कोयला खाने कई वर्षों तक जलती रही हैं। किसी ने कोयले को जलने से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से कोयला खान मालिकों द्वारा कोयले के बहुमूल्य निक्षेपों को नष्ट किया जाता रहा है। पता चला है कि कोयला बोर्ड ने खान सुरक्षा संगठन की उपेक्षा की है। इसके फलस्वरूप रानीगंज झरिया, मध्यप्रदेश तथा अन्य स्थानों पर कोयला खानों में अनेक दुर्घटनाएँ घटी हैं। अतः अब कोयला खानों के संरक्षण और विकास के बारे में कुछ करना चाहिये।

बिहार और पश्चिम बंगाल के ताप बिजली घरों की शिकायतें हैं कि उन्हें मिलने वाला कोयला बहुत धुला हुआ होता है, जिसके फलस्वरूप बिजलीघरों में बहुत बार खराबियां हो जाती हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए। सरकार तथा इस्पात और खान मंत्रालय को अब जाग जाना चाहिए और इस बात पर विचार करना चाहिए कि अधिकारियों के एक वर्ग द्वारा कोयले के उत्पादन और इसकी वितरण व्यवस्था में किस प्रकार गड़बड़ी की जा रही है। कुछ अधिकारी इसका राष्ट्रीयकरण नहीं चाहते थे। इसी कारण उनकी कोई निष्ठा नहीं है। वे खान मालिकों से मिले हुए हैं और उत्पादन में बाधा डालने का प्रयास करते हैं।

ऐसी रिपोर्ट मिली है कि जिन खान अधिकारियों का कर्त्तव्य है कि खानों में जाकर उनका निरीक्षण करें और कर्मचारियों की सहायता करें, वे अधिकांश मामलों में ऐसा करने से इंकार कर देते हैं। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये अधिकारी ऐसा न करें।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सुरक्षा के उपायों को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है। प्रबंधकों को श्रमिकों के कार्मिक संघों को सहयोग देना चाहिए।

कोयला खान श्रमिकों के वेतन में जो वृद्धि की गई है वह एक अच्छी बात है और मैं इसके लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

सदन में विधेयक पेश होने से पूर्व समाचार-पत्रों में इस आशय के समाचार आए थे कि कोयले का मूल्य बढ़ने वाला है। विधेयक पेश होने के बाद लोगों के दिलों में वास्तव में शंका हो गई है कि कोयले के मूल्य में वृद्धि होगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोयले के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी।

Shri R.N. Sharma (Dhanbad) : I welcome the Bill. There is a great need for funds for undertaking safety measures in the coal mines and for their development. In 1952 the rate of cess had been fixed at Rs. 4 per tonne. It is now being increased to Rs. 10 per tonne.

The Bill also provides for the abolition of coal Board and provision has been made for giving alternative jobs to the employees. There is a need to improve this provision so that these people are absorbed in other public sector organisations and their seniority is not affected.

In Clause 3 of the Bill Chief Inspector and Inspector have been referred to. But now these designations have been changed to Director General, Mines safety and Directors respectively. Therefore, concequential amendment should be made in this clause.

So far as the question of Safety is concerned, it is not enough to keep in mind the railway safety, roads and houses should also be included therein. The fields of the agriculturists on the surface are distroyed but they are not paid any compensation. All these should be taken care of.

The Coal Board has completely failed in regard to implementation of safety provisions. That is why fire accidents continue to take place. In Jharia Coal Mines a large area is even at present on fire but nothing has been done in this regard. Effective measures should be taken to prevent such accidents.

Shri Dhan Shah Pradhan (Shehdal): Mr Chairman, I support the Bill. The proposal to wind up the Coal Board is welcome but the rate of Cess should not be increased. Production of Coal has come down after nationalisation. There is no arrangement for the safety of Coal mine workers. At present even sand is not available. The workers do not get enough cloth, soap, shoes and implements as a result of which they can't function properly. All these things should be provided in adequate quantity and at proper time. Arrangements should also be made for their housing. The officers are unaware of the happenings in the mines because they do not inspect the mines. Special attention should be paid to it.

It is unfortunate that contract system is still prevalent in Coal mines although it is being opposed since long. It is high time that the system should be abolished. Government should pay special attention to it.

There is acute shortage of kerosene oil in Parasia, Shahdol, Seedhi, Sarguja areas of Madhya Pradesh. Arrangements for supply of Kerosene oil to these areas should be made immediately. The officers are getting inflated bills for the goods purchased locally. This malpractice must be discontinued.

Previously coal was being sold under three grades. But now this system has been abolished and only one grade has been retained. I want that the old system should be restored.

The mine workers are not getting proper wages. The workers had represented to the authorities that the rate for loading wagons should be revised but their demand was not heeded. Thereafter they went on Strike but no decision has been taken in this regard so far. Government should look into the matter. I support the bill but Government should ensure that the workers are properly paid and more and more facilities are provided to them.

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh): Mr. Chairman, the Bill to wind up the Coal Board is welcome. The rate of cess is being increased from Rs. 4 to Rs. 10 per tonne keeping in view the increased cost of conservation and development of Coal. But it is doubtful whether even with this increased rate of cess it will be possible to achieve the purpose of the original Act. Not only sand, there are many other things also which are essential for the production of Coal. Therefore more and more funds should be provided. It will therefore be better if a higher rate of cess is provided in the Bill.

As you know, enough sand is not available in the nearby rivers for stowing purposes. As such, a new method will have to be devised. The system of neomatic stowing was introduced in an area on an experimental basis and stone dust was used. But it has proved very costly. Therefore it is difficult to understand how this Cost can be met by the proposed rate of cess. Therefore more funds should be provided for this purpose and the cess should be enhanced.

Coal Board was set up for a specific purpose. In the changed circumstances there is no longer any need for the Coal Board. The present Bill seeks to abolish the Board. It is therefore welcome. (Speech not concluded).

स्थगन प्रस्ताव—जारी

Motion for Adjournment—Contd.

दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में दंगों को रोकने में असफलता

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Mr. Chairman, I move that the sitting of the House may be adjourned. This motion for adjournment has been brought in view of the riots in Sadar Bazar Area in Delhi.

After the partition of the country, it is the biggest communal disturbance in the capital. According to official figures ten persons are reported to have been killed and a large number of persons have been injured. A number of shops have been put on fire as a result of which property has been destroyed on a large scale. This incident has brought a bad name to our country and our prestige has been lowered in the eyes of the world. The question is whether the disturbance could not be averted or could it not have been nipped in the bud by taking effective measures.

27 LSS/74—12

One interesting thing about this incident is that it has taken place in the same area where a similar incident took place only 11 months back It is said that the trouble had its origin in a minor scuffle between some individuals in a local-Cinema house. Had the administration taken timely action, the trouble could not have taken such a serious turn. This lapse on the part of the authorities is most condemnable.

As regards the question of sanctity of places of worship, there is no reason why the police should not be allowed to enter them if the places are misused for creating disturbance. No system of worship can function, if there is no law and order in the Country.

Another interesting fact in regard to this disturbance is that most of the people killed or injured have been hit by bullets or Pellets whereas usually in such disturbances there are cases of stabbing only. This shows that the trobule-makers had collected enough fire-arms. There should be a house to house search of fire-arms in the troubled area and those found in possession of unauthorised arms should be severely punished.

Last year when there was trouble in the area we had demanded a judiciary inquiry but the Government did not accept it on the ground that judicial inquiry took much time. So Shri Tandon had been appointed to inquire into the incident. That inquiry has since been completed but the report has not been published so far. Whether it is not a fact that it has been said in the report that had the police acted in time, the trouble could have been averted the same thing has happened this time. I submit that the report shouid be published.

Eleven months back when the trouble broke out in the area, we had said that the area of Sadar Police Station is very large and there is need for setting up some police post at Sensitive places where tension is created even over small matters. But no attention was paid to our suggestion. Even now it is not too late and the matter should be seriously considered.

We also want that there should be a judicial inquiry in regard to the present trouble so that facts come to light. We must know who are the trouble-makers and they must be given stern punishment. We demand that all those persons of the area who have been given licences for weapons like guns etc. should be called and they should be asked to deposit their arms in the Police Station.

There should be a house to house search of fire-arms in the troubled area and those found in possession of unauthorised arms should be severely punished. A reference to the National Integration Council here is also necessary? Why the recommendations made by the Council had not been implemented? The council had recommended that as communal disturbances resulted from building up of communal tensions, it was essential to have prompt and correct intelligence available to the Government. The council had also recommended that the District Magistrate and District Superintendents of Police should be charged with personal responsibility in such matters.

This problem can not be solved merely making some officer personally responsible for prompt action. On the other hand we have to bring a complete harmony among the

people of different communities. In this respect I will quote from the interview of Shri Mahmood Sham, Editor of Pakistani Magazine "Jahanara" published in an urdu monthly entitled "Pakeeja".

> "Shree Sham has expressed Surprise that the Indian nation is compartmentalised into majority and minority. He said that Indian Muslim leaders are more to blame in this respect and that they seem to suffer from inferiority complex. He further wondered why the Indian leaders still think in terms of Hindu & Muslim if they are against the two-nation theory".

I suggest that we should go deep into the problem and find a permanent solution of the problem.

Shri H. K. L. Bhagat (East Delhi): Mr Chairman, It is regrettable to note that the way Shri Vajpayee has presented the case it will not help in creating an atmosphere of Communal peace and harmony in the country. It would have been better if the House had merely condemned riots today and discussed the matter after restoration of peace. Thus it appears that the aim of the mover of Adjournment Motion is not to create peaceful conditions but to create disorder.

On the one hand they have demanded that a judicial enquiry to probe into the matter may be initiated and on the other hand they have put forward some cooked up stories of the incident based on the presumptions and if they are given publicity outside the House then there is every fear that it may add to the tension in the city.

Shri Vajpayee's Party is not helping in creating peaceful conditions. The local unit of Jan Sangh has issued a statement that if the persons who had resorted to firing were not caught within 24 hours they would resort to direct action. This statement showed that those people wanted to take undue advantage of the present situation.

A demand had been made for a judicial inquiry. Such an inquiry would take three to five years and in the meantime there would be chances of manipulation. In my opinion Government should hold a high level fact finding inquiry after the curfew is lifted. Those who found guilty should be given stringent punishment. Some of my other colleagues have also moved an adjournment motion. I would say that it was not the opportune time to move such motion when the situtation in Delhi was full of tensions.

It is a matter of shame for us that riots has taken place in Delhi. It is a slur on the fair name of Delhi. Our prestige has gone down in the eyes of the world.

It is easy to censur the Government here in the House. But we have to see will it solve our problem. The need of the hour is to restore peace. In order to achieve it all of us have to go hand in hand with the Government.

Mr Speaker, I observe that whatever is happening in the country in these days is a part of links—links in the chain of efforts being made in this country to create chaos & lawlessness and in this race some parties are in competition with each & other.

The need of the hour is to save the democracy. If the democracy is saved then the country is saved otherwise there will be chaos everywhere.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हाबर) : रविवार को दिल्ली में जो दंगे हुये हैं वे स्वतन्त्रता के बाद सबसे गम्भीर हैं । यह गृह मंत्रालय के कार्यालय के बहुत निकट हुये हैं । इससे सरकार की अल्प-संख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने में असफलता का पता चलता है । इस कारण संमूचे उपमहाद्वीप में अल्प-संख्यकों का विश्वास समाप्त हो गया है ।

अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार 28 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 300 व्यक्ति घायल हुये हैं । अनेक भवन जला दिये गये हैं और 1 ½ करोड़ रुपये की हानि हुई है । रविवार के बाद मैं वहां तीन बार गया हूं और मेरी जानकारी के अनुसार उस क्षेत्र में अल्प-संख्यकों की 60 दुकानें जला दी गई हैं, 5 मस्जिदों को पूरे तौर पर या आंशिक रूप से जला या गिरा दिया गया है । और आग इतनी अधिक थी कि पक्के मकानों की छतें भी गिर गई हैं । कई लोग बेघर हो गये हैं । इनमें से अधिक व्यक्ति अल्प-संख्यक हैं । इतने थोड़े समय में वहां दो बार दंगे हो चुके हैं । मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता लेकिन मेरा अनुमान है कि जब भी उस क्षेत्र में वामपंथी दलों द्वारा बन्ध आयोजित किए गये हैं तभी वे दंगे हुये हैं । इस वर्ष यह बन्ध 3 मई को आयोजित किया गया था तथा गत वर्ष भी एक बन्ध आयोजित किया गया था ।

सबसे खराब बात प्रशासन और पुलिस की विफलता है । इसी कारण इतनी अधिक हानि हुई है । अत्यन्त विश्वसनीय लोगों ने मुझे बताया है कि पुलिस समय पर नहीं पहुंची । गड़बड़ 1-30 पर आरम्भ हुई थी । दोनों वर्गों के 500 से 2,000 लोगों को दंगा करने की खुली छूट दे दी गई थी । पेट्रोल से भीगे कपड़े आग लगाने के प्रमुख हथियार के रूप में प्रयोग किये गये थे । मंत्री महोदय यह बतायें कि पुलिस समय पर क्यों नहीं पहुंची । क्या यह सच है कि सीमा सुरक्षा दल 2½ घण्टे बाद पहुंचा । सदन को यह भी बताया जाये कि गुंडों पर पहले ही नजर क्यों नहीं रखी गई ।

मुझे यह भी जानकर अत्यन्त दुःख हुआ कि जब कुछ संसद सदस्यों ने प्रशासन की मदद करने के लिये वहां जाने की बात कही तो हमें वहां जाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई तथा हमें पता चला कि कुछ कांग्रेस संसद् सदस्यों को वहां जाने की अनुमति प्रदान की गई । यह भेदभाव की बात बहुत शर्मनाक है ।

इसके अतिरिक्त कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है । कर्फ्यू पास केवल कुछ ही व्यक्तियों को दिये गये हैं । इस समय मुस्लिम अल्प-संख्यकों को रक्षा सेवा में और पुलिस में बहुत कम स्थान मिले हुये हैं । यदि उनमें विश्वास उत्पन्न करना है तो रक्षा सेवाओं और पुलिस में उनकी भर्ती बढ़ानी होगी ।

दंगों में क्षति-ग्रस्त होने वालों, चाहे किसी भी समुदाय के हों, को पर्याप्त मुआवज़ा दिया जाना चाहिये । सभी सम्बन्धित अधिकारियों को विशेषतः बड़े अधिकारियों को मुअत्तिल कर दिया जाना चाहिये । मामले की जांच करने के लिये एक संसदीय समिति गठित की जानी चाहिये । दंगों के कारण गृह मंत्री का यह नैतिक अधिकार नहीं कि वे पदासीन रहें ।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi): The Congress Party has always stood for national unity, secularism and socialism. Its policy was to see that we had a secular society in the country. But there were certain parties in the country who did not believe in this. They train people in the use of lathis and daggers. Why? Because their policy was to take advantage of these disturbances, spread rumours and then jump into the fray. In the present

case also, they spread the rumour that shots came from a mosque but the mosque in question was so small that no body who fired from there could escape and run away. The Govt. must take stringent action against those who spread rumours and created trouble.

All communal organisations, whether Hindu or Muslim, should be banned so that the people did not fall a prey to their nefarious activities. When we had a large police force and a well-equipped army where was the need for such a para-Military organisation.

It is wrong to say that the Police reached the spot late. Within fifteen minutes of the burning of shops and houses, the police authorities and other officers reached there. The Prime Minister and the Home Minister also visited the place. There appeared to be a definite plan behind the incidents.

The area where the disturbances took place is too congested. There are very few police posts there. We should have more police posts in that area.

A separate department of intelligence should be set up to keep a watch on the activities of communal forces. Unless Govt. took stern measures against these who indulged in Communal disturbances and unless they framed stringent law for this purpose, they would not be able to deal with the problems.

Shri Ramavtar Shastri: Mr. Speaker, we are discussing a delicate problem. It is a matter of regret for the whole country that such horrible and inhuman incidents had taken place in the capital city of Delhi right under the nose of the Home Ministry and Delhi Administration. Our party is supporting this adjournment motion to ensure the Home Minister and the Home Ministry.

What has happened in the Sadar Bazar and Azad Market area was in accordance with a pre-planned programme. It was not just that two persons quarrelled and it flared up into arson and looting on such a large scale. The large-scale arson is a proof of a planned programme by communal forces, from which Jan Sangh and R.S.S. cannot exclude themselves.

This area is inhabited mostly by the minority community. The whole area has been turned into a grave yard. Nothing has remained intact there. The whole scene was horrifying. Have we become so barbarous ?

It has been rightly said that the police reached the spot after about two hours. People of the Minority community have alleged that the police even helped the rioters. An enquiry should be made into this. I apprehend that communal elements have infiltrated into Delhi police and the Administration.

I am afraid that the Houme Minister has a soft corner for these people. He does not think that he would take action against them. It is clear that common man has nothing to do with these disturbances. Only some organised elements are engineeing the riots, with an eye on the coming by-elections.

The right reactionaries have a plan to sabotage all progressive measures and to create chaos in the country. These people will never fight against hoarders and black-marketeers.

An Inquiry Commission should be appointed to go into the Delhi riots or an inquiry should be conducted through members of Parliament. All culprits whether Hindu or Muslim, should be punished and all fire arms and explosives in private hands should be confiscated.

Minority community should be fully protected. Arrangements should be made for their rehabilitation. Families of the persons killed in the riots should be compensated. The recommendations of the National Integration council should be implemented. The Delhi Police should be overhauled and people from the minority community should also be taken in. At the present moment, their number is very small.

Shrimati Subhadra Joshi (Chandni Chowk): Sir, On 16-17 March, top leaders of R.S.S. met in Delhi in which it was said that there was genuine resentment among the people in the country and that R.S.S. should give a direction to this resentment. It was also decided hat R.S.S. should train its volunteers to come to its fold.

Members of the Parliament and the Home Minister can easily imagine what kind of programme this organisation in contemplating. It is this R.S.S. which has always been spreading rumours that such and such mosque is engaged in collecting large stocks of arms and ammunition. Even on the day of riots, such rumours were spread in other parts of the city. I may submit that the statements which appear to have been said innocently in this House are distorted as rumours outside. I do not consider R.S.S. and Jamait-e-Islami as the representatives of the Hindus and the Muslims respectively.

I am sorry that our police officers are being charged. But they too are helpless because they get their education through R.S.S. Therefore, the best solution is that they should not be allowed to join R.S.S.

Conditions in Delhi have not yet improved. Communal elements are spreading all sorts of rumours. Preventive action must be taken by arresting all those who are giving threats of direct action or who are creating communal disharmony.

श्री सेझियान (कुम्बकोराम) : महोदय, समाचारपत्रों में, रविवार को दिल्ली के सदर बाज़ार में हुये साम्प्रदायिक दंगों का समाचार प्रकाशित हुआ है । मैं यह कहना चाहूंगा कि यह धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र के नाम पर एक धब्बा है । इतने अच्छे संविधान और राष्ट्रीय एकात्मकता परिषद् के होते हुए भी देश में साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, यह बहुत शर्म की बात है ।

बुद्ध पूर्णिमा के एक दिन पूर्व भारत की राजधानी में नरसंहार हुआ है । यदि इस चर्चा से हमने साम्प्रदायिकता के विरुद्ध केवल क्रोध भरी बातें ही कहनी हैं तो इससे कोई लाभ नहीं होने का है ।

कल मुझे दंगाग्रस्त क्षेत्र को देखने का अवसर मिला । वहां बहुत ही करुणिक दृश्य था । भयग्रस्त चेहरे टूटी हुई खिड़कियों से झांक रहे थे । वे किसी भी साम्प्रदाय के हों, उन्हें दंगे में हानि उठानी पड़ी है ।

सरकार ने साम्प्रदायिक दंगों के बारे में समाचार पाते ही उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाये थे ? समाचार पत्रों से ज्ञात होता है कि पुलिस ने लापरवाही से काम लिया ।

यदि कुछ समाज विरोधी तत्वों को मनमानी करने की छूट दी जाती है, तो एक सभ्य सरकार और पुलिस व्यवस्था किस लिए बनी हुई है । दिसम्बर, 1972 में गृह मंत्रालय के एक टिप्पण में बताया गया था कि जब भी प्रशासन ने सख्ती से काम लिया है, या तो दंगे हुए नहीं अथवा उन्हें थोड़े समय में ही दबा दिया गया । अतः सरकार ने समय पर कार्यवाही क्यों नहीं की ? समाज-विरोधी तत्वों को पकड़ा क्यों नहीं गया ? यह बताया गया है कि पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति और भी खराब हो गई । इस सबके लिए पुलिस प्रशासन ही उत्तरदायी है ।

राष्ट्रीय एकात्मकता परिषद् में यह निर्णय लिया गया था कि कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार ठहराया जाये । क्या गृह मंत्रालय ने लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है ?

Shri Amar Nath Chawla (Delhi, Sadar) : It is very unfortunate that this incident took place in my constituency. There cannot be any difference of opinion on the point that this was the creation of bad elements but still there has been a great conspiracy. It appears that some organised group is engineering these riots. They are putting on fire here and there. Police has discharged their duty in an examplary manner. Common people, traders, labourers, workers do not want the riots. One particular group is interested in this and only they are causing all this trouble.

All those people whose property has been destroyed by fire should be helped. The families of those peoples who have lost their lives—may be Hindus, Muslims, Sikhs etc. must be provided for within the period of curfew and even afterwards. Foodstuffs and medicines should be supplied in riot affected areas. Electricity supply should be restored. Protection should be given to the employees of D.E.S.U. Relief measures should be under taken for those who have suffered due to riots.

The Govt. should appoint a high level fact finding Enquiry Committee and should restore the confidence of the people expeditiously. Rumour mongers should be sternly dealt into and the public co-operation should be sought to bring the situation under control.

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोंजीकोड) : दो दिन पूर्व राजधानी में जो साम्प्रदायिक दंगा हुआ है वह देश की स्वाधीनता के बाद राजधानी में सबसे बड़ा दंगा है । इसमें जन-धन की महान हानि हुई है । न केवल करोड़ों रुपये की सम्पत्ति के मकान, दुकानें, गोदाम, कारखाने ही नष्ट हुए हैं अपितु हज़ारों आदमी बेघरबार हो गए हैं और वे खाली हाथ गलियों में फिर रहे हैं ।

सरकार, दिल्ली प्रशासन और पुलिस इन दंगों को दबाने में बुरी तरह असफल रही है । दंगा दिन में दो बजे शुरू हुआ था और आधी रात तक लगभग बारह घन्टे चलता रहा । तब तक सरकार उसे नहीं दबा सकी । पुलिस दंगा शुरू होने के 3 घन्टे बाद आई । पुलिस स्थिति को काबू नहीं कर सकी इसलिए सीमा सुरक्षा दल बुलाया गया । सीमा सुरक्षा दल 2 घन्टे बाद अर्थात् 6.30 बजे पहुंचा । दंगे आधी रात तक चलते रहे ।

इस बीच गुप्तचर व्यवस्था क्या करती रही । दंगे बिना तैयारी के नहीं हो सकते । दंगा सुनियोजित था और बड़े पैमाने पर हुआ । हमें अहमदाबाद, भिवाण्डी और जमशेदपुर का अनुभव है, सरकार सब जगह असफल रही, सरकार के पास पुलिस है । मिलिटरी है इन दंगा फैलाने वाले को कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये ।

जहां तक मुस्लिम साम्प्रदाय का सम्बन्ध है वह समाज का कमज़ोर तबका है । संख्या में और आर्थिक दृष्टि से वे कमज़ोर हैं । जब कभी दंगा होता है तो उन्हें हानि उठानी पड़ती है । हमें सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए । हमारा पहला और अत्यावश्यक कार्य यह है कि सौमनस्य स्थापित किया जाय ।

दंगा करने वालों को—चाहे वे किसी भी समुदाय के हों—कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए, दंगा-ग्रस्त लोगों को पूरा मुआवज़ा दिया जाना चाहिए । दंगों में औरतों और बच्चों की और भी अधिक दुर्दशा होती है । उनके पास खाने को अन्न नहीं ; पीने के लिए पानी नहीं; दूध नहीं ।

सभी देशवासियों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और उनके बीच पूर्ण सौमनस्य होना चाहिए । सरकार को समय पर कार्यवाही करनी चाहिए ताकि दंगा करने वाले लोग अपना सिर न उठा सकें, शान्ति बनाई रखी जा सके और अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जा सके ।

Shrimati Mukul Banerjee (New Delhi) : What had happened in Delhi on the 5th has smeared the face of whole country. It is not something accidental or the work of a handful of goondas. It is something pre-planned and engineered by those people who believe in Communalism. They have chosen this time in order to exploit the present difficult economic situation. But their designs will not be fulfilled as the people will not be misled by them.

Whatever be the agency behind these disturbances, be it Hindu or Muslim or Christian, it has to be sternly dealt with. All Communal forces must be put down with a strong hand.

A high level fact finding committee should be appointed and some solution should be found out. Those who spread Communalism should be severely punished and the same punishment should be meted out to them as is meted out to the traitors.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : सरकार जनता की जान और माल का रक्षा करने में असफल रही है । यह न केवल केन्द्र सरकार के लिए अपितु हम सबके लिए लज्जा की बात है ।

इन साम्प्रदायिक दंगों में जो घटनाएं हुई हैं—विशेषतः किशनगंज और सदर बाजार में—उनसे 1946 के साम्प्रदायिक दंगों की याद ताज़ा हो जाती है । सभापति महोदय ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए न तो सरकार के पास किसी प्रकार का नियंत्रण है और न ही यह सदन किसी प्रकार का नैतिक प्रभाव डालने में समर्थ है अन्यथा सदन के इतने करीब कल की घटनायें कभी न होतीं ।

इन घटनाओं से कुछ बातें स्पष्ट हो गई हैं । सरकार की गुप्तचर प्रणाली पूर्णतः असफल रही है । स्थिति से निपटने के लिए तत्काल और पर्याप्त उपाय नहीं किए गये थे । गृह मंत्री इसके लिए नैतिक रूप से जिम्मेवार हैं । यदि इस मामले पर वे त्यागपत्र दे दें तो लोगों की नज़रों में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी ।

मेरा निवेदन है कि यदि पुलिस या सेना पर्याप्त संख्या में बुला ली गई होती तो स्थिति कभी न बिगड़ती । एक आदरणीय सदस्य ने तो इस आशय की अपील भी की थी । परन्तु ऐसा नहीं किया गया ।

कल शाम तक किसी प्रकार की राहत भी नहीं पहुंचाई गई । एक डबल रोटी तक भी नहीं भेजी गई । शासक दल ने तो स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया है । शासक दल के सदस्यों को दौरा करने और डबल रोटियां बांटने के लिए प्राथमिकता दी गई है ।

महंगाई, बेरोज़गारी और बढ़ रही असमानता से हिंसा पैदा होती है । देश के बुनियादी विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया अर्थात् देश के लोगों के चरित्र का विकास नहीं किया गया । इन सब कारणों से हिंसा सर्वत्र फैल रही है ।

इंडियन एक्सप्रैस में कहा गया है कि ऐसी बहुत सी घटनाओं का कारण शराब होती है । गत कुछ वर्षों से दिल्ली में शराब की खपत दो गुणा और तीन गुणा हो गई है ।

कुछ सदस्यों ने इस बात पर ठीक ही बल दिया है कि न्यायिक आयोग की तत्काल घोषणा होनी चाहिए । यह आयोग इस बात का भी पता लगाए कि पहले के आयोगों की कौन सी सिफारिशों

पर कार्यवाही नहीं की गई है। लोगों तक राहत पहुंचाई जानी चाहिए और विद्यार्थियों की परीक्षाओं के सम्बन्ध में सुविधाएं दिलाई जानी चाहिए।

सरकार को राष्ट्रीय एकता की समस्या को अधिक गम्भीरता से लेना चाहिए। हम राष्ट्रीय एकता का आधार तैयार किए बगैर आर्थिक ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक संस्था और संसद में प्रतिदिन सामूहिक रूप से राष्ट्रीय एकता की शपथ लेनी चाहिए। रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा का दैनिक कार्यक्रम भी इसी शपथ के स्मरण के साथ प्रारम्भ होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी कार्य की समुचित सराहना भी होनी चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द समितियां स्थापित की जानी चाहिएं। यदि ऐसा किया जाता है तो उस दिशा में कोई कार्य हो सकेगा जिस में कि हम सभी चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े।

Shri Shankar Dyal Singh (Chatra): Mr. Chairman, the newspaper reports do not give any clear reason for these happennings. It appears from the conditions prevailing in the country that there in some party, section or elements trying to sabotage the stability of the country. These incidents may be preplanned or accidental but they are certainly retrogation, they do not forward to take our country.

Everyone knows that more people would have died if the Government had not acted promptly. No body has blamed Government for these riots. But for the prompt action, riots would not have been controlled.

I also demand an enquiry into these incidents and the report should be expeditiously prepared. This should not be made a political issue. Inquiry should find out the persons responsible for these riots so that people may remain beware of such antisocial elements.

Government should give necessary relief to the affected people and it should be vigilant so that such like happenings do not occur in other parts of the country.

श्री समरगुह (कन्टाई): सम्पूर्ण विश्व को इस बात का पता चल जाना चाहिए कि भारत के सब लोग इस गन्दी घटना की एक ही स्वर से निन्दा करते हैं। मैं इसके लिए अफसोस व्यक्त करता हूं और मेरा अनुरोध है कि पीड़ित व्यक्तियों को समुचित क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। अखबारों से इन घटनाओं का कारण स्पष्ट नहीं होता परन्तु मुझे प्रतीत होता है कि इनके पीछे कोई षडयन्त्र है।

इस क्षेत्र में दंगे अक्सर होते हैं। गत वर्ष भी यहां दंगे हुए थे। प्रत्येक अखबार में लिखा है कि पुलिस आवश्यक उपाय करने में हिचकिचा रही थी। श्री राजगोपाल के जाने पर ही पुलिस ने कुछ सक्रिय उपाय किए। एक सेवानिवृत पुलिस अधिकारी ने मकान की छत से गोली चलाई। उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिये था।

मुझे एक और बात के कारण भी चिन्ता है। बंगला देश, तेहरान, अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं और हम पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए देश में साम्प्रदायिकता के कारण होने वाली हिंसा से विश्व को गलत धारणा नहीं बनानी चाहिये। साम्प्रदायिकता की इस बुराई का उन्मूलन किया जाना चाहिये।

मैं न्यायिक जांच के पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि शीघ्र ही संसद-सदस्यों की एक समिति बनाई जाये। इसके दो कारण हैं। पहले तो वहां राहत पहुंचाई जाये और प्रभावित व्यक्तियों में विश्वास की भावना पैदा की जाय। इस समिति को चाहिए कि वह तुरन्त ही इस क्षेत्र का दौरा

करे और वहां आस्था और विश्वास की भावना पैदा करे। दूसरे, इस समिति को बड़ी गम्भीरता तथा शीघ्रता से इस मामले की जांच करनी चाहिये कि क्या यह कुछ शरारती तत्वों का षडयन्त्र है अथवा सामान्य घटना है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लोगों का ध्यान दूसरी ओर से हटाने के लिए एक राजनीतिक षडयन्त्र है। इस साम्प्रदायिकता के पीछे राजनीतिक दलों का हाथ है। चुनाव से पहले हम मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और अल्प-संख्यक लोगों से उनका मत मांगते हैं परन्तु हमने सौहार्द-पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की दशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया है। अतः राष्ट्रीय एकता समिति का अध्यक्ष होने के नाते प्रधान मंत्री से मेरा अनुरोध है कि समाज को साम्प्रदायिकता की बुराई से मुक्त करने के लिए कदम उठाए जायें जिससे देश में एकता की भावना का विकास हो।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, प्रायः सभी वक्ताओं ने 5 तारीख की घटनाओं की निन्दा की है। विरोधी सदस्यों ने यदि यह कहा होता कि उनका उद्देश्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना है और स्थिति को और अधिक गम्भीर बनाना नहीं है तो अधिक अच्छा होता। परन्तु दुर्भाग्यवश राजनीतिक दलों द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाये जाने का मुख्य उद्देश्य स्थिति को सामान्य बनाना नहीं है अपितु सरकार की निन्दा करना और यह धारणा बनाना है कि यह सरकार देश में अल्प-संख्यकों के हितों और अधिकारों की देखभाल नहीं कर रही है। जैसा कि कांग्रेस दल के इतिहास से स्पष्ट है, इसने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया है। हो सकता है कि कांग्रेस ऐसी स्थिति पैदा न कर सकी हो जिसमें गरीब लोगों को भोजन मिले परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि एकमात्र कांग्रेस ही ऐसा दल है जिसने स्वाधीनता से लेकर अब तक धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया है।

विरोधी दलों के प्रायः सभी सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस दल तथा सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों का जीवन समाप्त हो गया। हो सकता है कि पुलिस के देर से पहुंचने या स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए समय पर कार्यवाही न करने के कारण स्थिति को नियंत्रण में न रखा जा सका हो परन्तु हर बार पुलिस को दोषी ठहराना उचित नहीं है। पुलिस के कुछ अधिकारियों ने कई अवसरों पर अपने जीवन को खतरे में डालकर भी संविधान तथा इस देश के लोगों की रक्षा की है।

हमारे दल के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि कांग्रेसी संसद-सदस्य वहां राजनीतिक संरक्षण के साथ गये थे। मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं। कांग्रेसी संसद-सदस्य स्वयं अपने जोखिम पर ही वहां गए थे। उन्होंने पुलिस संरक्षण की मांग बिल्कुल नहीं की। अपितु कुछ विरोधी सदस्यों ने पुलिस सहायता लेने के लिए पहले उपराज्यपाल से सम्पर्क स्थापित किया और फिर उन्होंने गृह मंत्री से सम्पर्क स्थापित किया ताकि वे वहां जाकर स्थिति का जायजा ले सकें।

एक और आरोप यह लगाया गया है कि सरकार या कांग्रेस दल का वह सक्रिय वर्ग जो रेल हड़ताल को निष्फल बनाना चाहता है, इस खेल में शामिल है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सरकार और इसकी सारी व्यवस्था एवं जिम्मेदार देशभक्त शक्तियां रेल हड़ताल को विफल करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही हैं, गुण्डों ने राजधानी में दंगे करने का यह अच्छा अवसर चुना है ताकि सरकार का ध्यान दूसरी ओर से हटाकर इस ओर आकर्षित किया जा सके। मेरा अनुभव यह है कि सदर बाजार और आजाद मार्किट में हुए दंगे आकस्मिक नहीं हैं। देश के आर्थिक विकास

में रुकावट डालने के लिए यह न केवल दिल्ली में अपितु सारे भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की सुनियोजित और संगठित कार्यवाही है ।

कुछ राजनीतिक दलों ने हड़ताल का आवाह्न किया है । यदि राजनीतिक दल वास्तव में चाहते हैं कि सरकार के सहयोग से शान्ति स्थापित हो तो उनको इस समय बन्द का आवाह्न नहीं करना चाहिये और गुण्डों को राजधानी में अव्यवस्था पैदा करने का अवसर नहीं देना चाहिये जो पहले ही मौके की तलाश में हैं । कोई हिन्दू मारा जाता है या मुसलमान मारा जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को निर्धन लोगों के साथ सहानुभूति होती है । सरकार धन के रूप में जो मुआवज़ा देना चाहती है, वह पर्याप्त नहीं है । हानि का वास्तविक मुआवज़ा राजनीतिक दलों की गारन्टी होगी कि वे इस गुण्डागर्दी को रोकेंगे और देश में इस प्रकार की गतिविधियों की निन्दा करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी और कांग्रेस दल के नेतृत्व में दंगे हुए हैं । परन्तु यह गलत है और सरकार ने जानबूझ कर ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी है । जनसंघ ने सीधी कार्यावाही की धमकी दी है । क्या वे गुण्डों की सहायता से सदर बाज़ार की घटना जैसी कोई घटना पैदा करना चाहते हैं । यदि ऐसा है तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि सख्त कार्यवाही की जाये और किसी प्रकार का समझौता न किया जाये ।

उत्तर भारत में हथियारों के लिए बड़ी संख्या में लाइसेंस दिये गये हैं । मुझे बताया गया है कि हथियारों के लिए लाइसेंस देने के मामले में पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा कुछ उदारता बरती जाती है । कलकता में लाइसेंस देने की प्रक्रिया और दिल्ली में लाइसेंस देने की प्रक्रिया में बड़ा अन्तर है । मेरा अनुरोध है कि गृह मंत्री इस स्थिति को स्पष्ट करें । हथियारों के लिए लाइसेंस देने के मामले में समूचे भारत में एक सी पद्धति अपनाई जानी चाहिये । सदर बाज़ार में जो कुछ हुआ, वह एक सुनियोजित चाल थी । ऐसी प्रत्येक घटना पेशेवर गुण्डों द्वारा आरम्भ की जाती है । उनको किराये पर लिया जाता है । दिल्ली में पिछले वर्ष समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियां बढ़ी हैं । मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली में विद्यमान सभी समाज विरोधी तत्वों को आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तब तक हिरासत में रखा जाये जब तक कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं होता और सदर बाज़ार में जो घटनाएं हुई हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये । हम सबको मिलकर साम्प्रदायिक गतिविधियों का विरोध करना चाहिये ।

Shri S.A. Shamim (Srinagar) : Mr. Chairman, it is our bad luck that during the 27 years of our independence we are not able to create an atmosphere of complete harmony in the country. It is a matter of great concern that there is no end to the riots in our country. From the speeches of honourable members I find that every body in this House wants that there should be an end to this chain of riots and an atmosphere of peace and complete harmony should prevail in the country. We, in this country are not able to uproot the causes of Communal riots & violance. If we censour the Government for this violence it will not be a remedy of it. We are playing a double game in the matter. There is lot of difference in our statements made in the Parliament and speeches delivered among the audience. We can not shirk the responsibility which we have upon our shoulders. We shall be true to our conscience and speak out what we actually felt.

I will say that after the death of Ghandhiji there is nobody in the country to look after the safety of muslims. Like Gandhiji there is nobody in this country to ask how many Hindus have died for the sake of Muslims or Muslims for the sake of Hindus. There will be no end to these riots. I shall like to warn that such riots are bound to take place in future also. Therefore, Government should be cautious about it.

If we feel that Hindus & Muslims cannot exist together in India, we must declare it openly and frankly. It is a fact that so far no criminal who committed ghastly crimes is brought to book. Rather I will say that these criminals should be hanged. Unless it is done the goondas will not learn a lesson. Appointment of an Inquiry Commission alone will not solve the problem.

What I want to make clear is that no purpose will be solved by putting a ban on the Communal Organisations. We have to clean our hearts of a Communal Venom, only then we will be able to wipe out this evil of Communalism from this land. We have to choose a path for this country and have to decide whether we want to follow the path suggested by Gandhiji or that of adopted by Godse. In the end I will suggest that we should be true to our conscience & whatever we speak in Parliament we shall put it into actual practice.

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : 5 मई के दोपहर बाद सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन क्षेत्र के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुईं । इसके परिमाणस्वरूप अनेक लोग मारे गये बहुमूल्य सम्पत्ति नष्ट की गई तथा चारों ओर आतंक छा गया । अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार दोपहर के लगभग 1.30 बजे सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन में सूचना मिली कि किशनगंज चौक तथा आज़ाद मार्किट क्षेत्र में दंगा हो गया है । सब-डिवीज़नल अधिकारी तथा सदर बाज़ार पुलिस थाना के एस०एच०ओ० तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच गए । स्थिति को गम्भीर पाकर उन्होंने और कुमक मंगवाई तथा उच्च अधिकारियों को भी सतर्क किया । दोपहर के 1.45 बजे और 2.00 बजे के बीच अतिरिक्त ज़िलाधीश और उत्तरी ज़िला के पुलिस अधीक्षक भी किशनगंज चौक तथा आज़ाद मार्किट क्षेत्र में पहुंच गये । अतिरिक्त ज़िला न्यायधीश ने आगजनी और हिंसा में लगे लोगों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को गोली चलाने का आदेश देना उचित समझा । पुलिस महानिरीक्षक, ज़िला मजिस्ट्रेट और पुलिस उपमहानिरीक्षक भी तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच गए । दोपहर के 3.30 बजे तक गोला बारूद का प्रयोग हुआ । ईंटें और सोड़े की बोतलें फैंकी गईं और किशनगंज चौक तथा आज़ाद मार्किट क्षेत्र में आगजनी और हिंसा की अनेक घटनाएं हुईं तथा 3.30 बजे के बाद स्थिति कुछ नियंत्रण में आई । ऐसी ही घटनायें बहादुर गढ़ रोड क्षेत्र में भी फैली और इस इलाके में लगभग 4.00 बजे स्थिति नियंत्रण में आ गई ।

ये दंगे सदर थाना रोड क्षेत्र में भी फैल गए जहां लगभग शाम के 5 बजे तक स्थिति नियंत्रण में आ गई । कसाबपुरा, मोतिया खान क्षेत्र में 6 बजे शाम से पत्थर फैंकने और आगजनी की घटनायें आरम्भ हो गई थीं और स्थिति को शाम के लगभग 7 बजे काबू में किया गया । सारे दंगे रात्रि के लगभग 8 बजे, जब कर्फ्यू लगाया गया पूर्णतः, नियंत्रण में आ गए । इसके बाद कर्फ्यू कारगार रूप से लागू किया गया है ।

पुलिस महानिरीक्षक, ज़िलाधीश तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए स्वयं निर्देश दिए । केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस तथा दिल्ली सशस्त्र पुलिस की लगभग 8 कम्पनियां उस क्षेत्र में तैनात कर दी गईं और बाद में सीमा सुरक्षा बल की आठ कम्पनियां और आ गईं जो प्रभावित क्षेत्र तथा शहर के अन्य नाजुक स्थलों पर पहरा देने लगीं । हम सबके लिए बड़े खेद की बात है कि इस दंगे में 10 व्यक्ति मारे गए हैं और लगभग 131 व्यक्ति जख्मी हुए हैं । पुलिस महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक को मिलाकर पुलिस के 15 व्यक्ति और 10 आग बुझाने वाले जख्मी हुए हैं ।

श्री राम सहाय पांडे (राजनन्द गांव) : पुलिस उपमहानिरीक्षक, श्री मरवाह की अस्पताल में कैसी हालत है ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं अस्पताल उनको देखने गया था, उनकी हालत खतरे से बाहर है । 60 जख्मी हुए व्यक्तियों का उपचार अभी भी चल रहा है, डाक्टरों ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई है ।

दंगों के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कार्य चल रहा है । अपराध के तीन मामले दर्ज कर लिए गए हैं । 66 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं । विशिष्ट जांच-पड़ताल के दौरान और अधिक गिरफ्तारियां होने की सम्भावना है ।

इस सम्बन्ध में तथ्य का पता लगाने के लिए सरकार ने एक उच्चस्तरीय जांच समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है । हमने अभी यह निर्णय नहीं किया है कि क्या न्यायिक जांच कराई जाए । किन्तु यह उच्चस्तरीय जांच समिति होगी । मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने का विचार नहीं है क्योंकि सरकार का विचार है कि तथ्यों का शीघ्रातिशीघ्र पता लगाया जाए ताकि सरकार कारगर और समुचित कार्यवाही कर सके ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह एक संसद सदस्यों की समिति होनी चाहिये ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगसराय) : यह समिति अन्य आयोगों की तरह नहीं होनी चाहिए जिनका कोई परिणाम नहीं निकला है ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : इस मामले में पहले तथ्यों का पता लगाया जाएगा तत्पश्चात् सरकार अगली कार्यवाही करेगी । जैसाकि अनेक सदस्यों ने प्रश्न किया है, यह बहुत जटिल समस्या है । यह तो एक प्रकार का विष है जो भारत की राजनीति में 50 या सौ साल पहले घुस चुका था ।

प्रधान मंत्री तथा मैं 5 तारीख की दोपहर से निरन्तर स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं । हम 5 तारीख को घटनास्थल पर भी गए और श्री मिर्धा ने कल उस क्षेत्र का चक्कर लगाया । दिल्ली प्रशासन के सभी सम्बन्धित अधिकारी अनावश्यक आतंक को दूर करने और पुनः सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए यथासम्भव प्रयास कर रहे हैं । उन्हें वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिए कहा गया है ताकि एक जांच समिति के गठन के सम्बन्ध में विचारार्थ विषय शीघ्र तैयार किया जा सके और अविलम्ब एक सदस्यीय समिति की नियुक्ति की जा सके ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : क्या समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह प्रकाशित की जाएगी । एक प्रश्न पूछा गया है कि टण्डन जांच प्रतिवेदन को प्रकाशित क्यों नहीं किया गया है और उस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है । पहली बात तो यह है कि उस प्रतिवेदन के प्रकाशन की किसी ने मांग नहीं की है । मैं इस प्रतिवेदन की एक प्रति अभी भी संसद के पुस्तकालय में रखने के लिए तैयार हूं ।

श्री टण्डन की मुख्य सिफारिश गुंडों के विरुद्ध प्रभावशाली निवारक कार्यवाही करने के बारे में है । उन्होंने इस प्रकार की निवारक कार्यवाही के विभिन्न प्रक्रिया सम्बन्धी पहलुओं का भी उल्लेख किया है । प्रशासन द्वारा इन सिफारिशों पर गम्भीरता से विचार किया गया और सारी दिल्ली में गुंडों तथा अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने की योजना बनाई गई ।

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : श्री टण्डन ने अर्द्धसैनिक संगठन का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : श्री टण्डन ने साम्प्रदायिक मामलों के बारे में गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए तन्त्र में कुछ सुधारों की भी सिफारिश की है । उन सिफारिशों पर भी कार्यवाही की गई है । जिला पुलिस के अधीन अब गुप्त सेवा एककों की स्थापना कर ली गई हैं । मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि गुप्त सूचना देने वाला कोई एकक या अधिकारी ही नहीं अपितु अन्य अभिकरण भी इस प्रकार के दंगे के बारे में पूर्व सूचना नहीं दे सके । कुछ जिम्मेदार अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया है कि समय-समय पर इस प्रकार की जानकारी और शिकायतें प्राप्त की गई हैं और अधिकारियों ने हस्तक्षेप करके उन घटनाओं को बढ़ने से रोका है ।

निश्चित जानकारी के अनुसार 5 व्यक्ति गोलियों से मारे गये हैं और पांच व्यक्ति 'पेलेट' से । कुछ घरों से गोलियां चलाई गई हैं । मरने वालों तथा घायलों के बारे में कुछ सदस्यों ने जो आंकड़े दिये हैं सभा को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिये ।

मेरा दल धर्मनिरपेक्षता को मानने वाला है किन्तु यह आरोप लगाया गया है कि यह दंगे अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा कांग्रेस दल द्वारा उकसाये गये थे कि क्योंकि एक चुनाव होने वाला है । मैं पूछना चाहता हूं कि इससे किसको लाभ होता है मेरा विचार है कि इससे केवल वही दल लाभान्वित होते हैं जिनके अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी या श्री सुलेमान सेट हैं अथवा जमायेत इस्लामी अथवा हिन्दू महासभा को इससे लाभ होता है । किन्तु मेरा दल जो कि गांधी जी को तथा श्री जवाहर लाल नेहरू की विचार-धारा को मानने वाला है कभी इस प्रकार का लाभ नहीं उठाना चाहेगा । कांग्रेस दल अथवा कांग्रेस सरकार से अधिक धर्मनिरपेक्ष और कोई नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि जो साम्प्रदायिक दल हैं उनको भारत सरकार को बाकायदा घोषित कर देना चाहिये । मैं इस सम्बन्ध में यही कहना चाहता हूं कि इस विषय पर पहले भी विचार हो चुका है और यदि हमको कभी ऐसा लगा कि किसी समय कोई विशेष कानूनी कार्यवाही करने से देश का लाभ होगा तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि उसमें हम हिचकें नहीं । मैं श्री रामावतार शास्त्री की इस बात से सहमत हूं कि यह वह शियाना घटना है किन्तु गोली से मरने वालों की संख्या 5-6 से अधिक नहीं है ।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

यह भी आरोप लगाया गया है कि सीमा सुरक्षा दल को आने में $2\frac{1}{2}$ घन्टे लग गये तथा सेना को क्यों नहीं बुलाया गया । इस सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि यह सीमा सुरक्षा दल का सामान्य कर्त्तव्य नहीं है । उनको बुलाने का उद्देश्य रूटमार्च या फ्लैग मार्च कराना तथा प्रशासन को सहायता प्रदान करना था और उन्होंने आने में अधिक समय नहीं लगाया ।

मेरी राय में मुस्लिम लीग, जमायेत इस्लामी, जनसंघ, हिन्दू सभा तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को तब तक साम्प्रदायिकता के बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं है जब तक कि वे अपनी नीतियों तथा विचारधारा में परिवर्तन न कर दें ।

मैं उन सदस्यों से सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि दंगे के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिया जाये । मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के मुताबिक कार्यवाही की जायेगी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : This Adjournment Motion is successful in its aim in as much as that the Home Minister has agreed to a high level investigation of the whole incident.

I am sorry to say that my speech has not been taken in the spirit it ought to have been taken. I have been charged with presenting before the House some cooked up stories. I would like to submit that whatever I have said has already appeared in the press.

Sir, it would have been better if the Home Minister had informed the House that the peoplewho opened fired have been arrested and stern action will be taken against them. In this connection, I have quoted some names in may letter to the Home Minister but I am yet to be informed about their arrest.

In the discussion Shrimati Subhadhra Joshi and others have harped on the same old thing that R.S.S. should be banned. I may tell them that communal riots did take place in the country even before the existence of R.S.S. There have been disturbances in those places where R.S.S. has no existence. My submission is that Government by putting the entire blame on one particular party cannot escape from its responsibility. Even after 2 years of independence, we have proved ourselves a failure in creating an atmosphere of communal peace and harmony.

I have been sounded that the riots were the results of an effort to distort the picture of India on the eve of Sheikh Mujibur Rehman's visit to this country. This allegation should also be investigated during the high level enquiry.

After creating feeling of insecurity among the minorities, the Congress now is saying that it is the only party which can save them. Therefore, it is the ruling party which is benefitted from the communal riots.

I am being asked to say something about the proposed direct action or tomorrow's strike. I am not aware of it. In any case, after the Home Minister's announcement of a high level enquiry and publication of Tondon Report, there is no need for the strike.

Shri Ramavatar Shastri has said that the riots are being engineered because of some ensuing by-election. This is not correct. No party can win election by engineering communal riots.

The Home Minister has said nothing about the reconstituted National Integration Council. He should have told us, what is being done to implement the recommendations' of the Council. National Integration Council should not be tied down with any one party. We should wish that there should be no communal riots in the country in the future and for this some constructive steps should be taken at the administrative level.

कोयला खान (संरक्षण और विकास) विधेयक—जारी

Coal Mines (Conservation and Development) Bill—contd.

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब कोयला खान (संरक्षण और विकास) विधेयक पर आगे विचार किया जायेगा । श्री दामोदर पांडे अपना भाषण जारी रखें ।

Shri Damodar Pandey : Sir, the provisions of the Coal Mines (Conservation and Development) Bill ......

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगले दिन अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार 8 मई, 1974/18 वैशाख, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then Adjourned till eleven of the Clock on Wednesday, May 8 1974/ Vaisakha 18, 1896 (*Saka*).

———

MGIPRRND—Sec. VI—27 LSS/74—7-10-74—490